



తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్

TELANGANA GRAMEENA BANK

ప్రభుత్వ షేడ్యూల్డ్ బ్యాంక్

21st

వార్షిక రిపోర్ట్ ANNUAL REPORT

2025-26



Index

*Welcome to
Telangana Grameena Bank*

21st Annual Report of the Bank

Capitalizing on the synergies arising from the statewide amalgamation, the Bank delivered an outstanding financial performance in its first full financial year, further strengthening its position as the most trusted and preferred banking partner for rural Telangana population.

- 02. Bank's Genesis
- 03. Board of Directors
- 04. Executive Team
- 05. Head of the Departments & Regional Managers
- 06. Bank at a Glance; Recognitions & Achievements
- 08. Chairman's Message
- 10. Key Performance Indicators
- 14. Directors Report
- Financial Statements
- 42. Independent Auditor's Report
- 48. Balance Sheet, Profit & Loss Account and Schedules

VISION

To be the premier bank in the Telangana State providing technologically advanced, committed and quality service in all spheres of banking and be the most Trusted Bank for Rural Development.

MISSION

Providing transparent and efficient Banking Services at reasonable cost at the doorsteps of our customers by ensuring 100% Financial Inclusion, empowerment of rural customers, promoting Self Help Group (SHG) movement with special emphasis on women and earn continuous profits by having healthy business mix thus becoming a leading Bank in Telangana.

VALUES

- ✦ Commitment for Rural development
- ✦ Transparency
- ✦ Excellence in customer service
- ✦ Team Spirit

Bank's Genesis, Amalgamation of RRB's and New Logo of RRB's

Telangana Grameena Bank was established on **24th March 2006** in the name of Deccan Grameena Bank by amalgamation of four RRBs sponsored by State Bank of Hyderabad (SBH).

The Bank has been operating in erstwhile 5 Districts (Adilabad, Nizamabad, Karimnagar, Rangareddy & Hyderabad) of Telangana State with a network of 435 branches till 31.12.2024. Further, GoI vide notification dated **20.10.2014** has changed the name of the Bank to Telangana Grameena Bank from Deccan Grameena Bank. Later, subsequent to amalgamation of SBH into SBI, the name of Sponsor Bank changed to State Bank of India w.e.f. **01.04.2017**.

Bifurcation of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank (APGVB) and Amalgamation of part of APGVB into Telangana Grameena Bank (TGB)

As per directions of DFS, MoF, Government of India, Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank's (APGVB - other RRB operating in the State of Telangana), assets and liabilities were bifurcated between the states of Telangana and Andhra Pradesh with effect from 01.01.2025. The process has been carried out as per the recommendations of the Working Group constituted specifically for this purpose.

Consequently, the branches of APGVB located in the state of Telangana have been amalgamated with Telangana Grameena Bank (TGB), thereby expanding the operational footprint of TGB to entire Telangana State, with effect from 01.01.2025.

Accordingly, Telangana Grameena Bank is now operating across Telangana State with 17 Regional Business Offices & 939 Branches.

Phase-IV Amalgamation of RRBs

Department of Financial Services (DFS) has notified amalgamation of 26 Regional Rural banks (RRBs) on the principles of "One State One RRB". This is fourth phase of amalgamation of RRBs. At present, 28 RRBs in 26 states and 2 UTs with more than 22000 branches covering 700 districts. Their predominant area of operation is in rural areas with approx. 92% of branches in rural/semi urban areas. This is fourth phase of amalgamation.

In previous 3 phases viz. Phase-I (FY 2006 to FY 2010) number of RRBs were reduced from 196 to 82, Phase-2 (FY 2013 – FY 2015) number of RRBs were reduced from 82 to 56 and Phase-3 (FY 2019 to FY 2021) number of RRBs were reduced from 56 to 43.

A New Logo for Regional Rural Banks (RRBs)



Reflecting themes of progress and growth, in rural and remote areas, the logo reinforces the values embodied by RRBs. These include:

 **Upward Arrow (Symbol of Progress)** : Represents growth, development and advancement in rural economies.

 **Hands (Symbol of Nurturing)** : Conveys care, support and a helping hand to rural communities.

 **Flame (Symbol of Enlightenment)** : Signifies warmth, knowledge and empowering rural populations.

The colours of the RRB logo have been so chosen to convey the objectives of the RRBs. **Dark blue signifies finance and trust, while green signifies life and growth**, reflecting their mission to serve rural India.

This common branding initiative by the Government is expected to give RRBs a distinct, modern and easily recognizable brand identity nationwide. This symbolises their collective commitment to financial inclusion and rural development.

BOARD OF DIRECTORS

Shri K. Prathapa Reddy
Chairman



Nominee of Reserve Bank of India under
Section 9(1) (b) of the Regional Rural Banks Act, 1976

Shri Raju Ratlavat, Assistant General Manager
Reserve Bank of India, Hyderabad.



Nominee of NABARD under
Section 9(1) (c) of the Regional Rural Banks Act, 1976

Shri R Ganapathy, General Manager
NABARD, TSRO, Hyderabad



Nominees of Sponsor Bank (State Bank of India) under
Section 9(1) (d) of the Regional Rural Banks Act, 1976

Shri Prakash Chandra Baror
General Manager (RRBs)
State Bank of India, Corporate Centre, Mumbai.



Shri Priyabrata Mishra
Deputy General Manager (ABU)
State Bank of India, LHO, Hyderabad



Nominees of State Government under
Section 9(1) (e) of the Regional Rural Banks Act, 1976

Shri Rayi Ravi
Special Secretary
Finance Department,
Govt. of Telangana



Shri Dr B Gopi, IAS,
Director of Agriculture,
Govt. of Telangana



Officer appointed by the Central Government under
Section 9(3) of the Regional Rural Banks Act, 1976

Shri Vivek Gupta
Director, DFS
Ministry of Finance, GOI

Two Nominees of Central Government under Section 9(1) (a) of the RRBs Act, 1976

Vacant

EXECUTIVE TEAM



Shri K Prathapa Reddy
Chairman



General Manager (on Deputation from Sponsor Bank SBI)



Shri S Sankara Rao
General Manager (HR & IT)



Shri A Vidyadhar
General Manager (C&R)



Shri T Sudhakar
General Manager
Business - I



Shri V Anil
General Manager
Business - II



Shri K V Krishna Sarma
General Manager (FI)



Smt K Lakshmi
General Manager (Operations)



Shri T Chandra Sekhar
General Manager (Vigilance)

HEAD OF THE DEPARTMENTS



Shri G Sreedhar Reddy
AGM & HOD (IT)



Shri Sushant Kumar
AGM & HOD (Per.)



Shri S Safish Babu
HOD (Audit)
on deputation from SBI



Shri B. Hareesh Kumar
HOD (Stationery &
Fixed Assets & Records)



Shri K Kiran Kumar
HOD (Law Dept.)



Shri E Vijay Kumar
HOD (Recovery)



Shri M Uday
HOD (Credit)



Shri M V M Bhaskar
HOD (Financial Inclusion)



Shri B Ravishankar Naick
HOD (Vigilance)



Smt D Gayathri
HOD (Accounts)



Shri R Yashwanth
HOD (Board)



Shri Karthik Kulkarni
HOD (Invst. & Recon.)



Shri G Sateesh
HOD (Compl. & Risk)



Shri B Rajesh Prasad
HOD (Planning & Devp.)

REGIONAL MANAGERS



Shri Syed Yousuf
AGM & RM Hyderabad-2



Shri G Vijaya Bhaskar Goud
AGM & RM Nalgonda



Shri R Uday Kiran
AGM & RM Siddipet



Shri G P S Chaitanya Kumar
AGM & RM Warangal



Smt P Samatha
AGM & RM Sangareddy



Shri A Prasanna Kumar
AGM & RM Khammam



Shri V Ranjeeth
AGM & RM Nizamabad



Shri N Nagaraju
RM Bhadrachalam



Smt P Sangeetha
RM Nagarkurnool



Shri B P Prashant
RM Mancherial



Smt M Ashalatha
RM Bhongir



Shri P Naveen Kumar
RM Nirmal



Shri D V S Rama Rao
RM Hyderabad - I



Shri C Raja Narendra
RM Jagtial



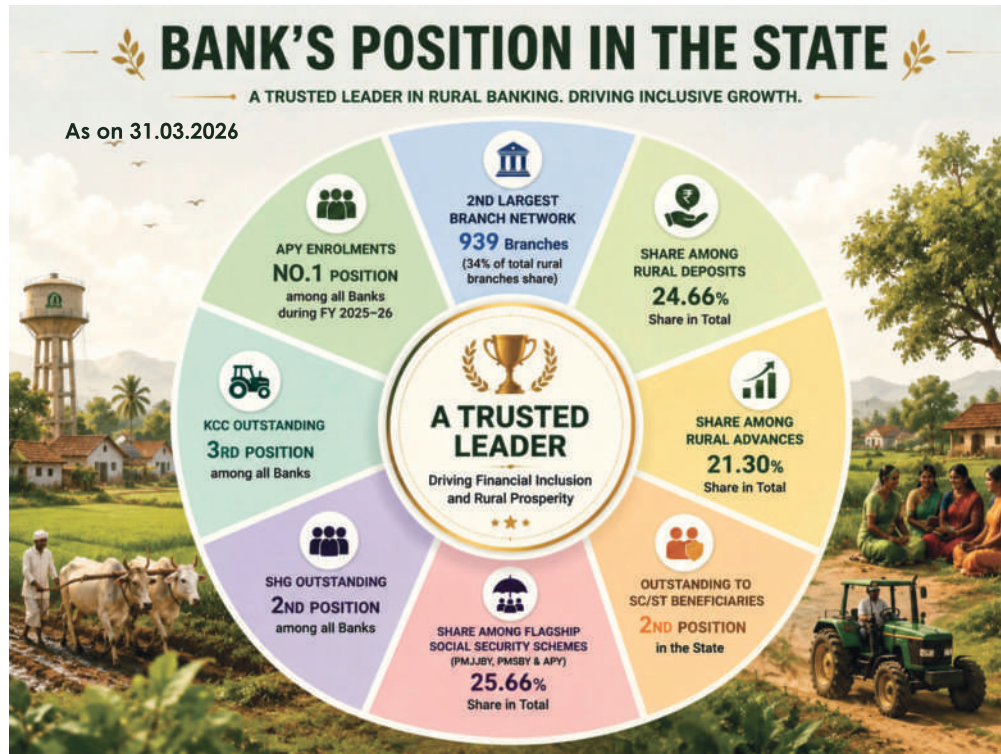
Smt B Balanagu
RM Karimnagar



Shri D Girmoji Naik
RM Adilabad



Smt L Sheela
RM Mahabubnagar



THE BANK AT A GLANCE

₹ 1282.84 cr

Net Profit

₹ 1902.23 cr

Operating Profit

₹ 81152.50 cr

Total Business

4.33%

Net Interest Margin

2.13%

Return on Assets

₹ 9714.67 cr

Net Worth

26.24%

CRAR

1.98%

Gross NPA

0.00%

Net NPA

As on 31-03-2026 ...

Industry Recognition & Achievements



Bank has been honoured with the National Award for Outstanding Performance in SHG Bank Linkage(2024-25), presented by Shri Shivraj Singh Chouhan, Hon'ble Union Minister for Rural Development, Agriculture & Farmers' Welfare, in the presence of Shri Dr. P. Chandra Sekhar, Hon'ble Union Minister of State for Rural Development & Communications, and Smt. Dr. Dansari Anasuya (Seeth Akka), Hon'ble Minister for PR & RD, Govt. of Telangana.



Chairman, Shri. K. Prathapa Reddy, receiving felicitation from PFRDA in New Delhi for achieving 100% of the APY Annual Budget for FY 2024-25



Chairman, Shri. K. Prathapa Reddy, is felicitated by PFRDA during the Annual Felicitation Programme held at New Delhi, for achieving 100% of the APY Annual Budget for FY 2025-26



Smt. K. Lakshmi, GM(Ops), receiving the award from Income Tax Department for outstanding compliance practices in Specified Financial Transactions (SFT) filling for FY 2024-25



Honoured with "Prestigious Awards" at the 4th IBA CISO Summit & Citations for adoption of best practices in Cyber Security



TGB won 4 Awards at > Best AI & ML Adoption-Runner Up the IBA Technology Awards, 2025 across > Best Tech Talent-Runner Up multiple categories - > Technology Bank-Special Mention



IBEX-BFSI Technology Awards among all RRBs/ Cooperative Banks/ Small Finance Banks 2026
> Digital CX Trailblazer - Gold Award
> Tech-Driven Operational Excellence - Silver Award
> AI Vanguard - Silver Award



Bank received Prestigious SHG Bank Linkage 2025-26 Best Performance Award from SERP Telangana



Bank received Best Data Performance Award from Trans Union CIBIL



Commendation received from Reserve Bank of India, Hyderabad for Effective Redressal of Complaints

Chairman's Message



Dear Stakeholders,

It is my privilege to present the Annual Report of Telangana Grameena Bank for the financial year ended March 31, 2026. Having assumed charge as Chairman on May 29, 2025, I had the opportunity to lead the Bank during a transformative phase marked by the amalgamation of the erstwhile Regional Rural Banks. This has enabled us to build on the strengths of the predecessor RRBs and create a stronger, more resilient Bank committed to serving the people of Telangana.

FY 2025-26 represents the first full financial year of consolidated operations of Telangana Grameena Bank following the Amalgamation under the Government of India's "One State – One RRB" framework. This amalgamation has fundamentally re-engineered our scale and market presence. Bank now commands a truly pan-state presence, covering all 33 districts of Telangana State. With the expansion of our physical network to 939 branches, the Bank has emerged as the second-largest banking network in the State. Our operations are supported by staff strength of 4,495 employees.

Bank's Performance

Bank's business continued to grow at a robust pace in FY2026. The balance sheet size of Bank has touched Rs.63075 crore as at the end of March 2026. Bank's business expanded by 10.14% to reach Rs.81,152.50 crore, up from Rs.73,683.94 crore in the previous year.

Deposits Growth

Bank's Total deposits reached Rs.34,604.69 crore, marking a year-on-year growth of 7.58%. Amid intensive competition for retail liquidity, our Core CASA ratio remained sticky and resilient at 37.03%, providing a stable, low-cost funding base that shielded our margins from volatile wholesale market rates.

Advances Growth

The Bank's total advances registered a year-on-year growth of 12.11%, increasing from Rs.41,518.28 crore as on 31.03.2025 to Rs.46,547.81 crore as on 31.03.2026. Agricultural advances grew by 22.38%, driven largely by a rise in Agri Term Loans and sustained growth in SHG financing. MSME advances recorded a robust growth of 43.75%.

Home Loans hold a share of 17.15%, growing by 8.17 % with a portfolio of Rs.7984.77 crore as on March 2026. Personal gold loans grew at a robust pace of 18.06 % to Rs.5865.30 crore.

The Bank has also delivered strong performance under the Government's flagship credit schemes, viz. AIF, PM SVANidhi, PM Mudra Yojana, PMFME, PM Vishwa karma Scheme, and PM Surya Ghar, etc. The Bank remains focused on achieving its budgets/ targets under these schemes during FY 2026–27 as well.

Investment

The Bank's total investment portfolio stood at Rs.5,402.77 crore as on March 31, 2026 (excluding term deposits with other banks of Rs.11,528.89 crore). Of the total investment portfolio, 71.24% was classified under the Held to Maturity (HTM) category and 28.76% under the Available for Sale (AFS) category. The yield on investments stood at 7.55% during FY2026 compared to 7.12% in FY 2025.

Profitability

Bank with its first full financial year of consolidated operations following the Amalgamation reported a 110.94% surge in Operating Profit, which rose to Rs.1,902.23 crore from Rs.901.80 crore in FY 2025. Net Profit for the year grew by 89.97% to reach Rs.1,282.84 crore, up from Rs.675.29 crore in the FY 2025. Bank has registered significant improvement on the Asset quality front, Capital front, NIM(4.33%), YoA (9.83%) & RoA (2.13%)

Asset Quality & Capital Position

The expansion of our loan book was supported by continuous monitoring of asset quality and credit discipline. Our credit management indicators reflect a stable balance sheet position:

Gross NPA, Net NPA & PCR: The Gross NPA ratio decreased to 1.98% of total advances from 2.10% in the previous year. This improvement assumes added significance as it was achieved during the first year following amalgamation. The Net NPA ratio was maintained at 0.00% (Nil). Provision Coverage Ratio (PCR) was kept at 100%.

Capital: The capital position of the Bank remains comfortable to support future credit requirements. The Capital Adequacy Ratio (CRAR) improved to 26.24% from 25.42% in the previous fiscal year. Backed by regular internal profit retention, the Bank's Net Worth increased to Rs.9,714.67 crore, providing a buffer against operational risks.

Financial Inclusion & Govt. Sponsored Schemes

Keeping true to RRBs mandate of financial inclusion and extending banking services to underserved rural customer, the Bank continued to perform strongly under the Government's Social Security Schemes in Telangana State. The Bank recorded a strong performance under the Government's Social Security Schemes during the year and commands nearly one-fourth of the total enrolments in Telangana across PMSBY, PMJJBY, and APY, with an overall share of 25.66%, reflecting Bank's extensive rural reach and continued engagement with customers at the grassroots level.

Notably, under the Atal Pension Yojana (APY), the Bank recorded the highest enrolments among all banks in Telangana State, with 1,03,310 enrolments during FY 2025-26.

Information Technology

The Bank continues to utilize technology to improve customer access and streamline transaction processing. During FY 2025-26, approx. 96% of our total transaction volume was processed through digital and alternate channels. This high share reflects growing customer familiarity with digital platforms, mobile banking applications, and alternate delivery mechanisms across our branches.

The Bank also focused on updating its IT infrastructure and internal control systems. Our efforts in Technology upgradation and Information Security received multiple recognitions at national-level banking forums Awards. Cyber security, data protection, and threat monitoring remain continuous focus areas for management.

Human resources & Skill development

Bank took several steps towards integrating the people, processes, and culture of the two erstwhile RRBs. The smooth integration achieved during the year enabled the Bank to remain focused on business growth and operational performance, contributing to the strong financial results delivered during the year.

During the year, the Bank placed strong emphasis on staff training and suitable postings to help integrate the cultures of both erstwhile banks. More than 60% of work force were trained on a wide range of subjects, including agriculture, credit, technology, and cyber security, to keep them updated and well equipped for their roles. These initiatives also helped build greater cohesion

across the organisation and strengthen the Bank's overall capability.

A landmark event during the year was the foundation stone laying ceremony for the Bank's own Head Office building at Uppal, Hyderabad by Shri Challa Sreenivasulu Shetty, Chairman, State Bank of India Group, marking a proud moment for all the employees of the bank and in the Bank's growth journey.

Future Outlook

The operational changes following the "One State – One RRB" amalgamation have stabilized, helping the Bank achieve better administrative coordination and resource alignment.

Going forward, the Bank will continue to focus on strengthening its core business with renewed emphasis on deposit mobilisation, particularly CASA growth, through targeted campaigns and customer outreach programmes.

On the credit side, emphasis will be placed on expanding Agri-investment credit & MSME Loans through newly introduced products. Bank also plans to scale up solar financing with special focus on schemes like PM KUSUM.

During this FY, we have opened 6 branches all in Tier V & VI centers expanding our outreach. Further the Bank also plans to expand its branch network by opening more than 27 branches during the next financial year to further strengthen financial inclusion and expand its retail customer base.

In addition, the Bank is undertaking phased upgradation of branch ambience and customer touch points across the Bank to better serve the evolving expectations of the State's growing young customer demographic.

Human capital will continue to remain central to our transformation journey. In an era where technology is reshaping banking at an unprecedented pace, investing in people, leadership, skills, and organisational capability becomes even more critical. We will continue strengthening our workforce through focused capability development and future-ready learning frameworks.

The trust reposed in us by over 93 lakh customers is our greatest strength and responsibility. It inspires us to continuously raise our standards by further strengthening our commitment to service excellence and creating long-term value for all stakeholders.

K Prathapa Reddy



(Chairman)

KEY PERFORMANCE INDICATORS

(Rs. in Crore)

S.No.	PARTICULARS (As on)	31.03.2024	31.12.2024	01.01.2025	31.03.2025	31.03.2026
1	No. of Districts covered	18	18	33	33	33
2	No. of branches	429	434	927	933	939
	a) Rural	318	323	634	640	646
	b) Semi urban	68	68	207	207	207
	c) Urban	31	31	68	68	68
	d) Metropolitan	12	12	18	18	18
3	Number of Employees	1848	1919	4590	4571	4495
	Supervising Staff	1180	1282	2833	2821	2860
	Award Staff	644	615	1357	1352	1248
	Subordinate Staff	24	22	400	398	387
4	Capital	18.07	18.07	57.29	57.29	57.29
	Reserves& Surplus	2495.05	2855.92	8065.98	8374.54	9657.38
	Net Worth	2513.12	2873.99	8123.27	8431.83	9714.67
5	Total Assets	23425.15	23764.45	54664.36	58001.9	63074.91
6	Operating Income(NII+Other Income)	1138.61	852.14	NA	1621.35	3142.53
	Operating Expense	400.11	322.75	NA	719.55	1240.3
7	Operating Profit	738.5	529.39	NA	901.81	1902.23
	Provisions(Other than Tax)	29.84	46.17	NA	7.46	144.95
	of which Provisions for NPAs and Bad debts written off	24.51	43.09	NA	0	133.07
	Profit before Tax	708.66	483.22	NA	894.34	1757.28
	Provision for Tax	179.58	122.35	NA	219.05	474.44
	Net Profit	529.08	360.87	NA	675.29	1282.84
8	Total Business(Deposits+Gross Advances)	29035.50	29382.62	70085.26	73683.94	81152.50
	Growth YoY (%)	13.85	2.62		153.77	10.14
9	Total Deposits	14194.81	13343.38	30788.04	32165.66	34604.69
	Growth YoY (%)	12.56	- 4.53	-	126.60	7.58
	Low cost deposits (CASA %)	36.22	39.26	38.44	37.53	37.03
	Average Deposits	13453.72	13831.87	NA	18102.51	33411.84
	Yield on Investments Consolidated (Monthly Avgs)%	7.84	8.13	7.38	7.12	7.55
10	Total Advances	14840.69	16039.24	39297.22	41518.28	46547.81
	Gross Advances	14840.69	16039.24	39297.22	41518.28	46547.81
	Net Advances	14576.02	15731.91	38728.74	40647.80	43625.43
	Average Gross Loans & Advances	13775.94	15376.56	NA	21512.18	43627.43

(Rs. in Crore)

S.No.	PARTICULARS (As on)	31.03.2024	31.12.2024	01.01.2025	31.03.2025	31.03.2026
	Growth YoY (%) in Total Advances	15.13	9.43	NA	171.68	12.11
	Priority Sector Amount & (%)	11395.81 & 79.60%	11915.45 & 76.25%	28297.06	28817.91 & 90.00%	34777.88 & 84.48%
	Of priority sector, loans to Agriculture	9219.64	9599.9	18780.54	19604.57	24442.29
	Of priority sector, loans to MSME	887.47	942.46	2035.53	2073.02	2983.92
	Of priority sector, loans to Weaker Sections	14349.32	11064.53	NA	23301.97	28283.57
	Of priority sector, loans to SC/ST	2102.84	2161.07	6088.77	6262.29	7101.81
	Of priority sector, loans to SF/MF/AL	6616.68	5614.87	NA	16883.46	21049.70
	Of priority sector, loans to Minorities	210.14	227.91	NA	469.92	566.24
	Non Priority Sector Advances	3444.88	4123.79	11000.16	12700.29	11769.93
	Total IBPC issued during the FY	0.00	0.00	841.20	0.00	3800.00
	Total IBPC purchased during the FY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total PSLCs purchased during the FY	3145.00	3900.00	3900.00	3900.00	10000.00
	Total PSLCs issued during the FY	7265.00	7490.00	7490.00	7490.00	8500.00
11	Total Loan Disbursements	11064.29	8828.98	27596.37	29599.54	31162.48
	Growth YoY (%)	22.88	0.10	NA	167.52	5.28
	Of Total Disbursements, disbursed to Agriculture	6617.12	5917.84	17286.57	18675.81	21049.32
	Of Total Disbursements, disbursed to MSME	651.6	449.12	993.89	1893.26	2617.89
	Of Total Disbursements, disbursed to SC/ST	1510.97	1373.32	3853.8	4579.27	4475.01
	Of Total Disbursements, disbursed to SF/MF/AL	NA	NA	NA	NA	NA
	Of Total Disbursements, disbursed to Minorities	136.42	227.91	NA	302.86	636.66
12	CD Ratio	104.55%	120.20%	127.64%	129.07%	134.51%
13	Investments Outstanding (Rs. In crore)					
	SLR Investments Outstanding	2368.81	2349.55	5414.15	5430.24	5387.77
	Non SLR Investments Outstanding (incl Bank TDRs)	5359.65	4229.45	7676.05	9100.85	11543.89
	Yield on Investments Consolidated (Monthly avgs) %	7.84	8.13	7.38	7.12	7.55
14	NPA Management					
	Gross NPA(in Cr)	264.68	307.33	1144.82*	870.48	922.39
	% of Gross NPA to Advances	1.78	1.92	2.85*	2.10	1.98
	Net NPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	% of Net NPA to Advances	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	% Provisions to gross NPAs	100.00	100.00	100*	100.00	100.00
	Fresh Slippage Ratio	4.23	2.49	3.51*	4.18	3.21

* Figures as on 31.01.2025

(Rs. in Crore)

S.No.	PARTICULARS (As on)	31.03.2024	31.12.2024	01.01.2025	31.03.2025	31.03.2026
	Upgradation Rate (% of Opening GNPA's)	80.96	27.76	10.92*	23.01	20.59
	Recovery Rate (% of Opening GNPA's)	18.91	25.96	11*	45.24	40.42
	Standard Assets	14576.01	15731.91	38979.98*	40647.80	45625.42
	Sub-Standard Assets (SSA)	117.31	113.04	368.36*	308.74	335.84
	Doubtful Assets	144.03	191.19	772.38*	558.14	565.78
	Loss Assets	3.34	3.10	4.08*	3.60	20.77
	Provisions made during the Year					
	Against NPAs	24.51	43.09	NA	-	133.07
	Other Provisions	5.33	3.08	NA	7.46	11.88
	Amortization	1.31	0.56	NA	1.15	1.25
	Cumulative Provision					
	Against NPAs	264.68	307.33	1018.48	870.48	922.39
	Against Standard Assets	47.85	50.91	117.49	124.93	136.7
	Against Intangible Assets,Frauds etc.	3.4	3.4	3.4	3.4	3.51
	Loans Written Off during the Year (Accounts)	4749	0.00	0	0	0
	Loans Written Off during the Year (Amount)	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	AUCA Outstanding	48.34	45.90	100.66*	93.48	81.32
	AUCA Recovery during the year	3.35	2.70	4.2*	13.72	12.12
	Total Stressed Assets (NPA + SMA)	2248.42	2496.53	6887.52*	7491.73	5796.01
15	Financial Ratios					
	Net interest Margin(%)	4.16	3.81	NA	3.99	4.33
	Capital Adequacy Ratio(CRAR)(%)	20.18	23.11	NA	25.42	26.24
	Return on Assets (%)	2.42	2.03	NA	2.1	2.13
	Return on Equity (%)	23.41	17.43	NA	15.49	14.1
	Expense Ratio (%)	35.14	37.87	NA	45.38	39.47
	Yield on Advances (Including IBPC receivables NET) (%)	9.93	9.47	NA	9.7	9.83
	Priority Sector Lending (PSL)%	79.60	76.26	NA	90	84.48
	Cost of Funds	4.83	4.96	NA	4.72	4.78
	Cost of Deposits	5.51	5.66	NA	5.57	5.56
	Cost to Income Ratio	35.14	37.87	NA	45.38	39.47
	Provision Covergae Ratio	100	100	NA	100	100

* Figures as on 31.01.2025

Telangana Grameena Bank

New Head Office Building,
Uppal, Hyderabad



FOUNDATION STONE LAYING CEREMONY



Board of Directors Report for the year 2025-26

We have pleasure in presenting 21st Annual Report of Telangana Grameena Bank together with the Audited Statement of Accounts, Auditor's Report, and the Report on Business and Operations of the Bank for the financial Year ended on 31.03.2026.

II. Financial Performance

Business levels:

During FY 2025-26, the Bank's total business stood at Rs.81152.50 crore, comprising Rs.34604.69 crore of deposits and Rs.46547.81 crore of advances. The Bank now operates through 17 Regional Business Offices and 939 branches, serving a wider customer base of over 9.33 million, across Telangana.

Operating & Net Profit:

The Operating Profit of Bank for FY 2025-26 increased by 110.94% to Rs.1902.23 crore from Rs.901.81 crore in FY 2025. Net profit increased by 89.96% to Rs.1282.84 crore in FY 2026 from Rs.675.3 crore in FY 2025. The growth was achieved while maintaining asset quality, capital adequacy and regulatory compliance.

Net Interest Income:

Net interest income increased by 107.30 % to Rs.2536.54 crore in FY 2026 from Rs.1223.63 crore in FY 2025. Total interest income increased from Rs.2736.75 crore in FY 2025 to Rs.5417.92 crore in FY 2026 registering a growth of 97.97%. Total interest expenses increased by 90.43% from Rs.1513.12 crore in FY 2025 to Rs.2881.37 crore in FY 2026. Interest expenses on deposits increased by 84.32% from Rs.1008.61 crore in FY 2025 to Rs.1859.07 crore in FY 2026.

Deposits and Advances:

Total Deposits of the Bank for FY 2026 increased by 7.58% to Rs.34604.69 crore from Rs.32165.66 crore in FY 2025. Deposit base continues to be predominantly retail in nature, supported by growth in savings bank and term deposits, reflecting sustained confidence of customers across the Bank's area of operations. Deposit concentration remained moderate, with deposits from the twenty largest depositors accounting for 16.97% of total deposits.

On the asset side, the Bank continued to deploy resources primarily towards lending activities. Net advances increased to Rs.43625.43 crore in FY 2026, while gross advances increased by 12.11% to Rs.46547.81 crore in FY 2026 from Rs.41518.28 crore in FY 2025. Priority sector advances stood at Rs.34777.88 crore, underscoring the Bank's continued focus on agriculture, allied activities, MSMEs, Self Help Groups and other priority

segments. Loan portfolio concentration remained low, with advances to the twenty largest borrowers constituting a negligible share of total advances. The Bank maintained a Credit-Deposit Ratio of 134.51% against Telangana State's CD ratio of 130.78% as on 31 March 2026. Liquidity remained comfortable throughout the year, supported by robust monitoring mechanisms, rolling cash flow projections, and diversified funding sources. The Bank actively leveraged refinance facilities, Inter-Bank Participation Certificates (IBPC), overdraft facilities against fixed deposits, and RBI liquidity windows to ensure timely availability of funds at optimal cost. Continuous liquidity assessment and contingency planning enabled the Bank to maintain funding stability, regulatory compliance, and operational resilience while sustaining strong business growth.

Capital and Reserves:

The paid up capital of the Bank remained unchanged at Rs.57.29 crore. The Bank's reserves and surplus increased from Rs.8374.54 crore in FY 2025 to Rs.9657.38 crore in FY 2026. Transfers were made to statutory reserves, special reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act and other reserves, including Investment Fluctuation Reserve, in accordance with applicable regulatory guidelines. The capital adequacy position of the Bank remained comfortable, with Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) at 26.24%, providing adequate headroom for future business growth.

Bank's balance sheet size increased to Rs.63074.91 crore in FY 2026 as against Rs.58001.90 crore in FY 2025, registering a growth of 8.75%. Contingent liabilities stood at Rs.188.98 crore, comprising mainly guarantees issued on behalf of constituents and balances pertaining to the DEA Fund.

Investments:

Investments stood at Rs.5402.77 crore, largely comprising Government Securities, ensuring safety and liquidity of the investment portfolio. Term deposits with other banks increased to Rs.11528.89 crore in FY 2026 from FY 2025 level of Rs.9085.85 crore. During the year, the Bank created and maintained Investment Fluctuation Reserve at the prescribed level to mitigate market risk arising from interest rate movements. Bank's Liquidity remains at comfortable levels. Bank's Investment Policy formulated and the same was reviewed, revised, and approved by the Board from time to time, conforming to the RBI guidelines.

SLR & Non SLR Investments:

In terms of Section 24 of BR Act, 1949, the Bank has maintained investments in the avenues laid down in the policy, to fulfill the SLR requirements. All SLR investments are made in GOI/State Govt. Securities only. The purchase and sale of Govt. Securities are undertaken by the Portfolio Management Services Department of State Bank of India. Non-SLR investments are invested in Bonds. The bank has been monitoring and following up for prompt receipt of interest due from Govt. Securities/Bonds. There was no instance of income leakage from the non-SLR investment portfolio.

Borrowings:

Borrowings stood at Rs.17930.68 crore in FY 2026 as compared to Rs.16613.32 crore in FY 2025, mainly comprising borrowings from banks and financial institutions to support business expansion.

The position of Borrowings availed from different Institutions is tabulated below:

Institutions	Outstanding (Rs. in Cr)	
	As on 31.03.2025	As on 31.03.2026
NABARD-STSAO	591.00	837.00
NABARD-Schematic	6656.85	6521.36
NABARD-ASAO	5700.00	6500.00
SUB-TOTAL	12947.85	13858.36
MUDRA	9.73	0.00
NSFDC	5.50	12.49
NSKFDC/ NSTFDC	2.17	5.09
NHB	421.99	276.39
NBCFDC	5.51	8.24
NDFDC	0.00	1.04
Total Refinance	13392.75	14161.61
OD on Term Deposits from SBI	2548.57	3769.07
RBI (MSF)	672.00	0.00
Total Borrowings	16613.32	17930.68

CRR and SLR:

The bank has complied with the regulatory requirement of maintenance of adequate balances towards CRR and SLR. There is a well-laid down system of assessing the CRR and SLR requirements taking into account the NDTL. There was no default in maintenance of adequate

balances during the year. The Bank has kept Rs.1030.44 crore in CRR and Rs.5517.63 crore (which includes SLR Investments, Cash on Hand, and net Balances in Current A/Cs) in SLR as on 31.03.2026.

Overall, the financial position of the Bank as at 31st March 2026 reflects stability, resilience and prudent financial management, and that the Bank is well placed to support future growth while continuing to meet its regulatory and developmental objectives.

III. Core Operations

Deposits Position:

Total deposits as on 31.03.2026 stood at Rs.34604.69 crore as against Rs.32165.66 crore as on 31.03.2025. CASA deposits reached Rs.12813.32 crore as on 31.03.2026 as against Rs.12110.28 crore as on 31.03.2025. Term deposits reached a level of Rs.21791.37 crore as against Rs.20055.38 crore as on 31.03.2025.

During the FY, Bank's retail deposits alone increased by 9.49% to Rs.28365.97 crore as on 31.03.2026. Bank has launched multiple campaigns to increase retail deposit share.

Under the flagship "We Can Do It" Campaign, conducted from 01st June 2025 to 15th July 2025, Bank achieved an impressive CIF-based Net Growth of Rs.498 crore in Term Deposits (Min 1 year term Deposit).



Smt. K. Lakshmi, GM (Ops), receiving the award for outstanding compliance practices in Specified Financial Transactions (SFT) filing for FY 2024-25.

Building on this momentum, the Bank rolled out "We Can Do It 2.0" from 01st August to 30th September 2025, achieving a net growth of Rs.365 crore, followed by the "We Can Do It 3.0" campaign from 01st October 2025 to 30th November 2025, which achieved a net growth of Rs.287 crore.

To accelerate year-end performance, "The Final Sprint" Campaign, with the introduction of a new Branch Net Growth parameter, was conducted from 21st January 2026 to 31st March 2026 and delivered a net growth of Rs.405 crore. During this campaign, 334 branches achieved their annual budget targets, and 491 staff members were recognized as Star Performers for their outstanding contribution.

Overall, during FY 2025-26, the Bank mobilized Rs.2332.14 crore in Retail Deposits.

Strengthening CASA – Expanding the Low-Cost Deposit Base:

Bank has launched "Fantastic 5" Campaign, from 02nd June 2025 to 31st March 2026 as a targeted initiative to enhance customer acquisition and strengthen the Bank's low-cost deposit base.

This campaign resulted in:

- Opening of 4,23,938 Savings Accounts, mobilizing Rs.251.67 crore
- Addition of around 16,574 Current Accounts, contributing Rs.42.47 crore
- Mobilization of Rs.33.32 crore under Recurring Deposit (RD) accounts.

These efforts significantly strengthened the Bank's low-cost deposit portfolio and reinforced customer relationships.



The District Collector, SLBC officials, RBI officials, and the RM of Karimnagar attending the DEA Fund public awareness meeting at the Karimnagar Collectorate on 01.11.2025.

Customer Value Enhancement:

Bank offers a variety of products, including Life Insurance, Non-life Insurance, Mutual Funds and NPS, in partnership with Sponsor Bank's joint ventures. These diverse products, together with the core banking solutions, position our Bank as a one-stop solution for all financial needs. Bank generated an income of Rs. 34.62 crore through these products as on 31.03.2026.



The RM of Nirmal handing over the Bank's QR scan codes and ticket vending machines to the Basar Temple authorities.

Income contribution by different products:

(Rs. in Crore)

Product	As on 31.03.2025	As on 31.03.2026	% Change YoY
SBI Life	12.91	22.75	76.22 %
SBI General	5.39	11.35	110.57 %
SBI MF	0.24	0.52	116.66 %

Bank Loan Portfolio:

The Bank's lending portfolio continues to be predominantly focused on Crop Loans, Self-Help Group (SHG) financing, Home Loans, and Gold Loans, which together constitute more than 90% of the Bank's total Gross Advances. The Bank's Gross Advances stood at Rs.46,547.81 crore as on 31 March 2026.

The Bank has also emerged as a key performer in the priority sector lending space. During the year, it secured the 1st position in SHG loan disbursements and the 3rd position in KCC disbursements in the State of Telangana. These achievements have earned the Bank recognition from various Government agencies for its outstanding contribution towards financial inclusion and rural development.

In addition to strong presence in Crop Loan and SHG financing, the Bank has placed significant emphasis on strengthening its Gold Loan portfolio. As a result, the Gold Loan segment recorded substantial growth during the year. The robust expansion in this portfolio reflects the Bank's responsiveness to evolving customer requirements and its continued efforts to diversify its lending portfolio while maintaining asset quality and business sustainability.

Recognizing the importance of portfolio diversification and sustainable growth, the Bank designated the current year as the "Year of MSME". This strategic initiative has yielded encouraging results, leading to significant growth in the MSME segment. To cater to the diverse financial requirements of Micro, Small and Medium Enterprises, the Bank introduced a range of specialized MSME loan products under four distinct variants, each designed to address the specific needs of different customer segments.

Segment wise Advances

(Rs. in Crore)

S. No.	Segments	31.03.2025		31.03.2026	
		No of Accounts	Amount	No of Accounts	Amount
1	KCC	1330351	13890.36	1303199	14781.99
2	ATL / AATL (Excl. NRLM)	145603	2261.04	179277	3847.86
Out of which Agri Gold Loans		135157	1823.26	168917	3358.69
3	SHG NRLM	134861	8809.26	134947	9687.40
4	MSME	178510	2075.73	243073	2983.92
5	Housing Loans	41289	7381.27	43135	7984.77
6	Personal Gold Loans	442194	4968.06	425437	5865.3
7	Education Loan	1092	103.41	1030	98.38
8	Mortgage Loans	2780	311.51	2348	276.63
9	Others	109465	1717.66	49095	1021.56
Total Gross Advances		2386145	41518.28	2381541	46547.81

The Bank's total Gross Advances registered a robust growth during the financial year 2025-26. The outstanding advances increased from Rs.41518.28 crore as on 31.03.2025 to Rs.46547.81 crore as on 31.03.2026, reflecting an absolute growth of Rs.5029.53 crore and a year-on-year growth rate of 12.11%. The Bank's Priority Sector Lending (PSL) stood at 84.48% of ANBC as on 31.03.2026.

Bank's Performance under Priority Sector Lending (PSL) Targets:

(Rs. in Crore)

Segment	Min % As per ANBC	31-03-2025 (FY 2024-25)			31-03-2026 (FY 2025-26)		
		Amount	Out of Total Advances (%)	PSL as per ANBC %	Amount	Out of Total Advances (%)	PSL as per ANBC %
Agriculture	18.00%	19604.57	47.22	23.41	24442.29	52.51	34.36
Small & Marginal Farmer (SMF)	10.00%	16883.46	40.67	15.78	21049.70	45.22	26.00
SME	7.50%	2073.02	4.99	11.31	2983.92	6.41	13.52
Other Priority	-	7140.40	17.20	-	7351.67	15.79	-
Weaker Section	15.00%	23301.97	56.12	36.50	28283.57	60.76	48.76
Total Priority	75.00%	28817.99	69.41	90.00	34777.88	74.71	84.48
Non Priority	-	12700.29	30.59	-	11769.93	25.24	-
Total Advances		41518.28	-	-	46547.81	-	-

Category-wise Status of Loans Extended to Social Segments:

Particulars	31.03.2025		31.03.2026	
	No of Accounts	Amount in Cr	No of Accounts	Amount in Cr
Weaker Section	1491600	23301.97	1639303	28283.57
Women	1197056	22487.32	1224984	25372.19
SC/ST	563415	6262.29	560168	7101.81
Minorities	37677	469.92	41773	566.24

TGB's Market Share in KCC and SHG Outstanding Among All Banks in Telangana (As on 31 March 2025 & 31 March 2026)

Segment	As on	Total Outstanding in Telangana (Rs Cr)	TGB Outstanding (Rs Cr)	TGB Share in Telangana
Kisan Credit Card (KCC)	31.03.2025	82,967.79	13,890.36	16.74%
	31.03.2026	88,760.30	14,782.00	16.65%
Self Help Group (SHG)	31.03.2025	39,079.60	10,857.97	27.78%
	31.03.2026	51,503.56	11,810.13	22.93%

Self Help Group Financing:

As on 31 March 2026, the Bank's SHG portfolio comprised 1,69,724 accounts with an outstanding amount of Rs.11810.13 crore, compared to Rs.10857.88 crore as on 31 March 2025. The portfolio registered a year-on-year growth of Rs.952.25 crore, representing an increase of 8.77% in outstanding advances. During the financial year 2025-26, the Bank disbursed credit amounting to Rs.10879.13 crore to 93,331 SHGs. The Bank achieved a significant milestone by securing the 1st position in SHG loan disbursements in the State of Telangana during the year. Further, with an outstanding SHG portfolio of Rs.11810.13 crore, the Bank ranked 2nd in the State in terms of SHG portfolio outstanding.

Kisan Credit Card (KCC):

As on 31 March 2026, the Bank has 13,03,199 Kisan Credit Cards with an outstanding portfolio of Rs.14782.00 crore, compared to outstanding amount of Rs.13890.36 crore as on 31 March 2025.

During the financial year 2025-26, the Bank disbursed Rs.8827.24 crore to 7,73,443 KCC account holders, reaffirming its pivotal role in ensuring adequate and timely credit flow to the agriculture sector.

The Bank achieved notable recognition at the State level by securing the 3rd position in KCC loan disbursements in Telangana during the year. Further, with an outstanding KCC portfolio of Rs.14782.00 crore, the Bank ranked 3rd in the State in terms of KCC outstanding portfolio.

Agriculture Allied Loans:

The Agricultural and Allied Advances portfolio increased to Rs.13535.32 crore in FY 2026 from Rs.11070.30 crore in FY 2025, registering a growth of Rs.2465 crore (22.26%).

A major contributor to this growth was the Agri Gold Loan portfolio, which witnessed an impressive increase of Rs.1535 crore during the year. The product has emerged as a preferred credit option among farmers, enabling quick and convenient access to funds for meeting agricultural and allied activities.

The Bank also continued to actively promote financing under the Agriculture Infrastructure Fund (AIF) scheme, recognizing its importance in creating

post-harvest management and agricultural infrastructure. During FY 2025-26, the Bank sanctioned loans amounting to Rs.41.35 crore under the AIF scheme, contributing to the development of critical agricultural infrastructure and value-chain enhancement.

Further strengthening its agricultural lending portfolio, the Bank introduced the ATL Rythu Nestham Scheme, a comprehensive credit product designed to support both traditional and modern farming practices. The scheme caters to investment credit requirements such as farmland development, farm mechanization, irrigation facilities, agricultural infrastructure creation, and other allied agricultural activities. The initiative is expected to facilitate technology adoption, improve farm efficiency, and promote sustainable agricultural growth. Through these focused initiatives, the Bank continues to play a pivotal role in empowering farmers and supporting rural development.



Chairman, Shri K. Prathapa Reddy, and the RM of Sangareddy handing over keys of financed sugarcane harvesters to borrowers at the Zaheerabad Branch.

Performance under Government sponsored schemes:

- Mudra Loans Disbursements:** During FY 2025-26, the Bank achieved business growth of Rs.2087.79 crore against the MOU target of Rs.1800 crore, accomplishing 115.98% of the target and exceeding it by Rs.287.79 crore.
- PMEGP:** During FY 2025-26, against a target of 475, the Bank achieved 367, attaining 77.26% of the target.

AIF (Agriculture Infrastructure Fund): Against the 5-year AIF target of Rs. 60 crore (ending 31.03.2026), the Bank has achieved 138.05%(Rs.82.83Cr) of the assigned target, demonstrating strong performance. During the financial year 2025-26 alone, 283 sanctions amounting to Rs.41.35 crore have been achieved under the AIF scheme.



Chairman, Shri K. Prathapa Reddy, and the RMs of Khammam & Nagarkurnool handing over keys of financed harvesters and car.

- **PM Suryaghar:** Bank has sanctioned 1,079 accounts amounting to Rs.22.66 crore during the FY 2025-26.
- **PM SVANidhi:** Bank has sanctioned 61,691 accounts amounting to Rs.98.45 crore on cumulative basis, out of which 1,693 accounts amounting to Rs.4.26 crore were sanctioned during the financial year 2025-26.
- **PMFME:** Bank has sanctioned 2,467 accounts amounting to Rs.55.57 crore on cumulative basis, out of which 105 accounts amounting to Rs.3.78 crore were sanctioned during the financial year 2025-26.
- **PMVK:** Bank has sanctioned 2,241 accounts amounting to Rs.19.48 crore on cumulative basis, out of which 229 accounts amounting to Rs.2.47 crore were sanctioned during the financial year 2025-26.



Chairman, Shri K. Prathapa Reddy, and the RM of Bhadrachalam handing over keys of financed drone and tractor units to borrowers at Kothagudem.

MSME:

The Bank remains committed to achieving sustained growth in the MSME sector through active participation in various Government-Sponsored Schemes. With a focus on diversifying its lending portfolio and supporting the Government's stake on MSME financing, the Bank has introduced several new products and streamlined its MSME credit offerings into four variants, namely **"SWIFT," "SIMPLE," "SMART,"** and **"SMART-PLUS,"** catering to the diverse financial requirements of different customer segments. In addition, the Bank has launched **TGB Mahila Mudra Yojana** to promote entrepreneurship among women and strengthen financial inclusion.



Shri Uday Bhaskar, CGM of NABARD (TSRO), alongside Chairman, Shri K. Prathapa Reddy, and the RM of Sangareddy, inaugurating a newly financed SME unit at the Veliminedu Industrial Area in Bhongir.

To further augment and expand the MSME portfolio, the Bank has entered into Memorandums of Understanding (MoUs) with leading organizations, including JCB, under which the Bank has sanctioned financing for 20 JCB machines.



Chairman, Shri K. Prathapa Reddy and RM Hyderabad-I handing over keys of financed JCB units to borrowers at Hyderabad.



Chairman, Shri K. Prathapa Reddy and General Manager Shri T. Sudhakar, alongside RMs Mahabubnagar & Nagarkurnool handing over keys of financed JCB units to borrowers at Hyderabad.

These focused initiatives have yielded significant results, leading to a robust growth in the Bank's MSME portfolio. During the year, the MSME outstanding increased by 43.75%, rising from Rs.2075.73 crore to ₹2983.92crore, reflecting the Bank's continued commitment to supporting the MSME sector and contributing to economic development.

Gold Loans:

The Bank continued to strengthen its position in the Gold Loan segment during FY 2025-26, leveraging its extensive branch network, customer trust, and streamlined credit delivery mechanisms. The Gold Loan portfolio registered a robust growth of 35.82% during the year, increasing from Rs.6791.32 crore as on 31.03.2025 to Rs.9223.99 crore as on 31.03.2026, reflecting an absolute growth of Rs.2432.67 crore.

A key driver of this remarkable growth was the introduction of the Agri Gold Loan product during the financial year, which enabled farmers to access timely and hassle-free credit against pledged gold ornaments for meeting their agricultural and allied activities. The product received an encouraging response from customers and significantly contributed to portfolio expansion.

The sustained growth in the Gold Loan portfolio underscores the Bank's commitment to providing quick, convenient, and need-based credit solutions while supporting the financial requirements of

farmers, rural households, and small entrepreneurs. The strong performance of this segment has not only enhanced the Bank's retail asset base but has also reinforced its role in promoting financial inclusion and rural economic development.

Participation in State Annual Credit Plan:

As per the targets assigned by the State Level Bankers' Committee (SLBC), the Bank recorded an overall achievement of 78.09% during the financial year 2025-26, with total disbursements of Rs.31162.48 crore against the target of Rs.39905.17 crore, whereas the achievements for FY 2025 stood at Rs.29598.74 crore against the target of Rs.32455.73 crore.

(Rs. in Crore)

S. No	Segment	FY 2025-26	
		Target	Achievement
1	Crop Loans	18001	8827.24
2	Agri. Term Loans (incl.Allied Infrastructure & Ancillary Activities)	11432.37	12222.09
3	Non-Farm Sector	1966.02	2617.88
4	Other Priority Sector	1349.24	534.02
	Total Priority Sector	32748.63	24201.23
5	Non Priority Sector	7156.54	6961.25
	Total	39905.17	31162.48 (78.09%)

Inter Bank Participation Certificate (IBPC):

During the financial year 2025-26, the Bank entered into risk-sharing participation arrangements with other banks and issued Inter-Bank Participation Certificates (IBPCs) against eligible Priority Sector Advances. These transactions were undertaken to optimize the Bank's Priority Sector Lending portfolio and facilitate efficient liquidity management.

(Rs. in Lakhs)

IBPC Issued during FY 2025-26			
S. No	From	Amount	No of Days
1	28.08.2025	180000.00	180
2	24.02.2026	200000.00	180
	Total	380000.00	

Priority Sector Lending Certificates (PSLCs):

The Bank actively participated in the Priority Sector Lending Certificate (PSLC) market through RBI's e-Kuber platform during the financial year 2025-26. The Bank undertook purchase and sale transactions of PSLCs on various dates to optimize its Priority Sector Lending portfolio and ensure compliance with regulatory requirements. Details of the PSLC transactions carried out during the year are furnished below:

(Rs. in Lakhs)

Sale of PSLC :		
Segment	Amount	Premium Earned
PSLC SME	850000.00	22981.50
PSLC Agri	0.00	0.00
PSLC Micro Enterprise	0.00	0.00
TOTAL	850000.00	22981.50
Purchase of PSLC :		
Segment	Amount	Premium Paid
PSLC GENERAL	750000.00	75.00
PSLC Micro Enterprise	250000.00	25.00
PSLC Agri	0.00	0.00
TOTAL	1000000.00	100.00
Net Income		22881.50

IV. Stressed Assets Management

Bank has made considerable efforts to curtail NPA, which now stands at Rs.922.39 crore (Gross) — 1.98% of total advances at the end of the current financial year, as against MOU of 2.15% of total advances at the end FY 2025-26. Net NPA is now zero as on 31.03.2026. The Bank adopted a focused approach and implemented suitable strategies to control NPAs. The Non-Performing Assets are at Rs.922.39 crore (1.98%) as on 31.03.2026 as against Rs.870.48 crore (2.10%) as on 31.03.2025. Consistent recovery efforts and focussed resolution strategies have contributed to a significant decline in the banks NPA levels. The movement of NPAs and recoveries from written-off accounts during the last two financial years is presented below:

(Rs. in Crore)

S. No	Particulars	FY 2024-25	FY 2025-26
1	Gross NPA	870.48	922.39
2	Gross NPA (%)	2.10	1.98
3	Net NPA	0	0
4	Net NPA (%)	0	0
5	Write Off	0	0
6	Recoveries in AUCA	13.72	12.12
7	PCR	100	100

SARFAESI Act and Suit Filing:

Notices under the SARFAESI Act were issued immediately after the account became NPA. This was monitored by the Regional Business Offices and Head Office at monthly intervals. Our actions in this regard have yielded good results. We have taken demonstrative actions, particularly under SARFAESI.

Special focus was given to the recovery of recalled debts and suit filed accounts. Meetings with advocates were conducted in all regions to expedite the disposal of suits.

The Bank has been efficiently utilizing the SARFAESI Act as an effective recovery tool for stressed assets. During FY 2024-25, the Bank initiated 622 SARFAESI cases involving an amount of Rs.92.80 crore and successfully recovered 516 cases amounting to Rs.79.01 crore.

Further, during FY 2025-26, the Bank initiated 932 cases involving an amount of Rs.155.71 crore and recovered 791 cases amounting to Rs.131.41 crore.

Through continuous follow-up and enforcement actions under the SARFAESI provisions, the Bank has significantly strengthened its recovery mechanism. The effective implementation of SARFAESI measures has contributed substantially towards the recovery of stressed assets and reduction of NPAs.

Performance under Suit-filed cases is as below:

(Rs. in Crore)

	No. of A/Cs	Amount
Suit filed	1091	28.67
Decreed	542	13.87
EP filed	135	4.81
Recovery after filing suits	180	4.87

V. Financial Inclusion

Financial inclusion remains central to every Regional Rural Bank. Through our extensive CSP network, we continue to extend banking access to underserved and remote areas of the country. The Bank maintained leadership in the State across key Government financial inclusion schemes including Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), and Atal Pension Yojana (APY). In addition to banking access, 11 Financial Literacy Centres (FLCs) across the State conducted free credit counseling and propagation of electronic payment systems to promote financial awareness amongst the rural masses. Further, 1537 Financial Literacy Awareness Camps were conducted by Bank during the FY. Our initiatives are helping strengthen digital adoption, awareness about Digital Frauds, Cyber Mules, Credit discipline and responsible financial participation among rural and semi-urban populations.

The bank is actively implementing the Financial Inclusion Plan (FIP) of Government of India. 3930 unbanked villages of 33 districts in Telangana state are covered under FIP of the bank with the help of 2290 Customer Service Points (CSPs). 2290 CSPs are providing 51 banking services in remote and unbanked villages with the help of Micro-ATMs.

Our CSPs are provided with adequate training to render uninterrupted and quality service to the customers. 1266 CSPs have passed BC certification examination. 178 CSPs are DRA (Debt Recovery Agent) certified.

There are 1273 women CSPs who constitute 55.59% of total CSPs. Bank has a policy in place to appoint women SHG member as CSP. We have 93 Aadhaar enrolment centers to provide the Aadhaar enrolment/ update services. There are 933 Micro ATMs deployed at branches. In addition, Bank also deploys its 12 Mobile Atm vans across Bank's area of operation, providing ATM services in rural areas. In addition, they play a key role in promoting financial literacy and creating awareness about digital banking products among the rural population.

Awards from PFRDA:

Bank qualified 14 campaigns conducted by APY PFRDA during the FY 2025-26.

1. APY Winning Wednesday campaigns for April 2025 to March 2026 – 9 Awards (6 Wondrous & 3 Warriors of Winning Wednesdays)
2. APY Premier League Campaign for Chairperson of RRBs from 01.05.2025 to 15.06.2025 – APL Excellence Cup.



Chairman, Shri K. Prathapa Reddy, receiving felicitation from Smt. Mamatha Shankar (PFRDA Board) in New Delhi for achieving 100% of the APY Annual Budget for FY 2024-25.



3. APY Trend Setters Campaign for Chairperson of RRBs from 16.06.2025 to 31.07.2025 – Visionary TrendSetters
4. APY Leadership Pinnacle Campaign for Chairperson of RRBs from 03.10.2025 to 30.11.2025 – Exemplary Leadership
5. APY Ultimate Champions Cup campaign for Chairperson of RRBs from 01.12.2025 to 12.01.2026 – Bronze Award
6. APY Annual Award campaign for APY Service Provider (TGB) from 01.04.2025 to 31.03.2026 – APY Award of Excellence Achiever

Financial Literacy Programs:

Branches are conducting Financial and Digital Literacy Camps to propagate Financial Literacy, Digital Banking products and to highlight the role of CSPs. During the F.Y. 2025-26, 5890 FDLC meetings were conducted by the bank with grant support from NABARD. Financial literacy awareness meetings by branches in FY 2025-26 (In addition to the meeting conducted by FLCs) are 10704.

Sl. No.	Period	No. of Programs to be conducted	Total Programs conducted	Grant Assistance received for FDLC from NABARD
1	01.09.2025 28.02.2026	1952	1952	Rs. 7508930



Glimpses of community engagement from the Bank's Financial Literacy and Digital Payment Awareness Programmes.

We have completed 100% Financial Digital Literacy camps during the FY 2025-26 as per the schedule given by NABARD.

Further, Financial Literacy Counselors(11) have conducted 1537 Financial Literacy Awareness camps against the target of 924 during the FY 2025-26.

Financial Literacy Week (FLW) 2026- "KYC - Your First Step to Safe Banking":

Bank Conducted Financial Literacy Week (FLW) in 933 villages from 09.02.2026 to 13.02.2026, covering the following themes suggested by RBI: (a) Basics of Know Your Customer (KYC) (b) Central KYC Registry (CKYC) (c) Account Hygiene and Discipline

Digital Payments Awareness Week (DPAW)-2026:

Under mission 'Har Payment Digital', RBI observes Digital Payments Awareness Week (DPAW) annually, to promote safe, secure, and informed use of digital payment systems. TGB successfully conducted 33 DPAW programmes (including 2 Nukkad Natak programmes) across all 33 districts of Telangana State using Mobile ATM Vans during the period of 09.03.2026 to 15.03.2026.

Telangana Grameena Bank remains committed to supporting the RBI's initiatives and will strive to further strengthen digital penetration through focused outreach programs, financial literacy camps, and innovative customer engagement.



Inaugural ceremony of the Safe Digital Payments Campaign held at the RBI Hyderabad Office.



The District Collector, LDM, RM of Nirmal, and bank staff attending the inaugural programme of Financial Literacy Week 2026 in Nirmal.

Social Security Schemes:

The Government of India has launched Social Security Schemes such as Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), and Atal Pension Yojana (APY) to provide affordable insurance and pension coverage to the poor and underprivileged sections of society. Bank has been actively contributing to this social initiative by extending these insurance and pension benefits to our customers.



Recognition of Safai Mitras during the Swachhata hi Seva 5.0 Campaign



PMJDY (Pradhan Mantri Jan Dan Yojana):

With the aim of upliftment of the various segments of the society by providing access to banking, credit and insurance, the Government initiated the National Mission for Financial Inclusion (NMFI), namely, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) in August, 2014 to provide universal banking services for every unbanked household based on the guiding principles of banking the unbanked, securing the unsecured and funding the unfunded.

Progress of Social Security Schemes report for the FY 2025-26:

Product	Target for FY 2025-26	Achievement for FY 2025-26	Achievement (%)	Cumulative Enrolments
APY	93400	102616	109.87%	5,74,797
PMJJBY	252000	330841	131.29%	31,55,994
PMSBY	359000	400103	111.45%	48,77,267
PMJDY	175000	182237	104.14%	35,23,300



The RM of Karimnagar presenting a Rs.20 Lakh GPA insurance claim cheque to bereaved family members at the Marripallygudem Branch.

TGB Internal Campaigns: Bank has launched multiple Internal Campaigns during the FY to achieve the targets under Social Security Schemes.

Bank has also actively participated in the four-month (July-October) Nationwide Financial Inclusion Saturation Campaign, launched on 1st July 2025. Its mission has been to bring every eligible citizen under the ambit of key financial schemes. Its primary objective was to saturate all Gram Panchayats (GPs) and Urban Local Bodies (ULBs) with access to flagship schemes—Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), Pradhan Mantri

Suraksha Bima Yojana (PMSBY), and Atal Pension Yojana (APY). Camps were conducted across the state to facilitate enrolments, Re-KYC for inactive accounts, nomination updates. It also advanced financial literacy on digital frauds, unclaimed deposits, and grievance redressal.

Community based Activities – A Govt of India Initiative:

Swachhata Hi Seva 5.0 Campaign:

- Creating awareness and importance of cleanliness for living a healthy life in rural areas. These programmes are conducted from 17.09.2025 to 02.10.2025
- The Head Office team conducted a cleanliness drive at Sundaraiah Park, Hyderabad. Additionally, branches organized several cleanliness initiatives at Gram Panchayat premises, railway stations, schools, public roads, sports stadiums, and also undertook avenue plantation activities.
- Conducted 15 Nukkad Natak programmes in remote villages to create awareness on importance of cleanliness.
- Disposal of all the old records at branches as per bank's record retention policy.
- Pension grievances redressal meetings were conducted during the campaign period.
- Plantation of trees & plants by staff at the Branches.

VI. Information Technology

At Telangana Grameena Bank, innovation defines our identity, driving us to deliver customer-centric services and stay ahead in the banking landscape.

In FY 2025–26, we placed Customer Convenience and Cyber Security at the core of our digital strategy, ensuring a safe and seamless banking experience while strengthening our digital infrastructure and cyber security frameworks. Our efforts enhanced customer satisfaction and earned prestigious recognitions from IBA, IBEX India, IBA CISO for excellence in AI & ML, digital innovation, and best Technology. As we move forward, we remain committed to becoming a secure, customer-friendly, and digitally advanced Rural Bank in India, with innovation as our compass and security as our foundation.

Over the past year, IT Department has been instrumental in enhancing operational efficiency, strengthening cyber security, and enabling innovation across the organization.

Major recognitions of TGB IT infrastructure:

TGB has been honored at the 21st IBA technology awards across multiple categories.

- Best AI & ML adoption: Runner Up
- Best Digital Financial Inclusion: Runner Up
- Best Tech Talent: Runner Up
- Best Technology Bank: Special Mention Award



4th IBA CISO Summit & Citations 2024-25:

- Cyber Security Compliance Champion - Runner Up
- Cyber Security Incident Response Maturity-Special Prize
- Cyber Security Transformation of the Year-Special Prize

TGB Wins Prestigious IBEX Awards:

We are proud to announce that TGB has been honored with the following IBEX awards:

- IBEX Digital CX Trailblazer Award – Gold Award
- IBEX Tech-Driven Operational Excellence Award – Silver Award
- IBEX AI Vanguard Award–Silver Award.
- These awards are a testament to the Bank's vision for technology adoption and the collaborative spirit of the IT team.



Major IT implementations taken up: Alternate Delivery Channel Implementations:

- **Co-branded QR Soundboxes & POS Integration :** Launched co-branded UPI QR Sound Boxes and POS machines in collaboration with M-Swipe Technologies to meet growing digital payment demands, enhancing customer convenience.



- **BBPS Integration in Mobile & Internet Banking :** BBPS services are enabled on Mobile and Internet Banking, allowing customers to pay bills securely with real-time confirmation.

Digital Channels and Penetration:

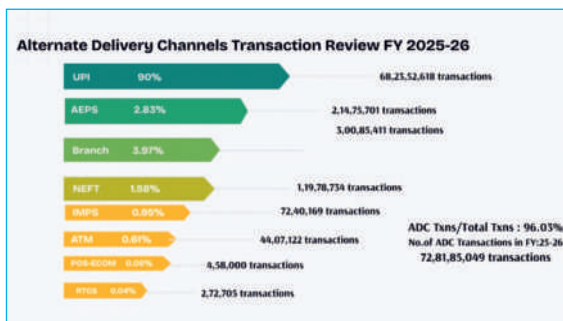
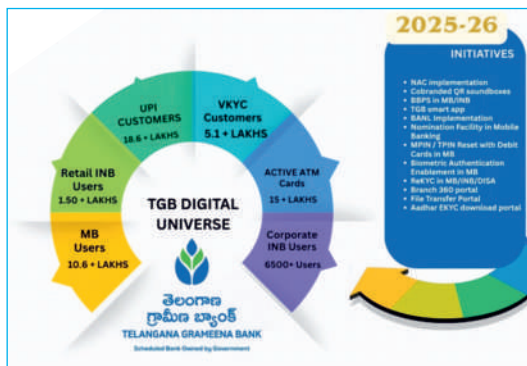
- As a result of continuous digital penetration efforts, 96% of bank's total transactions were carried out through digital channels, significantly improving service efficiency while providing customers with enhanced convenience and accessibility.
- The Bank has achieved the below achievements in Digital channels.

S. No.	Digital Channel	Budget Achievement as on 31/03/2026
1	Mobile Banking	2,14,448 registrations (107% of MOU target achieved)
2	Retail Internet Banking	30,954 registrations (91% budget achieved)
3	Corporate Internet Banking	4,169 registrations (119% budget achieved)

Enhancements in Mobile banking:

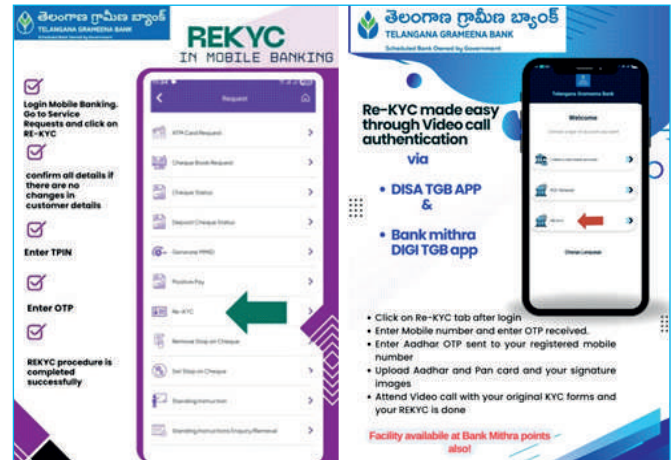
- **Biometric Authentication Enablement:** Allow users to log in using fingerprint or face recognition along with passwords/MPIN.
- **MPIN / TPIN Reset with Debit Cards:** Enable users to securely reset their Mobile PIN (MPIN) or Transaction PIN (TPIN) using debit card details, reducing dependency on branch visits.
- **Nomination Facility in Mobile Banking:** Allow users to add, update, or view nominees directly in the app.
- Implementation of **New User Interface** in Mobile Banking Upgrade app design for better usability, navigation, and customer experience.

Digital Penetration Data:



IT support for Re-KYC campaign periodic updation of KYC:

- Recognizing Re-KYC as a critical priority, the below initiatives were developed to strengthen the bank's customer follow-up efforts by enabling seamless
 - a. Re-KYC facilities through Mobile Banking,
 - b. Re-KYC through Internet Banking,
 - c. Re-KYC through Disa (Video KYC account opening) – Mobile application.



Bank Cyber Security framework:

- The Bank successfully enhanced its security posture, achieving a Grade A rating in the State Bank of India Security Scoring Model.
- The Bank has implemented a Network Access Control (NAC) system across its network, successfully completing 954 device registrations within a span of three months. This system enhances network security by preventing unauthorized or non-compliant devices from accessing the network. As a result, reduces cyber risks.
- Contributed to the launch of the "Cyber Crime Prevention – Essential Handbook," covering key dos and don'ts of cyber frauds, aimed at providing customers with practical guidance to promote safer banking practices. Also various customer meets were conducted branch wise to educate the customers about fraud prevention awareness.



- A total of 3,256 computer systems having Windows 10 operating systems reached End of Life (EOL) / End of Support (EOS) status during this financial year.

All the compatible systems were successfully upgraded to new windows 11 OS and not compatible systems were replaced with new systems within a record period of three months.

Customer Call Center Services:

- To enhance customer grievance handling and feedback, a dedicated inbound Customer Call Centre for the bank has been setup as per NABARD regulatory guidelines. The bank utilizes the services of visually impaired staff in this facility, fostering an inclusive environment and encouraging their confidence and self-esteem.

In house Software Team Developments:

TGB Smart Mobile App: Designed to meet the evolving needs of operating staff and controllers, the TGB smart App, a mobile application, ensured 24/7 access to critical business information and streamlined workflows. It provides Business MIS access, NPA tracking module, staff benefit data like circulars, payslip downloads etc.

Important Intranet Portals:

- Implementation of the in-house developed Aadhaar e-KYC Download Portal is done, enabling branches to securely download/print from UIDAI through OTP/biometric authentication of customers. This initiative streamlined KYC/Re-KYC processes, reduced dependence on physical documents, and improved the speed and efficiency of customer service delivery at branches.
- The SHG Documentation Portal was developed to digitize and standardize SHG-related documentation, enabling centralized storage, easy access for branches, faster processing.
- The Easy Approvals Portal was developed to streamline and expedite the approval process for controller officers, ensuring quicker decision-making with proper digital documentation and reduced delays in processing.
- The NPA Tracking Module was developed to enable real-time monitoring of irregular and stressed accounts, helping branches identify early warning signals and take timely corrective action to improve recovery and reduce NPA levels.
- The Branch 360 degree Portal was developed to provide a single, comprehensive view of all branch-level data, enabling quick decision-making and efficient data access.

- The File Transfer Portal has been developed to seamlessly transfer necessary files from branches to offices or vice versa using intranet thereby reducing time consumption in data transfer.

Implementations in ATM & Digital Banking:

- Blocking ATM Cards via Mobile/Internet Banking: Customers can permanently block lost/stolen cards online which eliminates need to call helpline
- ATM Cards for Minors: Customers above 10 years can now get ATM cards, Account must be under guardian control. Provided controlled access to banking for minors.

Two day workshop for RBOITs:

Bank has conducted a two-day training workshop for all RBO IT personnel on the latest IT Department subjects, aimed at strengthening their technical knowledge and enhancing operational efficiency. The workshop is held at SLC, Sangareddy from 11.12.2025 and on 12.12.2025. The subjects of ADC channels, Digital Channels, Hardware and network connectivity, Core Banking Solutions, Cyber security and other daily technical issues are explained.



VII. Internal Audit and Control:

All activities of the Bank are subjected to Internal Audit function, which comprises different types of audits:

Risk Focused Internal Audit (RFIA):

To enhance the viability and operational efficiency of SBI-sponsored Regional Rural Banks (RRBs), SBI has initiated a series of measures over the time. One of them is the implementation of revamping of RFIA in RRBs so as to strengthen the internal audit functions of RRBs and to improve the standards of compliance culture and to align with the best practices observed in the SBI.

In this regard, the Internal Audit Department is functioning as a separate department headed by the Chief Manager (Deputed from Sponsor Bank), SBI, will directly report to the Audit Committee of the Board (ACB) and dotted line reporting to the Chairman of the Bank. For further strengthening of the audit system online RFA has been introduced in the Bank during this FY 2025-26, with the following rating system and parameter wise marks.

The CRM/ORM grading classification is as follows:

- Grade A: Score of 85% and above
- Grade B: Score ranging from 72.50% to 84.99%
- Grade C: Score ranging from 65.00% to 72.49%
- Grade D: Score below 65.00%

Periodicity to conduct RFA will be as per the below mentioned Table:

Branch Rating	Branch/Office to be treated as	Periodicity (Max)
AA	Low Risk	Within 21 Months
AB & BA	Medium Risk	Within 18 Months
BB	High Risk	Within 15 Months
AC, BC, CA, CB & CC	Very High Risk	Within 12 Months
AD, BD, CD, DA, DB, DC & DD	Extremely High Risk	Within 9 Months

During the FY, 5-20 % of Critical Branches (identified by the SBI) will be audited by the Auditors of SBI along with the Auditors of TGB on co-sourcing model for the next three years and to be reviewed at annual intervals.

- To ensure testing of compliances "True or False" at the operating units of Bank, Evidence Based Compliance Testing (EBCT) is being introduced. 30% of Critical Risk 20% of High Risk & 10% of Medium & Low Risk value statements will be generated in the EBCT module.
- During this FY 2025-26, we have completed audit of 750 (including service branch & 57 branches to be audited under Co-Sourcing model) branches which have fallen due for Audit. Ratings awarded to these branches are given as under:

As on 31.03.2026, 63.33% of the Bank's branches were rated AA, compared to 65.47% as on 31.03.2025.

The marginal decline in the proportion of AA-rated branches is attributed to the implementation of the Bank's revamped Value Statements and revised Audit Policy.

All the reports submitted by the Auditors which were due for closer as on 31.03.2026 have been closed / dealt with by taking corrective measures, wherever necessary. The Audit department has carried out its operations with fairness and without prejudice for strengthening the systems and procedures in the Bank.

System and procedural audits of Controlling Offices and the Head Office will be conducted annually to strengthen monitoring, ensure compliance, and enhance overall governance.

Concurrent Audit:

As a part of internal control system in our Bank and as per the policy guidelines issued by NABARD, Concurrent Audit has been introduced from the financial year 2012-13. At present, the Concurrent Audit is being conducted at 359 branches and 51 HUBs by Sixty Five (65) Auditors. We have empanelled retired Bank officials to cover at least 50% of the credit and other exposures of the Bank under Concurrent Audit System in compliance with the guidelines issued by RBI. The Scope of Concurrent Audit is designed to cover ORM & CRM areas as defined in Concurrent Audit Policy of Bank. Apart from this, the following audits have also been carried out to enhance the efficiency levels. As on 31.03.2026, out of the total of 939 branches, concurrent audit is being conducted by 65 Concurrent Auditors (CAs) at 359 branches through the online WBCAS application covering 61.64 % of the total business which is above the 50% norms prescribed by RBI.

Compliance Audit:

10% of the RFA branches for the previous FY shall be covered under Compliance Audit. However, we have conducted Compliance Audit at 99 (18.43%) branches during this FY 2025-26 as per the schedule.

IS Audit:

IS Audit has been conducted at 4 branches, 1 RBO & Head Office including IT cell by Cert-In empanelled audit firm during the FY 2025-26.

Cyber Security Framework Gap Assessment Audit:

Cyber Security Framework Gap Assessment Audit has been conducted at 4 branches, 1 RBO & Head

Office including IT cell by Cert-In empanelled audit firm during the FY 2025-26.

AUA/ KUA Audit:

AUA/ KUA Audit has been conducted at Head Office by Cert-In empanelled audit firm during the FY 2025-26.

Vulnerability Assessment & Penetration Testing Audit:

VA/ PT Audit for in house applications and internet applications is conducted by Cert-In empanelled audit firm during the FY 2025-26.

Management Audit:

The Management Audit of our Bank is conducted by our Sponsor Bank, i.e., SBI. The latest Management Audit was conducted on 25.02.2026 and has been rated as "A-" rating with 73.70%. We have submitted our compliance to the Management Audit Report within the prescribed timelines.

NABARD Inspection:

NABARD Inspection is conducted under Section 35(6) of the Banking Regulation Act 1949. The last inspection was conducted on the financial position of the Bank as on 31.03.2025 and submitted the compliance within stipulated timelines. Supervisory rating of the Bank has been improved from "A" with 75.58 marks for the inspection conducted on the financial position of the Bank as on 31.03.2024 to "A" with 79.15 marks on the financial position of the Bank as on 31.03.2025.

Audit Committee of the Board:

It is the sub-committee of the Board which ensures quality and effectiveness of Internal Audit & Inspection and overseeing the financial reporting, disclosures, compliance and risk management in the Bank. The Audit Committee, constituted with two nominee directors from SBI and nominee directors of RBI, NABARD as members. The senior most Director of the Board will be the Chairman of the Audit Committee and this could be done by rotation annually. The committee meets at quarterly intervals or more frequently, if circumstances warrants.

Audit Committee of the Board reviews the agenda items as defined in the RBI/NABARD circular issued from time to time (Latest RBI Circular RBI/DOR/2025-26/249 dated 28.11.2025).

OTMS (Offsite Transaction Monitoring System):

In recent times, some of the frauds detected in our Bank had resulted in loss were due to lack of controls, follow-up, reconciliation, and continuous monitoring of unauthorized/irregular transactions.

In order to avert frauds / minimize losses, OTMS (OFFSITE TRANSACTION MONITORING SYSTEM) application was implemented in our Bank from 12.02.2024.

OTMS alerts are issued for deviant / suspicious transactions / exceptions which are to be attended by branches / RBOs, on an ongoing basis. Branches should verify these alerts in OTMS application and confirm the genuineness of the transactions and carryout compliance/rectification with documentary evidence wherever required and report compliance to SMO of RBO.

Our Bank has identified 34 exceptions from the list of exceptions forwarded by A & S dept, SBI, CC, Mumbai. Out of these 34 exceptions, 7 exceptions are generated daily, 18 exceptions weekly, one (1) exception fortnightly and 8 exceptions monthly.

These exceptions are being followed up by the RBOs with their respective branches for rectification / closure on a day-to-day basis. Audit department, HO monitors with the RBO's / branches, for closure / rectification of the pending OTMS alerts on an ongoing basis.

RADAR:

The Remote Application for Dynamic Assessment of Risk (RADAR) process is a system-driven, continuous and centralized monitoring of branches on remote evaluation of data points available in the source system-CBS/LOS(Loan Origination System). Data from the CBS/LOS will be extracted on a monthly basis and then pushed into the RADAR application.

Under the RADAR process, it is proposed to identify exceptions/deviations based on missing data and inconsistent data in the source system and to flag these exceptions/deviations as process Control/Compliance gaps to the branches / controllers. Once RADAR generates the exceptions for the branches, the concerned branches must review the exceptions and correct or update them in the source system-CBS/LOS.

VIII. Human Resources, Training and Industrial Relations

Our employees remain at the heart of our Growth Journey. When our employees are happy & enjoy their work, when they are engaged, and empowered, they naturally create exceptional value for our customers and stakeholders. This year, we have continued to strengthen this Staff first approach through various initiatives.

During the FY, the Bank on boarded 561 employees, of which Office Assistants are 299,

Officers Scale-I are 211, Officers Scale-II are 38 & Officers Scale-III are 13.

During the year, 65 staff members have retired from the Bank's Service, 101 staff members have resigned, 04 staff members taken VRS, 01 staff member was removed from service, 07 staff members deceased and 490 staff members were repatriated to APGB (as part of APGVB Bifurcation Working Group recommendations), while 31 employees reported from APGB to TGB during the year.

Staff Strength:

S. No.	Cadre	31.03. 2025	31.03. 2026	% of Total Staff as on 31.03.26
1	Officers Scale-V	11	9	63.63%
2	Officers Scale-IV	81	101	
3	Officers Scale-III	275	351	
4	Officers Scale-II	931	924	
5	Officers Scale-I	1523	1475	
6	Office Assistants	1352	1248	27.76%
7	Office Attendants	398	387	8.61%
	Total	4571	4495	

The average age of employees in the Bank as on 31.03.2026 stands at 36.33. The Share of Women Staff to Total Staff as on 31.03.2026 stands at 27.25%.

Promotions: Bank has promoted 591 people in various cadres to next higher grade as under. Written Test for promotion was arranged through IBPS online.

S No.	Promoted to	No. of Posts
1	Officers Scale-I	182
2	Officers Scale-II	229
3	Officers Scale-III	138
4	Officers Scale-IV	40
5	Officer Scale-V	2
6	Office Asst.	0
	Total	591

Internal Complaints Committee (POSH):

We have also put in place a safe working environment for women employees in the Bank by implementing the provisions of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013. We have constituted Internal Complaints Committee at 17 Regional Business Offices and at Head Office to handle the complaints of sexual harassment. We have been sensitizing the employees of both the genders to be fostering a healthy and conducive work environment.

Staff Welfare Measures:

- Mediclaim Policy:** In terms of Government of India Letter no. F.8/1/2015-RRB dated 20.10.2016, our Bank has implemented Medical Insurance Scheme as per 12th Bipartite Settlement to employees and officers along with their dependent family members as detailed in schedule IV. The Scheme covers Employee + Spouse + Dependent Children + 2 Dependent Parents / parents-in-law with a Sum insured of Rs.5.25 lakhs and Rs.4 lakhs for Officers and employees respectively. We have also taken a Corporate Buffer to cover additional expenditure up to Rs.10.50 Lakhs and Rs.8.00 Lakhs for officers and employees respectively, if the hospitalization expenditure exceeds the sum insured. The Scheme, a part from facilitating hassle free admission into the hospital immediately with cashless facility at approved Hospitals including super specialty hospitals, also covers domiciliary treatment.
- Group Personal Accident Insurance Policy:** Most of our staff members are youngsters and travel by road, frequently for various official works viz., Cash remittance, field visits for recovery and inspection of units, review meetings etc., and are exposed to the risk of road accidents and face a life threat also. We have taken the Group Personal Accident Insurance Policy for sum insured For Officers: Rs.25.00 lakhs, for Office Assistants: Rs.15.00 lakhs & for OAT: Rs.15.00 lakhs to create a sense of security among the staff members and to boost the morale of the staff members.
- Gratuity, Pension and Leave Encashment Fund:** The Bank has taken care of provisioning requirements in respect of Gratuity, Pension & Leave Encashment. The total corpus as on 31.03.2026 is to the tune of Rs.15.50 crores towards Gratuity, Rs.114 crores towards Pension and Rs.60 crores towards Leave Encashment.

- d) Industrial Relations: The Management and Officers Association and Employees Union have worked in tandem for the welfare of the staff members and business development, sorting out amicable solutions for routine issues that cropped up during the year. Cordial and amicable working atmosphere has prevailed during the year.
- e) Welfare of SC/ST and OBC Employees: The Bank has maintained cordial relations with the SC/ST Welfare Association, OBC Welfare Association and complied with statutory requirements in all aspects of recruitments, promotions etc. The Bank has held regular meetings with the representatives of Welfare Associations and Liaison Officers to redress their grievances. The Bank has taken all steps to keep up the morale and motivation of the employees.
- f) Settlement of Terminal Benefits: The Bank has made a policy that all terminal benefits are settled on the date of retirement of staff members. The process begins two months in advance of retirement to ensure that all formalities are completed to make payment on the date of retirement.
- g) Scheme of Compassionate Appointment on Compassionate Grounds: The Bank has implemented the revised Model Scheme for Appointment on Compassionate Grounds as per Scheme in PSBs in accordance to the GOI instructions, contained in its letter No.7/38/2014-RRB, dated 31.12.2018. Our Bank has both the options i.e. Compassionate Appointment/ payment of lump-sum ex-gratia in lieu of compassionate appointment. During the financial year 2025-26, four eligible applicants were called for personal hearing under the scheme. The cases are under consideration, and the appointments will be finalized in the first quarter of the financial year 2026-27, in accordance with the Bank's policy and guidelines.
- h) Donation to Armed Forces Flag Day (AFFDF) – Donation of One Day Privilege Leave (PL) Salary: Staff members have contributed voluntarily a sum of Rs.65.98 lakhs was donated to Armed Forces Flag Day Fund, administered by the Kendriya Sainik Board, Government of India, extends financial assistance to Ex-Servicemen and their families by supporting the education of their children, medical treatment, disability grants and other welfare measures. Demand Draft was sent to Kendriya Sainik Board, Ministry of Defence, Govt of India.

Creation of LAW Department:

The Board approved the formation of the Law Department with effect from 01.07.2025. The Department is responsible for monitoring cases filed against the Bank before High Courts, Debt Recovery Tribunals (DRTs), and Consumer Courts on a day-to-day basis. To ensure effective case management and legal coordination in matters instituted against the Bank, the Law Department monitors the daily cause lists, attends court proceedings wherever required, and arranges consultations with the concerned advocates. Further, quarterly review meetings with the Bank's panel advocates are being conducted at the Head Office to review the status of cases and strengthen legal follow-up and coordination.

For monitoring recovery suits filed against defaulting borrowers, the Bank has developed an in-house portal through its IT Department. The portal facilitates the processing and approval of suit-filing proposals submitted by branches in accordance with the prescribed discretionary powers, as well as the systematic tracking and follow-up of suit-filed accounts after the institution of legal proceedings. This has contributed to improved recovery performance and enhanced monitoring of recovery suits. During FY 2025-26, recoveries under this category increased significantly compared to the previous financial year, amounting to ₹4.87 crore. In addition, a review of panel advocates was undertaken across all 17 Regional Business Offices (RBOs) during the year to assess their performance and strengthen the Bank's legal recovery mechanism.

The Law Department oversees matters relating to the Right to Information (RTI) Act. During FY 2025-26, the Bank's Head Office received 192 RTI applications, all of which were disposed of within the prescribed timelines. Further, in compliance with the guidelines issued by the Central Information Commission, the Bank conducted a Transparency Audit through an independent third-party agency.

Staff Trainings:

In alignment with our unwavering commitment to continuous staff development and capacity building, Telangana Grameena Bank has conducted a comprehensive series of training programs across multiple centers during the year. These initiatives reflect our strategic focus on strengthening employee competencies, enhancing service quality, and driving operational excellence.



Chairman, Shri K. Prathapa Reddy, and General Manager, Shri V. Anil, alongside staff members during a specialized workshop on High-Value Advances conducted at Keesara, Hyderabad.

Training Overview: During the year, a total of 2,773 staff members participated in structured training programs designed to enhance technical proficiency, customer service capabilities, and role-specific expertise. These sessions were conducted across various centers to ensure maximum accessibility and participation.

Office Assistants: A total of 936 Customer Service Associates underwent targeted training focused on improving efficiency, operational knowledge, and service delivery standards.

Induction: 289 newly recruited Office Assistants were provided induction training with a structured introduction to the Bank's policies, procedures, and work culture, enabling a smooth transition into their roles.

Officers: A total of 1,837 Officers received specialized training programs aimed at strengthening managerial capabilities, technical expertise, and decision-making skills in line with the evolving banking landscape.

Induction: 270 newly recruited officers were provided induction training with essential knowledge and skills required to perform effectively and align with organizational expectations from the outset.

Field Officers: 892 Field officers were imparted role based training with practical skills in credit appraisal, field inspections and borrower assessment to ensure sound lending decisions, strengthening their ability to monitor loan performance.

Accountants: 37 Accountants were given training focused on regulatory compliance and financial integrity in banking operations.

Branch Managers: Training sessions were organized for 321 Branch heads focused on strengthening leadership, business development and operational control to drive branch performance to achieve financial goals.

Special Trainings: Specialized training programs were conducted for 21 Desk Officers in Audit through a focused two-day workshop, and for 17 Desk Officers in IT to strengthen their technical and operational capabilities. As part of SC /ST welfare policy of the Bank, on empowering employees with awareness of their rights, benefits, and organizational support systems and promote an inclusive work environment two day training was organized on roster management, reservation policies, career progression, and equal opportunity. Sessions on disciplinary proceedings was also included in the above program. Ensuring women safety at work place and to reinforce awareness and compliance with workplace safety regulations, a dedicated webinar for POSH Committee members on POSH guidelines was conducted to equip the committee members.

Ongoing Training Initiatives: Suitable Training initiatives are organized on an ongoing basis to ensure that employees continuously update their knowledge and skills in line with evolving banking practices and regulatory requirements. These programs foster continuous learning, enabling staff to adapt effectively to technological advancements and changing customer expectations.



Chairman, Shri K. Prathapa Reddy, and General Manager, Shri T. Chandrasekhar, alongside newly joined officers during the Bank's Induction Training Programme at SLC, Sangareddy.

Impact of Training:

The training initiatives have delivered measurable outcomes, contributing significantly to organizational effectiveness:

- ✓ Enhanced performance and operational efficiency across all staff categories
- ✓ Improved employee engagement, motivation, and job satisfaction
- ✓ Increased proficiency in handling emerging banking technologies and systems
- ✓ Strengthened customer service standards and overall service quality

Future Focus Areas:

To further strengthen workforce capabilities, the Bank will focus on the following strategic areas:

- **Digital Banking Skills :** Enhancing employee proficiency in digital banking platforms and tools to meet the evolving expectations of modern customers.
- **Leadership Development :** Delivering structured leadership and management programs for senior officers to improve strategic thinking and execution.
- **Cross-Functional Training :** Promoting multi-skill development by enabling employees to gain exposure across various banking functions, fostering flexibility and collaboration.



Bank's participation in the study visit of the Parliamentary Standing Committee on Labour, Textiles, and Skill Development at Hyderabad.

Conclusion

The Bank's sustained investment in staff training has played a pivotal role in driving organizational growth and enhancing customer satisfaction. With a continued emphasis on skill development, innovation, and employee empowerment, Telangana Grameena Bank is well-positioned to maintain its leadership in service excellence and operational performance.



Enthusiastic participation of staff during the Women's Day celebrations, Bathukamma festivities, and the annual sports meet organized by the Bank.

IX. Operations Department Annual Branch Expansion 2025-2026:

As part of Annual Branch Expansion Plan, the Bank further strengthened its presence across the State by opening 6 new branches (Vennampally, Buddaram, Rangapur, Venkatapuram, Ponkal, Indresham) during FY 2025-26, all located in Tier V and Tier VI centers.

With a network of 939 branches spread across all 33 districts of Telangana and supported by 17 Regional Business Offices (RBOs), the Bank has emerged as the second-largest banking network in the State, having extensive outreach and accessibility of banking services to customers across urban, semi-urban, and rural regions.

Building on this momentum, the Bank has drawn up plans to open 27 additional branches during the current financial year, further strengthening its footprint across the State and deepening its reach in underserved and potential growth centres.



Chairman, Shri K. Prathapa Reddy, inaugurating the newly opened Indresham Branch under the Sangareddy RBO.

Branch Face-lifting and Branding Initiative:

As part of the Bank's ongoing commitment to enhancing customer service delivery and strengthening its brand presence, a branch face-lifting initiative was undertaken during the financial year.

It was proposed to undertake face-lifting and Ambience works in selected branches across all regions, covering approximately 20% of the branches in each region during the year. An amount of approximately Rs.5.00 crore was incurred during the financial year towards these works.

To ensure consistency in branch appearance and customer experience, the Bank approved a uniform branch ambience model for all newly opened branches, branches shifting to new premises, and branches undergoing face-lifting works. This initiative has helped establish a standardized look and feel across the Bank's network.



Chairman, Shri K. Prathapa Reddy, inaugurating the new premises of the Moosapet Branch in the Hyderabad-II Region.

Further, as part of the nationwide new logo branding initiative for Regional Rural Banks (RRBs), the Bank successfully implemented the new logo across all branches and administrative offices. Necessary changes were carried out in branch name boards, signage, application forms, security stationery, and other customer-facing materials wherever applicable, ensuring uniform brand representation and compliance with the revised branding guidelines without any deviation. An expenditure of approximately ₹1.50 crore was incurred towards the implementation of the new branding initiative.

The branch face-lifting and branding initiatives have significantly contributed to enhancing the Bank's image, improving customer satisfaction, and creating a modern and efficient banking environment across its network.

Procurement activities amounting to Rs.6.70 crore were undertaken through competitive tendering procedures. In line with the guidelines of the Central Vigilance Commission (CVC) and the Government of India's initiative to promote digital procurement, contracts valued at Rs.5.80 crore, representing approximately 87% of the total tender-based procurement, were executed through the Government e-Marketplace (GeM) portal.



Chairman, Shri K. Prathapa Reddy, inaugurating the new premises of the K. Mallepally Branch in the Nalgonda Region.

Elevating Brand Presence – Integrated Marketing Initiatives:

A series of well-planned marketing and outreach initiatives were executed to enhance brand visibility, strengthen community engagement, and promote the Bank's products and services across multiple platforms:

- Print media campaigns in leading newspapers such as Eenadu, Sakshi, and Andhra Jyothi across Telangana
- Television promotions on NTV and Bhakthi TV, along with advertisements in movie theatres.
- Radio campaigns on Radio City FM 91.1, ensuring wide audience reach about our bank Deposit products.
- Implementation of the "One State – One RRB" initiative, aligning with the Government of India's vision to strengthen operational efficiency and unified service delivery across the State.

On the occasion of the 50 Years Golden Jubilee Celebrations of Regional Rural Banks (RRBs), the Bank conducted various social, cultural, and public outreach activities as part of the celebrations, demonstrating its commitment to community welfare, employee engagement, and public service. The major initiatives undertaken are as follows:

- Organization of Blood Donation Camps and Free Eye Check-up Initiatives in collaboration with the Red Cross Society, Dr. Agarwal's Eye Hospital, and Vasan Eye Care, conducted with active participation from the public, demonstrating the Bank's commitment to social responsibility and community welfare
- Participation in "Swachhata Hi Seva 2025", including nationwide voluntary Shramdaan activities conducted on 25 September 2025 with active public participation, reinforcing the Bank's commitment to cleanliness and civic responsibility
- Bathukamma Celebrations, recognizing the cultural importance and regional significance of the festival, with special events organized for women staff to promote inclusivity, cultural pride, and employee engagement.

X. Governance – Board of Directors:

The Bank is committed to high standards of corporate governance, transparency, and accountability, aligning its practices with regulatory guidelines and best industry standards.

In terms of Section 9 of the Regional Rural Banks Act, 1976, the Central Board of the Bank is duly constituted and headed by the Chairman, appointed under Section 11(1) of the Act. The composition of the Board represents key stakeholders, including Government of India, Reserve Bank of India, NABARD, Sponsor Bank, and the Government of Telangana.

The Board provides strategic direction and exercises oversight over the Bank's financial performance, risk management, internal controls, compliance, and governance processes. All Directors meet the criteria as prescribed by regulatory authorities.

The functioning of the Board and its Committees is periodically reviewed to ensure effectiveness in governance.

Meetings of the Board:

During the calendar year 2025, the Board held 10 meetings, exceeding the statutory minimum requirement.

The prescribed quorum was present at all meetings, and no meeting was adjourned for want of quorum. Agenda notes along with supporting materials are circulated in advance to facilitate informed deliberations. Directors actively participate in discussions, and decisions are taken by majority, with dissent, if any, recorded in the minutes.

Provision for participation through video conferencing or other audio-visual means is also made available.

During the year, the Board, inter alia, focused on business growth, asset quality, digital initiatives, and strengthening internal controls.

Details of Board Meetings conducted from 01.01.2025 to 31.03.2026:

24.01.2025(VC), 28.02.2025(VC), 17.03.2025(VC), 29.04.2025(VC), 13.06.2025(Phy), 04.07.2025(Phy), 16.07.2025(VC), 29.09.2025(Phy), 14.10.2025(VC), 30.12.2025(Phy), 24.02.2026(Phy).

Attendance of Directors:

Sl. No.	Nominating Authority	Name of the Director	Meetings in CY 2025 (during tenure)		Meetings in FY 2025-26 (during tenure)	
			Held	Attended	Held	Attended
1	Chairman (U/S 11(3) of RRB Act 1976)	Smt Y Shoba	4	4	1	1
		Shri K Prathapa Reddy	6	6	7	7
2	RBI Nominee Director (U/S 9(I)(b) of RRB Act 1976)	Shri Umesh Ramling Swami	3	2	0	0
		Shri Raju Ratlavat	7	7	8	8
3	NABARD Nominee Director (U/S 9(I)(c) of RRB Act 1976)	Smt Deepthy Sunil	7	7	4	4
		Shri R Ganapathy	3	3	4	4
4	SBI Nominee Director - CC (U/S 9(I)(d) of RRB Act 1976)	Shri V Siva Kumar	7	7	4	4
		Shri Prakash Chandra Baror	3	3	4	4
5	SBI Nominee Director - LHO (U/S 9(I)(d) of RRB Act 1976)	Shri Priyabrata Mishra	10	7	8	6
6	State Govt Director-1 (U/S 9(I)(e) of RRB Act 1976)	Shri Dr B Gopi, IAS	10	1	8	1
7	State Govt Director-2 (U/S 9(I)(e) of RRB Act 1976)	Shri Rayi Ravi	10	3	8	3
8	Gol-Official Director (U/S 9(3) of RRB Act 1976)	Shri Vivek Gupta	5	5	6	5
9	Gol Nominee Directors (U/S 9(I)(a) of RRB Act 1976)	Vacant	NA	NA	NA	NA
10	Gol Nominee Directors (U/S 9(I)(a) of RRB Act 1976)	Vacant	NA	NA	NA	NA

Changes in Composition of the Board:

During the year, the following changes took place:

Sl No	Name of Director	Category	Nature of Change	Date
1	Smt Y Sobha	Chairman of the Bank	Ceased	29.05.2025
	Shri K. Prathapa Reddy		Appointed	
2	Shri V.Siva Kumar	Sponsor Bank (SBI) Mumbai	Ceased	21.08.2025
	Shri Prakash Chandra Baror		Appointed	
3	Shri Umesh Ramling Swami	RBI, Telangana Office	Ceased	15.04.2025
	Shri R. Raju		Appointed	
4	Smt Deepthy Sunil	NABARD, Telangana Office	Ceased	15.09.2025
	Shri R.Ganapathy		Appointed	
5	Shri Vivek Gupta	DFS, Gol	Appointed	30.06.2025

Sub-Committees of the Board:

The Board has constituted various sub-committees to ensure focused oversight on key functional areas. The recommendations of these Committees are placed before the Board for consideration and approval.

- Audit Committee of the Board (ACB): Met 7 times and reviewed financial statements, audit observations, internal controls, and compliance position.
- Special Committee of Board for Monitoring of Frauds (SCBMF): Constituted as per guidelines of National Bank for Agriculture and Rural Development, met 4 times to review fraud cases and monitor timely closure.
- Special Review Committee: Met 4 times to review cases of officers completing 55 years of age or 30 years of service and to decide on continuation up to superannuation or further review.
- Customer Service Committee: Met 4 times to review customer service standards and grievance redressal mechanisms.
- Risk Management Committee (RMC): Met 4 times to oversee identification, assessment, monitoring, and mitigation of risks.
- NPA Monitoring Committee: Met 4 times to review and monitor Non-Performing Assets (NPAs) and recovery performance.
- IT Strategy Committee (ITSC): Met once to review and approve IT strategy and key policy initiatives.

The Board places on record its sincere appreciation for the valuable guidance and contributions made by the outgoing Directors during their tenure. The Board also places on record its deep appreciation for the leadership and services rendered by the outgoing Chairman during her tenure.

The Board extends a warm welcome to the incoming Directors and the newly appointed Chairman and looks forward to their continued guidance in strengthening governance and driving the Bank's growth.

XI. Vigilance Administration

The Bank organized Vigilance Awareness week from 27th October to 02nd November 2025 at Head Office, Regional Business Offices and all the Branches with the theme "Vigilance: Our shared responsibility".

All the activities as advised by the Sponsor Bank have been conducted by all the staff of the Bank with zeal and enthusiasm and we have achieved all the objectives as per the tentative targets.

The Bank has conducted Training programs, Awareness Gram Sabhas, Debate/ Elocution/ panel discussion, Grievance redressal camps, Displayed Banners at prime places, conducted quiz at Head Office and online examination to all the staff on Ethics, systems and procedures, etc.



Staff members engaging in the Vigilance Awareness Programme conducted at the Warangal RBO.



Employees participating in a quiz competition organized at the Head Office as part of the Vigilance Awareness Programme.

In all training programs, workshops and Review Meetings, an exclusive session is taken to sensitize all the staff members and the customers to be vigilant in their day to day operations.

Whistle Blower Policy:

The importance of Whistle Blower Mechanism is reiterated in P- Review meetings and training programs to ensure highest ethical, moral and business standards in the course of functioning and to build a lasting and strong culture of Corporate Governance within the Bank. The policy is intended to encourage all employees of the Bank to report suspected or actual occurrence of illegal, unethical or inappropriate actions, behaviors or practices by employees without fear of retribution. The employees can voice their concerns on irregularities, malpractices and other misdemeanors through this Policy. Whistle Blower policy has been in vogue in the bank since 2006.

Acknowledgement

The Directors express their sincere gratitude to the loyal customers for their continued trust, confidence, and support. The Directors also place on record their heartfelt thanks to the Government of India, the Government of Telangana, NABARD, the Sponsor Bank, the Reserve Bank of India, and other financial institutions for their unwavering support and cooperation throughout the year.

The Directors would like to convey their gratitude to Shri Ashwini Kumar Tewari, MD of State Bank of India, Corporate Centre, Mumbai, along with Shri Atul Srivastava, Chief General Manager (A&S), SBI, Corporate Centre, and Shri Prakash Chandra Baror, General Manager (RRBs), SBI, Corporate Centre, Mumbai. Their initiatives to enhance the brand image of RRBs and increase digital presence have greatly benefited the Bank.

Acknowledgment is due to NABARD Telangana Regional Office and State Bank of India, Local Head Office, and Hyderabad for providing officers to serve on the Selection Committees for promotions.

The board also expresses their gratitude to Shri Chinmoy Kumar, Regional Director, Reserve Bank of India, Hyderabad. The Board acknowledges the support and guidance from Shri B Uday Bhaskar, Chief General Manager, NABARD TGRO, and their team. Thanks are extended to District Collectors, DDMs of NABARD, Project Directors of DRDA, IKP, DWMA, SC/ST/BC Minorities, and Housing Corporations in Telangana for their support.

The Directors are grateful to technology service providers including M/s C-Edge Technologies, Mumbai, M/s National Payments Corporation of India, M/s Irix Technologies, and Gram Tarang Inclusive Development Services Pvt Ltd (GTIDS). Government departments and institutions in Telangana have provided immense support, and the Directors thank valued clients, banks, financial institutions and stakeholders for their patronage.

Appreciation is extended to M/s Umamaheswara Rao, the Central Statutory Auditors, and other Statutory Branch Auditors for their cooperation in completing the Audit of the Bank's Financial Year 2025-26 on time. The Directors express gratitude to Public Relations Officers, Print and Electronic media for their cooperation in promoting the Bank. The Officers Association, Employees Union, and SC/ST/OBC Welfare Associations are thanked for their constructive roles in the Bank's overall development.

Lastly, the Board commends the employees for their dedication, teamwork, and professionalism in elevating the Bank's business and image. Their efforts deserve appreciation and accolades from all stakeholders.

For and on behalf of the Board of Directors.

(K. Prathapa Reddy)

Chairman

Bank's financial results for the financial year 2025-26 were published in Leading News Papers

తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్
TELANGANA GRAMEENA BANK
NABARD Bank Owned for RRBs

HEAD OFFICE: HYDERABAD
 2-1-620, Street no.8, Shankarmutt Road, Nallakunta,
 Hyderabad-500044 Website: www.tgib.bank.in

Total Branches 538	Total Business ₹ 8113.0	The unsecured Business ₹ 148.0	Gross NPA 1.80% Net NPA 0.0	Net Profit ₹ 132.84	CRAR 25.0%
-----------------------	----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------	---------------

AUDITED BALANCE SHEET AS ON 31-03-2026

AUDITED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31-03-2026

CAPITAL & LIABILITIES		Schedule		As on		As on		PROFIT & LOSS ACCOUNT	
				31.03.2025		31.03.2026			
1	Capital	1	57,28.69	1	57,28.69	1	57,28.69	1	Income
2	Reserves & Surplus	2	9657.38.09	2	8374.54.25	2	9657.38.09	2	Interest earned
3	Deposits	3	34604.68.62	3	32165.66.42	3	34604.68.62	3	Other income
4	Borrowings	4	17930.68.52	4	16613.32.40	4	17930.68.52	4	Interest expense
5	Other Liabilities & provisions	5	824.87.01	5	791.08.04	5	824.87.01	5	Other expense
TOTAL		63074.90.93		58001.90.40		63074.90.93		58001.90.40	
ASSETS									
6	Cash and Balance with RBI	6	1146.05.36	6	1457.18.06	6	1146.05.36	6	Operating expenditure
7	Balance with Bank and Money at call and short notice	7	11574.87.92	7	9134.31.94	7	11574.87.92	7	Provisions and contingencies
8	Investments	8	5402.77.36	8	5445.24.92	8	5402.77.36	8	Gross profit for the year
9	Advances *	9	43625.42.81	9	40647.80.16	9	43625.42.81	9	Less: Provision for Income Tax
10	Fixed Assets	10	137.85.23	10	135.67.42	10	137.85.23	10	Add less: Deferred Tax
11	Other Assets	11	1187.92.25	11	1181.67.90	11	1187.92.25	11	Profit after Tax
TOTAL		63074.90.93		58001.90.40		63074.90.93		58001.90.40	
Contingent Liabilities									
12		12	188.97.74	12	117.24.26	12	188.97.74	12	Balance of profit brought forward from previous year
TOTAL		63263.88.18		59189.14.51		63263.88.18		59189.14.51	

SHARE HOLDERS OF THE BANK

Government of India	50%
State Bank of India	35%
Government of Telangana	15%

Note 1: The above results are taken on record by the Board of Directors meeting held on 20/04/2026.
 Note 2: The results for the FY 2025-26 have been arrived at after considering the provisions for non performing and standard assets as per prudential norms issued by RBI and also provisions for gratuity, leave encashment, Pension and depreciation on fixed assets, income tax etc.

Place: Hyderabad,
 Date: 05/05/2026

K.Prathapa Reddy,
 CHAIRMAN

Note 1: The above results are taken on record by the Board of Directors meeting held on 20.04.2026.
Note 2: The results for the FY 2025-26 have been arrived at after considering the provisions for non-performing and standard assets as per prudential norms issued by RBI and also provisions for gratuity, leave encashment, Pension and depreciation on Fixed assets, Income Tax etc.

Place : Hyderabad,
Date: 05.05.2026

K.Prathapa Reddy,
CHAIRMAN

Business Line News Paper

 తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ TELANGANA GRAMEENA BANK NABARD Bank Owned for RRBs				HEAD OFFICE: HYDERABAD 2-1-620, Street no.8, Shankarmutt Road, Nallakunta, Hyderabad-500044 Website: www.tgib.bank.in			
Total Branches 538	Total Business ₹ 8113.0	The unsecured Business ₹ 148.0	Gross NPA 1.80% No NPA 0.0	Net Profit ₹ 132.84	CRAR 25.0%		
AUDITED BALANCE SHEET AS ON 31-03-2026							
AUDITED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31-03-2026							
		Rs. in 000					
CAPITAL & LIABILITIES		Schedule	As on	As on	PROFIT & LOSS ACCOUNT		
			31.03.2025	31.03.2026			
1	Capital	1	57,28.69	57,28.69	1	Income	
2	Reserves & Surplus	2	9657.38.09	8374.54.25	2	Interest earned	
3	Deposits	3	34604.68.62	32165.66.42	3	Other income	
4	Borrowings	4	17930.68.52	16613.32.40			
5	Other Liabilities & provisions	5	824.87.01	791.08.04			
TOTAL			63074.90.93	58001.90.40	TOTAL		
ASSETS					1 Expenditure		
6	Cash and Balance with RBI	6	1146.05.36	1457.18.06	15	Operating expenditure	
7	Balance with Bank and Money at call and short notice	7	11574.87.92	9134.31.94	16	Provisions and contingencies	
8	Investments	8	5402.77.36	5445.24.92		TOTAL	
9	Advances *	9	43625.42.81	40647.80.16		Gross profit for the year	
10	Fixed Assets	10	137.85.23	135.67.42		Less: Provision for Income Tax	
11	Other Assets	11	1187.92.25	1181.67.90		Add less: Deferred Tax	
TOTAL			63074.90.93	58001.90.40		Profit after Tax	
Contingent Liabilities						Balance of profit brought forward from previous year	
12		12	188.97.74	117.24.26		Appropriation of Profit	
						Statutory Reserves	
						Capital Reserves	
						Investment / Subsidy Reserves	
						Special Reserves up to 360/1000	
						Balance of Profit to P&L	
						Total Profit carried to Balance sheet	
		</					

Note 1: The above results are taken on record by the Board of Directors meeting held on 20.04.2026.
Note 2: The results for the FY 2025-26 have been arrived at after considering the provisions for non-performing and standard assets as per prudential norms issued by RBI and also provisions for gratuity, leave encashment, Pension and depreciation on Fixed assets, Income Tax etc.

Place : Hyderabad,
Date: 05.05.2026

K.Prathapa Reddy,
CHAIRMAN

Enadu News Paper

SBI chairman lays foundation for Telangana Grameena Bank HO building

Updated - March 18, 2025 07:43 pm IST - HYDERABAD

THE HINDU BUREAU



SBI chairman Challa Sreenivasulu Setty at the foundation-laying ceremony for the new head office building of Telangana Grameena Bank in Hyderabad. (Photo Credit: Arrangement)

State Bank of India (SBI) chairman Challa Sreenivasulu Setty recently laid the foundation stone for the new head office building of Telangana Grameena Bank (TGB) in Uppal Bhagavath, Hyderabad.

It is a pivotal step in enhancing TGB's administrative capacity and supporting its expanding operations in the State, SBI said in a release on the foundation-laying ceremony in which SBI managing director Ashwini Kumar Tewari and CGM-LHO Hyderabad Radhakrishnan S. participated.

Telangana Grameena Bank is one of the nine regional rural banks sponsored by SBI. It has emerged as one of most profitable RRBs in the country with a total business of ₹79,667 crore — ₹34,659 crore deposits and ₹45,008 crore advances as of December 31, 2025. TGB serves more than 90 lakh customers across rural and semi-urban areas of Telangana through a network of 933 branches.

SBI said the chairman also led major corporate social responsibility (CSR) initiatives in Warangal. SBI has extended a grant of ₹75 lakh to the Society for Rural Development towards upgradation of rural primary school infrastructure and ₹175 lakh to Saharadaya Old Age Home for critical renovation aimed at enhancing the quality of life, safety and comfort of senior citizens.

Addressing the gathering, Mr. Setty highlighted the strategic importance of SBI's pan-India CSR activities in driving meaningful social impact.

Published - March 18, 2025 07:33 pm IST

MEDIA COVERAGE మీడియా కవరేజి

తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కొత్త చైర్మన్ గా ప్రతాప రెడ్డి



మా తెలంగాణ
మా తెలంగాణ
మా తెలంగాణ

జనలో పెద్ద పాత్ర వహించిన తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కొత్త చైర్మన్ గా ప్రతాప రెడ్డి పదవి స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు.

New chairman of Telangana Grameena Bank

Published - May 10, 2025 08:47 pm IST - HYDERABAD

THE HINDU BUREAU



Telangana Grameena Bank Chairman, Prathapa Reddy (Photo Credit: Arrangement)

K. Prathapa Reddy, a banker with more than two decades of experience in the State Bank of India (SBI), has assumed charge as Chairman of Telangana Grameena Bank (TGB).

A Deputy General Manager of SBI, the 51-year old Mr. Reddy took over as Chairman of the regional rural bank from Y. Subba. He will have a tenure of three years, TGB said in a release on Friday.

Mr. Reddy comes with a wide ranging expertise in operational and administration areas as well as commercial credit operations. He has also served as head of the agriculture development branch and retail assets centralised processing centre of SBI in Hyderabad.

For two years, he was also Chairman of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank. The Telangana part of APGBV operations was recently amalgamated into TGB.

TGB is sponsored by SBI and its total business as on March 31 was ₹79,791 crore. It is one of the most profitable RRBs in the country and for 2024-25 posted a net profit of ₹675 crore and reported a capital adequacy ratio of 25.42%. It is India's most profitable RRBs.

THE HINDU

ABN ఆంధ్రజ్యోతి

టీటీబీబీ చైర్మన్ గా ప్రతాప రెడ్డి

హైదరాబాద్ (ఆంధ్రజ్యోతి విజ్ఞాన): తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ (టీటీబీబీ) చైర్మన్ గా ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు.



హైదరాబాద్ (ఆంధ్రజ్యోతి విజ్ఞాన): తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ (టీటీబీబీ) చైర్మన్ గా ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు.

హైదరాబాద్ (ఆంధ్రజ్యోతి విజ్ఞాన): తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ (టీటీబీబీ) చైర్మన్ గా ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు.

తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంకు చైర్మన్ గా ప్రతాప రెడ్డి

హైదరాబాద్, మే 10. హైదరాబాద్ లోని టీటీబీబీ చైర్మన్ గా ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు.



హైదరాబాద్ (ఆంధ్రజ్యోతి విజ్ఞాన): తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ (టీటీబీబీ) చైర్మన్ గా ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు.

Eenadu

ఎంఎస్ఎంఈ పరిశ్రమలతో ఉపాధికి బాట

కాశ్మీర సెలెక్షన్ పరిశ్రమ ప్రారంభం



హైదరాబాద్, మే 10. ప్రభుత్వం: ప్రైవేట్, స్టార్ట్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ (ఎంఎస్ఎంఈ) పరిశ్రమలు గ్రామీణ ఆర్థికాభివృద్ధికి బాటలు వేస్తున్నాయని నాబార్డు సీనియర్ డి. ఉదయ్ బాన్సెర్, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంకు చైర్మన్ కె. ప్రతాప రెడ్డి అన్నారు. బీట్యాంకు మండలంలోని వెలిమిపేట గ్రామ శివారులో ఏర్పాటు చేసిన కాశ్మీర సెలెక్షన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పరిశ్రమను వారు మంగళవారం ప్రారంభించి మాట్లాడారు. ఎంఎస్ఎంఈ రంగం ద్వారా స్థానిక యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయని, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆర్థిక వలసం వస్తుందని తెలిపారు. పరిశ్రమల ఆభివృద్ధికి నాబార్డు, బ్యాంకుల సహకారం నిరంతరం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఐటీఎం పి. సమత, ఆర్.ఎం ఆశాలత, నాగేశ్వరరావు పాల్గొన్నారు.

నూతన భవనంలోకి తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంకు

హైదరాబాద్, మే 10. హైదరాబాద్ లోని టీటీబీబీ చైర్మన్ గా ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు.



హైదరాబాద్ లోని టీటీబీబీ చైర్మన్ గా ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు.

హైదరాబాద్, మే 10. హైదరాబాద్ లోని టీటీబీబీ చైర్మన్ గా ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు.

మొదలైన సేవలందించడమే లక్ష్యం

కొంపల్లిపల్లి, స్వామివారి: కాశ్మీర సెలెక్షన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పరిశ్రమను వారు మంగళవారం ప్రారంభించి మాట్లాడారు. ఎంఎస్ఎంఈ రంగం ద్వారా స్థానిక యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయని, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆర్థిక వలసం వస్తుందని తెలిపారు. పరిశ్రమల ఆభివృద్ధికి నాబార్డు, బ్యాంకుల సహకారం నిరంతరం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఐటీఎం పి. సమత, ఆర్.ఎం ఆశాలత, నాగేశ్వరరావు పాల్గొన్నారు.



హైదరాబాద్ లోని టీటీబీబీ చైర్మన్ గా ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు.

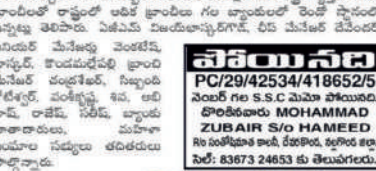
హైదరాబాద్, మే 10. హైదరాబాద్ లోని టీటీబీబీ చైర్మన్ గా ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు.

హైదరాబాద్, మే 10. హైదరాబాద్ లోని టీటీబీబీ చైర్మన్ గా ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు.

హైదరాబాద్, మే 10. హైదరాబాద్ లోని టీటీబీబీ చైర్మన్ గా ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు.

మొదలైన సేవలందించడమే లక్ష్యం

కొంపల్లిపల్లి, స్వామివారి: కాశ్మీర సెలెక్షన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పరిశ్రమను వారు మంగళవారం ప్రారంభించి మాట్లాడారు. ఎంఎస్ఎంఈ రంగం ద్వారా స్థానిక యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయని, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆర్థిక వలసం వస్తుందని తెలిపారు. పరిశ్రమల ఆభివృద్ధికి నాబార్డు, బ్యాంకుల సహకారం నిరంతరం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఐటీఎం పి. సమత, ఆర్.ఎం ఆశాలత, నాగేశ్వరరావు పాల్గొన్నారు.



హైదరాబాద్ లోని టీటీబీబీ చైర్మన్ గా ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు.

హైదరాబాద్, మే 10. హైదరాబాద్ లోని టీటీబీబీ చైర్మన్ గా ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు.

హైదరాబాద్, మే 10. హైదరాబాద్ లోని టీటీబీబీ చైర్మన్ గా ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు.

హైదరాబాద్, మే 10. హైదరాబాద్ లోని టీటీబీబీ చైర్మన్ గా ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కి ప్రతాప రెడ్డి బాధ్యతలు వ్యక్తం చేశారు.

Performance in Figures

Balance Sheet & Profit & Loss A/c Schedules & Notes to Accounts



Bank's Auditors – Chartered Accountants

1. M/s. UMAMAHESWARA RAO & Co
Statutory Central Auditor

Branch Auditors

2. G K Rao & Co
3. Akasam & Associates
4. S Kasthuri Rengan & Co
5. N S V R & Associates LLP
6. Manohar & Venkata
7. Sreedar Mohan & Associates
8. Agarwal And Ladda
9. Sarma & Co
10. M Harish & Associates
11. Swamy & Seshadri
12. S C V & Associates
13. R B Kabra & Co
14. S B Kabra & Co
15. V S M B & Associates
16. Mathesh & Ramana
17. G D Upadhyay & Co
18. K A R A & Associates
19. P P K G & Co
20. M S Rao Associates

21. Suryanarayana & Suresh
22. D Siva Nageswara Rao & Co
23. Vasantha Rao & Associates
24. Bhaskara Rao & Associates
25. A S R V Prasad & Co
26. S V D & Associates
27. V M M & Co
28. Abhinav & Associates
29. T R A K & Associates
30. T Mohan & Associates
31. J V S L & Associates
32. D V Ramana Rao & Co
33. G S Madhava Rao & Co
34. Garre & Co
35. Anjaneyulu & Co
36. K Prahlada Rao & Co
37. Luharuka & Associates
38. Krishna & Prasad
39. Narotham Madhav & Ramesh
40. Narasimha Rao & Associates

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To
The Members of Telangana Grameena Bank,

Report on Audit of the Financial Statements

Opinion

1. We have audited the financial statements of Telangana Grameena Bank ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2026, the Profit and Loss account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of 55 branches audited by us and 577 branches audited by statutory branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).
Also included in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement are the returns from 307 branches and 17 Regional Offices which have not been subjected to audit. These unaudited branches and regional offices account for 24.83 % of advances, 21.04% of deposits, 20.26% of interest income and 13.02% of interest expenses.
2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Regional Rural Bank Act, 1976, Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') and National Board for Agricultural and Rural Development ('NABARD') from time to time and in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:
 - a. the Balance Sheet, read with the notes there on is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2026;
 - b. the Profit and Loss Account, read with the notes there on shows a true balance of profit and
 - c. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in India, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Key Audit matter	How it has been addressed
Advances: Accuracy in classification of Loans and advances, provision thereon and recognition of income Classification of Advances and Identification of and provisioning for non-performing Advances in accordance with the RBI/NABARD guidelines. Advances include Cash credits, Overdrafts loans repayable on demand and Term loans. Advances constitute 69.16% of the Bank's total assets. They are, inter-alia, governed by income recognition, asset classification and provisioning (IRAC) norms and other circulars and directives issued by the RBI/NABARD from time to time which provides guidelines related to classification of Advances into performing and non-performing Advances (NPA). The Bank classifies these Advances based on IRAC norms as per its accounting policy No. 3.2. Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of proper mechanism. The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology System (IT System) viz. Core Banking Solutions (CBS) which also identifies whether the advances are performing or non-performing. Further, NPA classification is done through IT System (CBS) and Provisioning on Advances (Performing and Non-Performing) as per the Income Recognition and Asset Classification Norms is being done outside the system using tools like Excel sheets. The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRAC norms are not properly followed. Considering the nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation/judgement involved in valuation of securities, it is a matter of high importance for the intended users of the Financial Statements. Considering these aspects, we have determined this as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit was focused on income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances due to the materiality of the balances.	Our audit approach towards advances with reference to the IRAC norms and other related circulars / directives issued by RBI/NABARD and also internal policies and procedures of the Bank includes the testing of the following: • Existence and effectiveness of monitoring mechanisms such as Internal Audit, Systems Audit, Credit Audit, Snap Audit and Concurrent Audit as per the policies and procedures of the Bank; • We have examined the efficacy of various internal controls over advances to determine the nature, timing and extent of the substantive procedures and compliance with the observations of the various audits conducted as per the monitoring mechanism of the Bank and NABARD Inspection. • In carrying out substantive procedures at the branches allotted to us, we have examined all large advances while other advances have been examined on a sample basis. • The accuracy of the data input in the system for income recognition, classification into performing and non-performing Advances and provisioning in accordance with the IRAC Norms in respect of the branches allotted to us; • Reliance is also placed on Audit Reports of other Statutory Branch Auditors. • We have performed extensive procedures for verification of the procedure of computation of Provisions outside the IT system, its correctness and there conciliation of the same with the books of accounts. • Assessed disclosure requirements for classification and provisioning of NPA's in accordance with RBI circulars. Based on the above verification, we are satisfied on the classification of Loans and advances, provision thereon and recognition of income

Key Audit matter	How it has been addressed
Investments Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments. Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures and other approved securities. Investments constitute 8.57% of the Bank's total assets. These are governed by the circulars and directives of the RBI / NABARD. These directions, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against. The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI/NABARD which involves collection of data/information from various sources such as FBIL rates, rates quoted on BSE / NSE. Considering the complexities and extent of judgement involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, this has been determined as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit was focused on valuation of Investments, classification, identification of Non-Performing Investments. Further, the bank has been compiling the investment register in Excel tool and has been making all the calculations using the same tool.	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI/NABARD Circulars/directives included there view and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments. In particular, - We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI/NABARD guidelines regarding valuation, classification, identification of Non-Performing Investments. - We assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments; - For the selected sample of Investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars/ NABARD and directions by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected after ensuring that all the categories of Investments (based on nature of security) were covered in the sample; - We tested the mapping of Investments between the Investments (Excel Tool) and the financial statements to ensure compliance with the presentation and disclosure requirements as per the aforesaid RBI/NABARD Circular/directions. - We test checked the amortisation of premium on HTM category of investments, test checked the valuation of investments for shift in the category of investments between HTM and AFS. Based on the above verification, we are satisfied on the Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments.

Other Matters

5. We did not audit the financial statements / information of 577 branches included in the financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs.19,310 Cr as at 31st March 2026 and total revenue of Rs. 3,142 Cr for the year ended on that date, as considered in the financial statements. The financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, are based solely on the report of such branch auditors.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Regional Rural Bank Act, 1976, Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') and National Board for Agricultural and Rural Development ('NABARD') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
8. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
 - a. Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- b. Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
 - c. Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
 - d. Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
9. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
 10. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
 11. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

12. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Form A and Form B respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949;
13. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 6 to 11 above and as required by the Regional Rural Bank Act, 1976 and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
 - a. We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - b. The transactions of the Bank which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
 - c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

- d. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us.
- e. The Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;
- f. There ports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- g. In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For **M/s Umamaheswara Rao & Co.,**

Chartered Accountants

Firm Registration No. 004453S

(CA. Krishna Sai G H)

Partner

Membership No. 233399

UDIN: 26233399LLPZJI9323

Place : Hyderabad

Date : 20th April, 2026

Balance Sheet as on 31.03.2026

(Amt in '000s)

Particulars	Sch No.	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
CAPITAL AND LIABILITIES			
Capital	1	57 28 69	57 28 69
Reserves and Surplus	2	9657 38 09	8374 54 25
Deposits	3	34604 68 62	32165 66 42
Borrowings	4	17930 68 52	16613 32 40
Other Liabilities and Provisions	5	824 87 01	791 08 64
TOTAL		63074 90 93	58001 90 40
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	1146 05 36	1457 18 06
Balances with Banks and Money at call and short notice	7	11574 87 92	9134 31 94
Investments	8	5402 77 36	5445 24 92
Advances	9	43625 42 81	40647 80 16
Fixed Assets	10	137 85 23	135 67 42
Other Assets	11	1187 92 25	1181 67 90
TOTAL		63074 90 93	58001 90 40
Contingent Liabilities	12	188 97 74	117 24 26
Bills for Collection			

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

 For **M/s Umamaheswara Rao & Co.,**
Chartered Accountants

Firm Registration No. 004453S

 For **Telangana Grameena Bank**
(CA Krishna Sai G H)

 Partner (UDIN: 26233399LLPZJI9323)
 Membership No. 233399

(K. Lakshmi)

General Manager-Ops

(K Prathapa Reddy)

Chairman

Sri Prakash Chandra Baror

 GM (RRB), SBI, Corporate Centre
 (Director)

Sri R Ganapathy

 GM, NABARD
 (Director)

Sri Priyabrata Mishra

 DGM (ABU-GSS), SBI,LHO
 (Director)

Sri Raju Ratlavat

 AGM, RBI
 (Director)

Sri Rayi Ravi

 Spcl. Sec, Finance Dept,
 Govt. of TG, Director

Dr. B Gopi, IAS

 Director of Agri,
 (Govt. of TG, Director)

Sri Vivek Gupta

 DFS, Govt. of India
 (Director)

Date: 20.04.2026

Place: Hyderabad

Profit and Loss for the year ended 31.03.2026

(Amt in '000s)

Particulars	Sch No.	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. Income			
Interest earned	13	5417 91 66	2736 75 20
Other income	14	605 98 94	397 72 22
TOTAL		6023 90 60	3134 47 42
II. Expenditure			
Interest expended	15	2881 37 16	1513 11 96
Operating expenses	16	1240 30 05	719 54 79
Provisions and Contingencies		144 95 52	7 46 09
TOTAL		4266 62 73	2240 12 84
III. Profit / Loss			
Profit for the year before Tax		1757 27 87	894 34 58
Less:Provision for Income Tax	-	447 91 67	220 00 00
(Less)/Add: (DTL) / DTA	+	(26 52 36)	95 00
Profit after Tax	a	1282 83 84	675 29 58
Profit brought forward from previous year	b	6316 98 18	5796 74 51
Appropriations of Profit (a)			
Transfer to Statutory reserves	i	256 56 77	135 05 91
Transfer to capital reserve	ii	0	0
Transfer to Investment Fluctuation Reserve	iii	30 76 89	0
Transfer to Special reserves U/s 36(i)(viii) of IT Act,1961	iv	33 40 00	20 00 00
Balance of CFY Profit	v	962 10 18	520 23 67
Balance carried over to balance sheet (b+v)		7279 08 36	6316 98 18

 For **M/s Umamaheswara Rao & Co.,**
Chartered Accountants

Firm Registration No. 004453S

(CA Krishna Sai G H)

 Partner (UDIN: 26233399LLPZJI9323)
 Membership No. 233399

(K. Lakshmi)

General Manager-Ops

(K Prathapa Reddy)

Chairman

Sri Prakash Chandra Baror

 GM (RRB), SBI, Corporate Centre
 (Director)

Sri R Ganapathy

 GM, NABARD
 (Director)

Sri Priyabrata Mishra

 DGM (ABU-GSS), SBI,LHO
 (Director)

Sri Raju Ratlavat

 AGM, RBI
 (Director)

Sri Rayi Ravi

 Spcl. Sec, Finance Dept,
 Govt. of TG, Director

Dr. B Gopi, IAS

 Director of Agri,
 (Govt. of TG, Director)

Sri Vivek Gupta

 DFS, Govt. of India
 (Director)

Date: 20.04.2026

Place: Hyderabad

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2026

(Amt in '000s)

PARTICULARS		FY 2025-26	FY 2024-25
Cash Flows from Operating Activities:			
Net Profit before Tax		1757,27,87	894,34,58
Add:			
Depreciation debited to P&L		19,23,21	9,43,43
Provision for Std debts		11,77,51	7,44,09
Provision for B & D		133,07,22	0
Provision for leave encashment		60,00,00	0
Provision for Gratuity		15,50,00	0
Provision for Frauds		10,80	200
Amortization of Investments		1,25,01	1,13,34
Interest Paid on Amounts received from SBI, NABARD, SBI, MUDRA		1022,30,10	504,51,45
Provision for Pension & NPS		114,00,00	0
Less:			
Income on Investments		(1132,33,77)	(650,33,04)
Operating profit before working capital changes		2002,17,94	766,55,85
Working Capital Changes:			
Increase / (Decrease) in Deposits		2439,02,20	1248,79,10
Increase / (Decrease) in Liabilities and Provisions		(267,99,78)	(1024,09,91)
(Increase) / Decrease in Advances		(3110,69,87)	(2703,78,56)
(Increase) / Decrease in Other Assets		(364,11,17)	1092,96,40
Cash generated from Operations		1426,61,65	(619,57,12)
Less: Income Tax Paid		(448,00,00)	(235,07,67)
Net cash from Operating Activities	A	978,61,65	(854,64,79)
Cash Flows from Investing Activities:			
Purchase of fixed assets		(22,98,16)	(11,07,87)
Sale of fixed assets		1,57,14	0
Purchase/Sale of Investments (Net)		41,22,55	19,81,83
Investment in Deposits (original maturity less than 3 months)		(2443,03,80)	(3741,19,73)
Income from Investments		761,98,25	437,06,94
Cash received in APGVG Bifurcation settlement*		0	543,39,25
Net cash from Investing Activities	B	(1661,24,02)	(2751,99,57)

(Amt in '000s)

PARTICULARS		FY 2025-26	FY 2024-25
Cash Flows from Financing Activities:			
Funds borrowed/repaid from SBI, NABARD, NHB (Net)		1317,36,12	4302,06,30
Interest paid to SBI, NABARD, NHB		(948,34,28)	(465,73,39)
Capital			
Net cash from Financing Activities	C	369,01,84	3836,32,91
Effect of Foreign Exchange Rate Changes			
Net Increase/(Decrease) In Cash And Cash Equivalents (A+B+C)		(313,60,53)	229,68,55
Add: Opening cash and cash equivalents		1505,64,58	589,68,73
i) Cash on hand		107,36,33	46,95,52
ii) Balances with Reserve Bank of India & Other banks		1398,28,25	542,73,21
iii) Deposit Accounts(original maturity less than 3 months)		0	0
		1505,64,58	589,68,73
Closing Cash and Cash Equivalents		1192,04,05	819,37,28
i) Cash on hand		115,60,94	6,11,60
ii) Balances with Reserve Bank of India & other banks		1076,43,12	813,25,68
iii) Deposit Accounts (original maturity less than 3 months)		0	0
Total		1192,04,06	819,37,28

As per our report of even date

For **M/s Umamaheswara Rao & Co.,**
Chartered Accountants
 Firm Registration No. 004453S

 For **Telangana Grameena Bank**

(CA Krishna Sai G H)
 Partner
 (Membership No. 233399)

(K. Lakshmi)
 General Manager-Ops

(K Prathapa Reddy)
 Chairman

Date: 20.04.2026
 Place: Hyderabad

SCHEDULE-1 CAPITAL

(Amt in '000's)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. Authorised Capital (2,00,00,00,000 shares of Rs.10/- each)	2000 00 00	2000 00 00
II. Issued Capital (5,72,86,944 shares of Rs.10/- each)	57 28 69	57 28 69
III. Subscribed and Paid up Capital (5,72,86,944 shares of Rs.10/- each)	57 28 69	57 28 69
Total	57 28 69	57 28 69

SCHEDULE-2 RESERVES AND SURPLUS

(Amt in '000's)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. Statutory Reserves		
Opening Balance	1593 76 12	527 19 62
Additions during the year	256 56 77	1066 56 50
Deductions during the year	0	0
Total	1850 32 89	1593 76 12
II. Capital Reserves		
Opening Balance	135 55 89	4 91 14
Additions during the year	0	130 64 75
Deductions during the year	0	0
Total	135 55 89	135 55 89
III. Share premium		
Opening Balance	0	0
Additions during the year	0	0
Deductions during the year	0	0
Total	0	0
IV. Revenue and other Reserves		
Opening Balance	328 24 06	51 20 00
Additions during the year		
i. Special Reserve U/s 36(1)(viii)	33 40 00	267 30 22
ii. Investment Fluctuation Reserve	30 76 89	0
iii. Others	0	9 73 84
Deductions during the year	0	0
Total	392 40 95	328 24 06
VI. Balance of Profit & Loss Account	7279 08 36	6316 98 18
TOTAL (I, II, III, IV, V & VI)	9657 38 09	8374 54 25

SCHEDULE-3 DEPOSITS

(Amt in '000's)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
A. I. Demand Deposits		
i. From Banks	0	0
ii. From Others	339 90 76	423 88 86
II. Saving Bank Deposit	12473 41 33	11686 39 70
III. Term Deposits		
i. From Banks	5039 17 12	4968 30 97
ii. From Others	16752 19 41	15087 06 89
Total of (I II and III)	34604 68 62	32165 66 42
B.I. Deposits of branches in India	34604 68 62	32165 66 42
II. Deposits of branches outside India	0	0
TOTAL	34604 68 62	32165 66 42

SCHEDULE-4 BORROWINGS

(Amt in '000's)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. Borrowing in India		
i. Reserve Bank of India	0	672 00 00
ii. Other Banks	3769 07 59	2549 18 25
iii. Other institutions and agencies	14161 60 93	13392 14 15
II. Borrowings outside India	0	0
TOTAL (I & II)	17930 68 52	16613 32 40
Borrowings included in I & II above	17930,68,52	16613,32,40
TOTAL OF I & II	17930,68,52	16613,32,40

SCHEDULE-5 OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(Amt. in '000's)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. Bills payable	76 69 57	55 58 67
II. Inter-office adjustment (Net)	55 47	913
III. Interests accrued	73 95 81	146 13 33
IV. Others (including provisions)	673 66 16	589 27 51
TOTAL	824 87 01	791 08 64

SCHEDULE-6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(Amt. in '000's)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. Cash in hand	115 60 94	107 36 33
II. Balance with Reserve Bank of India		
i. In Current Account	1030 44 42	1349 81 73
ii. In other Accounts	0	0
TOTAL (I and II)	1146 05 36	1457 18 06

SCHEDULE-7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(Amt. in '000's)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. In India		
i) Balances with Banks:		
a. In current Accounts	45 98 70	48 46 52
b. In other Deposit Accounts	11528 89 22	9085 85 42
ii) Money at call and short notice		
a. With Banks	-	-
b. With other institutions	-	-
TOTAL (i & ii)	11574 87 92	9134 31 94
II. Out side India		
i. In current Accounts	-	-
ii. In other Dep.Accounts	-	-
iii. Money at call and short notice	-	-
TOTAL (i, ii, iii)	-	-
GRAND TOTAL (I and II)	11574 87 92	9134 31 94

SCHEDULE-8 INVESTMENTS

(Amt. in '000's)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. Investments in India in		
i. Government Securities	5387 77 36	5430 24 92
ii. Other approved securities	-	-
iii. Shares	-	-
Non SLR		
iv. Debentures and Bonds	15 00 00	15 00 00
v. Subsidiaries and/or joint ventures	-	-
vi. Others	-	-
Sub total Non-SLR	-	-
Total Non-SLR (Net)	15 00 00	15 00 00
TOTAL-Net Investments in India	5402 77 36	5445 24 92
II. Investments outside India	-	-
GRAND TOTAL (I+II)	5402 77 36	5445 24 92

SCHEDULE-9 ADVANCES

(Amt. in '000's)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
A.		
i. Bills purchased and discounted	-	-
ii. Cash Credits, overdrafts and loans repayable on demand	26040 47 58	25012 61 76
iii. Term Loan	17584 95 23	15635 18 40
TOTAL	43625 42 81	40647 80 16
B.		
i. Secured by tangible assets	31332 82 41	34542 66 10
ii Covered by Bank / Govt guarantees	6998 74 56	-
iii. Unsecured	5293 85 84	6105 14 06
TOTAL	43625 42 81	40647 80 16
C. I. Advances in India		
i. Priority Sector	33809 29 26	27988 32 67
ii. Public Sector	-	-
iii. Banks	-	-
iv. Others	9816 13 55	12659 47 49
TOTAL	43625 42 81	40647 80 16

(Amt. in '000's)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
II. Advances Outside India		
i. Due from Banks	-	-
ii. Due from others	-	-
TOTAL	-	-
GROSS ADVANCES	46547 81 41	41518 27 92
Less: INCA	-	-
Less: IBPC Issued	2000 00 00	-
Less: Provisions for B&D debts	922 38 60	870 47 76
NET ADVANCES	43625 42 81	40647 80 16

SCHEDULE-10 FIXED ASSETS

(Amt. in '000's)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. Premises		
At cost as on 31st March	35 67 76	14 66 46
i. Additions during the year	148	21 01 30
ii. Deduction during the year	0	0
iii. Depreciation during the year	35 18	948
iv. Depreciation to date	1 74 96	1 39 78
TOTAL I	33 94 28	34 27 96
II. Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)		
At cost as on 31st March	242 35 64	93 41 98
i. Additions during the year	20 84 39	148 93 66
ii. Deduction during the year	1 57 14	0
iii. Depreciation during the year	17 33 92	9 33 94
iv. Depreciation to date	158 30 10	140 96 18
TOTAL II	103 32 79	101 39 46
III. Capital work in progress		
At cost as on 31st March	0	0
i. Additions during the year	58 16	0
ii. Deduction during the year	0	0
TOTAL III	58 16	0
TOTAL I, II & III	137 85 23	135 67 42

SCHEDULE-11 OTHER ASSETS

(Amt in '000's)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. Inter-office adjustments (Net)	0	0
II. Interest accrued	370 35 52	214 39 44
III. Tax paid in advances / tax deducted at source *	10 25 46	35 61 21
IV. Stationery and stamps	0	24
V. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	0	0
VI. Others	807 31 27	931 67 01
TOTAL	1187 92 25	1181 67 90

* Net of Provisions

SCHEDULE-12 CONTINGENT LIABILITIES

(Amt. in '000's)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	1 00 74	10 99 54
II. Liability for partly paid Investments	-	-
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	-	-
IV. Guarantee given on behalf of constituents	-	-
a. In India	26 39 19	21 55 94
b. Outside India	-	-
V. Acceptances, Endorsements and other obligations	-	-
VI. Other items for which the Bank is contingently liable (DEAF Account)	161 57 81	84 68 78
TOTAL	188 97 74	117 24 26

SCHEDULE-13 INTEREST EARNED

(Atm. in '000's)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. Interest on advances /discount on bills	4286 82 90	2087 43 47
II. Interest on Investments	360 19 14	246 41 33
Less: amortisation of premium	(1 25 01)	(1 13 34)
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	760 42 06	403 63 40
IV. Others	11 72 57	40 34
TOTAL	5417 91 66	2736 75 20

SCHEDULE-14 OTHER INCOME

(Amt. in '000's)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. Commission, exchange and brokerage	329 63 55	212 68 37
II. Profit on sale of Investments		
Less: Loss on Sale of Investments	29 55 36	(12 03)
III. Profit on revaluation of investments		
Less: Loss on revaluation of Investments	0	0
IV. Profit on sale of Land, Buildings and Other Assets		
Less: Loss on sale of Land, Buildings and Other Assets	25 11	0
V. Profit on exchange transactions		
Less: Loss on exchange transactions	0	0
VI. Income earned by way of dividends etc., from subsidiaries/companies and/or joint ventures in abroad/in India	0	0
VII. Miscellaneous Income	246 54 92	149 44 25
TOTAL	605 98 94	362 00 59

SCHEDULE-15 INTEREST EXPENDED

(Atm. in '000's)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. Interest on deposits	1859 07 06	1008 60 51
II. Interest on Reserve Bank of India / Inter bank borrowings	195 21 53	91 46 32
III. Interest on Other Borrowings	827 08 57	413 05 13
TOTAL	2881 37 16	1513 11 96

SCHEDULE-16 OPERATING EXPENSES

(Amt. in '000's)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. Payments to and provisions for employees	935 19 79	554 58 84
II. Rent, taxes and lighting	51 64 30	26 39 78
III. Printing and stationery	5 12 11	3 03 36
IV. Advertisement and publicity	83 12	642
V. Depreciation on Bank's property	19 23 21	9 43 43
VI. Director's fees, allowances and expenses	0	0
VII. Auditors fees and expenses (including branch auditors)	1 27 76	1 37 41
VIII. Law charges	28 77	8 94
IX. Postage, Telegrams, Telephones etc.	1 53 95	62 54
X. Repairs and maintenance	68 89 95	33 00 03
XI. Insurance	55 25 78	27 51 82
XII. Other expenditure	101 01 32	63 42 22
TOTAL	1240 30 05	719 54 79

SCHEDULE - 17 Significant Accounting Policies

A. Basis of Preparation:

The financial statements have been prepared under historical cost convention, on accrual basis of accounting using going concern assumption in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule (Form A and Form B) of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting and reporting policies of the bank used in the preparation of these financial statements conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles in India ("Indian GAAP"), the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') and National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) from time to time and the current practices prevailing within the banking industry in India. The Bank follows the historical cost convention and accrual method of accounting in the preparation of the financial statements, except where otherwise stated. The accounting policies adopted in the preparation of financial statements are consistent with those followed in the previous year.

B. Use of estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the reported income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable and are based upon management's evaluation of the relevant facts and circumstances as of the date of financial statements. Future results could differ from these estimates and the differences between the actual results and the estimates are recognized in the period in which the results are known /materialized.

C. Significant Accounting Policies:

1. Revenue Recognition:

- 1.1. Income and expenditure are accounted on accrual basis, except otherwise stated.
- 1.2. Interest / Discount Income is recognized in the Profit and Loss Account as it accrues except,
 - (i) Income from Non-Performing Assets (NPAs), comprising of advances, and Investments which is recognized upon realization, as per the prudential norms prescribed by the RBI.
 - (ii) Overdue interest on investments.
- 1.3. Profit / Loss on sale of investments is recognized in the Profit and Loss Account. However, the profit on sale of investments in the "Held to Maturity (HTM)" category is appropriated (net of applicable taxes and amount required to be transferred to statutory reserve) to "capital reserve account". The discount, if any, on Interest bearing securities, on acquisition of investments in Held to Maturity (HTM) category is accounted for at the time of sale / redemption
- 1.4. Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the dividend is established.
- 1.5. Processing fee/ upfront fee, handling charges or income of similar nature collected at the time of sanctioning or renewal of loan/ facility is recognised at the inception/renewal of loan.
- 1.6. Commission, Exchange and Locker rent are recognized on cash basis.
- 1.7. Fees received on sale of Priority Sector Lending Certificates are considered as Miscellaneous Income, while fees paid for purchase is expensed as other expenses in accordance with the guidelines issued by the RBI.

- 1.8. Interest on income tax refund is recognised under "Other Income" in the year of passing of Assessment Orders.
- 1.9. The recoveries made in NPA accounts are first appropriated towards charges, then interest and finally to principal portion. In case of partial recovery in NPA Accounts where Suit/RR is initiated, recoveries made are first appropriated towards principal portion. In case of One Time Settlement, recoveries made are appropriated in the order of charges, principal and unapplied interest.
- 1.10. In case of suit filed accounts, legal and other expenses incurred are charged to Profit and Loss Account and at the time of recovery of such expenses is accounted as income.

2. Investments:

The transactions in Government Securities and other than Government Securities are recorded on "Settlement Date".

2.1. Classification:

Investments are classified into three categories viz., Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS) and Held for Trading (HFT) as per RBI guidelines.

2.2. Basis of classification:

- Investments that Bank intends to hold till maturity are classified as "Held to Maturity (HTM)".
- Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as "Held for Trading (HFT)".
- Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as "Available for Sale (AFS)". An investment is classified as HTM / HFT / AFS at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines.

2.3. Disclosure in Balance Sheet:

Investments are classified and disclosed in Balance Sheet as Government Securities, other Approved Securities, Shares, Debentures and Bonds, Subsidiaries and Joint Ventures and Others.

2.4 Valuation : The securities in each classification are valued in accordance with RBI guidelines as detailed here under:

- i. In determining the acquisition cost of an investment:
 - (a) Brokerage / Commission received on subscriptions is reduced from the cost.
 - (b) Brokerage, Commission, Security Transaction Tax etc paid in connection with the acquisition of investments are expensed upfront and excluded from cost.
 - (c) Broken period interest paid / received on debt instruments is treated as interest expense / income and is excluded from cost or sale consideration.
 - (d) Stamp duty Value paid on acquisition of Mutual Funds is considered as purchase value or capitalized in books of account.
 - (e) Cost is determined on the weighted average cost method for investments under AFS and HFT category and FIFO basis (First in First Out) for investments under HTM category.
- ii. Transfer of securities from HFT / AFS category to HTM category is carried out at the lower of acquisition cost / book value / market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for. However, transfer of securities from HTM category to AFS category is carried out at acquisition price / book value. After transfer, these securities are immediately revalued and resultant depreciation, if any, is provided.
- iii. **Held to Maturity category:** Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the

remaining period of maturity on constant yield basis. Such amortization of premium is adjusted against income under the head "Interest on Investments".

- iv. Investments in equity shares of other companies are valued at historical cost. A provision is made for diminution, other than temporary, for each investment individually.
- v. **Available for Sale and Held for Trading Categories:** Investments under AFS and HFT category are individually re-valued at market price or fair value determined as per regulatory guidelines, and only the net depreciation of each group for each category (viz., Government Securities, other Approved Securities, Shares, Debentures and Bonds, Subsidiaries and Joint Ventures and Others) is provided for and net appreciation, is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual security remains unchanged after marking to market.
- vi. Investments are classified as Performing and Non-performing, based on the guidelines issued by the RBI. Investments become non-performing where:
 - a) Interest / installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
 - b) In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Rs.1/- per company on account of the non availability of the latest balance sheet, those equity shares will be reckoned as NPI.
 - c) If any credit facility availed by any entity is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same entity would also be treated as NPI and vice versa.
 - d) The investments in debentures/bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are also subjected to NPI norms as applicable to investments.

2.5. Accounting for Repo / Reverse Repo Transactions:

The Bank entered Repurchase and Reverse Repurchase Transactions with RBI under Liquidity Adjustment Facility (LAF). Repurchase Transaction represents borrowing by selling the securities with an agreement to repurchase the securities. Reverse Repo Transactions on the other hand represent lending funds by purchasing the securities.

- a) Transactions with RBI under Liquidity Adjustment Facility (LAF) are accounted for as Collateralised Lending and Borrowing transactions.
- b) Balance in Repo Account is classified under Schedule-4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified under Schedule-6 (Balance with Banks and Money at call & short notice).
- c) Borrowing cost of Repo transactions and Revenue on Reverse Repo transactions, with RBI is accounted for as interest expense and interest income, respectively.

3. Loans or Advances and Provisions thereon:

3.1 Loans and advances are classified as performing and non performing, based on the guidelines issued by the RBI. Loan assets become Non-Performing Asset (NPA) where:

- In respect of agriculture advances:
 - i) For short duration crops, where the installment of principal or interest remains overdue for two crop seasons and
 - ii) For long duration crops, where the principal or interest remains overdue for one crop season.
- In respect of Non-Agriculture advances:
 - i) In respect of term loans, interest and /or installment of principal remains overdue for a period of more than 90 days.

- ii) In respect Overdraft or Cash Credit Advances, the account remains “out of order”, i.e. if the outstanding balance exceeds sanctioned limit or drawing power continuously for a period 90 days, or if there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance sheet, or if the credits are not adequate to cover the interest due during the same period.

3.2. Provisions are made for NPAs as per the extant guidelines/directives prescribed by the RBI and advised by NABARD:

All advances have been classified under four categories i.e., Standard Assets, Sub-standard Assets, Doubtful Assets and loss Assets. Provisions on Advances are made as under:

- a) **Standard Assets:** General Provision for Standard Assets at the following rates:

S.No.	Particulars	Rate
1	Direct advances to Agriculture and SME sectors	0.25%
2	Commercial Real Estatesector	1%
3	All other advances not included in (1) & (2) above	0.40%

This general provision is reflected in schedule 5 of the Balance Sheet under the head “Other liabilities and provisions – other provisions” and is not considered for arriving at the net NPAs.

- b) **Sub-Standard Assets:** A loan asset that has remained non performing for a period less than or equal to 12 months.

Particulars	Rates prescribed as per IRAC Norms	Additional rates adopted by the Bank	Total specific provision rate
Secured/Unsecured Portion	10.00%	90.00%	100.00%

- c) **Doubtful Assets:** A loan asset that has remained in the substandard category for a period of 12months.

Particulars	Rates prescribed as per IRAC Norms		Additional rates adopted by the Bank	Total specific provision rate
Secured Portion	Up to 1 year	20.00%	80.00%	100.00%
	1 to 3 years	30.00%	70.00%	100.00%
	> 3 years	100.00%	0.00%	100.00%
Unsecured Portion		100.00%	0.00%	100.00%

- d) **Loss Assets:** A loan asset where Loss has been identified but the amount has not been fully written off. 100% Provision on outstanding advances.

3.3. The Bank transfers advances through Inter-bank participation with and without risk. In the case of participation with risk, the aggregate amount of the participation issued by the Bank is reduced from advances. In case where the Bank is assuming risk by participation, the aggregate amount of the participation is classified under advances. In the case of issue of participation certificate without risk, the aggregate amount of participation issued Bank is classified under borrowings and where the Bank is acquiring participation certificate, the aggregate amount of participation acquired is shown as due from banks under advances.

- 3.4. Advances are net of specific loan provisions, unrealized interest, ECGC claims received and Interbank participation certificates (IBPC) issued.
- 3.5. For Restructured / rescheduled assets, provisions are made in accordance with the extant guidelines issued by the RBI.
- 3.6. In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as performing asset if it confirms to the guidelines prescribed by the regulators.
- 3.7. Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognized as revenue in the year of recovery.
- 3.8. General provisions made for Standard Assets as per extent RBI guidelines are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions" & are not considered for arriving at the net NPAs.
- 3.9. Interest realized on NPAs are taken into income account provided the credits in the account towards interest are not out of fresh/additional credit facilities sanctioned to the borrower concerned.

4. Floating Provisions:

The Bank has a policy for creation and utilization of floating provisions for advances, investments and general purpose. The quantum of floating provisions to be created is assessed at end of the each financial year.

5. Fixed Assets, Depreciation and Amortization:

- 5.1. Fixed Assets are carried at historical cost less accumulated depreciation / amortization.
- 5.2. Cost includes cost of purchase and all expenditure directly attributable to or incur in connection with acquiring the said asset before it is put to use. Subsequent expenditure incurred on the assets put to use are capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.
- 5.3. Depreciation / amortization is provided on straight line method over the estimated useful life as stated below.

Description of Fixed Assets	useful life in year
Buildings	60
Furniture & Fixtures other than Electrical Equipment	10
Computers; Computer Software forming an integral part of the Computer hardware; Computer Software which does not form an integral part of Computer hardware and cost of Software Development.	3
Automated Teller Machine / Cash Deposit Machine / Coin Dispenser / Coin Vending Machine and other Electrical Equipment	5
Servers	4
Network Equipments	5
Motor Vehicles	5
Safe Deposit Lockers, Fire Proof Data Safe	20

- 5.4. In respect of assets acquired during the year, depreciation is charged on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use during the year.
- 5.5. Assets costing less than Rs.1000/- each are charged off in the year of purchase and Asset costing more than 1000/- but less than 5000/- will be booked as Asset and 100% depreciation will be charged in the year of purchase itself.

6. Impairment of Assets:

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future Net Discounted Cash Flows expected to be generated by the asset. An asset is impaired when its carrying amount exceeds its recoverable amount. Recoverable amount is the higher of net selling price and value in use.

7. Employee Benefits:

7.1. Short Term employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits etc., which are expected to be paid for the services rendered by employees, are recognised during the period when the employee renders the service.

7.2. Long Term Employee Benefits

i) Defined Benefit Plans:

- a) **Gratuity:** For all the eligible employees, the bank provides for Gratuity liability based on actuarial valuation. Liability is funded by way of contribution made to a fund administered by "Telangana Grameena Bank Employees Gratuity Fund Trust".
- b) **Leave Encashment:** Leave encashment liability is provided on actuarial valuation for all accumulating leave benefits in accordance with AS 15, considering vesting / non-vesting conditions in measurement.
- c) **Pension:** The Bank provides for pension to all eligible employees who have joined the Bank on or before 31.03.2010. The benefit is in the form of monthly payments as per rules to vested employees on retirement or on death while in employment, on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes monthly contributions to the pension fund at 10% of the salary. The Bank provides for this liability based on the actuarial valuation. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out annually and bank makes such additional contributions periodically to the fund as may be required to secure payment of the benefits under the Pension Regulations.

ii) Defined Contribution Plans :

- a) Contributions made to Provident Fund are recognized as an Expense and charged to the Profit and Loss Account on accrual basis.
- b) Employees who had joined the services of the Bank with effect from 1st April 2010 are covered under Defined Contributory Pension Scheme (DCPS). In respect of such employees the bank contributes specified percentage of the Basic Pay plus Dearness Allowance. The bank recognises such contributions as an expense in the year to which they relate and no further liability beyond the contribution to the fund on this account
- c) National Pension Scheme (NPS): The Bank operates a new pension scheme (NPS) for all the employees who have joined the Bank after 01.04.2010. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with 14% contribution from the Bank.

8. Income Tax Expense:

The Income Tax, if any applicable, is computed in accordance with relevant tax provisions under the Income Tax Act, 1961 as applicable to Regional Rural Banks.

Income Tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax. Current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income tax Act, 1961 and as per the Accounting Standard 22 – “Accounting for Taxes on Income” respectively and which are based on the tax laws prevailing in India.

Deferred tax adjustments comprise of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized by considering the impact of the timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the Balance Sheet date. The impact of changes in Deferred tax assets and liabilities is recognized in the Profit and Loss Account. Deferred Tax assets are recognized and reassessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realization is considered as reasonably certain. Deferred tax assets are recognized on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realized against future profits.

9. Government Grants:

Government grants available to the enterprise are considered for:

- a) Where there is a reasonable assurance that the enterprise will comply with the conditions attached to them.
- b) Where such benefits have been earned by the enterprise and it is reasonably certain that the ultimate collection will be made.

Grants received from the government towards specific fixed assets, are shown as deduction from the gross value of the asset concerned in arriving at its book value.

10. Contingent Liabilities & Provisions:

- 10.1. In conformity with AS-29 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent assets”, issued by ICAI, the bank recognizes the provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and would result in probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

No provision is recognized for:

- a) Any possible obligation that arises from past events and existence of which will be confirmed only by the occurrence or non occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the bank.
- b) Any present obligation that arises from past events but is not recognised because:
 - It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or
 - A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

- 10.2. Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

11. Cash Flow Statement:

Cash flows from operating activities computed using indirect method.

12. Special Reserves:

The Bank creates a Special Reserve in accordance with Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961 by appropriating 20% of profit derived from long-term finance for industrial, agricultural, or infrastructure development as per the provisions of the Act. The reserve created is not available for distribution as dividend.

13. Investment Fluctuation Reserves:

The Bank maintains an Investment Fluctuation Reserve (IFR) at a minimum of 2% of HFT and AFS investments, created out of profits as per regulatory guidelines. IFR is utilised to offset depreciation / MTM losses on such investments, and excess provisions are appropriated to IFR. Transfers to and from IFR are shown as appropriations in the Profit and Loss Account, and the balance is disclosed under Reserves and Surplus.

14. Leases:

Leases are classified at inception as finance leases or operating leases based on the substance of the transaction. Operating lease payments are recognised in profit and loss on a straight-line basis / as per lease terms unless another systematic basis is more representative.

As per our report of even date
For **M/s Umamaheswara Rao & Co.,**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 004453S

For **Telangana Grameena Bank**

(CA Krishna Sai G H)
Partner (UDIN: 26233399LLPZJI9323)
Membership No.233399

(K. Lakshmi)
General Manager-Ops

(K Prathapa Reddy)
Chairman

Date: 20.04.2026
Place: Hyderabad

SCHEDULE-18 NOTES TO ACCOUNTS-MARCH 2026

- The outstanding entries relating to inter branch transactions, inter office accounts and suspense, sundry deposit, clearing adjustment are in the process of reconciliation / adjustment. The management considers that the amounts involved are not material and are not suspicious in nature and substance for considering provision.

For the year ended 31.03.2026

(Amt in ₹ lakhs)

S.No	Time Period	No of Dr entries	Amount of DR	No of Cr entries	Amount of Cr entries	Net Cr Position
1	Upto 3 months	-	-	27	55.47	55.47
2	3 to 6 months	-	-	-	-	-
3	6 months to 1 year	-	-	-	-	-
4	1 year to 5 years	-	-	-	-	-
5	Above 5 years	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	27	55.47	55.47

For the year ended 31.03.2025

(Amt in ₹ lakhs)

S.No	Time Period	No of Dr entries	Amount of DR	No of Cr entries	Amount of Cr entries	Net Cr Position
1	Upto 3 months	0	0	2	9.30	9.30
2	3 to 6 months	0	0	0	0	0
3	6 months to 1 year	0	0	0	0	0
4	1 Year to 5 years	0	0	0	0	0
5	Above 5 years	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	2	9.30	9.30

- Stationery, except security forms and stamps, purchased during the year have been treated as consumed and charged to the expense account. However expenses in respect of security forms and stamps amounts are charged to the expense account based on their usage during the year.
- Provisions towards Advances:**
 - As per the review and the assessment by the management of the Bank, the provision required towards Bad & Doubtful Debts as per IRAC Norms is Rs 42248.61 lakhs (previous year Rs. 35018.27 Lakhs). The aggregate amount of provision made in the books of account as on 31.03.2026 is **Rs 92238.60 Lakhs** (Previous Year Rs.87047.76 Lakhs), an additional provision of Rs 49,989.99 lakhs (Previous year 52,029.49 lakhs).
 - The amount **Rs 13670.34 Lakhs** (Previous Year Rs. **12493.18** Lakhs) being the general provisions considered in the accounts upto March 31st, 2026 under the head "General Provision on Standard Advances" as stated in item 4 of schedule 5.

4. Change in Accounting Policy: Depreciation

We have incorporated new depreciation policy and included the following in new policy "Assets costing less than Rs.1000/- each are charged off in the year of purchase and Asset costing more than 1000/- but less than 5000/- will be booked as Asset and 100% depreciation will be charged in the year of purchase itself". An amount of Rs. 53.23 Lakhs has been charged additionally to Profit and Loss account due to change in policy.

5. Prior Period Items:

- During the Previous Year 2024-25 an amount of Rs. 18.43 Cr was debited to Interest Expenses instead of NHB Principle during migration, therefore the profit for the FY 2024-25 has been understated by Rs. 18.43 Cr. Accordingly, the excess amount of Rs. 18.43 Cr, earlier classified as an interest expense, is credited back to the Profit & Loss Account. The amount is recognized as income in the current year as Prior Period Item as per AS 5 under schedule 15 "Interest Expenses".
- The Deferred Tax Asset (DTA) previously recognised in the books of account has been tested for virtual certainty of deduction to be allowed under Income Tax Act 1961, consequently DTA amounting to Rs. 31.77 crore has been reversed during the current reporting period.

6. Employee Benefits:

a. Gratuity:-

- The bank has made a provision of Rs. 1550.00 lakhs (previous year Rs.328.00 Lakhs) to meet the gratuity liability of the employees based on the actuarial valuation whereby the total gratuity liability of the employees as at 31st March 2026 stood at Rs.18453.14 lakhs (previous year Rs.15115.03 lakhs)

(Amt in ₹ lakhs)

Sl.No	Particulars of Investments with	Fund Balance as on 31.03.2026	Fund Balance as on 31.03.2025
1	SBI LIFE Insurance	6540.39	7475.16
2	LIC of India	119.65	175.34
3	Pramarica Life Insurance	3005.26	0
4	SUD life Insurance	6277.12	5541.59
5	Generali Central Insurance	300.50	0
6	Aditya Birla Sun Life	300.50	0
7	PNB met Life Insurance	300.50	0
8	IndiaFirst Insurance	0.00	2514.28
9	ICICI Prudential Life Insurance	0.00	2514.42
10	Funds with TGB Nallakunta Branch	1655.44	340.28
	Total	18499.36	18561.07

b. Pension Liability for the year 2025-26

- The bank has made a provision of Rs.11400.00 lakhs(previous year Rs. 14700.00 Lakhs) to meet the Pension liability of the employees based on the actuarial valuation whereby the total Pension liability of the employees as at 31st March 2026 stood at Rs. 160153.41 lakhs (previous year Rs. 148131.04 lakhs)

(Amt in ₹ lakhs)

Sl.No	Particulars of Investments with	Fund Balance as on 31.03.2026	Fund Balance as on 31.03.2025
1	SBI LIFE Insurance	45114.10	40216.76
2	LIC of India	254.34	437.65
3	ICICI Prudential Life Insurance	20688.61	25780.17
4	Bajaj Allianz Life Insurance	6107.38	842.24
5	SUD life Insurance	42657.34	36600.81
6	Generali Central Insurance	13226.36	5732.69
7	Aditya Birla Sun Life	7741.59	20687.02
8	PNB met Life Insurance	3005.09	0.00
9	India First Insurance	9971.78	5035.16
10	Funds with TGB Nallakunta Branch	11727.32	768.19
	Total	160493.9	136100.7

c. Leave Encashment Liability :-

- i. The bank has made a provision of Rs.6000.00 lakhs (previous year Rs 105.00 Lakhs) to meet the leave encashment liability of the employees based on the actuarial valuation whereby the total liability of the employees as at 31st March 2026 stood at Rs.16276.64 lakhs (previous year 12104.52 lakhs)

7. Taxation:

a) Current Tax:

Based on the computation of taxable income for the year, an amount of Rs.44791.67 **Lakhs** (Previous Year Rs. 22000.00 Lakhs) has been provided in the books of accounts towards liability for current tax.

b) Deferred Tax:

(Amt in ₹ lakhs)

Particulars	2025-26	2024-25
<u>Deferred Tax Liabilities:</u>		
1) On Dierence between Book value of depreciable assets as per books of accounts and written down value for tax purpose	168.71	114.76
Opening	114.76	38.70
Timing dierences originating during the year	53.95	76.06
Timing dierences reversed during the year		
Adjustment / (reversed) on account of change in tax rates	-	-
Closing	168.71	114.76
2) On Special Reserves	88,56.67	80,16.06
Opening	80,16.06	12,88.60
Timing dierences originating during the year	8,40.61	67,27.46
Timing dierences reversed during the year	-	-
Adjustment / (reversed) on account of change in tax rates	-	-
Closing	85,56.67	80,16.06
Total	90,25.38	81,30.82

<u>Deferred Tax Assets:</u>		
- On Disallowances u/s 43B of Income Tax Act, 1961	14,19.73	31,77.54
Opening	31,77.54	11,11.56
Timing differences originating during the year	-	20,65.98
Timing differences reversed during the year	17,57.79	-
Adjustment / (reversed) on account of change in tax rates.	-	-
Closing	14,19.73	31,77.54
Net Deferred Tax Asset / (Liability)	(76,05.64)	(49,53.28)
Opening balance	(49,53.28)	(50,48.28)
Provision/(Reversal)	26,52.36	(95.00)

8. Managerial Remuneration:

The particulars of the Managerial remuneration have been disclosed in additional disclosures in item number 26 under disclosures as per NABARD guidelines.

9. As per Banking Regulation Act, 1949, the bank has appropriated an amount of Rs.25656.77 Lakhs (Previous Year Rs. 135,05.91 Lakhs) being 20% of its Profit and transferred to Statutory Reserve account.

10. As per RBI guidelines, the bank has recognised an amount of Rs. 125.01 lakhs (Previous Year Rs.113.34 Lakhs) being the amortisation of premium paid in respect of Government Securities over the period of maturity.

11. Leases:

The Bank has taken premises for its operations on operating lease, which are cancellable leases. As and when the period of lease is ended, suitable actions will be taken for renewals based on the mutual negotiations with the owners of premises. The total lease payment for the year charged to Profit and Loss account is Rs. 2504.12 lakhs (Previous year Rs. 1396.18 lakhs).

(Amt in ₹ lakhs)

S.No	Premises rent obligations	Total expense
1	Current year	2504.12
2	Upto 1 year	2113.39
3	1- 5 years	1838.94
4	5-10 years	1270.60

12. Accounting For Government Grants:

Bank has not received any grant from NABARD during the current financial year.

13. Segment reporting:

Primary (Business Segment): The Bank operates solely the banking sector Industry including investments, not liable to different risks and rewards. Hence the figures relates to that particular segment only.

Secondary (Geographical Segment):The bank's activities/operations are confined for providing banking services only in the State of Telangana and hence the figures relates to that particular segment only.

14. Related Party Transactions:-

As per Para 9 of the Accounting Standard 18 issued by the ICAI on "Related Party Disclosures" the Bank, being a state-controlled enterprise is not required to make disclosures of related party relationships with other state-controlled enterprises and transactions with such enterprises. The other related party transactions are disclosed below:

Managerial Remuneration:

(Amt in ₹ lakhs)

Particulars	2025-26	2024-25
Sri.Pratapa Reddy Chairman(Till Dec-2025)	32.42	0.00
Sri.Sankara Rao, General Manager-HR,IT,BOARD	24.36	0.00
Sri. Vidyadhar Addanki, General Manger-C&R	17.33	0.00
Smt Y. Sobha, Ex-Chairman(Till May-2025)	9.30	50.80
Smt. K.P. Shobha Rani, General Manager-IT(Till June 2024)	0.00	11.92
Sri K V Prasad, General Manager-III(Till June 2024)	0.00	13.31
Sri D. Ramesh, General Manager-II(Till July 2025)	14.03	45.20
Smt. Bharati Thayar, General Manager (Vigilance) (Till July 2025)	14.83	49.41
Sri. T. Chandra Sekhar, General Manager (Vigilance)	36.18	40.16
Smt. Komanduru Lakshmi, General Manager-OPS	30.86	28.97
Sri. T.Sudhakar, General Manager-Business-I	40.39	28.90
Sri. V.Anil, General Manager-Business-II	37.77	3.00
Sri. K.V. Krishna Sarma, General Manager-FI	38.47	3.00
Sri. S. Satish Babu, Chief Manager(Audit)	25.36	13.01

Directors of the Bank:

S.No	Name of the Director	Nominee
1	Sri. K. Prathapa Reddy, Chairman	State Bank of India
2	Sri. Prakash Chandra Baror, GM (RRB), SBI, Corporate Centre	State Bank of India
3	Sri. R.Ganapathy, GM	NABARD
4	Sri. Priyabrata Mishra, DGM, SBI,LHO	State Bank of India
5	Sri. Raju Ratlavat, AGM	Reserve Bank of India
6	Sri. Vivek Gupta, Director, DFS	Government of India
7	Sri. Rayi Ravi, Special Sec, Finance Dept.	Government of Telangana
8	Dr. B. Gopi, IAS, Director of Agriculture	Government of Telangana

Commission received from related parties

(Amt in ₹ lakhs)

S.No	Name of the related party	Relation	2025-26	2024-25
1	SBI Life	Associate to SBI	2280.68	1267.89
2	SBI General	Associate to SBI	1129.74	516.29
3	SBI Mutual fund	Associate to SBI	52.13	23.78

Expenses paid to related parties

(Amt in ₹ lakhs)

S.No	Name of the related party	Relation	2025-26	2024-25
1	C-Edge technologies limited	JV of SBI	6486.89	3053.51
2	SBI mutual fund management ltd	Associate to SBI	50.42	34.55

15. Earnings per share

(Amt in ₹ lakhs)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
Net profit after tax available for equity shareholders	128283.84	52023.67
Number of equity shares	572.87	572.87
Weighted number of equity shares	572.87	572.87
Basic earnings per share (in Rs.)	223.93	90.81
Diluted earnings per share (in Rs.)	223.93	90.81
Nominal value per equity share (in Rs.)	10.00	10.00

16. Impairment of Assets

In the opinion of Bank's management, there is no indication of impairment to the Assets during the current financial year and previous financial year.

a) Contingent Liabilities

An amount of Rs.1.01 crore has been disclosed as a contingent liability in respect of GST demand orders by Commissioner Appeals of CGST for the FY 2017–18 to 2020–21, against which the Bank intends to file an appeal before the appropriate appellate authority. The demand relates to disallowance of 50% input tax credit (ITC) on capital goods on the assumption that depreciation has been claimed on the GST component; however, the Bank avails only 50% of eligible ITC in terms of Section 17(4) of the CGST Act and capitalises the balance 50%, on which depreciation is claimed, while no depreciation is claimed on ITC availed.

17. Accordingly, the Bank is of the view that the demand is not in line with its accounting and tax treatment, and based on the merits of the case, considers that the outflow of resources is not probable; hence, in terms of AS 29, no provision has been recognised and the amount has been disclosed as a contingent liability.

18. Vaddi Leni Runalu (VLR) receivable:

Pursuant to the G.O number. 639 Dt. 27-04-2013, G.O Number: 323 dt.04-07-2015 and G.O Number: 236 dt.25-05-2016 and G.O Number: 369 dt. 23-06-2017, the bank has sanctioned Vaddi Leni Runalu (VLR's) to the eligible borrowers and claimed Interest subvention since 01.04.2015 to 31.03.2018 and the bank is yet to receive Interest Subvention of Rs.1532.55 lakh from the State Govt of Telangana from 01-04-2015 to 31.03.2018 pertaining to the branches of e-APGVB. The Bank has made provision of Rs 1532.55 lakhs towards VLR and written off the same from the Books of Accounts after obtaining Board approval vide circular resolution 06/2026 dated 23.03.2026.

19. Provident fund payable to casual labour:

The Bank has challenged the order of RPFC-I, Hyd dt 30.08.2019 for payment of provident amount of Rs.582.89 lakhs from 2006 to 2017 to Casual Labours in Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court (CGIT) at Hyderabad. The same is pending for hearing and the next date of hearing is 15.05.2026. In addition, e-APGV Bank has challenged the order of RPFC, Hyd for payment of provident amount of Rs. 33.49 lakh to Casual Labours in Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court (CGIT) at Hyderabad. The same is pending for hearing and the next date of hearing is 13.05.2026. Hence, the Bank has made an aggregate provision of Rs. 6,16,37,654/- in the Books of accounts.

20. The Bank has planned capital expenditure commitments aggregating to Rs. 60.23 lakhs (previous year NIL) in the financial year 2025-26. These commitments pertain to proposed capital outlays and do not constitute present obligations as at the balance sheet date.

DISCLOSURES AS PER NABARD GUIDELINES
ANNEXURE TO NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS (SCHEDULE – 18)

21. Regulatory Capital

a) Composition of Regulatory Capital (As per Basel-I norms)

(Amt in ₹ Crore)

Sl.No.	Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
i)	Tier 1 capital	8721.80	8431.83
ii)	Tier 2 capital	167.47	124.93
iii)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	8889.27	8556.76
iv)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	33871.71	33665.09
v)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs) / Paid-up share capital and reserves as percentage of RWAs	25.75	25.05
vi)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	25.75	25.05
vii)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	0.49	0.37
viii)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	26.24	25.42
ix)	Leverage Ratio	NA	NA
x)	Percentage of the shareholding of a) Government of India b) State Government (Telangana) c) Sponsor Bank	50.00 15.00 35.00	50.00 15.00 35.00
xi)	Amount of paid-up equity capital raised during the year	Nil	Nil

22. Asset liability management

a) Maturity pattern of certain items of assets and liabilities 2025-26

(Amt in ₹ Crore)

	Day 1	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 30 Days	31 days to 2 months	Over 2 months and to 3 months	Over 3 months and up to 6 Months	Over 6 months and up to 1 year	Over 1 year and up to 3 years	Over 3 years and up to 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	0.00	832.71	100.91	166.53	500.62	229.00	976.10	2792.00	28659.62	185.79	161.40	34604.68
Advances	0.00	7.73	78.00	97.88	197.37	190.00	743.92	1632.94	21661.15	9068.38	9948.90	43626.27
Investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.81	305.81	1011.43	1587.48	2420.24	5402.77
Borrowings	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	527.93	4199.12	9505.94	2342.13	1355.07	0.43	17930.69
Foreign Currency assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Foreign Currency liabilities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

b) Maturity pattern of certain items of assets and liabilities 2024-25

(Amt in ₹ Crore)

	Day 1	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 30 Days	31 days to 2 months	Over 2 months and to 3 months	Over 3 months and up to 6 Months	Over 6 months and up to 1 year	Over 1 year and up to 3 years	Over 3 years and up to 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	47.01	1813.02	911.17	1164.36	1749.44	1714.31	3401.16	5984.56	3791.76	1080.54	10615.69	32273.02
Advances	0.00	624.20	556.44	1221.62	2112.77	1406.93	6266.93	14751.78	10152.34	2213.38	2211.89	41518.28
Investments	0.00	0.00	3.91	0.00	0.00	10.06	74.21	6.49	2147.22	405.85	2797.50	5445.24
Borrowings	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3925.03	7697.49	2789.14	1520.63	9.03	16613.32
Foreign Currency assets	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Foreign Currency liabilities	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

23. Investments

a) Composition of Investment Portfolio as at 31.03.2026

(Amt in ₹ Crore)

	Investments in India							Investments outside India				Total Investment
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total Investment outside India	
Held to Maturity												
Gross	3849.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3849.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3849.33
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	3849.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3849.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3849.33
Available for Sale												
Gross	1538.44	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	1,553.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553.44
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	1538.44	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	1,553.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553.44

(Amt in ₹ Crore)

	Investments in India							Investments outside India				Total Investments
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total Investments outside India	
Held for Trading												
Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investments	5,387.77	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	5,402.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5,402.77
Less: Provision for non-performing investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	5,387.77	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	5,402.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5,402.77

Composition of Investment Portfolio as at 31.03.2025

(Amt in ₹ Crore)

	Investments in India							Investments outside India				Total Investments
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total Investments outside India	
Held to Maturity												
Gross	2470.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2470.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2470.04
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	2470.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2470.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2470.04
Available for Sale												
Gross	2960.21	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	2975.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2975.21
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	2960.21	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	2975.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2975.21

(Amt in ₹ Crore)

	Investments in India							Investments outside India				Total Investments
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total Investments outside India	
Held for Trading												
Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investments	5430.25	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	5445.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5445.25
Less: Provision for non-performing investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	5430.25	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	5445.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5445.25

b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(Amt in ₹ lakhs)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
i) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
a. Opening balance	0.00	0.00
b. Add: Provisions made during the year	0.00	0.00
c. Less: Write off / write back of excess provisions during the year	0.00	0.00
d. Closing balance	0.00	0.00
ii) Movement of Investment Fluctuation Reserve		
a. Opening balance	0.00	0.00
b. Add: Amount transferred during the year	3076.88	0.00
c. Less: Drawdown	0.00	0.00
d. Closing balance	3076.88	0.00
iii) Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/Current category	2.00%	0.00

- c) Sale and transfers to/from HTM category
- Bank has not sold securities to/from HTM category in the current Financial Year.
 - Bank has transferred Rs.1203.38 crores from HTM to AFS and Rs.330.88 from AFS to HTM during the year ended 31.03.2026.
- d) Non-SLR investment portfolio
- i. Non performing non-SLR investments

(Amt in ₹ Crore)

Sr.No.	Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
a)	Opening balance	0.00	0.00
b)	Additions during the year since 1 st April	0.00	0.00
c)	Reductions during the above period	0.00	0.00
d)	Closing balance	0.00	0.00
e)	Total provisions held	0.00	0.00

- ii. Issuer composition of non-SLR investments

(Amt in ₹ Crore)

S. No.	Issuer	Amount		Extent of Private Placement		Extent of 'Below Investment Grade' Securities		Extent of 'Unrated' Securities		Extent of 'Unlisted' Securities	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		As on 31.03.26	As on 31.03.25	As on 31.03.26	As on 31.03.25	As on 31.03.26	As on 31.03.25	As on 31.03.26	As on 31.03.25	As on 31.03.26	As on 31.03.25
a)	PSUs	15.00	15.00	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
b)	FIs	0.00	0.00	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
c)	Banks	0.00	0.00	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
d)	Private Corporates	0.00	0.00	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
e)	Subsidiaries/ Joint Ventures	0.00	0.00	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
f)	Others	0.00	0.00	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
g)	Provision held towards depreciation	0.00	0.00	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
	Total	15.00	15.00	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

e. Repo transactions (in face value terms)

As at 31.03.26

(Amt in ₹ Crore)

	Minimum outstanding during the year		Maximum outstanding during the year		Daily average outstanding during the year		Outstanding as on 31.03.2026	
	FV	MV	FV	MV	FV	MV	FV	MV
i) Securities sold under repo								
a) Government securities	-	-	1050.00	1048.32	53.18	53.73	-	-
b) Corporate debt securities	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Any other securities	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Securities purchased under reverse repo								
a) Government securities	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Corporate debt securities	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Any other securities	-	-	-	-	-	-	-	-

➤ FV: Fair value

➤ MV: Market Value

As at 31.03.2025

(Amt in ₹ Crore)

	Minimum outstanding during the year		Maximum outstanding during the year		Daily average outstanding during the year		Outstanding as on 31.03.2025	
	FV	MV	FV	MV	FV	MV	FV	MV
i) Securities sold under repo								
a) Government securities	-	-	790.00	790.14	319.92	321.58	672.00	668.43
b) Corporate debt securities	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Any other securities	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Securities purchased under reverse repo								
a) Government securities	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Corporate debt securities	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Any other securities	-	-	-	-	-	-	-	-

f. Government Security Lending (GSL) transactions (in market value terms)

As at 31.03.2026

(Amt in ₹ Crore)

	Outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Total volume of transactions during the year	Outstanding as on March 31 st 2026
Securities lent through GSL transactions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities borrowed through GSL transactions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities placed as collateral under GSL transactions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities received as collateral under GSL Transactions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

As at 31.03.2025

(Amt in ₹ Crore)

	Outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Total volume of transactions during the year	Outstanding as on March 31 st 2025
Securities lent through GSL transactions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities borrowed through GSL transactions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities placed as collateral under GSL transactions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities received as collateral under GSL Transactions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

24. Asset quality

a) Classification of advances and provisions held as on 31.03.2026

(Amount in ₹ 000's)

	Standard	Non-Performing				
	Total Standard Advances	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	Total
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	406478016.12	3087355.90	5581395.64	36024.55	8704776.09	415182792.21
Add: Additions during the year					14924347.83	
Less: Reductions during the year					14405264.40	
Closing balance	456254280.99	3358330.09	5657808.77	207720.66	9223859.52	465478140.51
Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Up gradation					4860983.69	
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					8766766.45	
iii) Technical/ Prudential Write-os					0.00	
iv) Write-os other than those under (iii) above					777514.26	
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	1249317.46	3087355.90	5581395.64	36024.55	8704776.09	9954093.55
Add: Fresh provisions made during the year					1330755.83	
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					811672.40	
Closing balance of provisions held	1367034.80	3358330.09	5657808.77	207720.66	9223859.52	10590894.32
Net NPAs						
Opening Balance					0.00	
Add: Fresh additions during the year					0.00	
Less: Reductions during the year					0.00	
Closing Balance					0.00	

	Standard	Non-Performing				
	Total Standard Advances	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	Total
Floating Provisions						
Opening Balance						0.00
Add: Additional provisions made during the year						0.00
Less: Amount drawn down during the year						0.00
Closing balance of floating provisions						0.00
Technical write-os and the recoveries made thereon						
Opening balance of Technical/ Prudential written-o accounts						0.00
Add: Technical/ Prudential write-os during the year						0.00
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						0.00
Closing balance						0.00

Ratios (in per cent)	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
Gross NPA to Gross Advances	1.98%	2.10%
Net NPA to Net Advances	0.00	0.00
Provision coverage ratio	100%	100%

b) Sector-wise Advances and Gross NPAs

(Amt in ₹ Crore)

	Sector*	As on 31.03.2026			As on 31.03.2025		
		Total Advances O/s	Gross NPAs	% of Gross NPAs to Total Adv	Total Advances O/s	Gross NPAs	% of Gross NPAs to Total Adv
A	Priority Sector						
i.	Agriculture & Allied activities	28317.26	739.71	2.61	23137.47	711.36	3.07
ii.	Advances to Business/Industries eligible under PS	3102.57	133.06	4.29	394.53	44.36	11.24
iii.	Services	-	-	-	2484.27	74.69	3.01
iv.	Personal Loans	4339.94	13.25	0.31	2810.79	8.90	0.31
	Sub-total (A)	35759.77	886.02	2.48	28827.06	839.31	2.91
B	Non-priority Sector:						
i.	Agriculture and allied activities	-	-	-	-	-	-
ii.	Industry	-	-	-	-	-	-
iii.	Services	-	-	-	-	-	-
iv.	Personal Loans	10788.04	36.37	0.34	12691.22	31.17	0.25
	Sub-total (B)	10788.04	36.37	0.34	12691.22	31.17	0.25
	Total (A+B)	46547.81	922.39	1.98	41518.28	870.48	2.10

c) Overseas assets, NPAs and revenue

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
Total Assets	NIL	NIL
Total NPA	NIL	NIL
Total Revenue	NIL	NIL

d) Particulars of resolution plan and restructuring

Details of accounts subjected to restructuring

(Amt in ₹ Crore)

		Agriculture and allied activities		Corporates (excluding MSME)		Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)		Retail (excluding agriculture and MSME)		Total	
		As on 31.03. 2026	As on 31.03. 2025	As on 31.03. 2026	As on 31.03. 2025	As on 31.03. 2026	As on 31.03. 2025	As on 31.03. 2026	As on 31.03. 2025	As on 31.03. 2026	As on 31.03. 2025
Standard	Number of borrowers	0	0	0	Nil	0	0	0	354	0	354
	Gross Amount (₹ crore)	0	0	0	Nil	0	0.00	0	40.81	0	40.81
	Provision held (₹ crore)	0	0	0	Nil	0	0.00	0	0.16	0	0.16
Sub-standard	Number of borrowers	0	0	0	Nil	0	47	0	4	0	51
	Gross Amount (₹ crore)	0	0	0	Nil	0	1.09	0	0.57	0	1.66
	Provision held (₹ crore)	0	0	0	Nil	0	1.09	0	0.57	0	1.66
Doubtful	Number of borrowers	0	92	0	Nil	0	23	0	4	0	119
	Gross Amount (₹ crore)	0	0.40	0	Nil	0	0.71	0	0.27	0	1.38
	Provision held (crore)	0	0.40	0	Nil	0	0.71	0	0.27	0	1.38
Total	Number of borrowers	0	92	0	Nil	0	70	0	362	0	524
	Gross Amount (₹ crore)	0	0.40	0	Nil	0	1.80	0	41.65	0	43.85
	Provision held (₹ crore)	0	0.40	0	Nil	0	1.80	0	1.00	0	3.20

e) Disclosure of transfer of loan exposures

Details of stressed loans transferred during the year (to be made separately for loans classified as NPA and SMA)			
(all amounts in Rs. crore)	To ARC	To permitted transferees	To other transferees (please specify)
No: of accounts	NA	NA	NA
Aggregate principal outstanding of loans transferred	NA	NA	NA
Weighted average residual tenor of the loans transferred	NA	NA	NA
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	NA	NA	NA
Aggregate consideration	NA	NA	NA
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NA	NA	NA
Details of loans acquired during the year			
(all amounts in Rs. crore)	From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)		From ARC
Aggregate principal outstanding of loans acquired	NA		NA
Aggregate consideration paid	NA		NA
Weighted average residual tenor of loans acquired	NA		NA

f) Non-Fund Based (NFB) Credit Facilities:

		As at 31st March 2026	As at 31st March 2026	As at 31st March 2025	As at 31st March 2025
		Secured Portion	Unsecured Portion	Secured Portion	Unsecured Portion
I	Outstanding guarantees (Rs. crore)	26.39	0.00	21.56	0.00
	i) In India	26.39	0.00	21.56	0.00
	ii) Outside India	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Acceptances, Endorsements and other Obligations (Rs. crore)	0.00	0.00	0.00	0.00
III	Other NFB Credit facilities (Rs. crore)	0.00	0.00	0.00	0.00

g) Fraud accounts

Particulars	For the year ended 31.03.2026	For the year ended 31.03.2025
Number of frauds reported	7	2
Amount involved in fraud (₹ crore)	1.82	0.30
Amount of provision made for such frauds (₹ crore)	1.06	0.02
Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (₹ crore)	0	0

*Total fraud amount during 2025-26 is Rs1.82 crore and an amount of Rs. 76 lakh was recovered and an amount of Rs1.06 crore provision was made.

h) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress

During the current financial year, the Bank has **not implemented or invoked any fresh restructuring** of loan accounts under the Resolution Frameworks issued by RBI, including **RBI Circular No. RBI/2021-22/31 dated 05.05.2021**, or under any other regulatory or internal restructuring scheme.

The restructured portfolio of the Bank pertains solely to accounts restructured in earlier periods in accordance with the applicable RBI guidelines prevailing at that time. **No additional accounts have been considered, approved, or restructured** during the year under review.

Format for disclosures to be made for year ending March 2026

(Amt in ₹ lakh)

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA	Of (A) amount written off	Of (A) amount paid by the borrowers	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of the year ending March 2026
Personal Loans			NIL		
Corporate persons*					
Of which MSMEs					
Others					
Total					

* As defined in section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

25. Exposures

a) Exposure to real estate sector

(Amt in ₹ Crore)

Category	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
<i>i) Direct exposure</i> a) Residential Mortgages – Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented. Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances shall be shown separately. Exposure would also include non-fund based (NFB) limits.	7588.81	7143.73
b) Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	7.13	23.91
c) Investments in Mortgage-Backed Securities (MBS) and other securitized exposures – i. Residential ii. Commercial Real Estate	NIL	NIL
<i>ii) Indirect Exposure</i> Fund based and non-fund-based exposures on National Housing Bank and Housing Finance Companies.	NIL	NIL
Total Exposure to Real Estate Sector	7595.94	7167.64

b) Exposure to capital market

(Amt in ₹ Crore)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	NIL	NIL
ii) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds;	NIL	NIL
iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	NIL	NIL
iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	NIL	NIL
v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	NIL	NIL
vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	NIL	NIL
vii) Bridge loans to companies against expected equity flows / issues;	NIL	NIL
viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds	NIL	NIL
ix) Financing to stockbrokers for margin trading	NIL	NIL
x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered	NIL	NIL
Total exposure to capital market	NIL	NIL

c) Risk category-wise country exposure

(Amt in ₹ Crore)

Risk Category	Exposure (net) as on 31.03.2026	Provision held as on 31.03.2026	Exposure (net) as on 31.03.2025	Provision held as on 31.03.2025
Insignificant	NA	NA	NA	NA
Low	NA	NA	NA	NA
Moderately Low	NA	NA	NA	NA
Moderate	NA	NA	NA	NA
Moderately High	NA	NA	NA	NA
High	NA	NA	NA	NA
Very High	NA	NA	NA	NA
Total	NA	NA	NA	NA

d) Unsecured advances

The Bank has classified the credit facilities extended to SHGs as unsecured for the accounts sanctioned upto the limit of Rs 10 lakh and for the accounts above sanction limit of Rs 10 lakh, 75% of the outstanding amount covered under CGFMU (Credit Guarantee Funds for Micro Units) is classified as secured and remaining as unsecured.

(Amt in ₹ Crore)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
Total unsecured advances of the bank	5293.86	6105.14
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	NIL	NIL
Estimated value of such intangible securities	NIL	NIL

- e) Factoring exposures
 Factoring exposures shall be separately disclosed.

- f) Intra-group exposures
 The following is the summary of significant related party transactions:

(Amt in ₹ lakh)

Particulars	For the year ended 31 st March 2026	For the year ended 31 st March 2025
Refinance received from State Bank of India	NIL	NIL
Interest paid to SBI	14180.76	7210.42
Investments made with:		
SBI - in the form of STDRs	728189.23	575031.68
SBI Fund Management Private Limited	0.00	0.00
Interest received from SBI	46198.70	14012.72
Profit on sale of Investments on SBI	0.00	0.00
Contributions to Gratuity Fund with SBI Life Insurance Company Limited	6540.39	7475.16
Contributions to Group Leave Encashment Policy with SBI Life Insurance Company Limited	0.00	0.00
Contributions to Pension Trust Policy with SBI Life Insurance Company Limited on behalf of Trust	45114.10	40216.76
Current Account Balance with SBI	4598.48	4846.28
Breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	NIL	NIL

g) Loans against gold and silver collateral

Details of loans extended against eligible gold and silver collateral.

Particulars	Loan outstanding		Average ticket size (Rs. crore)	Average LTV ratio	Gross NPA (%)
	Rs. Crore	As % of Total Loans			
1. Opening balance of the FY [(a) + (b)]	6791.32	14.59	0.01	75%	0.01%
a) Consumption loans	4968.07	10.67	0.01	75%	0.01%
of which bullet repayment loans	2971.17	6.38	0.01	75%	0.01%
(b) Income generating loans	1823.26	3.92	0.01	75%	0.01%
2. New loans sanctioned and disbursed during the FY [(c) + (d)]	3108.15	6.68	0.02	75%	NA
(c) Consumption loans	1763.52	3.79	0.01	75%	NA
of which bullet repayment loans	1287.52	2.77	0.01	75%	NA
3. Renewals sanctioned and disbursed during the FY	5830.20	12.52	0.02	75%	NA
4. Top-up loans sanctioned and disbursed during the FY	NIL	NIL	0.01	75%	NA
5. Loans repaid during the FY [(e) + (f)]	1268.82	2.72	0.01	NA	NA
(e) Consumption loans	973.27	2.12	0.01	NA	NA
of which bullet repayment loans	535.84	1.15	0.01	NA	NA
(f) Income generating loans	295.55	0.60	0.01	NA	NA
6. Non-Performing Loans recovered during the FY [(g) + (h)]	0.81	0	0.01	NA	NA
(g) Consumption loans	0.46	0	0.01	NA	NA
of which bullet repayment loans	0.24	0	0.01	NA	NA
(h) Income generating loans	0.35	0	0.02	NA	NA
7. Loans written off during the FY [(i) + (j)]	-	-	-	NA	NA
(i) Consumption loans	-	-	-	NA	NA
of which bullet repayment loans	-	-	-	NA	NA
(j) Income generating loans	-	-	-	NA	NA
8. Closing balance at the end of FY [(k) + (l)]	9223.99	19.82	0.02	75%	0.01%
(k) Consumption loans	5865.30	12.6	0.01	75%	0.01%
of which bullet repayment loans	4384.09	9.42	0.01	75%	0.01%
(l) Income generating loans	3358.69	7.22	0.02	75%	0.01%

h) Details of gold and silver collateral and auctions

S.No.	Particulars	2025-26
(a)	Unclaimed gold or silver collateral at the end of the financial year (in grams)	70.55
(b)	Number of loan accounts in which auctions were conducted	38
(c)	Total outstanding in loan accounts mentioned in (b)	0.43
(d)	Gold or silver collateral acquired during the FY due to default of loans (in grams)	972.48
(e)	Gold or silver collateral auctioned during the FY (in grams)	902.43
(f)	Recovery made through auctions during the FY (in crore)	0.42
(g)	Recovery percentage:	97.67
(h)	as % of value of gold or silver collateral	101.44
(i)	as % of outstanding loan	97.67

i) Exposures to Related Parties

(Amt in ₹ Crore)

S.No.	Particulars	2025-26	2024-25
A. Loans to Related Parties			
1.	Aggregate value of loans sanctioned to related parties during the year	NIL	NIL
2.	Aggregate value of outstanding loans to related parties as on 31st March	NIL	NIL
3.	Aggregate value of outstanding loans to related parties as a proportion of total credit exposure as on 31st March (in %)	NIL	NIL
4.	Aggregate value of outstanding loans to related parties which are categorized as:	NIL	NIL
	(i) Special Mention Accounts as on 31st March	NIL	NIL
	(ii) Non-Performing Assets as on 31st March	NIL	NIL
5.	Amount of provisions held in respect of loans to related parties as on 31st March	NIL	NIL
B. Contracts and Arrangements involving Related Parties			
6.	Aggregate value of contracts and arrangements awarded to related parties during the year	NIL	NIL
7.	Aggregate value of outstanding contracts and arrangements involving related parties as on 31st March	NIL	NIL

26. Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

a) Concentration of deposits

(Amt in ₹ Crore)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
Total deposits of the twenty largest depositors	5873.40	5243.02
Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	16.97%	16.24%

b) Concentration of Advances

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
Total advances to the twenty largest borrowers	39.30	33.69
Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the bank	0.08%	0.08%

c) Concentration of exposures

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
Total exposure to the twenty largest borrowers/customers	39.30	33.69
Percentage of exposures to the twenty largest borrowers/ customers to the total exposure of the bank on borrowers/ customers	0.08%	0.08%

d) Concentration of NPAs

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
Total Exposure to the top twenty NPA accounts	12.65	13.39
Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposures to total Gross NPAs.	1.37%	1.53%

27. Derivatives

a) Forward rate agreement/Interest rate swap

(Amt in ₹ Crore)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
i) The notional principal of swap agreements	Not entered into any transactions in derivatives in the current year as on 31.03.2026.	Not entered into any transactions in derivatives in the current year as on 31.03.2025.
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements		
iii) Collateral required by the bank upon entering into swaps		
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps		
v) The fair value of the swap book		

b) Exchange traded interest rate derivatives

S.No	Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	Not entered into any transactions in derivatives in the current and previous years	Not entered into any transactions in derivatives in the current and previous years
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on March 31 st 2026 (instrument wise)		
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)		
iv)	Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)		

c) Disclosures on risk exposure in derivatives

i) Qualitative disclosures

Bank has not entered into any transactions in derivatives as on 31.03.2026.

ii) Quantitative disclosures

Bank has not entered into any transactions in derivatives as on 31.03.2026.

d) Credit default swaps

Not Applicable

28. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(Amt in ₹ Crore)

Sr.No	Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
i)	Opening balance of amounts transferred to DEA Fund	84.69	58.18
ii)	Add: Amounts transferred to DEA Fund during the year ended 2025	96.03	27.43
iii)	Less: Amounts reimbursed by DEA Fund towards claims	19.14	0.92
iv)	Closing balance of amounts transferred to DEA Fund	161.58	84.69

29. Disclosure of complaints

- a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman

Sr.No	Particulars	2025-26	2024-25
Complaints received by the bank from its customers			
1.	Number of complaints pending at beginning of the year	18	9
2.	Number of complaints received during the year	1269	1307
3.	Number of complaints disposed during the year	1287	1289
3.1	Of which, number of complaints rejected by the bank	0	0
4.	Number of complaints pending at the end of the quarter	0	18
Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman			
5.	Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman	32	57
5.1.	Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	32	55
5.2	Of 5, number of complaints resolved through conciliation/ mediation/ advisories issued by Office of Ombudsman	0	0
5.3	Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	0	2
6.	Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0
Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in Integrated Ombudsman Scheme, 2021 (Previously Banking Ombudsman Scheme, 2006) and covered within the ambit of the Scheme.			

b) Top five grounds of complaints received by the bank from customers

Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase/decrease in the number of complaints received over the previous year	Number of complaints pending at the end of the year	Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
FY 2025-26					
UPI Related	0	356	161	0	0
Mobile/ Internet/ Electronic Banking Related	0	281	195	0	0
Loans and Advances	0	263	57	0	0
Operations of Accounts	0	242	240	0	0
Others	0	127	(-) 85	0	0
Total	0	1269	(-) 3	0	0
FY 2024-25					
Ground – 1 (ATM & Levy of Charges)	0	69	-14.8%	1	0
Ground – 2 (MB/IB)	1	95	-36%	2	0
Ground – 3 (loans)	4	167	149%	2	0
Ground – 4 (ATM & Levy of Charges)	0	2	-	-	0
Ground – 5 (UPI)	3	136	5.4%	8	0
Others	1	838	539%	5	0
Total	9	1307	134%	18	0

Ground-1: ATM/DEBIT CARDS RELATED

Ground-2: Mobile/Internet/Electronic Banking Related

Ground-3: Loans and Advances

Ground-4: Levy of Charges

Ground-5: UPI Related

Others: Sought for information (Forgot MPIN/Reset of MPIN/ATM Card lost/IFS CODE ENQ, etc..)

30. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

Sl.No	Penalties imposed by the Reserve Bank of India under the provisions of	Penalties
(i)	Banking Regulation Act, 1949	NIL
(ii)	Payment and Settlement Systems Act, 2007	NIL
(iii)	Government Securities Act, 2006 (for bouncing of SGL)	NIL
(iv)	REPO - number of instances of default as well as the quantum of penalty paid to the Reserve Bank of India	NIL

31. Disclosures on remuneration
Particulars of Managerial Remuneration:

(Amt in ₹ lakhs)

Particulars	For the year ended 31 st March 2026	For the year ended 31 st March 2025
Sri.Pratapa Reddy Chairman(Till Dec-2025)	32.42	0.00
Sri.Sankara Rao, General Manager-HR,IT,BOARD	24.36	0.00
Sri. Vidyadhar Addanki, General Manger-C&R	17.33	0.00
Smt Y. Sobha, Ex-Chairman(Till May-2025)	9.30	50.80
Smt. K.P. Shobha Rani, General Manager-IT(Till June 2024)	0.00	11.92
Sri K V Prasad, General Manager-III(Till June 2024)	0.00	13.31
Sri D. Ramesh, General Manager-II(Till July 2025)	14.03	45.20
Smt. Bharati Thayar, General Manager (Vig) (Till July 2025)	14.83	49.41
Sri. T. Chandra Sekhar, General Manager (Vigilance)	36.18	40.16
Smt. Komanduru Lakshmi, General Manager-OPS	30.86	28.97
Sri. T.Sudhakar, General Manager-Business-I	40.39	28.90
Sri. V.Anil, General Manager-Business-II	37.77	3.00
Sri. K.V. Krishna Sarma, General Manager-FI	38.47	3.00
Sri. S. Satish Babu, Chief Manager(Audit)	25.36	13.01

* We have not received invoice for the 4th quarter of FY 2025-26. Hence, we have made a provision of Rs. 1.30 cr for the last quarter.

32. Other Disclosures:

b) Business Ratios

Particular	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
i) Interest income as a percentage to working Funds	8.99%	8.53%
ii) Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.00%	1.13%
iii) Cost of Deposits	5.56%	5.57%
iv) Net Interest Margin	4.33%	3.99%
v) Operating Profit as a percentage to Working Funds	3.15%	2.81%
vi) Return on Assets	2.13%	2.10%
vii) Business (deposits plus advances) per employee (in ₹ crore)	18.05	16.14
viii) Net Profit per employee (in ₹ crore)	0.28	0.15

c) Bancassurance business

The details of fees / brokerage earned in respect of insurance broking, agency and bancassurance business undertaken by them shall be disclosed for both the years as on 31.03.2026 and as on 31.03.2025.

(Amt in ₹ lakhs)

2025-26	2024-25
3462.56	1807.96

d) Marketing and distribution

Banks shall disclose the details of fees / remuneration received in respect of the marketing and distribution function (excluding bancassurance business) undertaken by them.

(Amt in ₹ lakhs)

2025-26	2024-25
466.57	147.46

e) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLC)

The bank has sold and purchased following priority sector advances through Priority sector lending certificate (PSLC) in RBI's e-Kuber platform during the year ended 31.03.2026 on various dates.

(Amt in ₹ lakh)

Sale of PSLC:			
	Segment	Amount	Premium Earned
	PSLC SM	850000.00	22981.50
	PSLC Agri	0.00	0.00
	PSLC Micro Enterprise	0.00	0.00
	TOTAL	850000.00	22981.50
Purchase of PSLC:			
	Segment	Amount	Premium Earned
	PSLC GENERAL	750000.00	75.00
	PSLC Micro Enterprise	250000.00	25.00
	PSLC A	0.00	0.00
	TOTAL	1000000.00	100.00

f) Disclosures regarding Inter Bank Participation Certification (IBPC)

The bank has entered into the risk sharing participation contract with other banks under the Interbank Participation Certificate (IBPC) and issued priority sector advances on various dates and for ranging from 180 days. IBPC proceeds credited to outstanding Overdraft Accounts to reduce the cost of borrowings through which Bank could book the Income margin

The Bank has issued IBPC during the year ended 31.03.2026 on various dates.

S.No	Date of issue	Name of the purchasing Bank	Type of IBPC	Amount (in lakhs)	Interest rate	Due date
1	28/08/2025	Axis bank	IBPC SF/MF	180000.00	3.63%	24/02/2026
2	24/02/2026	HDFC bank	IBPC SF/MF	200000.00	3.29%	23/08/2026

g) Provisions and contingencies

(Amt in ₹ Crore)

Sl.No	Provision debited to Profit and Loss Account	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
i.	Provisions for NPI	0.00	0.00
ii.	Provision towards NPA	133.07	0.00
iii.	Provision made towards tax expense	474.44	220.00
iv.	Provision for Others	0.00	0.00
V	Provision on Standard Assets	11.78	7.44
Vi	Provision on Frauds	0.11	0.02
	TOTAL	619.40	229.46

h) Payment of DICGC Insurance Premium

(Amt in ₹ Crore)

Sr.No.	Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
i)	Payment of DICGC Insurance Premium	38.49	20.90*
ii)	Arrears in payment of DICGC premium	NIL	NIL

* Includes payment made for e-APGVB for 3 months.

- i) Disclosure on amortization of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks: Nil
- j) Disclosure on amortisation of additional pension liability on account of implementation of Pension Scheme in RRBs with effect from November 1, 1993: Nil

33. The amounts in the Financial Statements have been rounded off to the nearest Rupees in thousands (000's).

As per our report of even date
 For **M/s Umamaheswara Rao & Co.,**
Chartered Accountants
 Firm Registration No. 004453S

 For **Telangana Grameena Bank**

(CA Krishna Sai G H)
 Partner (UDIN: 26233399LLPZJI9323)
 Membership No.233399

(K. Lakshmi)
 General Manager-Ops

(K Prathapa Reddy)
 Chairman

Date: 20.04.2026
 Place: Hyderabad



अंतर्वस्तु

तेलंगाणा ग्रामीण बैंक में आपका स्वागत है

यह बैंक की 21वीं वार्षिक रिपोर्ट है.

राज्य भर में हुए विलय से मिले फ़ायदों का लाभ उठाते हुए, बैंक ने अपने प्रथम संपूर्ण वित्तीय वर्ष में शानदार वित्तीय प्रदर्शन किया और ग्रामीण तेलंगाणा के लोगों के लिए सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा बैंकिंग पार्टनर के तौर पर अपनी स्थिति को और मज़बूत किया.

02. बैंक की उत्पत्ति
03. निदेशक मंडल
04. कार्यकारी टीम
05. विभागाध्यक्ष और क्षेत्रीय प्रबंधक
06. राज्य में बैंक का स्थान
08. अध्यक्ष का संदेश
10. प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतक
13. निदेशक की रिपोर्ट
- वित्तीय विवरण**
39. स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
45. तुलनपत्र, लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ

विज़न

तेलंगाणा राज्य में बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में तकनीकी रूप से उन्नत, प्रतिबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने वाला एक प्रमुख क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनना और ग्रामीण विकास के लिए सबसे विश्वसनीय बैंक बनना.

मिशन

"100% वित्तीय समावेशन, ग्रामीण ग्राहकों के सशक्तीकरण, महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) आंदोलन के संवर्धन और स्वस्थ व्यापार मिश्रण के माध्यम से निरंतर लाभ अर्जित करते हुए अपने ग्राहकों को उनके द्वार पर ही समुचित लागत पर पारदर्शी और कुशल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना और इस प्रकार हमारे परिचालन क्षेत्र में एक अग्रणी बैंक बनना"

मूल्य

- ✦ ग्रामीण विकास के लिए प्रतिबद्धता
- ✦ पारदर्शिता
- ✦ ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता
- ✦ टीम भावना

बैंक की उत्पत्ति

तेलंगाणा ग्रामीण बैंक की स्थापना **24 मार्च 2006** को स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद द्वारा प्रायोजित चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय के साथ डेक्कन ग्रामीण बैंक के नाम से हुई थी।

यह बैंक 31.12.2024 तक अपनी 435 शाखाओं के नेटवर्क के साथ तेलंगाणा राज्य के पूर्ववर्ती 5 जिलों (आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, रंगारेड्डी और हैदराबाद) में कार्य कर रहा था। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने **20.10.2014** की अपनी अधिसूचना के माध्यम से बैंक का नाम डेक्कन ग्रामीण बैंक से बदलकर तेलंगाणा ग्रामीण बैंक कर दिया। बाद में, प्रायोजक बैंक का नाम भी **01.04.2017** से भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया।

आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (एपीजीवीबी) का विभाजन और एपीजीवीबी के एक भाग का तेलंगाणा ग्रामीण बैंक (टीजीबी) में विलय

वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 13.11.2024 के पत्र सं.एफ.सं. 15/15/2015(ई)-आरआरबी के अनुसार, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (एपीजीवीबी - तेलंगाणा राज्य में कार्यरत दूसरा आरआरबी) की आस्तियों और देयताओं को 01.01.2025 से तेलंगाणा और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच विभाजित कर दिया गया। यह प्रक्रिया विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए गठित कार्य समूह की सिफारिशों के अनुसार की गई।

तत्परिणामस्वरूप, तेलंगाणा राज्य में स्थित एपीजीवीबी की शाखाओं का तेलंगाणा ग्रामीण बैंक (टीजीबी) में विलय कर दिया गया, जिससे 01.01.2025 से टीजीबी का परिचालन क्षेत्र पूरे तेलंगाणा राज्य में विस्तारित हो गया है।

तदनुसार, तेलंगाणा ग्रामीण बैंक अब 17 क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालयों और 939 शाखाओं के साथ तेलंगाणा राज्य में कार्य कर रहा है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का चरण-IV

वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस) ने 'एक राज्य एक आरआरबी' के सिद्धांत के साथ 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के विलय की अधिसूचना जारी की है। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का चौथा चरण है। वर्तमान में, 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 28 आरआरबी हैं, जिनकी 22000 से भी अधिक शाखाएँ 700 जिलों को कवर करती हैं। इनका प्रमुख परिचालन क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, जिसमें लगभग 92% शाखाएँ ग्रामीण/ अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। यह विलय का चौथा चरण है। पिछले 3 चरणों में, नामतः चरण I (वित्तीय वर्ष 2006 से वित्तीय वर्ष 2010) में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 से घटकर 82 हो गई, चरण-2 (वित्तीय वर्ष 2013 – वित्तीय वर्ष 2015) में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 82 से घटकर 56 हो गई और चरण-3 (वित्तीय वर्ष 2019 से वित्तीय वर्ष 2021) में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 56 से घटकर 43 हो गई।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए एक नया लोगो



ग्रामीण और दूरस्थ प्रांतों में प्रगति और संवृद्धि के विषयों को प्रतिबिंबित करते हुए यह लोगो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा आत्मसात मूल्यों को मजबूत करता है। इन मूल्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

 **ऊर्ध्वगामी तीर (प्रगति का प्रतीक):** ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में विकास, प्रगति और उन्नति का प्रतिनिधित्व करता है।

 **हाथ (संपोषण का प्रतीक):** ग्रामीण समुदायों के लिए देखभाल, सहयोग और सहायता करने वाले हाथों के प्रतीक हैं।

 **ज्योति (ज्ञानोदय का प्रतीक):** गर्मजोशी, ज्ञान और ग्रामीण जनसंख्या के सशक्तिकरण को प्रतिबिंबित करती है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लोगो में रंगों का चयन इस प्रकार किया गया है कि वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के उद्देश्यों को व्यक्त कर सकें। गहरा नीला वित्त और विश्वास का प्रतीक है, जबकि हरा जीवन और विकास का प्रतीक है, जो ग्रामीण भारत की सेवा करने के उनके मिशन को दर्शाता है।

सरकार द्वारा साझा ब्रांडिंग की इस पहल से यह उम्मीद है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूरे देश में एक अलग, आधुनिक और आसानी से पहचानने योग्य ब्रांड पहचान मिलेगी। यह वित्तीय समावेशन और ग्रामीण विकास के प्रति उनकी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

निदेशक मंडल

श्री के प्रताप रेड्डी
अध्यक्ष



क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9(1)(बी) के अंतर्गत आरबीआई के नामिती निदेशक

श्री राजू रत्तावत, सहायक महाप्रबंधक,
भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद.



क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9(1)(सी) के अंतर्गत नाबार्ड के नामिती निदेशक
श्री आर गणपति, महाप्रबंधक,
नाबार्ड, टीएस क्षेत्र, हैदराबाद.



क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9(1)(डी) के अंतर्गत प्रायोजक बैंक (भारतीय स्टेट बैंक) के नामिती निदेशक
श्री प्रकाश चंद्र बरोड़
महाप्रबंधक (आरआरबी)
भारतीय स्टेट बैंक, कॉर्पोरेट केंद्र, मुंबई



श्री प्रियव्रत मिश्र
उप महाप्रबंधक (एबीयू)
भारतीय स्टेट बैंक, एलएचओ, हैदराबाद



क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9(1)(ई) के अंतर्गत राज्य सरकार के नामिती निदेशक

श्री राई रवि
विशेष सचिव,
वित्त विभाग, तेलंगाणा सरकार



डॉ. बी गोपी, आईएस
निदेशक (कृषि)
तेलंगाणा सरकार



क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम,
1976 की धारा 9(3) के अंतर्गत केन्द्र सरकार के आधिकारिक निदेशक

श्री विवेक गुप्ता
निदेशक, डीएफएस
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9(1)(ए) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के नामिती निदेशक

रिक्त

कार्यकारी टीम



श्री के प्रताप रेड्डी
अध्यक्ष

महाप्रबंधक (प्रायोजक बैंक एसबीआई से प्रतिनियुक्ति)



श्री एस. शंकर राव
महाप्रबंधक (एचआर और आईटी)



श्री ए विद्याधर
महाप्रबंधक (सी एंड आर)



श्री टी सुधाकर
महाप्रबंधक, व्यवसाय-I



श्री वी अनिल
महाप्रबंधक, व्यवसाय-II



श्री कृष्ण शर्मा
महाप्रबंधक (एफआई)



श्रीमती के लक्ष्मी
महाप्रबंधक (परिचालन)



श्री टी चंद्र शेखर
महाप्रबंधक (सतर्कता)



बैंक एक नज़र में

₹ 1282.84 cr	₹ 1902.23 cr	₹ 81152.50 cr
निवल लाभ	परिचालन लाभ	कुल व्यवसाय
4.33%	2.13%	₹ 9714.67 cr
निवल ब्याज मार्जिन	आस्तियों पर प्रतिलाभ	निवल मालियत
26.24%	1.98%	0.00%
पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर)	अग्रिमों के समक्ष सकल अनर्जक आस्तियों का	निवल अनर्जक आस्तियाँ

As on 31-03-2026 ...

औद्योगिक मान्यता और उपलब्धियां



बैंक को स्वयं सहायता समूह बैंक-लिकेज (2024-25) में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिसे माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री श्री डॉ. पी. चंद्र शेखर और तेलंगाणा सरकार की माननीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती डॉ. धनश्री अनसूया (सीतक्का) की उपस्थिति में प्रदान किया गया



अध्यक्ष श्री के. प्रताप रेड्डी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट में 100% एपीवाई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नई दिल्ली में पीएफआरडीए द्वारा सम्मानित किया गया



वित्तीय वर्ष 2025-26 के एपीवाई वार्षिक बजट के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अध्यक्ष श्री के. प्रताप रेड्डी को नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक सम्मान कार्यक्रम के दौरान पीएफआरडीए द्वारा सम्मानित किया गया



श्रीमती के. लक्ष्मी, महाप्रबंधक (परिचालन), वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विशिष्ट वित्तीय लेनदेन (एसएफटी) फ़ाइल करने में उत्कृष्ट अनुपालन प्रथाओं के पालन के लिए आयकर विभाग से पुरस्कार प्राप्त करते हुए,



चौथे आईबीए सीआईएसओ शिखर बैठक व सम्मान समारोह में साइबर सुरक्षा में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए "प्रतिष्ठित पुरस्कारों" से सम्मानित



टीजीबी ने आईबीए टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2025 में अनेक श्रेणियों में 4 पुरस्कार जीते



सभी आरआरबी/ सहकारी बैंकों/ लघु वित्त बैंकों के बीच आईबेक्स-बीएफएसआई प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2026

- डिजिटल सीएक्स ट्रेलब्लेजर - गोल्ड पुरस्कार
- टेक-ड्रिवन ऑपरेशनल एक्सिलेंस - सिल्वर पुरस्कार
- एआई वैनगार्ड - सिल्वर पुरस्कार



बैंक को एसआईआरपी तेलंगाणा से प्रतिष्ठित एसएचजी बैंक लिकेज 2025-26 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार प्राप्त हुआ



बैंक को ट्रांस यूनिन सिबिल से सर्वश्रेष्ठ डेटा प्रदर्शन पुरस्कार प्राप्त हुआ



शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद से प्रशंसा पत्र प्राप्त

अध्यक्ष का रिपोर्ट



प्रिय हितधारकों

यह मेरा सौभाग्य है कि मैं तेलंगाणा ग्रामीण बैंक की 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, 29 मई 2025 को अध्यक्ष के रूप में पदग्रहण करने के साथ ही मुझे उस परिवर्तनकारी चरण के दौरान बैंक का नेतृत्व करने का सुअवसर मिला जो पूर्व के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय द्वारा चिह्नित था। इससे हमें उन पूर्ववर्ती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शक्तियों के सहारे सुदृढ़ होने और तेलंगाणा के लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध एक मजबूत, अधिक अनुकूल बैंक निर्मित करने का अवसर मिला।

वित्तीय वर्ष 2025-26 तेलंगाणा ग्रामीण बैंक के समेकित परिचालन के पहले पूर्ण वित्तीय वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत सरकार के "एक राज्य - एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" तंत्र के तहत विलय के बाद आया है। इस विलय ने हमारे पैमाने और बाज़ार में हमारी उपस्थिति को मूल रूप से पुनःनिर्मित किया है। बैंक अब वास्तव में तेलंगाणा राज्य के समस्त 33 जिलों को कवर करते हुए समूचे राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। 939 शाखाओं के हमारे भौतिक नेटवर्क के विस्तार के साथ, बैंक राज्य में दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क बन गया है। हमारे परिचालनों को 4,495 कर्मचारियों की स्टाफ-शक्ति का मजबूत सहयोग प्राप्त होता है।

बैंक का कार्यनिष्पादन

बैंक का व्यवसाय वित्तीय वर्ष 2026 में भी मजबूत गति से बढ़ता रहा। बैंक के तुलन पत्र का आकार मार्च 2026 के अंत में ₹ 63,075 करोड़ तक पहुँच गया। बैंक का व्यवसाय 10.14% बढ़कर ₹ 81,152.50 करोड़ का हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 73,683.94 करोड़ का था।

जमाराशियों में वृद्धि

बैंक की कुल जमाराशियाँ 7.58% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज करते ₹34,604.69 करोड़ तक पहुँच गईं। खुदरा चलनिधि के लिए गहन प्रतिस्पर्धा के बीच, हमारा मूल चालू खाता बचत खाता अनुपात 37.03% पर स्थिर और मजबूत बना रहा, जिससे एक स्थिर, कम-लागत वाला निधीयन आधार उपलब्ध हुआ जिसने हमारे मार्जिन को अस्थिर थोक बाज़ार दरों से बचाया।

अग्रिमों में वृद्धि

बैंक की अग्रिम राशियाँ 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार 12.11% की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर ₹46,547.81 करोड़ की हो गईं जबकि 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार ये ₹41,518.28 करोड़ की थीं। कृषि अग्रिम 22.38% बढ़ गए, जो प्रमुख रूप से कृषि के मीयादी ऋणों में वृद्धि और स्वयं सहायता समूह वित्तपोषण में सतत वृद्धि द्वारा संचालित थी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ऋण ने 43.75% की सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की।

आवास ऋणों ने मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार 8.17% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹7,984.77 करोड़ के पोर्टफोलियो के साथ 17.15% का हिस्सा धारित किया। वैयक्तिक स्वर्ण ऋण 18.06% की मजबूत गति से बढ़कर ₹5,865.30 करोड़ के हो गए।

बैंक ने सरकार की प्रमुख ऋण योजनाओं जैसे कि एआईएफ, पीएम स्वनिधि, पीएम मुद्रा योजना, पीएमएफएमई, पीएम विश्वकर्मा योजना, और पीएम सूर्य घर आदि के तहत भी मजबूत प्रदर्शन किया है। बैंक वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान भी इन योजनाओं के तहत अपने बजट/ लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है।

निवेश

31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार बैंक का कुल निवेश पोर्टफोलियो ₹5,402.77 करोड़ का रहा। अन्य बैंकों में रखी गई ₹11,528.89 करोड़ की सावधि जमा को छोड़कर बैंक के कुल निवेश पोर्टफोलियो में से 71.24% निवेशों को परिपक्वता तक के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत और 28.76% को बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान निवेशों पर प्रतिफल 7.55% रहा, जो वित्तीय वर्ष 2025 में 7.12% था।

लाभप्रदता

बैंक ने विलय के बाद के अपने पहले पूरे वित्तीय वर्ष के समेकित परिचालनों के तहत परिचालन लाभ में 110.94% की वृद्धि दर्ज की, जो बढ़कर ₹1,902.23 करोड़ हो गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह ₹901.81 करोड़ था। वर्ष के लिए निवल लाभ 89.97% बढ़कर ₹1,282.84 करोड़ हो गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष में ₹675.29 करोड़ था। बैंक ने आस्ति गुणवत्ता, पूँजी, निवल ब्याज मार्जिन (4.33%), आस्तियों पर प्रतिफल (9.83%) और आस्तियों पर प्रतिलाभ (2.13%) के क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है।

आस्ति गुणवत्ता और पूँजी की स्थिति

हमारी ऋण बही के विस्तार को आस्ति की गुणवत्ता और ऋण अनुशासन के निरंतर अनुप्रवर्तन के माध्यम से सुदृढ़ किया जाता रहा है। हमारे ऋण प्रबंधन संकेतक स्थिर तुलन पत्र की स्थिति को दर्शाते हैं:

सकल अनर्जक आस्तियाँ, निवल अनर्जक आस्तियाँ और प्रावधान कवरेज अनुपात: सकल अनर्जक आस्ति अनुपात घटकर कुल अग्रिमों का 1.98% हो गया जबकि पिछले वर्ष यह 2.10% था। यह सुधार और अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि यह विलय के बाद के पहले वर्ष की उपलब्धि थी। निवल अनर्जक आस्ति अनुपात को 0.00% (शून्य) पर बनाए रखा गया। प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 100% रखा गया।

पूँजी: बैंक की पूँजी की स्थिति आरामदायक बनी रही जिससे भविष्य की ऋण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) बेहतर होकर गत वित्तीय वर्ष के 25.42% की तुलना में 26.24% हो गया। नियमित आंतरिक लाभ प्रतिधारण द्वारा समर्थित बैंक की निवल मालियत ₹ 9,714.67 करोड़ तक बढ़ गई, जो परिचालन जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करती है।

वित्तीय समावेशन और सरकार प्रायोजित योजनाएँ

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्तीय समावेशन के अधिदेश और अल्पसेवित ग्रामीण ग्राहकों को बैंकिंग की सेवाएँ प्रदान करने के संकल्प के अनुसार, बैंक ने तेलंगाणा राज्य में सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत अपना सुदृढ़ प्रदर्शन जारी रखा। वर्ष के दौरान बैंक ने सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया और आज प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तेलंगाणा में कुल नामांकनों की लगभग एक चौथाई हिस्सेदारी रखता है, जिसका कुल हिस्सा 25.66 प्रतिशत है, जो बैंक की व्यापक ग्रामीण पहुँच और जमीनी स्तर पर ग्राहकों के साथ निरंतर जुड़ाव को दर्शाता है।

यह उल्लेखनीय है कि अटल पेंशन योजना के तहत, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 1,03,310 नामांकनों के साथ तेलंगाणा राज्य में सभी बैंकों में सबसे अधिक नामांकन दर्ज किए।

सूचना प्रौद्योगिकी

बैंक ग्राहक पहुँच में सुधार लाने और लेनदेन प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना जारी रख रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, हमारे लेनदेनों की कुल मात्रा का लगभग 96% डिजिटल और वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से संसाधित किया गया। लेनदेनों की यह उच्च मात्रा डिजिटल मंचों, मोबाइल बैंकिंग अनुप्रयोगों और हमारी शाखाओं में वैकल्पिक वितरण तंत्रों के प्रति बढ़ती ग्राहक जागरूकता को दर्शाती है।

बैंक ने अपनी आईटी अवसंरचना और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को अद्यतन करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। प्रौद्योगिकी उन्नयन और सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे प्रयासों को राष्ट्रीय स्तरीय बैंकिंग मंचों के पुरस्कारों में अनेक मान्यताएँ प्राप्त हुईं। साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षा और खतरे की निगरानी प्रबंधन के लिए लगातार ध्यान केंद्रित करने वाले क्षेत्र बने हुए हैं।

मानव संसाधन और कौशल विकास

बैंक ने पूर्ववर्ती दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लोगों, प्रक्रियाओं और संस्कृति को एकीकृत करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए सुचारू एकीकरण ने बैंक को अपना व्यवसाय बढ़ाने और परिचालनात्मक कार्यनिष्पादन पर केंद्रित रहने में सक्षम बनाया और वर्ष के दौरान दर्शाए गए मजबूत वित्तीय परिणामों में इसका प्रमुख योगदान रहा। बैंक ने टीजीबी में कार्यरत उन 560 कर्मचारियों को स्थानांतरण की सुविधा भी प्रदान की, जिन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य का विकल्प चुना था, ताकि उन्हें एपीजीबी में स्थानांतरित किया जा सके। यह प्रक्रिया सेवा की निरंतरता और न्यूनतम परिचालनात्मक बाधा सुनिश्चित करते हुए पूरी की गई। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के इतिहास में अपनी तरह की पहली घटना है (अंतर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्था नांतरण)।

वर्ष के दौरान, बैंक ने दोनों पूर्ववर्ती बैंकों की संस्कृतियों को एकीकृत करने में मदद करने के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण और उपयुक्त पदस्थापनाओं पर बल

दिया। 60 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों को कृषि, ऋण, प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा सहित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षित किया गया, ताकि उन्हें अपनी भूमिकाओं को निभाने के लिए अद्यतित और अच्छी तरह से सुसज्जित रखा जा सके। इन पहलों ने संगठन में अधिक समन्वय स्थापित करने और बैंक की समग्र कार्यक्षमता को मजबूत बनाने में भी सहायता की है।

वर्ष के दौरान एक ऐतिहासिक घटना बैंक के अपने प्रधान कार्यालय भवन का आधारशिला स्थापन समारोह था, जो हैदराबाद के उपपल में श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेड्डी, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक समूह द्वारा रखी गई, जो बैंक के सभी कर्मचारियों के लिए गौरव का क्षण और बैंक की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था।

भविष्य की प्रत्याशा

"एक राज्य – एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" के रूप में विलय के बाद हुए परिचालनात्मक परिवर्तन अब स्थिर हो गए हैं, जिससे बैंक को बेहतर प्रशासनिक समन्वयन और संसाधन संरक्षण प्राप्त करने में मदद मिली है।

आगे बढ़ते हुए, बैंक अपने मूल व्यवसाय को सुदृढ़ करने पर ध्यान देना जारी रखेगा, विशेषकर लक्षित अभियानों और ग्राहक पहुँच कार्यक्रमों के माध्यम से जमा संग्रहण, विशेष रूप से चालू खाता बचत खाता वृद्धि पर नवीनीकृत बल के साथ।

ऋण पक्ष पर, प्रस्तावित नए उत्पादों के माध्यम से कृषि मीयादी ऋणों और एमएसएमई ऋणों को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। बैंक विशेष रूप से पीएम कुसुम जैसी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सौर वित्तपोषण को बढ़ाने की भी योजना बना रहा है।

इस वित्तीय वर्ष के दौरान हमने टियर-V एवं टियर-VI केंद्रों में 6 नई शाखाएँ स्थापित की हैं, जिससे हमारी पहुँच और बैंकिंग सेवाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक हुआ है। बैंक अगले वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय समावेशन को और सुदृढ़ करने और अपने खुदरा ग्राहक आधार का विस्तार करने के लिए 27 से अधिक शाखाएँ खोलकर अपने शाखा नेटवर्क का विस्तार करने की भी योजना बना रहा है।

इसके अतिरिक्त, बैंक अपनी शाखाओं के माहौल और ग्राहक संपर्क बिंदुओं का क्रमिक उन्नयन कर रहा है ताकि राज्य की बढ़ती युवा ग्राहक जनसंख्या की बढ़ती आशाओं के अनुरूप बेहतर सेवा प्रदान की जा सके।

मानव पूँजी हमारी रूपांतरकारी यात्रा के केंद्र में बनी रहेगी। एक ऐसे युग में जहाँ प्रौद्योगिकी अभूतपूर्व गति से बैंकिंग को रूपांतरित कर रही है, ऐसे में लोगों, नेतृत्व, कौशलों और संगठनात्मक कार्यक्षमता में निवेश करना और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हम केंद्रित कार्यक्षमता विकास और भविष्य के लिए ज्ञानार्जन तंत्रों के माध्यम से अपने कार्यबल को मजबूत करना जारी रखेंगे।

हमारे 93 लाख से भी अधिक ग्राहकों द्वारा हम पर रखा गया विश्वास हमारी सबसे बड़ी शक्ति और जिम्मेदारी है। यह हमें सेवा उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करने और सभी हितधारकों के लिए दीर्घ-कालिक मूल्य सृजित करने के लिए लगातार अपने मानकों को ऊँचा उठाने के लिए प्रेरित करता रहता है।

के प्रताप रेड्डी

 (अध्यक्ष)

प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतक

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण (इस तारीख तक)	31.03.2024	31.12.2024	01.01.2025	31.03.2025	31.03.2026
1	शामिल जिलों की संख्या	18	18	33	33	33
2	शाखाओं की संख्या	429	434	927	933	939
	क) ग्रामीण	318	323	634	640	646
	ख) अर्ध-शहरी	68	68	207	207	207
	ग) शहरी	31	31	68	68	68
	घ) महानगरीय	12	12	18	18	18
3	कर्मचारियों की संख्या	1848	1919	4590	4571	4495
	पर्यवेक्षकीय कर्मचारी	1180	1282	2833	2821	2860
	अवार्ड कर्मचारी	644	615	1357	1352	1248
	अधीनस्थ कर्मचारी	24	22	400	398	387
4	पूँजी	18.07	18.07	57.29	57.29	57.29
	आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	2495.05	2855.92	8065.98	8374.54	9657.38
	निवल मालियत	2513.12	2873.99	8123.27	8431.83	9714.67
5	कुल आस्तिyaँ	23425.15	23764.45	54664.36	58001.9	63074.91
6	परिचालन आय (निवल ब्याज आय + अन्य आय)	1138.61	852.14	लागू नहीं	1621.35	3142.53
	परिचालन व्यय	400.11	322.75	लागू नहीं	719.55	1240.3
7	परिचालन लाभ	738.5	529.39	लागू नहीं	901.81	1902.23
	प्रावधान (कर से इतर)	29.84	46.17	लागू नहीं	7.46	144.95
	इनमें से एनपीए और अपलिखित अशोध्य कर्ज के लिए प्रावधान	24.51	43.09	लागू नहीं	0	133.07
	कर पूर्व लाभ	708.66	483.22	लागू नहीं	894.34	1757.28
	कर के लिए प्रावधान	179.58	122.35	लागू नहीं	219.05	474.44
	निवल लाभ	529.08	360.87	लागू नहीं	675.29	1282.84
8	कुल व्यवसाय (जमाराशियाँ + सकल अग्रिम)	29035.50	29382.62	70085.26	73683.94	81152.50
	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)	13.85	2.62		153.77	10.14
9	कुल जमाराशियाँ	14194.81	13343.38	30788.04	32165.66	34604.69
	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)	12.56	-4.53		126.60	7.58
	कम लागत वाली जमाराशियाँ (चालू खाता बचत खाता %)	36.22	39.26	38.44	37.53	37.03
	औसत जमाराशियाँ (कोष्ठक में वृद्धि %)	13453.72	13831.87	लागू नहीं	18102.51	33411.84
	निवेशों पर प्रतिफल समेकित (दैनिक औसत) %	7.84	8.13	7.38	7.12	7.55
10	कुल अग्रिम	14840.69	16039.24	39297.22	41518.28	46547.81
	सकल अग्रिम	14840.69	16039.24	39297.22	41518.28	46547.81
	निवल अग्रिम	14576.02	15731.91	38728.74	40647.80	43625.43
	औसत सकल ऋण और अग्रिम (वृद्धि % कोष्ठक में)	13775.94	15376.56	लागू नहीं	21512.18	43627.43

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण (इस तारीख तक)	31.03.2024	31.12.2024	01.01.2025	31.03.2025	31.03.2026
	कुल अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)	15.13	9.43	लागू नहीं	171.68	12.11
	प्राथमिकता क्षेत्र राशि और (%)	11395.81 & 79.60%	11915.45 & 76.25%	28297.06	28817.91 & 90.00%	34777.88 & 84.48%
	प्राथमिकता क्षेत्र में से, कृषि को ऋण	9219.64	9599.9	18780.54	19604.57	24442.29
	प्राथमिकता क्षेत्र में से, एमएसएमई को ऋण	887.47	942.46	2035.53	2073.02	2983.92
	प्राथमिकता क्षेत्र में से, कमजोर वर्गों को ऋण	14349.32	11064.53	लागू नहीं	23301.97	28283.57
	प्राथमिकता क्षेत्र में से, अजा/ अजजा को ऋण	2102.84	2161.07	6088.77	6262.29	7101.81
	प्राथमिकता क्षेत्र में से, लघु/सीमांत किसानों/कृषि श्रमिकों को ऋण	6616.68	5614.87	लागू नहीं	16883.46	21049.70
	प्राथमिकता क्षेत्र में से, अल्पसंख्यकों को ऋण	210.14	227.91	लागू नहीं	469.92	566.24
	अ-प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम	3444.88	4123.79	11000.16	12700.29	11769.93
	विव के दौरान जारी कुल अंतर-बैंक सहभागिता प्रमाण-पत्र	0.00	0.00	841.20	0.00	3800.00
	विव के दौरान खरीदे गए कुल अंतर-बैंक सहभागिता प्रमाण-पत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	विव के दौरान खरीदे गए कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाण-पत्र	3145.00	3900.00	3900.00	3900.00	10000.00
	विव के दौरान जारी कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाण-पत्र	7265.00	7490.00	7490.00	7490.00	8500.00
11	कुल ऋण संवितरण	11064.29	8828.98	27596.37	29599.54	31162.48
	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)	22.88	0.10	लागू नहीं	167.52	5.28
	कुल संवितरणों में से, कृषि को संवितरित	6617.12	5917.84	17286.57	18675.81	21049.32
	कुल संवितरणों में से, एमएसएमई को संवितरित	651.6	449.12	993.89	1893.26	2617.89
	कुल संवितरणों में से, अजा/ अजजा को संवितरित	1510.97	1373.32	3853.8	4579.27	4475.01
	कुल संवितरणों में से, लघु/ सीमांत किसानों/ कृषि श्रमिकों को संवितरित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल संवितरणों में से, अल्पसंख्यकों को संवितरित	136.42	227.91	लागू नहीं	302.86	636.66
12	ऋण जमा अनुपात	104.55%	120.20%	127.64%	129.07%	134.51%
13	बकाया निवेश (₹ करोड़ में)					
	बकाया एसएलआर निवेश (₹ करोड़ में)	2368.81	2349.55	5414.15	5430.24	5387.77
	बकाया गैर-एलएलआर निवेश (बैंक टीडीआर सहित)	5359.65	4229.45	7676.05	9100.85	11543.89
	निवेशों पर प्रतिफल समेकित (दैनिक औसत) %	7.84	8.13	7.38	7.12	7.55
14	अनर्जक आस्ति प्रबंधन					
	सकल अनर्जक आस्तियाँ (₹ करोड़ में)	264.68	307.33	1144.82*	870.48	922.39
	अग्रिमों के समक्ष सकल अनर्जक आस्तियों का %	1.78	1.92	2.85*	2.10	1.98
	निवल अनर्जक आस्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अग्रिमों के समक्ष निवल अनर्जक आस्तियों का %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	सकल अनर्जक आस्तियों के समक्ष प्रावधानों का %	100.00	100.00	100*	100.00	100.00
	नवीनतम गिरावट अनुपात	4.23	2.49	3.51*	4.18	3.21

* 31.01.2025 तक के आंकड़े

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण (इस तारीख तक)	31.03.2024	31.12.2024	01.01.2025	31.03.2025	31.03.2026
	उन्नयन दर (प्रारंभिक सकल अनर्जक आस्तियों का %)	80.96	27.76	10.92*	23.01	20.59
	वसूली दर (प्रारंभिक सकल अनर्जक आस्तियों का %)	18.91	25.96	11*	45.24	40.42
	मानक आस्तियाँ	14576.01	15731.91	38979.98*	40647.80	45625.42
	अवमानक आस्तियाँ	117.31	113.04	368.36*	308.74	335.84
	संदिग्ध आस्तियाँ	144.03	191.19	772.38*	558.14	565.78
	हानि आस्तियाँ	3.34	3.10	4.08*	3.60	20.77
	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान					
	अनर्जक आस्तियों के समक्ष	24.51	43.09	लागू नहीं	—	133.07
	अन्य प्रावधान	5.33	3.08	लागू नहीं	7.46	11.88
	परिशोधन	1.31	0.56	लागू नहीं	1.15	1.25
	संचयी प्रावधान					
	अनर्जक आस्तियों के समक्ष	264.68	307.33	1018.48	870.48	922.39
	मानक आस्तियों के समक्ष	47.85	50.91	117.49	124.93	136.7
	अमूर्त आस्तियों, धोखाधड़ियों आदि के समक्ष	3.4	3.4	3.4	3.4	3.51
	वर्ष के दौरान बढ़े खाते डाले गए ऋण (खाते)	4749	0.00	0	0	0
	वर्ष के दौरान बढ़े खाते डाले गए ऋण (राशि)	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	वसूली खाते के तहत अग्रिम (एयूसीए) बकाया	48.34	45.90	100.66*	93.48	81.32
	वर्ष के दौरान वसूली खाते के तहत अग्रिम की वसूली	3.35	2.70	4.2*	13.72	12.12
	कुल दबावग्रस्त आस्तियाँ (एनपीए + एसएमए)	2248.42	2496.53	6887.52*	7491.73	5796.01
15	वित्तीय अनुपात					
	निवल ब्याज मार्जिन (%)	4.16	3.81	लागू नहीं	3.99	4.33
	पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) (%)	20.18	23.11	लागू नहीं	25.42	26.24
	आस्तियों पर प्रतिलाभ (%)	2.42	2.03	लागू नहीं	2.1	2.13
	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%)	23.41	17.43	लागू नहीं	15.49	14.1
	खर्च अनुपात (%)	35.14	37.87	लागू नहीं	45.38	39.47
	अग्रिमों पर प्रतिफल (आईबीपीसी प्राप्य राशियों सहित)	9.93	9.47	लागू नहीं	9.7	9.83
	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) %	79.60	76.26	लागू नहीं	90	84.48
	निधियों की लागत	4.83	4.96	लागू नहीं	4.72	4.78
	जमाराशियों की लागत	5.51	5.66	लागू नहीं	5.57	5.56
	लागत आय अनुपात	35.14	37.87	लागू नहीं	45.38	39.47
	प्रावधान कवरेज अनुपात	100	100	लागू नहीं	100	100

* 31.01.2025 तक के आंकड़े

वर्ष 2025-26 के लिए निदेशक मंडल की रिपोर्ट

हमें तेलंगाणा ग्रामीण बैंक की 21वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा 31.03.2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखाओं का लेखापरीक्षित विवरण, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और बैंक के व्यवसाय एवं परिचालनों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

II. वित्तीय कार्यनिष्पादन:

व्यवसाय के स्तर:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक का कुल कारोबार ₹ 81152.50 करोड़ रहा, जिस में ₹ 34604.69 करोड़ की जमाराशियाँ और ₹ 46547.81 करोड़ के अग्रिम शामिल हैं। बैंक अब 17 क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालयों और 939 शाखाओं के माध्यम से राज्य भर में 9.33 मिलियन से भी अधिक के व्यापक ग्राहक आधार को सेवा प्रदान कर रहा है।

परिचालन लाभ और निवल लाभ:

बैंक का परिचालन लाभ वित्तीय वर्ष 2026 में 110.94% बढ़कर ₹ 1902.23 करोड़ हो गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2025 में यह ₹ 901.81 करोड़ था। निवल लाभ 89.96% बढ़कर वित्तीय वर्ष 2026 में ₹ 1282.84 करोड़ हो गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2025 में यह ₹ 675.3 करोड़ था। यह वृद्धि आस्ति गुणवत्ता, पूँजी पर्याप्तता और विनियामक अनुपालन बरकरार रखते हुए हासिल की गई।

निवल ब्याज आय:

निवल ब्याज आय वित्तीय वर्ष 2026 में 107.30% बढ़कर ₹ 2536.54 करोड़ हो गई, जबकि वित्तीय वर्ष 2025 में यह ₹ 1223.63 करोड़ थी। कुल ब्याज आय वित्तीय वर्ष 2025 के ₹ 2736.75 करोड़ से बढ़कर 97.97% की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2026 में ₹ 5417.92 करोड़ हो गई। कुल ब्याज व्यय 90.43% बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025 के ₹ 1513.12 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2026 में ₹ 2881.37 करोड़ हो गए। जमाराशियों पर ब्याज व्यय 84.32% बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025 के ₹ 1008.61 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2026 में ₹ 1859.07 करोड़ हो गया।

जमाराशियाँ और अग्रिम:

बैंक की कुल जमाराशियाँ वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान 7.58% की वृद्धि के साथ बढ़कर ₹ 34604.69 करोड़ हो गई, जबकि वित्तीय वर्ष 2025 में ये ₹ 32165.66 करोड़ थीं। जमाराशि आधार प्रमुख रूप से खुदरा प्रकृति का बना रहा, जिसे बचत बैंक और मीयादी जमाराशियों में वृद्धि से सहयोग मिला, जो बैंक के परिचालन क्षेत्र में ग्राहकों का अडिग विश्वास दर्शाता है। कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की 16.97% जमाराशियों के साथ जमाराशि का संकेंद्रण मध्यम बना रहा।

उधर आस्ति पक्ष में, बैंक ने मुख्य रूप से ऋण की गतिविधियों में संसाधनों का परिणियोजन जारी रखा। निवल अग्रिम वित्तीय वर्ष 2026 में बढ़कर ₹ 43,625.43 करोड़ हो गए, जबकि सकल अग्रिम वित्तीय वर्ष 2025 के ₹ 41,518.28 करोड़ से 12.11% बढ़कर वित्तीय वर्ष 2026 में ₹ 46,547.81 करोड़ हो गए। प्राथमिक क्षेत्र के अग्रिम ₹ 34,777.88 करोड़ के रहे, जो कृषि,

संबद्ध गतिविधियों, एमएसएमई, स्वयं सहायता समूहों और अन्य प्राथमिक घटकों पर बैंक के निरंतर ध्यान को रेखांकित करते हैं। ऋण के पोर्टफोलियो का संकेंद्रण कम रहा, यथा बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिम कुल अग्रिमों का नगण्य हिस्सा रहे। बैंक ने 31 मार्च 2026 तक की स्थिति के अनुसार तेलंगाणा राज्य के 130.78% ऋण-जमा अनुपात की तुलना में 134.51% का ऋण-जमा अनुपात बनाए रखा। पूरे वर्ष तरलता की स्थिति आरामदायक बनी रही, जिसे मजबूत निगरानी तंत्र, घटते-बढ़ते नकदी प्रवाह अनुमानों और निधीयन के विविध स्रोतों का सहारा मिला। बैंक ने समय पर और इष्टतम लागत पर निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वित्त सुविधाओं, अंतर-बैंक सहभागिता प्रमाण-पत्र (आईबीपीसी), सावधि जमाराशियों के समक्ष ओवरड्राफ्ट सुविधाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक की तरलता सुविधा का सक्रियता से उपयोग किया। निरंतर तरलता आकलन और आकस्मिक आयोजना ने बैंक को निधीयन स्थिरता, विनियामक अनुपालन और परिचालनात्मक अनुकूलन-क्षमता को बनाए रखने में सक्षम बनाया, साथ ही मजबूत व्यावसायिक वृद्धि को भी बनाए रखा।

पूँजी और आरक्षित निधियाँ:

बैंक की चुकता पूँजी ₹ 57.29 करोड़ पर अपरिवर्तित रही। बैंक की आरक्षित निधियाँ और उसके अधिशेष वित्तीय वर्ष 2025 के ₹ 8,374.54 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2026 में ₹ 9,657.38 करोड़ के हो गए। प्रयोज्य विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार सांविधिक आरक्षित निधियों, आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित निधि और निवेश घट-बढ़ आरक्षित निधि सहित अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण किए गए। 26.24 प्रतिशत के जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात (सीआरएआर) के साथ बैंक की पूँजी पर्याप्तता की स्थिति सहज बनी रही, जो भविष्य की व्यावसायिक वृद्धि के लिए पर्याप्त क्षमता प्रदान करती है।

बैंक के तुलन पत्र का आकार गत वर्ष की तुलना में 8.75% की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2026 में बढ़कर ₹ 63,074.91 करोड़ का हो गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2025 में यह ₹ 58,001.90 करोड़ का था। आकस्मिक देयताएँ ₹ 188.98 करोड़ रहीं, जिनमें मुख्य रूप से संघटकों की ओर से जारी गारंटियाँ और जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए फंड) से संबंधित शेष राशियाँ सम्मिलित थीं।

निवेश:

निवेश ₹ 5,402.77 करोड़ के रहे, जिनमें मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियाँ शामिल हैं, जिनसे निवेश पोर्टफोलियो की सुरक्षा और तरलता सुनिश्चित होती है। अन्य बैंकों में मीयादी जमाराशियाँ वित्तीय वर्ष 2025 के स्तर ₹ 9,085.85 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2026 में ₹ 11,528.89 करोड़ हो गईं। वर्ष के दौरान, बैंक ने ब्याज की दरों में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न बाजार जोखिम के शमन के लिए निर्धारित स्तर पर निवेश घट-बढ़ आरक्षित निधि का सृजन और अनुरक्षण किया। बैंक की तरलता आरामदायक स्तर पर बनी हुई है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक की निवेश नीति तैयार की गई और समय-समय पर बोर्ड द्वारा उसकी समीक्षा, संशोधन और अनुमोदन किया गया।

एसएलआर और गैर-एसएलआर निवेश

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 की शर्तों के अनुसार, सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक ने नीति में वर्णित क्षेत्रों में निवेश किए हैं। सभी एसएलआर निवेश केवल भारत सरकार/ राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में ही किए गए हैं। सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री का कार्य भारतीय स्टेट बैंक के पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएँ विभाग द्वारा किया जाता है। गैर-एसएलआर निवेशों का निवेश बॉण्डों में किया गया है। बैंक सरकारी प्रतिभूतियों/ बॉण्डों से प्राप्त होने वाले ब्याज की शीघ्र प्राप्ति के लिए अनुप्रवर्तन और अनुवर्ती कार्रवाई करता रहता है। गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो से आय के रिसाव का कोई भी दृष्टांत नहीं था।

उधार राशियाँ:

उधार राशियाँ वित्तीय वर्ष 2026 में ₹ 17,930.68 करोड़ रहीं, जबकि वित्तीय वर्ष 2026 में ये ₹ 16,613.32 करोड़ थीं। इनमें मुख्य रूप से व्यवसाय विस्तार में सहयोग के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लिया गया उधार शामिल था।

विभिन्न संस्थाओं से ली गई उधार राशियों की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

संस्थाएँ	बकाया (₹ करोड़ में)	
	31.03.2025 तक	31.03.2026 तक
नाबार्ड-एसटीएसएओ	591.00	837.00
नाबार्ड-योजनाबद्ध	6656.85	6521.36
नबार्ड-एसएसएओ	5700.00	6500.00
उप-जोड	12947.85	13858.36
मुद्रा	9.73	0.00
एनएसएफडीसी	5.50	12.49
एनएसकेएफडीसी/ एनएसटीएफडीसी	2.17	5.09
एनएचबी	421.99	276.39
एनबीसीएफडीसी	5.51	8.24
एनडीएफडीसी	0.00	1.04
कुल पुनर्वित्त	13392.75	14161.61
एसबीआई से मीयादी जमाराशियाँ पर ओडी	2548.57	3769.07
आरबीआई (एमएसएफ)	672.00	0.00
कुल उधार राशियाँ	16613.32	17930.68

सीआरआर और एसएलआर:

बैंक ने सीआरआर और एसएलआर के रूप में पर्याप्त शेष राशियाँ बनाए रखने की विनियामक अपेक्षा का अनुपालन किया है। बैंक में निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) को ध्यान में रखते हुए सीआरआर और एसएलआर की अपेक्षाओं का आकलन करने की एक अच्छी व्यवस्था मौजूद है। पर्याप्त

शेष राशियों के रखरखाव में वर्ष के दौरान कोई भी चूक नहीं हुई है। बैंक ने 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार सीआरआर में ₹ 1030.44 करोड़ की राशि और एसएलआर में ₹ 5517.63 करोड़ (इसमें एसएलआर निवेश, हाथ में रोकड़ और चालू खातों में निवल शेष राशियाँ शामिल हैं) की राशि रखी है।

समग्र रूप में, 31 मार्च 2026 तक बैंक की वित्तीय स्थिति- स्थिरता, अनुकूलनक्षमता और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन को दर्शाती है, और साथ ही यह भी दर्शाती है कि बैंक अपने विनियामक और विकासात्मक उद्देश्यों को पूरा करना जारी रखते हुए, भविष्य की वृद्धि हेतु सहयोग प्रदान करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

III. मुख्य परिचालन जमाराशियों की स्थिति

कुल जमाराशियाँ 31.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार ₹34,604.69 करोड़ रहीं, जबकि 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार ये ₹32,165.66 करोड़ थीं। चालू खाता बचत खाता जमाराशियाँ 31.03.2026 को ₹12,813.32 करोड़ तक पहुँच गईं, जबकि 31.03.2025 को ये ₹12,110.28 करोड़ थीं। मीयादी जमाराशियाँ 31.03.2026 को ₹21,791.37 करोड़ के स्तर तक पहुँच गईं, जबकि 31.03.2025 को ये ₹20,055.38 करोड़ पर थीं।

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की खुदरा जमाराशियाँ 9.49% की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 31.03.2026 को ₹28,365.97 करोड़ की हो गईं। बैंक ने खुदरा जमाराशियों में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ किए।

01 जून 2025 से 15 जुलाई 2025 तक आयोजित अपने प्रमुख अभियान “वी कैन डू इट” के तहत, बैंक ने मीयादी जमाराशियों (न्यूनतम 1 वर्ष की मीयादी जमाराशि) में ₹498 करोड़ की उल्लेखनीय सीआईएफ-आधारित निवल वृद्धि प्राप्त की।



वित्तीय वर्ष 2024-25 में एसएफटी (निर्दिष्ट वित्तीय लेन-देन) फाइलिंग में उत्कृष्ट अनुपालन प्रथाओं के लिए पुरस्कार प्राप्त किया गया। यह पुरस्कार श्रीमती के. लक्ष्मी (महाप्रबंधक, परिचालन) द्वारा प्राप्त किया गया।

अपनी इसी गति को बरकरार रखते हुए, बैंक ने 01 अगस्त से 30 सितंबर 2025 तक “वी कैन डू इट 2.0” चलाया, जिस में ₹ 365 करोड़ की निवल वृद्धि हुई। इसके बाद 01 अक्टूबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक “वी कैन डू इट 3.0” अभियान चलाया गया, जिस में ₹ 287 करोड़ की निवल वृद्धि प्राप्त की गई।

वर्षांत कार्य-निष्पादन में तेज़ी लाने के लिए, शाखा निवल वृद्धि का नया मापदंड जोड़ते हुए 21 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक “द फ़ाइनल स्प्रिंट” अभियान चलाया गया और ₹405 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की गई। इस अभियान के दौरान, 334 शाखाओं ने अपने वार्षिक बजट लक्ष्य पूरे किए और 491 कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए स्टार परमॉर्मर के रूप में सम्मानित किया गया।

कुल मिलाकर, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने खुदरा जमाराशियों के अंतर्गत ₹2,332.14 करोड़ की राशि का संग्रहण किया।

चालू खाता जमा खाता का सुदृढ़ीकरण-कम-लागत वाले जमाराशि आधार का विस्तार:

बैंक ने 02 जून 2025 से 31 मार्च 2026 तक “फंटास्टिक 5” अभियान चलाया, जो ग्राहक अधिग्रहण बढ़ाने और बैंक के कम-लागत वाले जमाराशि आधार को सुदृढ़ करने की एक लक्षित पहल थी।

इस अभियान के परिणामस्वरूप:

- 4,23,938 बचत खाते खोले गए, जिनसे ₹ 251.67 करोड़ का संग्रहण किया गया।
- लगभग 16,574 चालू खाते जोड़े गए, जिनसे ₹ 42.47 करोड़ का योगदान प्राप्त हुआ।
- आवर्ती जमा (आरडी) खातों के अंतर्गत ₹ 33.32 करोड़ की राशि का संग्रहण।

इन प्रयासों ने बैंक के कम लागत वाले जमाराशि पोर्टफोलियो को उल्लेखनीय रूप से मजबूत किया और ग्राहक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाया।



कलेक्टर, करीमनगर में 01.11.2025 कोडीईए फंड जन जागरूकता बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में करीमनगर जिला कलेक्टर, एसएलबीसी, आरबीआई के अधिकारीगण और करीमनगर के क्षेत्रीय प्रबंधक ने भाग लिया।

ग्राहक मूल्य संवर्धन:

बैंक अपने प्रायोजक बैंक की संयुक्त उपक्रम की कंपनियों के साथ साझेदारी में जीवन बीमा, गैर-जीवन बीमा, म्यूचुअल फंड्स और एनपीएस जैसे विभिन्न उत्पाद प्रस्तावित करता है। ये विविध उत्पाद, मुख्य बैंकिंग समाधानों के साथ मिलकर, हमारे बैंक को सभी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए वन-स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में स्थापित करते हैं। बैंक ने इन उत्पादों के माध्यम से 31.03.2026 तक ₹34.62 करोड़ की आय अर्जित की।



बासर मंदिर के प्राधिकारियों को बैंक का क्यूआर स्कैन कोड और टिकट वेंडिंग मशीनें सौंपते निर्मल के क्षेत्रीय प्रबंधक

विभिन्न उत्पादों द्वारा आय में योगदान:

(राशि ₹ करोड़ में)

उत्पाद	31.03.2025 तक	31.03.2026 तक	वर्ष-दर-वर्ष % परिवर्तन
एसबीआई लाइफ	12.91	22.75	76.22 %
एसबीआई जनरल	5.39	11.35	110.57 %
एसबीआई एमएफ	0.24	0.52	116.66 %

बैंक ऋण पोर्टफोलियो:

बैंक का ऋण पोर्टफोलियो मुख्य रूप से फसल ऋण, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) वित्तपोषण, आवास ऋणों और स्वर्ण ऋणों पर केंद्रित है, जो मिलकर बैंक के कुल सकल अग्रिमों का 90% से अधिक हिस्सा हैं। 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार बैंक के सकल अग्रिम ₹46,547.81 करोड़ रहे।

बैंक प्राथमिक क्षेत्र ऋण वितरण में भी एक प्रमुख प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है। वर्ष के दौरान, इसने तेलंगाणा राज्य में स्वयं सहायता समूह ऋण संवितरण में प्रथम स्थान और केसीसी ऋण संवितरण में तृतीय स्थान प्राप्त किया। इन उपलब्धियों ने बैंक को वित्तीय समावेशन और ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों से मान्यता दिलाई।

फसल ऋण और स्वयं सहायता समूह वित्तपोषण में मजबूत उपस्थिति के साथ-साथ बैंक ने अपने स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया है। इसके परिणामस्वरूप, स्वर्ण ऋण खंड ने वर्ष के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। इस पोर्टफोलियो में मजबूत विस्तार बैंक की ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं के प्रति तत्परता और आसति गुणवत्ता तथा व्यवसायिक सातत्य बनाए रखते हुए ऋण पोर्टफोलियो में विविधता लाने के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है।

पोर्टफोलियो विविधीकरण और सतत विकास के महत्व को पहचानते हुए, बैंक ने वर्तमान वर्ष को "एमएसएमई वर्ष" घोषित किया। इस रणनीतिक पहल ने उत्साहजनक परिणाम दिए, जिससे एमएसएमई खंड में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की विविध वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बैंक ने चार अलग-अलग प्रकार के विशेषीकृत एमएसएमई ऋण उत्पादों की एक श्रृंखला प्रस्तावित की, जिनमें से प्रत्येक को विभिन्न ग्राहक वर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

घटक-वार अग्रिम

(राशि ₹ करोड़ में)

	घटक	31.03.2025		31.03.2026	
		खातों की सं.	राशि	खातों की सं.	राशि
1	केसीसी	1330351	13890.36	1303199	14781.99
2	एटीएल/ एटीएल (एनआरएलएम से इतर)	145603	2261.04	179277	3847.86
इनमें से कृषि स्वर्ण ऋण		135157	1823.26	168917	3358.69
3	एसएचजी एनआरएलएम	134861	8809.26	134947	9687.4
4	एमएसएमई	178510	2075.73	243073	2983.92
5	आवास ऋण	41289	7381.25	43135	7984.77
6	वैयक्तिक स्वर्ण ऋण	442194	4968.06	425437	5865.3
7	शिक्षा ऋण	1092	103.41	1030	98.38
8	बंधक ऋण	2780	311.51	2348	276.63
9	अन्य	109465	1717.66	49095	1021.56
कुल सकल अग्रिम		2386145	41518.28	2381541	46547.81

बैंक के कुल सकल अग्रिमों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान मजबूत वृद्धि दर्ज की। बकाया अग्रिम 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार ₹41,518.28 करोड़ से बढ़कर 31.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार ₹46,547.81 करोड़ हो गए, जो ₹5,029.53 करोड़ की संपूर्ण वृद्धि और 12.11% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर दर्शाते हैं। 31.03.2026 तक बैंक का प्राथमिक क्षेत्र ऋण (पीएसएल) समायोजित निवल बैंक ऋण (एनबीसी) का 84.48% रहा।

प्राथमिक क्षेत्र ऋण के लक्ष्यों के समक्ष बैंक का कार्य निष्पादन

(राशि ₹ करोड़ में)

घटक	एनबीसी के अनुसार न्यूनतम %	31-03-2025 (विव 2024-25)			31-03-2026 (विव 2025-26)		
		राशि	कुल अग्रिमों में से (%)	एनबीसी के अनुसार पीएसएल %	राशि	कुल अग्रिमों में से (%)	एनबीसी के अनुसार पीएसएल %
कृषि	18.00%	19604.57	47.22	23.41	24442.29	52.51	34.36
लघु और सीमांत किसान (एसएमएफ)	10.00%	16883.46	40.67	15.78	21049.70	45.22	26.00
एसएमई	7.50%	2073.02	4.99	11.31	2983.92	6.41	13.52
अन्य प्राथमिक	-	7140.40	17.20	-	7351.67	15.79	-
कमजोर वर्ग	15.00%	23301.97	56.12	36.50	28283.57	60.76	48.76
कुल प्राथमिक	75.00%	28817.99	69.41	90.00	34777.88	74.71	84.48
अ-प्राथमिक	-	12700.29	30.59	-	11769.93	25.24	-
कुल अग्रिम		41518.28	-	-	46547.81	-	-

सामाजिक घटकों को प्रदान किए गए ऋण की श्रेणीवार स्थिति

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2025		31-03-2026	
	खातों की सं.	राशि करोड़ में	खातों की सं.	राशि करोड़ में
कमजोर वर्ग	1491600	23301.97	1639303	28283.57
महिला	1197056	22487.32	1224984	25372.19
अज्ञा/ अजज्ञा	563415	6262.29	560168	7101.81
अल्पसंख्यक	37677	469.92	41773	566.24

तेलंगाणा के सभी बैंकों में केसीसी और एसएचजी बकाया में टीजीबी का बाजार हिस्सा (31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार)

घटक	तिथि तक	तेलंगाणा में कुल बकाया (₹ करोड़)	टीजीबी बकाया (₹ करोड़)	तेलंगाणा में टीजीबी का हिस्सा
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)	31.03.2025	82,967.79	13,890.36	16.74%
	31.03.2026	88,760.30	14,782.00	16.65%
स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)	31.03.2025	39,079.60	10,857.97	27.78%
	31.03.2026	51,503.56	11,810.13	22.93%

स्वयं सहायता समूह वित्तपोषण:

31 मार्च 2026 तक बैंक के एसएचजी पोर्टफोलियो में ₹11,810.13 करोड़ की बकाया राशि के साथ 1,69,724 खाते थे जबकि 31 मार्च 2025 को यह बकाया राशि ₹10,857.88 करोड़ थी. इस पोर्टफोलियो ने वर्ष-दर-वर्ष ₹952.25 करोड़ की वृद्धि दर्ज की, जो बकाया अग्रिमों में 8.77% की वृद्धि को दर्शाता है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने 93,331 स्वयं सहायता समूहों को ₹10,879.13 करोड़ का ऋण वितरित किया. बैंक ने वर्ष के दौरान तेलंगाणा राज्य में एसएचजी ऋण वितरण में प्रथम स्थान प्राप्त कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की. इसके अतिरिक्त, ₹11,810.13 करोड़ के बकाया एसएचजी पोर्टफोलियो के साथ, बैंक राज्य में बकाया एसएचजी पोर्टफोलियो के मामले में द्वितीय स्थान पर रहा.

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी):

31 मार्च 2025 के ₹13,890.36 करोड़ के बकाया पोर्टफोलियो की तुलना में 31 मार्च 2026 तक की स्थिति के अनुसार बैंक के पास ₹14,782.00 करोड़ के बकाया पोर्टफोलियो के साथ 13,03,199 किसान क्रेडिट कार्ड थे.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने 7,73,443 केसीसी खाताधारकों को ₹8,827.24 करोड़ का ऋण संवितरित किया, जिससे कृषि क्षेत्र में पर्याप्त और समय पर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पुनः स्थापित हुई.

बैंक ने वर्ष के दौरान तेलंगाणा राज्य के स्तर पर उल्लेखनीय पहचान प्राप्त की, केसीसी ऋण संवितरण में तृतीय स्थान हासिल किया. इसके अतिरिक्त, ₹14,782.00 करोड़ के बकाया केसीसी पोर्टफोलियो के साथ, बैंक राज्य में बकाया केसीसी पोर्टफोलियो के मामले में तृतीय स्थान पर रहा.

कृषि संबद्ध ऋण:

वित्तीय वर्ष 2026 में कृषि और संबद्ध अग्रिम पोर्टफोलियो वित्तीय वर्ष 2025 के ₹ 11,070.30 करोड़ से बढ़कर ₹ 13,535.32 करोड़ हो गया, यथा ₹ 2,465 करोड़ (22.26%) की वृद्धि दर्ज हुई.

इस वृद्धि में प्रमुख योगदान कृषि स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो का रहा, जिसमें वर्ष के दौरान ₹ 1,535 करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि हुई. यह उत्पाद किसानों के बीच एक अधिमान्य ऋण विकल्प के रूप में उभरा, जो कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए त्वरित और सुविधाजनक वित्तीय सहायता प्रदान करता है.

बैंक ने कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) योजना के अंतर्गत वित्तपोषण को भी सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया, क्योंकि फसलोत्तर प्रबंधन और कृषि अवसंरचना के

निर्माण में यह कोष महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने एआईएफ योजना के अंतर्गत ₹41.35 करोड़ के ऋण मंजूर किए, जिससे महत्वपूर्ण कृषि अवसंरचना और मूल्य श्रृंखला विकास में योगदान हुआ.

कृषि ऋण पोर्टफोलियो को और अधिक मजबूत करते हुए, बैंक ने एटीएल रेतु नेस्तम योजना प्रारंभ की, जो पारंपरिक खेती और आधुनिक खेती दोनों को सहयोग प्रदान करने का एक व्यापक ऋण उत्पाद है. यह योजना निवेश ऋण की आवश्यकताओं जैसे कृषि भूमि विकास, कृषि मशीनीकरण, सिंचाई सुविधाएँ, कृषि अवसंरचना सृजन और अन्य संबद्ध गतिविधियों को पूरा करती है. इस पहल से प्रौद्योगिकी अंगीकरण सुगम होने, कृषि दक्षता में सुधार होने और सतत कृषि विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद है. इन केंद्रित पहलों के माध्यम से, बैंक किसानों को सशक्त बनाने और ग्रामीण विकास को सहयोग प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.



अध्यक्ष श्री के. प्रताप रेड्डी और क्षेत्रीय प्रबंधक, संगारेड्डी ने गन्ना कटाई मशीनों की चाबियाँ उन उधारकर्ताओं को सौंपी जिन्हें जहीराबाद शाखा, संगारेड्डी आरबीओ द्वारा वित्तपोषित किया गया.

सरकारी प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत प्रदर्शन:

- **मुद्रा ऋण संवितरण:** वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने ₹1,800 करोड़ के सहमति ज्ञापन लक्ष्य के समक्ष ₹ 2,087.79 करोड़ की व्यवसायिक वृद्धि प्राप्त की, जो लक्ष्य का 115.98% है और ₹ 287.79 करोड़ की अतिरिक्त उपलब्धि दर्शाता है.
- **प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):** वित्तीय वर्ष 2025-26 में 475 के लक्ष्य के समक्ष बैंक ने 367 की उपलब्धि प्राप्त की, जो लक्ष्य का 77.26% है.

कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ): 5-वर्षीय ₹ 60 करोड़ के लक्ष्य (31.03.2026 को समाप्त होने वाले) के समक्ष बैंक ने निर्धारित लक्ष्य की 138.05% (₹ 82.83 करोड़) की उपलब्धि प्राप्त की, जो एक मजबूत कार्यनिष्पादन दर्शाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही एआईएफ योजना के तहत ₹41.35 करोड़ की राशि के साथ 283 मंजूरीयाँ प्रदान की गईं।



अध्यक्ष श्री के. प्रताप रेड्डी और क्षेत्रीय प्रबंधक, खम्मम ने एएमएच वायरा, खम्मम आरबीओ मेंहार्वेस्टर्स और कारों के लिए ऋण वितरित किया।

- **पीएम सूर्यघर:** वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने 1,079 खातों को ₹ 22.66 करोड़ की राशि मंजूर की है।
- **पीएम स्वनिधि :** बैंक ने संचयी आधार पर 61,691 खातों को ₹ 98.45 करोड़ की राशि मंजूर की है, जिनमें से 1,693 खातों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ₹ 4.26 करोड़ की राशि मंजूर की गई।
- **पीएमएफएमई:** बैंक ने संचयी आधार पर 2,467 खातों को ₹ 55.57 करोड़ की राशि मंजूर की, जिनमें से 105 खातों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ₹ 3.78 करोड़ की राशि मंजूर की गई।
- **प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना (पीएमवीके):** बैंक ने संचयी आधार पर 2,241 खातों को ₹ 19.48 करोड़ की राशि मंजूर की, जिनमें से 229 खातों को वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹ 2.47 करोड़ की राशि मंजूर की गई।



कोत्तागुडेम -भद्राचलम आरबीओ द्वारा वित्तपोषित ड्रोन और ट्रैक्टर इकाइयाँ

एमएसएमई:

बैंक विभिन्न सरकार प्रायोजित योजनाओं में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र में सतत विकास प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने ऋण पोर्टफोलियो में विविधता लाने और सरकार के एमएसएमई वित्तपोषण पर बल को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से, बैंक ने अनेक नए उत्पाद प्रस्तावित किए हैं और अपने एमएसएमई ऋण उत्पादों को चार रूपों में सुव्यवस्थित किया है - “स्विफ्ट”, “सिम्पल”, “स्मार्ट” और “स्मार्ट प्लस”- जो विभिन्न ग्राहक वर्गों की विविध वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक ने महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने के लिए टीजीबी महिला मुद्रा योजना शुरू की है।



श्री उदय भास्कर, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, टीएसआरओ द्वारा भुवनगिरि के वेलिमिनेडु औद्योगिक क्षेत्र में एसएमई इकाई का उद्घाटन

एमएसएमई पोर्टफोलियो को और अधिक समृद्ध और विस्तृत करने के लिए, बैंक ने अग्रणी संगठनों के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किए हैं, जिनमें जेसीबी भी शामिल है, जिसके तहत बैंक ने 20 जेसीबी मशीनों के लिए वित्तपोषण मंजूर किया है।



अध्यक्ष श्री के. प्रताप रेड्डी और महाप्रबंधक उधारकर्ताओं को जेसीबी की चाबियाँ सौंपते हुए



अध्यक्ष श्री के. प्रताप रेड्डी और महाप्रबंधक उधारकर्ताओं को जेसीबी की चाबियाँ सौंपते हुए

इन केंद्रित पहलों ने उल्लेखनीय परिणाम दिए हैं, जिससे बैंक के एमएसएमई पोर्टफोलियो में मजबूत वृद्धि हुई है। वर्ष के दौरान, एमएसएमई बकाया राशियाँ ₹ 2,075.73 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,983.92 करोड़ हो गईं, जो 43.75% की वृद्धि दर्शाती हैं। यह बैंक की एमएसएमई क्षेत्र को सहयोग प्रदान करने और आर्थिक विकास में योगदान देने की निरंतर प्रतिबद्धता दर्शाती है।

स्वर्ण ऋण:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने अपने विशाल शाखा नेटवर्क, ग्राहक विश्वास और सुव्यवस्थित ऋण वितरण तंत्र का लाभ उठाते हुए स्वर्ण ऋण खंड में अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत किया। स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो ने वर्ष के दौरान 35.82% की मजबूत वृद्धि दर्ज की, जो 31.03.2025 के ₹ 6,791.32 करोड़ से बढ़कर 31.03.2026 तक ₹ 9,223.99 करोड़ हो गए, जो ₹ 2,432.67 करोड़ की समग्र वृद्धि दर्शाते हैं।

इस उल्लेखनीय वृद्धि का प्रमुख कारण कृषि स्वर्ण ऋण उत्पाद का शुभारंभ रहा, जिसने किसानों को गिरवी रखे गए स्वर्ण आभूषणों के समक्ष समय पर और सरल ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाया, ताकि वे अपनी कृषि और संबद्ध गतिविधियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इस उत्पाद को ग्राहकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली और इसने पोर्टफोलियो विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो में सतत वृद्धि बैंक की इस प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है कि वह किसानों, ग्रामीण परिवारों और छोटे उद्यमियों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए त्वरित, सुविधाजनक और आवश्यकता-

आधारित ऋण समाधान प्रदान करता है। इस खंड के मजबूत प्रदर्शन ने न केवल बैंक के खुदरा आस्ति आधार को बढ़ाया है, बल्कि वित्तीय समावेशन और ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका को भी सुदृढ़ किया है।

राज्या वार्षिक ऋण योजना में सहभागिता:

राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुल ₹ 39,905.17 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष ₹ 31,162.48 करोड़ का संवितरण किया और 78.09% की समग्र उपलब्धि दर्ज की, जबकि वित्तीय वर्ष 2025 में, बैंक ने ₹ 32,455.73 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष ₹ 29,598.74 करोड़ की उपलब्धि प्राप्त की थी।

(राशि ₹ करोड़ में)

S. No	घटक	विव 2025-26	
		लक्ष्य	उपलब्धि
1	फसल ऋण	18001	8827.24
2	कृषि मीयदी ऋण [संबद्ध अवसंरचना और अनुषंगी गतिविधियों सहित]	11432.37	12222.09
3	कृषीतर क्षेत्र	1966.02	2617.88
4	अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	1349.24	534.02
	कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	32748.63	24201.23
5	अ-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	7156.54	6961.25
	कुल	39905.17	31162.48 (78.09%)

अंतर-बैंक सहभागिता प्रमाण पत्र (आईबीपीसी):

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने अन्य बैंकों के साथ जोखिम-साझाकरण सहभागिता व्यवस्थाओं को निष्पादित किया और पात्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के समक्ष अंतर-बैंक सहभागिता प्रमाण पत्र (आईबीपीसी) जारी किए। ये लेन-देन बैंक के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण पोर्टफोलियो को इष्टतम बनाने और दक्ष चलनिधि प्रबंधन को सुगम बनाने के उद्देश्य से किए गए।

विव 2025-26 के दौरान जारी आईबीपीसी			
क्रम.सं.	से	राशि	दिनों की संख्या
1	28.08.2025	180000.00	180
2	24.02.2026	200000.00	180
	कुल	380000.00	

(राशि ₹ करोड़ में)

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र (पीएसएलसी):

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के ई-कुबेर मंच के माध्यम से प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) बाज़ार में सक्रिय सहभागिकी दर्ज की. बैंक ने अपने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण पोर्टफोलियो को इष्टतम बनाने और विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तिथियों पर पीएसएलसी खरीदे और बेचे. वर्ष के दौरान किए गए पीएसएलसी लेनदेनों के विवरण नीचे प्रस्तुत हैं:

(राशि ₹ लाख में)

पीएसएलसी की बिक्री:		
घटक	राशि	अर्जित प्रीमियम
पीएसएलसी एसएमई	850000.00	22981.50
पीएसएलसी कृषि	0.00	0.00
पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम	0.00	0.00
कुल	850000.00	22981.50
पीएसएलसी की खरीद:		
घटक	राशि	प्रदत्त प्रीमियम
पीएसएलसी सामान्य	750000.00	75.00
पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम	250000.00	25.00
पीएसएलसी कृषि	0.00	0.00
कुल	1000000.00	100.00
कुल आय		22881.50

IV. दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन

बैंक ने अनर्जक आस्तियों को कम करने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए हैं, जो अब ₹ 922.39 करोड़ (सकल) की रह गई हैं-जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक कुल अग्रिमों के 2.15% के एमओयू के समक्ष चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल अग्रिमों का 1.98% है. 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार निवल अनर्जक आस्तियाँ अब शून्य हैं. बैंक ने अनर्जक आस्तियों को नियंत्रित रखने के लिए केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाया और समुचित रणनीतियाँ कार्यान्वित की है. 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार अनर्जक आस्तियाँ ₹ 922.39 करोड़ (1.98%) हैं जबकि 31.03.2025 तक ये ₹ 870.48 करोड़ (2.10%) करोड़ थीं. लगातार वसूली के प्रयासों और केंद्रित समाधान रणनीतियों ने बैंक के एनपीए स्तरों में उल्लेखनीय कमी करने में योगदान दिया है. पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान एनपीए की स्थिति और बढ़ते खाते डाले गए खातों से हुई वसूली का विवरण नीचे प्रस्तुत है:

क्रम सं.	विवरण	विव 2024-25	विव 2025-26
1	सकल एनपीए	870.48	922.39
2	सकल एनपीए(%)	2.10	1.98
3	निवल नपीए	0	0
4	निवल नपीए(%)	0	0
5	बढ़ते खाते डाले गए	0	0
6	एयूसीए में वसूलियाँ	13.72	12.12
7	पीसीआर	100	100

सरफेसी अधिनियम और मुकदमा दायर करना:

खाते के अनर्जक आस्ति बन जाने के तुरन्त पश्चात् सरफेसी अधिनियम के तहत नोटिस जारी की गई थी. इसकी निगरानी क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय द्वारा मासिक अंतरालों में की गई. इस संबंध में हमारी कार्रवाइयों के अच्छे परिणाम निकले हैं. हमने सरफेसी के तहत विशेष रूप से प्रत्यक्षदर्शी कार्रवाइयाँ कीं.

वापस माँगे गए ऋणों और मुकदमा दायर खातों की वसूली पर विशेष ध्यान दिया गया. सभी क्षेत्रों में अधिवक्ताओं के साथ बैठकें आयोजित की गईं ताकि मुकदमों के निपटान की प्रक्रिया को तेज किया जा सके.

बैंक ने दबावग्रस्त आस्तियों की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम का दक्षता से उपयोग किया है. वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान बैंक ने ₹ 92.80 करोड़ की राशि से संबंधित 622 सरफेसी मामले प्रारंभ किए और 516 मामलों में ₹ 79.01 करोड़ की सफल वसूली की.

साथ ही, वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान बैंक ने ₹ 155.71 करोड़ की राशि से संबंधित 932 मामले प्रारंभ किए और 791 मामलों में ₹ 131.41 करोड़ की वसूली की.

निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई और सरफेसी के प्रावधानों के अंतर्गत प्रवर्तन कार्रवाइयों के माध्यम से बैंक ने अपनी वसूली प्रणाली को उल्लेखनीय रूप से मजबूत किया है. सरफेसी उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन ने दबावग्रस्त आस्तियों की वसूली और एनपीए में कमी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

मुकदमा दायर मामलों के अंतर्गत प्रदर्शन इस प्रकार है

(राशि ₹ करोड़ में)

	खातों की सं.	राशि
मुकदमा दायर	1091	28.67
डिक्री प्राप्त	542	13.87
बेदखली याचिका दायर	135	4.81
मुकदमा दायर करने के पश्चात् वसूली	180	4.87

V. वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का केंद्रीय उद्देश्य बन गया है। अपने व्यापक ग्राहक सेवा प्रदाता नेटवर्क के माध्यम से बैंक देश के पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों तक बैंकिंग की पहुँच को लगातार बढ़ा रहा है। बैंक ने राज्य में वित्तीय समावेशन की प्रमुख सरकारी योजनाओं यथा प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के कार्यान्वयन में अग्रणी बना हुआ है। बैंकिंग पहुँच के अतिरिक्त, राज्यभर में स्थित 11 वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) ने ग्रामीण जनता के बीच वित्तीय जागरूकता बढ़ाने हेतु निःशुल्क ऋण परामर्श और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का प्रसार किया। साथ ही, वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने 1537 वित्तीय साक्षरता जागरूकता शिविरों का आयोजन किया। इन पहलों के माध्यम से बैंक डिजिटल अंगीकरण को मजबूती प्रदान कर रहा है और ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी आबादी में डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर म्यूल्स, ऋण अनुशासन और जिम्मेदार वित्तीय भागीदारी के प्रति जागरूकता बढ़ा रहा है।

बैंक भारत सरकार की वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) को सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रहा है। तेलंगाणा राज्य के 33 जिलों के 3930 बैंक रहित गाँवों को 2290 ग्राहक सेवा बिंदुओं (सीएसपी) की मदद से बैंक की एफआईपी के तहत कवर किया गया है। ये 2290 ग्राहक सेवा बिंदु माइक्रो-एटीएम की मदद से दूरदराज और बैंकिंग सुविधा से वंचित गाँवों में 51 बैंकिंग सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

हमारे ग्राहक सेवा प्रदाताओं को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि ग्राहकों को निर्बाध और गुणात्मक सेवाएँ प्रदान की जा सकें। 1266 ग्राहक सेवा प्रदाताओं ने बीसी प्रमाणन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। 178 ग्राहक सेवा प्रदाता डीआरए (ऋण वसूली एजेंट) प्रमाणित हैं।

हमारे बैंक के साथ 1273 महिला सीएसपी कार्यरत हैं जो कुल ग्राहक सेवा प्रदाताओं का 55.59% हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को सीएसपी के रूप में नियुक्त करने की बैंक में नीति विद्यमान है।

हमारे 93 आधार नामांकन केंद्र हैं जो आधार नामांकन/ अपडेट सेवाएँ प्रदान करते हैं। शाखाओं में 933 माइक्रो एटीएम स्थापित किए गए हैं। साथ ही, बैंक अपने परिचालन क्षेत्र में 12 मोबाइल एटीएम वैन भी संचालित करता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम सेवाएँ उपलब्ध कराती हैं। इन मोबाइल एटीएम वैन की एक महत्वपूर्ण भूमिका ग्रामीण आबादी में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने और डिजिटल बैंकिंग उत्पादों के प्रति जागरूकता पैदा करने की भी है।

पीएफआरडीए से पुरस्कार:

बैंक ने एपीवाई पीएफआरडीए द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित 14 अभियानों में अर्हता प्राप्त की।

1. अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के लिए एपीवाई विजेता बुधवार अभियान - 9 पुरस्कार (6 वंडरस और 3 वॉरियर्स ऑफ विनिंग वेन्डेस)।
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्षों के लिए 01.05.2025 से 15.06.2025 तक एपीवाई प्रीमियर लीग अभियान – एपीएल उत्कृष्टता कप।



बैंक के अध्यक्ष श्री के.प्रताप रेड्डी को 25.08.2025 को नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक सम्मान समारोह के दौरान पीएफआरडीए बोर्ड की पूर्णकालिक सदस्य (अर्थशास्त्र) श्रीमती ममता शंकर द्वारा सम्मानित किया गया। यह सम्मान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के वार्षिक बजट लक्ष्य की 100% उपलब्धि के उपलक्ष्य में प्रदान किया गया।



3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्षों के लिए 16.06.2025 से 31.07.2025 तक एपीवाई ट्रेंड सेटर्स अभियान – विज्ञानरी ट्रेंड सेटर्स
4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्षों के लिए 03.10.2025 से 30.11.2025 तक एपीवाई लीडरशिप पिनैकल अभियान – एक्जैम्प्लरी लीडरशिप
5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्षों के लिए 01.12.2025 से 12.01.2026 तक एपीवाई अल्टीमेट चैम्पियन्स कप अभियान – कान्स्य पुरस्कार
6. एपीवाई सेवा प्रदाता (टीजीबी) के लिए 01.04.2025 से 31.03.2026 तक एपीवाई वार्षिक पुरस्कार अभियान – एपीवाई अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस अचीवर।

वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम:

शाखाएँ, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल बैंकिंग उत्पादों का प्रचार-प्रसार और ग्राहक सेवा प्रदाताओं की भूमिकाओं को प्रकाशमान करने के लिए वित्तीय और डिजिटल साक्षरता शिविर आयोजित कर रही हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान नाबार्ड की अनुदान सहायता से 5890 एफडीएलसी बैठकों का आयोजन किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान शाखाओं द्वारा (एफएलसी द्वारा आयोजित बैठकों के अतिरिक्त) 10,704 वित्तीय साक्षरता जागरूकता बैठकें आयोजित की गईं।

क्रम सं.	अवधि	कितने कार्यक्रम आयोजित किए जाने थे	आयोजित कुल कार्यक्रम	एफडीएलसी के लिए नाबार्ड से प्राप्त अनुदान सहायता
1	01.09.2025 28.02.2026	1952	1952	Rs. 7508930



एफएलसी और डिजिटल भुगतान जागरूकता कार्यक्रम

हमने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान नाबार्ड द्वारा दी गई अनुसूची के अनुसार, वित्तीय डिजिटल साक्षरता शिविरों का 100% आयोजन किया है।

साथ ही, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान वित्तीय साक्षरता परामर्शदाताओं (11) ने 1537 वित्तीय साक्षरता जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जबकि लक्ष्य था 924.

वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) 2026—“केवाईसी – सुरक्षित बैंकिंग की ओर आपका पहला कदम”:

बैंक ने 09.02.2026 से 13.02.2026 तक 933 गाँवों में भारतीय रिज़र्व बैंक के सुझावों के अनुसार अग्रलिखित तीन विषयों यथा (क) अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) के मूलभूत सिद्धांत, (ख) केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवाईसी) (ग) खाता स्वच्छता और अनुशासन, पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) का आयोजन किया।

डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह (डीपीएडब्ल्यू) –2026:

मिशन 'हर पेमेंट डिजिटल' के अंतर्गत, भारतीय रिज़र्व बैंक प्रत्येक वर्ष डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह (डीपीएडब्ल्यू) का आयोजन करता है, ताकि डिजिटल भुगतान प्रणालियों के सुरक्षित, संरक्षित और जागरूक उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। तेलंगाणा ग्रामीण बैंक ने 09.03.2026 से 15.03.2026 की अवधि के दौरान राज्य के सभी 33 जिलों में मोबाइल एटीएम वैन का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक 33 डीपीएडब्ल्यू कार्यक्रमों (जिनमें 2 नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम भी शामिल थे) का आयोजन किया।

तेलंगाणा ग्रामीण बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की पहलों में सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और लक्षित जनसंपर्क कार्यक्रमों, वित्तीय साक्षरता शिविरों तथा नवोन्मेषी ग्राहक सहभागिता के माध्यम से डिजिटल पहुँच को और अधिक मजबूत बनाने का प्रयास करेगा।



आरबीआई हैदराबाद कार्यालय में सुरक्षित डिजिटल भुगतान अभियान का उद्घाटन



वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2026 – निर्मल में उद्घाटन कार्यक्रम जिसमें जिला कलेक्टर, क्षेत्रीय प्रबंधक निर्मल, एलडीएम और बैंक के स्टाफ ने भाग लिया

सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ:

भारत सरकार ने समाज के गरीब और वंचित वर्गों को किफायती बीमा और पेंशन सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ शुरू की हैं। बैंक इस सामाजिक पहल में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है और अपने ग्राहकों को इन बीमा एवं पेंशन लाभों का विस्तार कर रहा है।



एलडीएम, मेडचल-मल्काजगिरि जिला द्वारा पीएमजेजेबीवाई दावों का वितरण

पीएमजेडीवाई (प्रधानमंत्री जन धन योजना):

समाज के विभिन्न वर्गों को बैंकिंग, ऋण और बीमा तक पहुँच प्रदान कर उनके उत्थान के उद्देश्य से भारत सरकार ने अगस्त 2014 में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन (एनएमएफआई) के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक बैंक-रहित परिवार को सार्वभौमिक बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराना है, जो “बैंकिंग द अनबैंकड, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड और फंडिंग द अनफंडेड” जैसे मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति - वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए रिपोर्ट:

उत्पाद	विव 2025-26 के लिए लक्ष्य	विव 2025-26 के लिए उपलब्धि	उपलब्धि %	संचयी नामांकन
एपीवाई	93400	102616	109.87%	5,74,797
पीएमजेबीवै	252000	330841	131.29%	31,55,994
पीएमएसबीवै	359000	400103	111.45%	48,77,267
पीएमजेबीवै	175000	182237	104.14%	35,23,300



आरएम करीमनगर द्वारा मरिपल्लीगुडेम शाखा में परिवारजनों को ₹20 लाख की जीपीए बीमा दावा राशि का चेक प्रदान करते हुए

टीजीबी के आंतरिक अभियान: सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित अनेक आंतरिक अभियान चलाए।

बैंक ने 1 जुलाई 2025 को प्रारंभ हुए चार-माह (जुलाई-अक्तूबर) के राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन संतुष्टि अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक को प्रमुख वित्तीय योजनाओं के दायरे में लाना था। इसका प्राथमिक लक्ष्य सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को प्रमुख योजनाओं - प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवै), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवै), और अटल पेंशन योजना

(एपीवाई)- तक पहुँच सुनिश्चित करना था। राज्यभर में शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें नामांकन, निष्क्रिय खातों के लिए री-केवाईसी, नामांकन अपडेट जैसी सुविधाएँ प्रदान की गईं। साथ ही, अभियान में डिजिटल धोखाधड़ी, अदावी जमाराशियों और शिकायत निवारण पर वित्तीय साक्षरता प्रसारित की गई।

समुदाय आधारित गतिविधियाँ - भारत सरकार की एक पहल: स्वच्छता ही सेवा 5.0 अभियान:

- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वस्थ जीवन यापन के लिए स्वच्छता की महत्ता और जागरूकता का सृजन। ये कार्यक्रम 17.09.2025 से 02.10.2025 तक आयोजित किए गए।
- प्रधान कार्यालय की टीम ने हैदराबाद के सुंदरैया पार्क में एक स्वच्छता अभियान आयोजित किया। शाखाओं ने ग्राम पंचायत परिसरों, रेलवे स्टेशनों, स्कूलों, सार्वजनिक सड़कों, खेल प्रांगणों में अनेक स्वच्छता अभियान चलाए और वृक्षारोपण गतिविधियाँ चलाई।
- स्वच्छता की महत्ता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दूरदराज के गाँवों में 15 नुककड़ नाटक कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- बैंक की अभिलेख प्रतिधारण नीति के अनुसार शाखाओं में सभी पुराने अभिलेखों का निस्तारण किया गया।
- अभियान की अवधि के दौरान पेंशन शिकायत निवारण बैठकें आयोजित की गईं।
- शाखाओं में कर्मचारियों द्वारा पेड़-पौधे लगाए गए।

VI. सूचना प्रौद्योगिकी

तेलंगाणा ग्रामीण बैंक में, नवाचार हमारी पहचान को परिभाषित करते हैं, जो हमें ग्राहक-केंद्रित सेवाएँ प्रदान करने और बैंकिंग परिदृश्य में अग्रणी बने रहने के लिए प्रेरित करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में हमने अपनी डिजिटल रणनीति के केंद्र में ग्राहक सुविधा और साइबर सुरक्षा को रखा। इसका उद्देश्य सुरक्षित और सहज बैंकिंग अनुभव सुनिश्चित करना था, साथ ही डिजिटल अवसंरचना और साइबर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना। इन प्रयासों से ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि हुई और बैंक को आईबीए, आईबेक्स इंडिया, आईबीए सीआईएसओ से एआई और एमएल, डिजिटल नवाचार और श्रेष्ठ तकनीक में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए। आगे बढ़ते हुए, बैंक का संकल्प है कि वह नवाचार को मार्गदर्शक और सुरक्षा को आधार बनाकर भारत का एक सुरक्षित, ग्राहक-हितैषी और डिजिटल रूप से उन्नत ग्रामीण बैंक बने।

पिछले वर्ष आईटी विभाग ने परिचालन दक्षता बढ़ाने, साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और संगठन में नवाचार को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

टीजीबी की आईटी अवसंरचना को प्राप्त प्रमुख सम्मान:

सर्वप्रथम हम टीजीबी को आईटी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्राप्त उल्लेखनीय सम्मान प्रस्तुत करते हैं,

टीजीबी को 21वें आईबीए टेक्नोलॉजी अवॉर्ड्स में अनेक श्रेणियों में सम्मानित किया गया.

- सर्वश्रेष्ठ एआई और एमएल अंगीकरण – उप-विजेता
- सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन – उप-विजेता
- सर्वश्रेष्ठ टेक प्रतिभा – उप-विजेता
- सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी बैंक – विशेष उल्लेख पुरस्कार



चतुर्थ आईबीए सीआईएसओ शिखर सम्मेलन और सम्मान 2024-25

- साइबर सुरक्षा अनुपालन चैंपियन – उप-विजेता
- साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया परिपक्वता – विशेष पुरस्कार
- साइबर सुरक्षा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ईयर – विशेष पुरस्कार

टीजीबी ने जीता प्रतिष्ठित आईबेक्स पुरस्कार:

हमें गर्व है कि तेलंगाणा ग्रामीण बैंक को निम्नलिखित आईबेक्स पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है:

- आईबेक्स डिजिटल सीएक्स ट्रेलब्लेज़र अवॉर्ड – गोल्ड अवॉर्ड
- आईबेक्स टेक-ड्रिवन ऑपरेशनल एक्सीलेंस अवॉर्ड – सिल्वर अवॉर्ड
- आईबेक्स एआई वैनगार्ड अवॉर्ड – सिल्वर अवॉर्ड
- ये पुरस्कार बैंक की प्रौद्योगिकी अपनाने की दृष्टि और आईटी टीम की सहयोगी भावनाका प्रमाण हैं.



प्रमुख आईटी कार्यान्वयन:

वैकल्पिक डिलीवरी चैनल कार्यान्वयन:

- को-ब्रांडेड क्यूआर साउंडबॉक्स एवं पॉस एकीकरण: डिजिटल भुगतानों की बढ़ती माँग को पूरा करने और ग्राहक सुविधा बढ़ाने हेतु, टीजीबी ने एम-स्वाइप टेक्नोलॉजीस के सहयोग से को-ब्रांडेड यूपीआई क्यूआर साउंड बॉक्स और पॉस मशीनें लॉन्च कीं.



- मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग में बीबीपीएस एकीकरण – मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग पर बीबीपीएस सेवाएँ सक्षम की गईं, जिससे ग्राहक सुरक्षित रूप से बिलों के भुगतान कर सकते हैं और उन्हें वास्तविक समय में पृष्ठ प्राप्त होती है.

डिजिटल चैनल और पेनिट्रेशन:

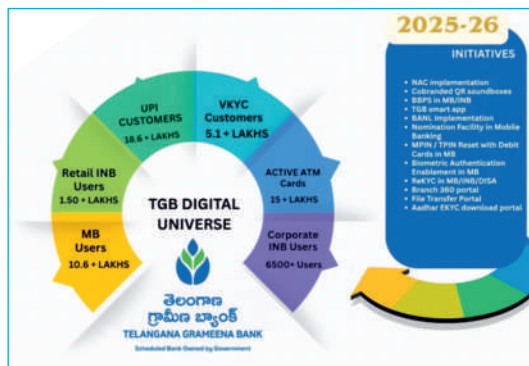
- निरंतर डिजिटल पेनिट्रेशन प्रयासों के परिणामस्वरूप, बैंक के कुल लेनदेनों में से 96% लेनदेन डिजिटल चैनलों के माध्यम से किए गए. इससे सेवा दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ और ग्राहकों को अधिक सुविधा एवं पहुँच प्राप्त हुई.
- बैंक ने डिजिटल चैनलों में निम्नलिखित उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं:

क्रम सं.	डिजिटल चैनल	31/03/2026 तक बजट उपलब्धि
1	मोबाइल बैंकिंग	2,14,448 पंजीकरण (एमओयू लक्ष्य के समक्ष 107% की उपलब्धि)
2	खुदरा इंटरनेट बैंकिंग	30,954 पंजीकरण (बजट के समक्ष 91% की उपलब्धि)
3	कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग	4,169 पंजीकरण (बजट के समक्ष 119% की उपलब्धि)

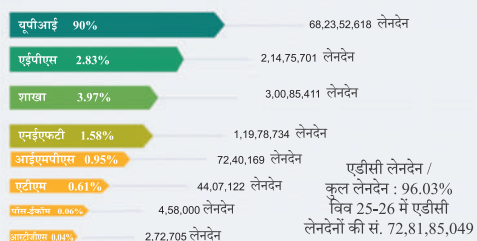
मोबाइल बैंकिंग में संवर्धन:

- **बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सक्षम करना:** उपयोगकर्ताओं को पासवर्ड/एमपिन के साथ-साथ फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान का उपयोग करलॉग इन करने की अनुमति देना.
- **डेबिट कार्ड के साथ एमपिन/ टीपिन रीसेट:** उपयोगकर्ताओं को डेबिट कार्ड विवरण का उपयोग कर अपने मोबाइल पिन (एमपिन) या ट्रांजेक्शन पिन (टीपिन) को सुरक्षित रूप से रीसेट करने में सक्षम बनाता है, जिससे शाखा पर जाने की कम ज़रूरत पड़ती है.
- **मोबाइल बैंकिंग में नामांकन सुविधा:** उपयोगकर्ताओं को सीधे ऐप में ही नामांकित व्यक्तियों को जोड़ने, अपडेट करने या देखने की अनुमति होती है.
- मोबाइल बैंकिंग में **नए यूजर इंटरफेस** का कार्यान्वयन, बेहतर प्रयोज्यता, नेविगेशन और ग्राहक अनुभव के लिए ऐप के डिज़ाइन को अपग्रेड करता है.

डिजिटल पेनिट्रेशन डाटा :

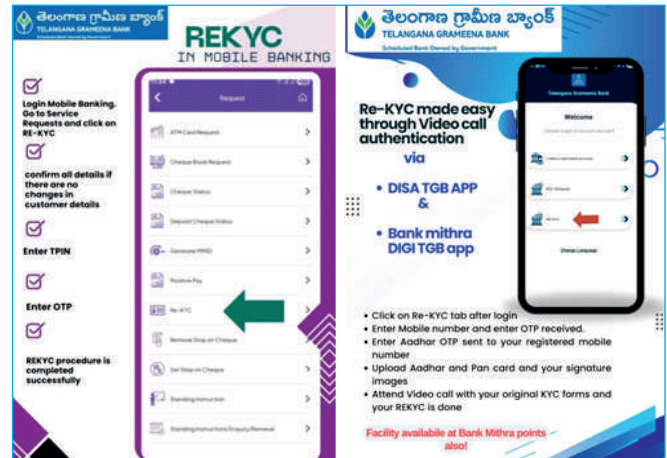


वैकल्पिक डिलीवरी चैनल लेनदेन समीक्षा विव 2025-26



री-केवाईसी अभियान - केवाईसी के समय-समय पर अद्यतन के लिए आईटी सहायता:

- री-केवाईसी को एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता के रूप में मान्यता देते हुए, बैंक के ग्राहक संपर्क प्रयासों को मजबूत करने के लिए नीचे दी गई पहलों को विकसित किया गया
- क. मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से री-केवाईसी सुविधाएँ.
- ख. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से री-केवाईसी,
- घ. डीसा (वीडियो केवाईसी खाता खोलना) के माध्यम से री-केवाईसी - मोबाइल एप्लिकेशन



बैंक का साइबर सुरक्षा तंत्र:

- बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक सुरक्षा स्कोरिंग मॉडल में ग्रेड ए रेटिंग प्राप्त करते हुए अपनी सुरक्षा की स्थिति को सफलतापूर्वक उन्नत किया.
- बैंक ने अपने नेटवर्क में एक नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (एनएसी) प्रणाली लागू की है, जिसने तीन माह की अवधि के भीतर 954 डिवाइस पंजीकरण को सफलतापूर्वक पूरा किया है. यह प्रणाली अनधिकृत या अननुपालित उपकरणों को नेटवर्क तक पहुँचने से रोककर नेटवर्क की सुरक्षा बढ़ाती है. इसके परिणामस्वरूप, साइबर जोखिम कम हो जाता है.
- "साइबर अपराध रोकथाम - आवश्यक हैडबुक" के विमोचन में योगदान दिया, जिसमें साइबर धोखाधड़ी के प्रमुख क्या करें और क्या न करें को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों को सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करना है. साथ ही धोखाधड़ी की रोकथाम के बारे में जागरूकता के बारे में ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए शाखावार विभिन्न ग्राहक बैठकें आयोजित की गईं.



स्टाफ और ग्राहकों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता

हमने निम्नलिखित पहलें की हैं:

- फिशिंग सिमुलेशन अभ्यास
- सभी स्टाफ के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता ऑनलाइन परीक्षा
- स्टाफ ज्ञानार्जन केंद्र में स्टाफ के सभी प्रशिक्षणों में साइबर सुरक्षा सब
- अध्यक्ष श्री के.प्रताप रेड्डी द्वारा साइबर अपराध रोकथाम हैडबुक का विमोचन
- कंप्यूटर सुरक्षा दिवस के अवसर पर 29.11.2025 को सभी शाखाओं में ग्राहकों के साथ साइबर अपराध जागरूकता बैठक.

- इस वित्तीय वर्ष के दौरान विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कुल 3,256 कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑफ लाइफ (ईओएल)/ एंड ऑफ सपोर्ट (ईओएस) की स्थिति में पहुँच गए. सभी संगत प्रणालियों को सफलतापूर्वक नए विंडोज 11 ओएस में अपग्रेड कर दिया गया और असंगत प्रणालियों को तीन माह की रिकॉर्ड अवधि के भीतर नई प्रणाली के साथ बदल दिया गया.

ग्राहक कॉल सेंटर सेवाएँ:

- ग्राहकों की शिकायतों से निपटने और फीडबैक को सुदृढ़ करने के लिए, नाबार्ड के विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के लिए एक समर्पित इनबाउंड ग्राहक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। बैंक इस सुविधा में दृष्टिबाधित कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करता है, एक समावेशी वातावरण को बढ़ावा देता है और उनके आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान को प्रोत्साहित करता है।

इनहाउस सॉफ्टवेयर टीम डेवलपमेंट:

टीजीबी स्मार्ट मोबाइल ऐप: परिचालन स्टाफ और नियंत्रकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया, टीजीबी स्मार्ट ऐप, एक मोबाइल एप्लिकेशन है जो महत्वपूर्ण व्यावसायिक जानकारी और सुव्यवस्थित वर्कफ्लो तक 24/7 पहुंच सुनिश्चित करता है। यह बिजनेस एमआईएस एक्सेस, एनपीए ट्रेकिंग मॉड्यूल, स्टाफ बेनिफिट डेटा जैसे परिपत्र, पेस्लिप डाउनलोड आदि उपलब्ध कराता है।

महत्वपूर्ण इंटरनेट पोर्टल:

- इन-हाउस विकसित आधार ई-केवाईसी डाउनलोड पोर्टल का कार्यान्वयन, जिससे शाखाएँ ग्राहकों के ओटीपी/बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से यूआईडीएआई से सुरक्षित रूप से डाउनलोड/प्रिंट करने में सक्षम हो गई हैं। इस पहल ने केवाईसी/री-केवाईसी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया, भौतिक दस्तावेजों पर निर्भरता कम की और शाखाओं में ग्राहक सेवा वितरण की गति और दक्षता में सुधार किया।
- एसएचजी प्रलेखन पोर्टल को एसएचजी से संबंधित दस्तावेजों को डिजिटाइज़ और मानकीकृत करने, केंद्रीकृत भंडारण को सक्षम करने, शाखाओं के लिए आसान पहुँच, तेजी से प्रसंस्करण को सक्षम बनाने के लिए विकसित किया गया।
- ईजी अप्रूवल पोर्टल को नियंत्रक अधिकारियों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करने, उचित डिजिटल दस्तावेजीकरण के साथ त्वरित निर्णय लेने और प्रसंस्करण में देरी को कम करने के लिए विकसित किया गया।
- एनपीए ट्रेकिंग मॉड्यूल को अनियमित और दबावग्रस्त खातों की वास्तविक समय में निगरानी को सक्षम बनाने के लिए विकसित किया गया, जिससे शाखाओं को प्रारंभिक चेतावनी संकेतों की पहचान करने और वसूली में सुधार और एनपीए के स्तर को कम करने के लिए समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने में मदद मिलती है।
- शाखा 360 डिग्री पोर्टल को सभी शाखा-स्तरीय डेटा का एकल, व्यापक दृश्य प्रदान करने के लिए विकसित किया गया, जिससे त्वरित निर्णय लेने और कुशल डेटा पहुँच सक्षम हो सके।
- फाइल ट्रांसफर पोर्टल को इंटरनेट का उपयोग कर आवश्यक फाइलों को शाखाओं से कार्यालयों में या इसके विपरीत निर्बाध रूप से स्थानांतरित करने के लिए विकसित किया गया है, जिससे डेटा ट्रांसफर में समय की खपत कम हो सके।

एटीएम और डिजिटल बैंकिंग में कार्यान्वयन:

- मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एटीएम कार्ड को ब्लॉक करना: ग्राहक खोए हुए/चोरी हुए कार्डों को स्वयं ऑनलाइन माध्यम से स्थायी रूप से ब्लॉक कर सकते हैं जिससे हेल्पलाइन पर कॉल करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- नाबालिगों के लिए एटीएम कार्ड: 10 साल से अधिक उम्र के ग्राहक अब एटीएम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, खाता अभिभावक के नियंत्रण में होना चाहिए। नाबालिगों के लिए बैंकिंग तक नियंत्रित पहुँच प्रदान की गई है।

आरबीओआईटी के लिए दो दिवसीय कार्यशाला:

बैंक ने आईटी विभाग के नवीनतम विषयों पर सभी आरबीओ आईटी कर्मियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की, जिसका उद्देश्य उनके तकनीकी ज्ञान को मजबूत करना और परिचालन दक्षता को बढ़ाना है। कार्यशाला 11.12.2025 को और 12.12.2025 को कर्मचारी ज्ञानार्जन केंद्र (एसएलसी), संगारेड्डी में आयोजित की गई। कार्यशालाओं में एडीसी चैनलों, डिजिटल चैनलों, हार्डवेयर और नेटवर्क कनेक्टिविटी, कोर बैंकिंग समाधान, साइबर सुरक्षा और अन्य दैनिक तकनीकी मुद्दों के विषयों को शामिल किया गया।



VII. आंतरिक लेखापरीक्षा और नियंत्रण:

बैंक की सभी गतिविधियाँ आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य के अधीन आती हैं, जिसके अंतर्गत अलग-अलग प्रकार की लेखापरीक्षाएँ शामिल रहती हैं:

जोखिम केन्द्रित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरएफआई):

एसबीआई प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की व्यवहार्यता और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए, भारतीय स्टेट बैंक ने समय के साथ उपायों की एक श्रृंखला शुरू की है। इनमें से एक है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में आरएफआई के कार्यान्वयन में सुधार करना ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों को मजबूत किया जा सके और अनुपालन संस्कृति के मानकों में सुधार किया जा सके तथा उन्हें एसबीआई में चलाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित किया जा सके।

इस संबंध में, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग, मुख्य प्रबंधक (प्रायोजक बैंक से प्रतिनियुक्त) की अध्यक्षता में एक अलग विभाग के रूप में कार्य कर रहा है, जो सीधे बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) को रिपोर्ट करता है और बैंक के अध्यक्ष को डॉटेड लाइन रिपोर्टिंग करता है। लेखापरीक्षा प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए इस वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक में ऑनलाइन आरएफआईए शुरू किया गया, जिसमें निम्नलिखित रेटिंग प्रणाली और मापदंडवार अंक हैं।

सीआरएम/ओआरएम ग्रेडिंग वर्गीकरण इस प्रकार है:

- ग्रेड ए: 85% और उससे अधिक का स्कोर
- ग्रेड बी: 72.50% से 84.99% तक का स्कोर
- ग्रेड सी: स्कोर 65.00% से 72.49% तक
- ग्रेड डी: 65.00% से कम का स्कोर

आरएफआईए आयोजित करने के लिए आवश्यकता नीचे दी गई तालिका के अनुसार होगी:

शाखा की रेटिंग	शाखा/ कार्यालय जिसे निम्नानुसार मामना जाए	आवधिकता (अधिकतम)
ए	कम जोखिम	21 माह के भीतर
एबी और बीए	मध्यम जोखिम	18 माह के भीतर
बीबी	उच्च जोखिम	15 माह के भीतर
एसी, बीसी, सीए, सीबी और सीसी	अति उच्च जोखिम	12 माह के भीतर
एडी, बीडी, सीडी, डीए, डीबी, डीसी और डीडी	अत्यधिक उच्च जोखिम	9 माह के भीतर

इस वित्तीय वर्ष के दौरान, 5-20% महत्वपूर्ण शाखाओं (एसबीआई द्वारा चुनी गई) की अगले तीन वर्षों के लिए को-सोर्सिंग मॉडल पर टीजीबी के लेखा परीक्षकों के साथ-साथ भारतीय स्टेट बैंक के लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की जाएगी और वार्षिक अंतरालों पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

- बैंक की प्रचालन इकाइयों में “सही या गलत” अनुपालनों का परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए साक्ष्य आधारित अनुपालन परीक्षण (ईबीसीटी) शुरू किया जा रहा है। ईबीसीटी मॉड्यूल में गंभीर जोखिम का 30 प्रतिशत, उच्च जोखिम का 20 प्रतिशत और मध्यम और निम्न जोखिम का 10 प्रतिशत मूल्य विवरण तैयार किया जाएगा।
- इस वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, हमने 750 शाखाओं (को-सोर्सिंग मॉडल के तहत लेखापरीक्षा की जाने वाली सेवा शाखा और 57 शाखाओं सहित) की लेखापरीक्षा पूरी कर ली गई है, जो लेखापरीक्षा के लिए लंबित थीं। इन शाखाओं को प्रदान की गई रेटिंग निम्नानुसार है:

31.03.2025 के 65.47% की तुलना में 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार, बैंक की 63.33% शाखाओं को ए-रेटिंग दी गई। ए-रेटिंग वाली शाखाओं के अनुपात में मामूली गिरावट के लिए बैंक के संशोधित मूल्य विवरणों और संशोधित लेखा परीक्षा नीति के कार्यान्वयन को जिम्मेदार ठहराया गया है।

लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई सभी रिपोर्टों, जिन्हें 31.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार बंद किया जाना अपेक्षित था, उन्हें जहाँ भी आवश्यकता पड़ी, सुधारात्मक उपाय करके बंद कर दिया गया/निपटा दिया गया। लेखा परीक्षा विभाग ने बैंक में प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए निष्पक्षता और पूर्वाग्रह के बिना अपने परिचालन, निष्पक्षता और बिना किसी पूर्वाग्रह के संचालित किए।

निगरानी को मजबूत करने, अनुपालन सुनिश्चित करने और समग्र अभिशासन को सुदृढ़ करने के लिए नियंत्रक कार्यालयों और प्रधान कार्यालय की प्रणालीगत और प्रक्रियात्मक लेखापरीक्षा वार्षिक आधार पर आयोजित की जाएगी।

संगामी लेखापरीक्षा:

हमारे बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के एक भाग के रूप में और नाबार्ड द्वारा जारी नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2012-13 से संगामी लेखा परीक्षा प्रारंभ की गई। वर्तमान में पैसठ (65) लेखापरीक्षकों की सहायता से 359 शाखाओं और 51 हबों में संगामी लेखापरीक्षा संपन्न की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में संगामी लेखापरीक्षा के अधीन हमने बैंक के ऋण एवं अन्य एक्सपोजरों के कम से कम 50% हिस्से को कवर करने के लिए बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारियों को सूचीबद्ध किया है। संगामी लेखापरीक्षा की व्याप्ति की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की गई कि उसके अधीन बैंक की संगामी लेखापरीक्षा नीति में परिभाषित ओआरएम और सीआरएम क्षेत्र शामिल हो जाएँ। इसके अतिरिक्त दक्षता का स्तर बढ़ाने के लिए अग्रलिखित लेखापरीक्षाएँ भी आयोजित की गईं। 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार कुल 939 शाखाओं में से, 65 संगामी लेखा परीक्षकों (सीए) द्वारा ऑनलाइन डब्ल्यूबीसीएस एप्लिकेशन के माध्यम से 359 शाखाओं में संगामी लेखापरीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें कुल व्यवसाय का 61.64 प्रतिशत शामिल है, जो आरबीआई द्वारा निर्धारित 50% के मानदंड से अधिक है।

अनुपालन लेखा परीक्षा:

पिछले वित्तीय वर्ष के लिए आरएफआईए शाखाओं का 10% अनुपालन लेखा परीक्षा के तहत कवर किया जाएगा। हालांकि, हमने इस वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 99 (18.43%) शाखाओं में अनुसूची के अनुसार अनुपालन लेखा परीक्षा आयोजित की है।

आईएस ऑडिट:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सर्ट-इन पैनल में शामिल ऑडिट फर्म द्वारा आईटी सेल सहित 4 शाखाओं, 1 आरबीओ और प्रधान कार्यालय में आईएस ऑडिट संपन्न किया गया।

साइबर सुरक्षा तंत्र अंतराल और आकलन ऑडिट:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सर्ट-इन पैनल वाली ऑडिट फर्म द्वारा आईटी सेल सहित 4 शाखाओं, 1 आरबीओ और प्रधान कार्यालय में साइबर सिक्योरिटी तंत्र अंतराल आकलन ऑडिट संपन्न किया गया।

एयूए/केयूए ऑडिट:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सर्ट-इन पैनल में शामिल ऑडिट फर्म द्वारा प्रधान कार्यालय में एयूए/केयूए ऑडिट संपन्न किया गया।

भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण ऑडिट:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सर्ट-इन पैनल में शामिल ऑडिट फर्म द्वारा इन-हाउस एप्लिकेशनों और इंटरनेट एप्लिकेशनों के लिए वीए/पीटी ऑडिट संपन्न किया गया।

प्रबंधन लेखा परीक्षा:

हमारे बैंक की प्रबंधन लेखा परीक्षा हमारे प्रायोजक बैंक, यानी एसबीआई द्वारा संपन्न की जाती है। नवीनतम प्रबंधन लेखा परीक्षा 25.02.2026 को संपन्न की गई थी और इसे 73.70% के साथ "ए-" रेटिंग के रूप में दर्जा दिया गया। हमने निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रबंधन लेखा परीक्षा की रिपोर्ट पर अपनी अनुपालना प्रस्तुत कर दी है।

नाबार्ड द्वारा निरीक्षण:

नाबार्ड द्वारा, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35(6) के अंतर्गत निरीक्षण किया जाता है। नाबार्ड द्वारा पिछला निरीक्षण बैंक की 31.03.2025 तक की वित्तीय स्थिति के अनुसार किया गया था और हमने निर्धारित समयसारणी के अनुसार अनुपालना प्रस्तुत कर दी है। बैंक की पर्यवेक्षकीय रेटिंग में सुधार हुआ है यथा 31.03.2024 की वित्तीय स्थिति के अनुसार निरीक्षण में इसे 75.58 अंकों के साथ "ए" रेटिंग मिली थी, जबकि 31.03.2025 की वित्तीय स्थिति के अनुसार निरीक्षण में इसे 79.15 अंकों के साथ "ए" रेटिंग मिली है।

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति:

यह निदेशक मंडल की एक उप-समिति है जो आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण की गुणवत्ता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करती है और बैंक में वित्तीय रिपोर्टिंग, प्रकटनों, अनुपालना और जोखिम प्रबंधन का पर्यवेक्षण करती है। भारतीय स्टेट बैंक के दो नामिती निदेशकों और भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड के नामिती निदेशकों के सदस्यों के रूप में लेखा परीक्षा समिति गठित होती है। निदेशक मंडल के वरिष्ठतम निदेशक समिति के अध्यक्ष होते हैं और उन्हें रोटेशन के आधार वार्षिक रूप से अध्यक्ष बनाया जा सकता है। समिति की तिमाही अंतरालों में बैठकें होती हैं, यदि कोई विशेष परिस्थिति बनती है तो बैठकें जल्दी-जल्दी भी होती हैं।

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति आरबीआई / नाबार्ड द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र में निर्धारित कार्यसूचीगत मदों के अनुसार समीक्षा करती है (नवीनतम आरबीआई परिपत्र आरबीआई / डॉर / 2025-26 / 249 दिनांक 28.11.2025)।

ओटीएमएस (ऑफसाइट लेनदेन अनुप्रवर्तन प्रणाली):

हाल के कुछ समय में, हमारे बैंक में पता लगाई गई कुछ धोखाधड़ियों के परिणामस्वरूप बैंक को हानि हुई जो नियंत्रणों, अनुवर्ती कार्रवाइयों, समाधान और अनधिकृत/अनियमित लेनदेनों की निरंतर निगरानी में कमी के कारण हुई।

धोखाधड़ियों को रोकने/ हानियों को कम से कम रखने के लिए, हमारे बैंक में 12.02.2024 से ओटीएमएस (ऑफसाइट लेनदेन अनुप्रवर्तन प्रणाली) एप्लिकेशन कार्यान्वित किया गया।

ओटीएमएस द्वारा विचलित/ संदिग्ध लेनदेनों/ अपवादों के लिए अलर्ट जारी किए जाते हैं जिनपर शाखाओं/ आरबीओ द्वारा निरंतर आधार पर कार्रवाई की जानी होती है। शाखाओं को ओटीएमएस एप्लिकेशन में इन चेतावनियों को सत्यापित करना चाहिए और लेनदेन की वास्तविकता की पुष्टि करनी चाहिए और जहाँ भी आवश्यक हो, दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अनुपालन/सुधार करना चाहिए और आरबीओ के एसएमओ को अनुपालन की रिपोर्ट देनी चाहिए।

हमारे बैंक ने ए एण्ड एस विभाग, एसबीआई, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा अग्रेषित अपवादों की सूची में से 34 अपवादों की पहचान की है। इन 34 अपवादों में से 7 अपवाद दैनिक रूप से, 18 अपवाद साप्ताहिक रूप से, एक (1) अपवाद पाक्षिक रूप से और 8 अपवाद मासिक रूप से जनरेट होते हैं।

इन अपवादों पर आरबीओ द्वारा अपनी संबंधित शाखाओं के साथ दैनिक आधार पर सुधार/ समापन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। लेखा परीक्षा विभाग, प्रधान कार्यालय, निरंतर आधार पर लंबित ओटीएमएस चेतावनियों को बंद/ ठीक करने के लिए, आरबीओ/ शाखाओं के साथ अनुप्रवर्तन करता है।

रडार:

जोखिम के गतिशील मूल्यांकन के लिए रिमोट एप्लिकेशन (रडार) प्रक्रिया स्रोत प्रणाली-सीबीएस/एलओएस (ऋण उत्पत्ति प्रणाली) में उपलब्ध डेटा बिंदुओं के दूरस्थ मूल्यांकन पर शाखाओं की एक प्रणाली-चलित, निरंतर और केंद्रीकृत अनुप्रवर्तन प्रणाली है। सीबीएस/एलओएस से डेटा मासिक आधार पर निकाला जाएगा और फिर रडार एप्लिकेशन में पुश किया जाएगा।

रडार प्रक्रिया के तहत, स्रोत प्रणाली में अनुपलब्ध डेटा और असंगत डेटा के आधार पर अपवादों/विचलनों की पहचान करने और शाखाओं/नियंत्रकों के लिए इन अपवादों/विचलनों को प्रक्रिया नियंत्रण/अनुपालन अंतराल के रूप में चिह्नित करना प्रस्तावित है। एक बार जब रडार शाखाओं के लिए अपवाद उत्पन्न कर देता है, तो संबंधित शाखाओं को अपवादों की समीक्षा करनी चाहिए और उन्हें स्रोत प्रणाली-सीबीएस/एलओएस में सही या अद्यतन करना चाहिए।

VII. मानव संसाधन, प्रशिक्षण और औद्योगिक संबंध

हमारे कर्मचारी हमारी विकास यात्रा के केंद्र में रहते हैं। जब हमारे कर्मचारी खुश रहेंगे और आनंद से काम करेंगे, जब वे व्यस्त और सशक्त रहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमारे ग्राहकों और हितधारकों के लिए असाधारण मूल्य सृजित करेंगे। इस वर्ष, हमने विभिन्न पहलों के माध्यम से इस सबसे पहले स्टाफ दृष्टिकोण को मजबूत करना जारी रखा है।

वित्त वर्ष के दौरान, बैंक में 561 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया, जिनमें से 299 कार्यालय सहायक हैं, 211 अधिकारी स्केल-I, 38 अधिकारी स्केल-II और 13 अधिकारी स्केल-III हैं।

वर्ष के दौरान बैंक की सेवा से 65 स्टाफ सदस्य सेवानिवृत्त हुए, 101 स्टाफ सदस्यों ने त्यागपत्र दिया, 04 स्टाफ सदस्यों ने वीआरएस लिया, 01 स्टाफ सदस्य को बैंक की सेवा से बर्खास्त किया गया और 07 स्टाफ सदस्य दिवंगत हुए। 490 स्टाफ सदस्यों को एपीजीवीबी में वापस भेजा गया (एपीजीवीबी विभाजन कार्य समूह की सिफारिशों के हिस्से के रूप में), जबकि वर्ष के दौरान 31 कर्मचारियों ने एपीजीवीबी से टीजीबी में रिपोर्ट किया।

मानव संसाधन प्राफाइल:

क्रम सं.	संवर्ग	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2026 तक कुल स्टाफ का %
1	अधिकारी स्केल -V	11	9	63.63%
2	अधिकारी स्केल -IV	81	101	
3	अधिकारी स्केल -III	275	351	
4	अधिकारी स्केल -II	931	924	
5	अधिकारी स्केल -I	1523	1475	
6	कार्यालय सहायक	1352	1248	27.76%
7	कार्यालय परिचारक	398	387	8.61%
	कुल	4571	4495	

31.03.2026 तक बैंक में कर्मचारियों की औसत आयु 36.33 है। 31.03.2026 तक कुल कर्मचारियों में महिला कर्मचारियों की हिस्सेदारी 27.25 प्रतिशत है।

पदोन्नतियाँ: बैंक ने निम्नानुसार विभिन्न संवर्गों में 591 लोगों को अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नत किया। पदोन्नति के लिए आईबीपीएस के माध्यम से ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित की गई।

क्रम सं.	संवर्ग	31.03.2025	31.03.2026
1	अधिकारी स्केल -I	182	
2	अधिकारी स्केल -II	229	
3	अधिकारी स्केल -III	138	
4	अधिकारी स्केल -IV	40	
5	अधिकारी स्केल -V	2	
6	कार्यालय सहायक	0	
	कुल	591	

आंतरिक शिकायत समिति (पॉश)

हमने, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतिक्रिया) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को कार्यान्वित कर बैंक में महिला कर्मचारियों के लिए कार्य करने का एक सुरक्षित वातावरण स्थापित किया है। यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्य करने के लिए हमने 17 क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालयों और प्रधान कार्यालय में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। हम दोनों वर्गों के कर्मचारियों को एक स्वस्थ और प्रवाहकीय कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए जागरूक करते आ रहे हैं।

स्टाफ कल्याण उपाय:

- मेडिकलेम पॉलिसी: भारत सरकार के दिनांक 20.10.2016 के पत्र सं. एफ. 8/1/2015-आरआरबी के अनुसरण में हमारे बैंक ने कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ-साथ उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के लिए अनुसूची IV में वर्णित 10वें द्विपक्षीय समझौते के अनुसार चिकित्सा बीमा योजना लागू की है। इस योजना में कर्मचारी + पति/पत्नी + आश्रित बच्चे + 2 आश्रित माता-पिता/ सास-ससुर शामिल हैं, जिनकी बीमा राशि क्रमशः अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ₹5,25,000 और ₹4,00,000 है। यदि अस्पताल में भर्ती होने का खर्च बीमा राशि से अधिक का होता है, तो हमने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए क्रमशः ₹10.50 लाख और ₹8.00 लाख तक के अतिरिक्त व्यय को कवर करने के लिए एक कॉरपोरेट बफर भी लिया हुआ है। इस योजना में सुपर स्पेंशलिटी अस्पतालों सहित अनुमोदित अस्पतालों में तुरंत नकदीरहित चिकित्सा सुविधा के साथ अस्पताल में बिना किसी परेशानी के प्रवेश की सुविधा के अलावा, इसमें घरेलू उपचार खर्च भी शामिल हैं।
- सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी: हमारे अधिकांश स्टाफ सदस्य युवा हैं और अक्सर विभिन्न आधिकारिक कार्यों जैसे नकदी प्रेषण, वसूली के लिए फील्ड दौरे, इकाइयों के निरीक्षण, समीक्षा बैठकों इत्यादि के लिए सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं और सड़क दुर्घटनाओं के जोखिम और जान के खतरे का भी सामना करते हैं। हमने कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना पैदा करने और स्टाफ सदस्यों के मनोबल को ऊँचा रखने के लिए अधिकारियों के लिए ₹25.00 लाख, विकास सहायकों के लिए ₹15.00 लाख और कार्यालय परिचारकों के लिए ₹15.00 लाख की सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी ले रखी है।
- ग्रेच्युटी, पेंशन और छुट्टी नकदीकरण निधि: बैंक ने ग्रेच्युटी, पेंशन और छुट्टी नकदीकरण के मामलों में प्रावधान संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखा है। 31.3.2026 की स्थिति के अनुसार कुल ग्रेच्युटी के रूप में ₹15.50 करोड़, पेंशन के रूप में कुल ₹14 करोड़ और छुट्टी नकदीकरण के रूप में ₹60 करोड़ का कॉर्पस रखा है।

- घ) औद्योगिक संबंध: प्रबंधन और अधिकारी संघ व कर्मचारी संघ ने वर्ष के दौरान सामने आने वाले नेमी प्रकार के मुद्दों के अनुकूल समाधान निकालते हुए स्टाफ सदस्यों के कल्याण और बैंक के व्यवसाय के विकास के लिए मिलकर काम किया है. वर्ष के दौरान कार्य का सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण वातावरण बना रहा.
- ङ) अनुसूचित जाति/ जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का कल्याण: बैंक ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे और भर्ती, पदोन्नति आदि से संबंधित पहलुओं में वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया. बैंक ने कल्याण संघों के प्रतिनिधियों और उनके संपर्क अधिकारियों के साथ उनकी शिकायतों के निवारण के लिए नियमित बैठकें आयोजित कीं. बैंक ने कर्मचारियों के मनोबल और अभिप्रेरणा को ऊँचा बनाए रखने के लिए सभी कदम उठाए हैं.
- च) सेवानिवृत्ति लाभों का निपटान: बैंक ने यह नीति बना रखी है कि सभी सेवानिवृत्ति लाभों का निपटान स्टाफ सदस्यों की सेवानिवृत्ति की तिथि पर ही पूरा कर लिया जाए. यह प्रक्रिया सेवानिवृत्ति से दो महीने पहले शुरू हो जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेवानिवृत्ति की तिथि पर भुगतान करने के लिए सभी औपचारिकताएँ पूरी हो सकें.
- छ) अनुकंपा के आधार अनुकंपा नियुक्ति की योजना: बैंक ने दिनांक 31.12.2018 के अपने पत्र सं. 7/38/ 2014-आरआरबी के माध्यम से जारी भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसरण में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लागू योजना के अनुसार अपने यहाँ अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए संशोधित मॉडल योजना लागू की है. हमारे बैंक में दोनों विकल्प मौजूद हैं अर्थात् अनुकंपा नियुक्ति/ अनुकंपा नियुक्ति के बदले एकमुश्त अनुग्रह राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, योजना के तहत चार पात्र आवेदकों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया गया था. मामले विचाराधीन हैं, और बैंक की नीति और दिशानिर्देशों के अनुसार नियुक्तियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में अंतिम रूप दे दिया जाएगा.
- ज) सशस्त्र सेना झंडा दिवस (एएफएफडीएफ) के लिए दान – एक दिन का विशेषाधिकार अवकाश (पीएल) वेतन: केंद्रीय सैनिक बोर्ड, भारत सरकार द्वारा प्रशासित सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में स्टाफ सदस्यों ने स्वेच्छा से ₹65.98 लाख की राशि दान में दी है, जो पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को उनके बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा उपचार, दिव्यगता अनुदान और अन्य कल्याणकारी उपायों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है. माँग ड्राफ्ट केंद्रीय सैनिक बोर्ड, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया था.

विधि विभाग का गठन:

निदेशक मंडल ने 01.07.2025 से विधि विभाग के गठन को मंजूरी दी है. विभाग दिन-प्रतिदिन आधार पर उच्च-न्यायालयों, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) और उपभोक्ता अदालतों के समक्ष बैंक के खिलाफ दायर मामलों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है. बैंक के विरुद्ध दायर मामलों में प्रभावी मामला प्रबंधन और कानूनी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए, विधि विभाग दैनिक वाद सूचियों की निगरानी करता है, जहाँ कहीं आवश्यक होता है, न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेता है और संबंधित अधिवक्ताओं के साथ परामर्श की व्यवस्था करता है. इसके अलावा, मामलों की स्थिति की समीक्षा करने और कानूनी अनुवर्ती कार्रवाई और समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए प्रधान कार्यालय में बैंक के पैनल अधिवक्ताओं के साथ तिमाही समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं.

चूक करने वाले उधारकर्ताओं के खिलाफ दायर वसूली मुकदमों की निगरानी के लिए, बैंक ने अपने आईटी विभाग के माध्यम से एक इन-हाउस पोर्टल विकसित किया है. पोर्टल निर्धारित विवेकाधीन शक्तियों के अनुसार शाखाओं द्वारा प्रस्तुत सूट-फाइलिंग प्रस्तावों के प्रसंस्करण और अनुमोदन की सुविधा प्रदान करता है, साथ ही कानूनी कार्यवाही की शुरुआत के बाद मुकदमे-दायर खातों की व्यवस्थित ट्रैकिंग और अनुवर्ती कार्रवाई की सुविधा प्रदान करता है. विभाग ने वसूली प्रदर्शन में सुधार और रिकवरी सूट की निगरानी बढ़ाने में योगदान दिया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, इस श्रेणी के तहत वसूली में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में काफी वृद्धि हुई, जो ₹4.87 करोड़ की थी. इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान सभी 17 क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालयों (आरबीओ) में पैनल अधिवक्ताओं की समीक्षा की गई ताकि उनके कार्य निष्पादन का आकलन किया जा सके और बैंक के विधिक वसूली तंत्र को मजबूत किया जा सके.

विधि विभाग सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम से संबंधित मामलों की देख रेख करता है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक के प्रधान कार्यालय को 192 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से सभी को निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटाया गया. साथ ही, केंद्रीय आसूचना आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, बैंक ने एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष एजेंसी के माध्यम से पारदर्शिता लेखापरीक्षा की.

स्टाफ प्रशिक्षण:

कर्मचारियों के निरंतर विकास और क्षमता निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, तेलंगाणा ग्रामीण बैंक ने पूरे वर्ष विभिन्न केंद्रों पर अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला सफलतापूर्वक आयोजित की है। ये पहले कर्मचारी दक्षताओं को मजबूत करने, सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने और परिचालन उत्कृष्टता बढ़ाने पर हमारे रणनीतिक ध्यान को प्रतिबिंबित करती है।



उच्च-मूल्य अग्रिमों पर कीसरा में आयोजित कार्यशाला

प्रशिक्षण का संक्षिप्त विवरण:

इस वर्ष हमारे वृहद् प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 2,773 कर्मचारियों ने भाग लिया। इन प्रशिक्षण सत्रों का उद्देश्य तकनीकी ज्ञान को बढ़ाना, ग्राहक सेवा कार्य-क्षमताओं में सुधार लाना और भूमिका-विशिष्ट विशेषज्ञता विकसित करना था। सभी कर्मचारियों की अधिकतम पहुँच और उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ये प्रशिक्षण सत्र विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किए गए।

कार्यालय सहायक: कुल 936 ग्राहक सेवा सहायकों को दक्षता सुधारने, परिचालन ज्ञान और सेवा वितरण मानकों में सुधार लाने के उद्देश्य से लक्षित प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रवेश: 289 नव-नियुक्त विकास सहायकों को बैंक की नीतियों, प्रक्रियाओं, और कार्य संस्कृति पर संरचित परिचय के साथ प्रवेश प्रशिक्षण प्रदान किया गया ताकि वे अपनी भूमिकाओं में निर्बाध रूप से ढल सकें।

अधिकारी: कुल 1,837 अधिकारियों ने विकसित बैंकिंग परिदृश्य के अनुरूप प्रबंधकीय क्षमताओं, तकनीकी विशेषज्ञता और निर्णय लेने के कौशल को मजबूत करने के उद्देश्य से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राप्त किया।

प्रवेश: 270 नव-नियुक्त अधिकारियों को शुरू से ही प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करने और संगठनात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप होने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ प्रवेश प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

फील्ड अधिकारी: 892 फील्ड अधिकारियों को ऋण मूल्यांकन, क्षेत्र निरीक्षण और उधारकर्ता मूल्यांकन में व्यावहारिक कौशल के साथ भूमिका आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया गया ताकि ऋण देने के ठोस निर्णय सुनिश्चित किए जा सकें, जिससे ऋण कार्य-निष्पादन का अनुप्रवर्तन करने की उनकी क्षमता को मजबूत किया जा सके।

लेखाकार: 37 लेखाकारों को बैंकिंग परिचालनों में विनियामक अनुपालना और वित्तीय अखंडता पर केंद्रित प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

शाखा प्रबंधक: वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु शाखा का कार्यनिष्पादन बढ़ाने के लिए नेतृत्व, व्यवसाय विकास और परिचालन नियंत्रण को मजबूत करने पर केंद्रित 321 शाखा प्रमुखों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

विशेष प्रशिक्षण: दो दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से लेखा परीक्षा में 21 डेस्क अधिकारियों के लिए और आईटी में 17 डेस्क अधिकारियों के लिए उनकी तकनीकी और परिचालन क्षमताओं को मजबूत करने हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए. बैंक की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण नीति के हिस्से के रूप में, कर्मचारियों को उनके अधिकारों, लाभों और संगठनात्मक सहायता प्रणालियों के बारे में जागरूकता के साथ सशक्त बनाने और एक समावेशी कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए रोस्टर प्रबंधन, आरक्षण नीतियों, करियर की प्रगति और समान अवसर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में अनुशासनात्मक कार्यवाही पर सत्र भी शामिल किए गए. कार्य स्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कार्यस्थल सुरक्षा नियमों के साथ जागरूकता और अनुपालन को सुदृढ़ बनाने के लिए, पॉश दिशानिर्देशों पर पॉश समिति के सदस्यों के लिए एक समर्पित वेबिनार आयोजित किया गया, ताकि समिति के सदस्यों को नवीनतम ज्ञान से सुसज्जित किया जा सके.

चल रही प्रशिक्षण पहलें: यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी लगातार विकसित होती बैंकिंग प्रथाओं और विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप अपने ज्ञान और कौशल को अपडेट करते रहें निरंतर आधार पर उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. ये कार्यक्रम सतत ज्ञानार्जन को बढ़ावा देते हैं, जिससे कर्मचारियों को तकनीकी प्रगति और ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं के प्रति प्रभावी ढंग स्वयं को ढालने में मदद मिलती है.



अधिकारियों के लिए इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण का प्रभाव:

प्रशिक्षण की पहलों से मानयोग्य परिणाम प्राप्त हुए हैं, जो संगठनात्मक प्रभावशीलता में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं:

- ✓ स्टाफ की सभी श्रेणियों में कार्य-निष्पादन और दक्षता में सुधार हुआ है.
- ✓ कर्मचारियों की सहभागिता, अभिप्रेरणा और कार्य-संतुष्टि में वृद्धि हुई है.
- ✓ नई बैंकिंग प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों को संभालने की दक्षता में वृद्धि हुई है.
- ✓ ग्राहक सेवा मानक और समग्र सेवा गुणवत्ता सुदृढ़ हुई है.

भविष्य में फोकस वाले क्षेत्र:

कार्यबल की कार्य-क्षमताओं को और सुदृढ़ करने के लिए, बैंक निम्नलिखित रणनीतिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- **डिजिटल बैंकिंग कौशल:** आधुनिक ग्राहकों की लगातार बढ़ती प्रत्याशाओं को पूरा करने के लिए डिजिटल बैंकिंग मंचों और उपकरणों में कर्मचारियों की प्रवीणता बढ़ाना.
- **नेतृत्व विकास:** रणनीतिक सोच और निष्पादन में सुधार लाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को संरचित नेतृत्व और प्रबंधन प्रशिक्षण प्रदान करना.
- **क्रॉस-फंक्शनल प्रशिक्षण:** कर्मचारियों को बैंकिंग के विभिन्न कार्यों का परिचय प्राप्त करने में सक्षम बनाने के माध्यम से बहु-कौशल विकास का संवर्धन करना ताकि लचीलेपन और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके.



बैंक ने हैदराबाद में आयोजित श्रम, वस्त्र और कौशल विकास स्थायी समितिके अध्ययन दौर में सहभागिता की

उपसंहार

कर्मचारी प्रशिक्षण में बैंक के सतत निवेश ने संगठनात्मक विकास और ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. कौशल विकास, नवोन्मेषण और कर्मचारी सशक्तिकरण पर निरंतर ध्यान केंद्रित करते हुए, तेलंगाणा ग्रामीण बैंक उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने और परिचालनात्मक कार्यनिष्पादन में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने की अच्छी-स्थिति में है.



बैंक ने महिला दिवस, बथुकम्मा उत्सव और खेलकूद प्रतियोगिताका आयोजन किया

IX. परिचालन विभाग

वार्षिक शाखा विस्तार 2025-26

वार्षिक शाखा विस्तार योजना के हिस्से के रूप में, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 6 नई शाखाएँ (वेनमपल्ली, बुद्धारम, रंगापुर, वेंकटपुरम, पोंकल, इंद्रेशम) खोलकर राज्य भर में अपनी उपस्थिति को और मजबूत किया, जो सभी टियर V और टियर VI केंद्रों में स्थित हैं। तेलंगाणा के सभी 33 जिलों में फैली 939 शाखाओं के नेटवर्क और 17 क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालयों (आरबीओ) द्वारा समर्थित, बैंक राज्य में दूसरे सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क के रूप में उभरा है, जिसमें शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाओं की व्यापक पहुँच और व्याप्ति है।

इस गति के आधार पर, बैंक ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 27 अतिरिक्त शाखाएँ खोलने की योजना बनाई है, जिससे राज्य भर में इसकी उपस्थिति और मजबूत हो सके और अल्पसेवित और संभावित विकास केंद्रों में इसकी पहुँच को गहरा किया जा सके।



अध्यक्ष श्री के. प्रताप रेड्डी ने संगारेड्डी आरबीओ की इंद्रेशम शाखाका उद्घाटन किया

शाखा नवीनीकरण और ब्रांडिंग पहल:

ग्राहक सेवा वितरण को उन्नत करने और अपनी ब्रांड उपस्थिति को मजबूत करने की बैंक की वर्तमान प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, वित्तीय वर्ष के दौरान एक शाखा नवीनीकरण पहल शुरू की गई।

वर्ष के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में लगभग 20 प्रतिशत शाखाओं को कवर करते हुए, सभी क्षेत्रों में चुनिंदा शाखाओं में नवीनीकरण और परिवेश कार्य करने का प्रस्ताव किया गया था। इन कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग ₹5.00 करोड़ की राशि खर्च की गई।

शाखा की साज-सज्जा और ग्राहक अनुभव में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने सभी नई खुली शाखाओं, नए परिसरों में स्थानांतरित होने वाली शाखाओं और नवीनीकरण के कार्यों से गुजर रही शाखाओं के लिए एक समान शाखा परिवेश मॉडल को मंजूरी दी। इस पहल ने बैंक के नेटवर्क में एक मानकीकृत रूप और अनुभव स्थापित करने में मदद की है।



साथ ही, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए राष्ट्रव्यापी नई लोगो ब्रांडिंग पहल के हिस्से के रूप में, बैंक ने सभी शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में नए लोगो को सफलतापूर्वक लागू किया। शाखा के नाम बोर्डों, साइनेजों, आवेदन पत्रों, सुरक्षा लेखन-सामग्री, और ग्राहक के सामने जाने वाली अन्य सामग्री में आवश्यक परिवर्तन किए गए, जहाँ भी लागू हो, एक समान ब्रांड प्रतिनिधित्व और बिना किसी विचलन के संशोधित ब्रांडिंग दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया। नई ब्रांडिंग पहल के कार्यान्वयन के लिए लगभग ₹1.50 करोड़ खर्च किए गए।

शाखा नवीनीकरण और ब्रांडिंग पहल ने बैंक की छवि को निखारने, ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार लाने और इसके नेटवर्क में एक आधुनिक और कुशल बैंकिंग वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रियाओं के माध्यम से ₹6.70 करोड़ की अधिप्राप्ति गतिविधियाँ प्रारंभ की गईं। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों और डिजिटल खरीद को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल के अनुरूप, ₹5.80 करोड़ की संविदाएँ सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल के माध्यम से निष्पादित की गईं, जो कुल निविदा-आधारित खरीद का लगभग 87% हैं।



अध्यक्ष श्री के. प्रताप रेड्डी ने नलगोंडा क्षेत्र की के मल्लेपल्ली शाखा के नए परिसरका उद्घाटन किया

ब्रांड उपस्थिति का उन्नयन - एकीकृत विपणन पहलें:

ब्रांड की दृश्यता बढ़ाने, सामुदायिक जुड़ाव को मजबूत करने और अनेक मंचों पर बैंक के उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए सुनियोजित तरीके से विपणन और आउटरीच पहलों की एक श्रृंखला निष्पादित की गई:

- पूरे तेलंगाणा में ईनाडु, साक्षी और आंध्र ज्योति जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रिंट मीडिया अभियान.
- सिनेमा घरों में विज्ञापनों के साथ-साथ एनटीवी और भक्ति टीवी पर टेलीविजन प्रचार.
- रेडियो सिटी एफएम 91.1 पर रेडियो अभियान, ताकि हमारे बैंक के जमा उत्पादों के बारे में व्यापक श्रोताओं तक पहुँच सुनिश्चित हो सके.
- राज्य भर में परिचालन दक्षता और एकीकृत सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप "एक राज्य-एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" की पहल का कार्यान्वयन.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के 50 वर्ष पूरे होने के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर, बैंक ने सामुदायिक कल्याण, कर्मचारी जुड़ाव और सार्वजनिक सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए समारोह के हिस्से के रूप में विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और सार्वजनिक आउटरीच गतिविधियों का आयोजन किया. की गई प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

- रेड क्रॉस सोसाइटी, डॉ. अग्रवाल नेत्र अस्पताल और वासन आई केयर के सहयोग से रक्तदान शिविरों और निशुल्क नेत्र जाँच पहलों का आयोजन, जनता की सक्रिय भागीदारी के साथ आयोजित किया गया, जो सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक कल्याण के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है.
- 25 सितंबर 2025 को सक्रिय सार्वजनिक भागीदारी के साथ आयोजित राष्ट्रव्यापी स्वैच्छिक श्रमदान गतिविधियों सहित "स्वच्छता ही सेवा 2025" में भागीदारी, स्वच्छता और नागरिक जिम्मेदारी के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित करती है.
- बतुकम्मा समारोह के अवसर पर, त्योहार के सांस्कृतिक महत्व और क्षेत्रीय महत्व को पहचानते हुए, समावेश, सांस्कृतिक गौरव और कर्मचारी जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए महिला कर्मचारियों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए.

X. अभिशासन - निदेशक मंडल:

बैंक कॉर्पोरेट अभिशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्च मानकों के लिए प्रतिबद्ध है, जो विनियामक दिशानिर्देशों और सर्वोत्तम उद्योग मानकों के साथ इसकी पद्धतियों को संरेखित करते हैं.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9 के अनुसार, बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल का विधिवत गठन और अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिन्हें अधिनियम की धारा 11(1) के तहत नियुक्त किया जाता है. निदेशक मंडल की संरचना भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, प्रायोजक बैंक और तेलंगाणा सरकार सहित प्रमुख हितधारकों का प्रतिनिधित्व करती है.

निदेशक मंडल रणनीतिक दिशा प्रदान करता है और बैंक के वित्तीय कार्य-निष्पादन, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण, अनुपालन और अभिशासन प्रक्रियाओं का पर्यवेक्षण करता है. सभी निदेशक विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं.

अभिशासन की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए निदेशक मंडल और उसकी समितियों के कामकाज की समय-समय पर समीक्षा की जाती है.

निदेशक मंडल की बैठकें:

कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान, बोर्ड ने वैधानिक न्यूनतम आवश्यकता से अधिक 10 बैठकें आयोजित कीं.

सभी बैठकों में निर्धारित गणपूर्ति मौजूद थी, और गणपूर्ति के अभाव में कोई भी बैठक स्थगित नहीं की गई. सहायक सामग्री सहित कार्यसूचीगत टिप्पणियाँ अग्रिम रूप से सभी को वितरित की जाती हैं ताकि सूचित विचार-विमर्श को सुविधाजनक बनाया जा सके. निदेशक चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, और निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, असहमति, यदि कोई हो, को कार्यवृत्त में दर्ज किया जाता है.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों से बैठक में सहभागिता का प्रावधान भी उपलब्ध कराया गया है.

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल ने अन्य बातों के साथ-साथ व्यवसाय वृद्धि, आस्ति गुणवत्ता, डिजिटल पहलें और आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया.

01.01.2025 से 31.03.2026 तक आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों के विवरण:

24.01.2025(वीसी), 28.02.2025(वीसी), 17.03.2025(वीसी), 29.04.2025(वीसी), 13.06.2025(भौतिक), 04.07.2025(भौतिक), 16.07.2025(वीसी), 29.09.2025(भौतिक), 14.10.2025(वीसी), 30.12.2025(भौतिक), 24.02.2026(भौतिक).

निदेशकों की उपस्थिति:

क्रम सं.	नामांकन प्राधिकारी	निदेशक का नाम	कैलेंडर वर्ष 2025 में बैठकें (कार्यकाल के दौरान)		विव 2025 में बैठकें (कार्यकाल के दौरान)	
			आयोजित	उपस्थित	आयोजित	उपस्थित
1	अध्यक्ष (क्षेत्रा बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 11(3) के अंतर्गत)	श्रीमती वाई शोभा	4	4	1	1
		श्री के प्रताप रेड्डी	6	6	7	7
2	आरबीआई के नामिती निदेशक (क्षेत्रा बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9(1)(बी) के अंतर्गत)	श्री उमेश लामलिंग स्वामी	3	2	0	0
		श्री राजू रत्लावत	7	7	8	8
3	नाबार्ड के नामिती निदेशक (क्षेत्रा बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9(1)(सी) के अंतर्गत)	श्रीमती दीप्ति सुनिल	7	7	4	4
		श्री आर गणपति	3	3	4	4
4	एसबीआई के नामिती निदेशक – सीसी (क्षेत्रा बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9(1)(डी) के अंतर्गत)	श्री वी शिव कुमार	7	7	4	4
		श्री प्रकाश चन्द्र बरोड़	3	3	4	4
5	एसबीआई के नामिती निदेशक-एलएचओ (क्षेत्रा बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9(1)(डी) के अंतर्गत)	श्री प्रियव्रत मिश्र	10	7	8	6
6	राज्य सरकार के निदेशक-1 (क्षेत्रा बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9(1)(ई) के अंतर्गत)	डॉ. बी गोपी, आईएएस	10	1	8	1
7	राज्य सरकार के निदेशक-2 (क्षेत्रा बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9(1)(ई) के अंतर्गत)	श्री राई रवि	10	3	8	3
8	भारत सरकार – आधिकारिक निदेशक (क्षेत्रा बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9(3) के अंतर्गत)	श्री विवेक गुप्ता	5	5	6	5
9	भारत सरकार के नामिती निदेशक (क्षेत्रा बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9(1)(ए) के अंतर्गत)	रिक्त	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
10	भारत सरकार के नामिती निदेशक (क्षेत्रा बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9(1)(ए) के अंतर्गत)	रिक्त	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन:

वर्ष के दौरान, निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	परिवर्तन की प्रकृति	तिथि
1	श्रीमती वाई शोभा	बैंक के अध्यक्ष	समाप्ति	29.05.2025
	श्री के प्रताप रेड्डी		नियुक्त	
2	श्री वी शिव कुमार	प्रायोजक बैंक (एसबीआई) मुंबई	समाप्ति	21.08.2025
	श्री प्रकाश चन्द्र बरोड़		नियुक्त	
3	श्री उमेश रामलिंग स्वामी	आरबीआई, तेलंगाणा कार्यालय	समाप्ति	15.04.2025
	श्री आर. राजू		नियुक्त	
4	श्रीमती दीप्ति सुनिल	नाबार्ड तेलंगाणा कार्यालय	समाप्ति	15.09.2025
	श्री आर गणपति		नियुक्त	
5	श्री विवेक गुप्ता	वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार	नियुक्त	30.06.2025

निदेशक मंडल की उप-समितियाँ:

निदेशक मंडल ने प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों पर केंद्रित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उप-समितियों का गठन किया है। इन समितियों की सिफारिशों को बोर्ड के समक्ष विचारार्थ और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

- **निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी):** ने 7 बैठकें की और वित्तीय विवरणों, लेखापरीक्षा प्रेक्षणों, आंतरिक नियंत्रणों और अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की।
- **धोखधड़ियों के अनुप्रवर्तन के लिए निदेशक मंडल की विशेष समिति (एससीबीएमएफ):** राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार गठित, इस समिति ने धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा करने और उनकी समय पर समाप्ति की निगरानी करने के लिए 4 बैठकें की।
- **विशेष समीक्षा समिति:** 55 वर्ष की आयु या 30 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अधिकारियों के मामलों की समीक्षा करने और सेवानिवृत्ति या आगे की समीक्षा तक उन्हें जारी रखने पर निर्णय लेने के लिए समिति ने 4 बैठकें की।
- **ग्राहक सेवा समिति:** ग्राहक सेवा मानकों और शिकायत निवारण तंत्र की समीक्षा करने के लिए समिति की 4 बैठकें हुईं।
- **जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी):** जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और शमन की देखरेख के लिए समिति ने 4 बैठकें की।
- **एनपीए निगरानी समिति:** अनर्जक आस्तियों (एनपीए) और वसूली कार्य-निष्पादन की समीक्षा और निगरानी करने के लिए इस समिति ने 4 बैठकें की।
- **आईटी रणनीति समिति (आईटीएससी):** आईटी रणनीति और प्रमुख नीतिगत पहलों की समीक्षा और अनुमोदन के लिए समिति ने एक बैठक की।

निदेशक मंडल निवर्तमान निदेशकों द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान किए गए मूल्यवान मार्गदर्शन और योगदान के लिए हृदय से सराहना करता है। निदेशक मंडल निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान प्रदान किए गए नेतृत्व और सेवाओं के लिए अपनी गहरी सराहना भी व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल नवागंतुक निदेशकों और नवनियुक्त अध्यक्ष का गर्मजोशी से स्वागत करता है और अभिशासन को मजबूत करने और बैंक के विकास को आगे बढ़ाने के लिए उनके निरंतर मार्गदर्शन की आशा करता है।

XI. सतर्कता प्रशासन:

"सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी" के प्रमुख विषय के साथ बैंक ने 27 अक्तूबर से 2 नवंबर 2025 तक अपने प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालयों और सभी शाखाओं में सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया।

सभी स्टाफ सदस्यों द्वारा पूरी स्फूर्ति और उत्साह के साथ प्रायोजक बैंक के निर्देशों के अनुसार सभी गतिविधियों का आयोजन किया गया और हमने अनंतिम लक्ष्यों के अनुसार सभी उद्देश्यों को प्राप्त किया।

बैंक ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जागरूकता ग्राम सभाओं, वाद-विवाद/ भाषण/ परिचर्चाओं, शिकायत निवारण शिविरों इत्यादि का आयोजन किया, प्रमुख स्थानों पर बैनर प्रदर्शित किए, नीतियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं आदि पर प्रधान कार्यालय में प्रश्नोत्तरी का आयोजन और सभी स्टाफ सदस्यों के लिए ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया।



आरबीओ वारंगल में आयोजित सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम



प्रधान कार्यालय में सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में कर्मचारियों ने भाग लिया

सभी स्टाफ सदस्यों और ग्राहकों को अपने दैनंदिन कार्यों में सतर्क रहने हेतु सुग्राही बनाने के लिए सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और समीक्षा बैठकों में एक सत्र रखा गया।

व्हिसल ब्लोअर नीति:

कामकाज के दौरान उच्चतम नैतिक, सदाचारी और व्यावसायिक मानकों को सुनिश्चित करने और बैंक के भीतर कॉर्पोरेट प्रशासन की एक स्थायी और मजबूत संस्कृति का निर्माण करने के लिए समीक्षा बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्हिसल ब्लोअर तंत्र के महत्व को दोहराया जाता है। इस नीति का उद्देश्य बैंक के सभी कर्मचारियों को अवैध, अनैतिक या अनुचित कार्यों, व्यवहारों अथवा पद्धतियों की संभावित अथवा वास्तविक घटना को प्रतिशोध से डरे बिना रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना है। कर्मचारी इस नीति के माध्यम से अनियमितताओं, कदाचारों और अन्य दुष्कर्मों पर अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकते हैं। बैंक में व्हिसल ब्लोअर नीति वर्ष 2006 से प्रचलन में है।

आँकड़ों में प्रदर्शन

तुलन पत्र और लाभ और हानि लेखा
अनुसूचियां और खातों पर टिप्पणियां

बैंक के लेखा परीक्षक - सनदी लेखाकार

- मेसर्स उमामहेश्वर राव एण्ड कं.
सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक
शाखा लेखापरीक्षक
- जी के राव एंड कंपनी
- आकाशम एंड एसोसिएट्स
- एस कस्तूरी रंगन एंड कंपनी
- एन एस वी आर एंड एसोसिएट्स एलएलपी
- मनोहर और वेंकट
- श्रीधर मोहन एंड एसोसिएट्स
- अग्रवाल एंड लड्डा
- शर्मा एंड कंपनी
- एम हरीश एंड एसोसिएट्स
- स्वामी और शेषाद्रि
- एस सी वी एंड एसोसिएट्स
- आर बी काबरा एंड कंपनी
- एस बी काबरा एंड कंपनी
- वीएसएमबीएंड एसोसिएट्स
- मतेश एंड रमण
- जी डी उपाध्याय एंड कंपनी
- के एआर ए एंड एसोसिएट्स
- पी पी के जीएंड कंपनी
- एम एस राव एसोसिएट्स
- सूर्यनारायण एंड सुरेश
- डी शिवा नागेश्वर राव एंड कंपनी
- वसंत राव एंड एसोसिएट्स
- भास्कर राव एंड एसोसिएट्स
- ए एस आर वी प्रसाद एंड कंपनी
- एस वी डी एंड एसोसिएट्स
- वीएमएम एंड कंपनी
- अभिनव एंड एसोसिएट्स
- टीआरए के एंड एसोसिएट्स
- टी मोहन एंड एसोसिएट्स
- जे वी एस एल एंड एसोसिएट्स
- डी वी रमण राव एंड कंपनी
- जी एस माधव राव एंड कंपनी
- गारे एंड कंपनी
- आंजनेयुलु एंड कंपनी
- के प्रह्लाद राव एंड कंपनी
- लुहारुका एंड एसोसिएट्स
- कृष्णा एंड प्रसाद
- नरोत्तम माधव एंड रमेश
- नरसिम्हा राव एंड एसोसिएट्स

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

तेलंगाणा ग्रामीण बैंक के सदस्य

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

- हमने तेलंगाणा ग्रामीण बैंक ('बैंक') के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2026 तक के तुलन-पत्र और इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखों और नकदी प्रवाह विवरणों, वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं सहित हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 55 शाखाओं और सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 577 शाखाओं के उस तिथि को समाप्त वर्ष की विवरणियाँ शामिल हैं। जिन शाखाओं की लेखापरीक्षा हमने की है और जिन शाखाओं की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, उनका चयन बैंक ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा उसे जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया है।

तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखों और नकदी प्रवाह विवरण में लेखापरीक्षा नहीं की गई 307 शाखाओं और 17 क्षेत्रीय कार्यालयों की विवरणियाँ भी सम्मिलित हैं। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों का बैंक के अग्रिमों में 24.83% का हिस्सा है, जमाराशियों में 21.04%, ब्याज आय में 20.26% और ब्याज व्यय में 13.02% का हिस्सा है।

- हमारी राय में और हमें प्राप्त सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ('नाबार्ड') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों द्वारा अपेक्षित जानकारी देते हैं और बैंक के लिए वांछित तरीके और भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं, और:

- अपनी टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र, एक पूर्ण और सही तुलन-पत्र है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण सम्मिलित हैं और उसे समुचित रूप से तैयार किया गया है ताकि 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार बैंक के कार्यकलापों का सही और स्पष्ट चित्र दर्शाया जा सके;
- अपनी टिप्पणियों के साथ पठित लाभ और हानि लेखा लाभ का सही शेष दर्शाता है; और
- नकदी प्रवाह विवरण, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी के प्रवाहों का सही और स्पष्ट चित्र दर्शाता है।

अभिमत का आधार

- हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का और अधिक विवरण हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नाम के खंड में लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों के अंतर्गत दिया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता और भारत में वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसरण में अपनी नैतिक जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा प्रमाण हमने प्राप्त किए हैं वे हमारे अभिमत को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

लेखापरीक्षा के प्रमुख मुद्दे

- हमारे व्यावसायिक मत के अनुसार लेखापरीक्षा से संबंधित प्रमुख मुद्दे वे हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मुद्दों पर वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में समग्र आधार पर विचार किया गया है और उनपर अपने अभिमत पर पहुँचने में प्रमुख लेखापरीक्षा मुद्दों पर अलग अभिमत नहीं दिए गए हैं।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मदें
उसे कैसे निपटाया गया है
अग्रिम:
ऋणों और अग्रिमों के वर्गीकरण, उनपर प्रावधान और आय निर्धारण में सटीकता

भारतीय रिजर्व बैंक/ नाबार्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण और अनर्जक अग्रिमों की पहचान और उनके लिए प्रावधान.

अग्रिमों में नकदी ऋण, माँग पर चुकाए जाने वाले ओवरड्राफ्ट ऋण और मीयादी ऋण होते हैं.

बैंक की कुल आस्तियों का 69.16% अग्रिम हैं. ये, अन्य बातों के साथ-साथ, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन (आईआरएसी) मानदंडों और भारतीय रिजर्व बैंक/ नाबार्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं, जो अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक अग्रिमों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान करते हैं. बैंक अपनी लेखांकन नीति सं. 3.2 के अनुसार आईआरएसी मानदंडों के आधार पर इन अग्रिमों को वर्गीकृत करता है.

अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान के लिए एक उचित तंत्र की स्थापना आवश्यक होती है. बैंक अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी प्रणाली) यानी कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में अग्रिमों से संबंधित सभी लेन-देनों का लेखा-जोखा रखता है, जिससे यह भी पता चलता है कि अग्रिम अर्जक हैं या अनर्जक. इसके साथ ही, अनर्जक आस्ति वर्गीकरण आईटी प्रणाली (सीबीएस) के माध्यम से किया जाता है और आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों (अर्जक और अनर्जक) के लिए प्रावधानन एक्सेल शीट जैसे साधनों का उपयोग कर सिस्टम के बाहर किया जा रहा है.

यदि अलग-अलग या कुल मिलाकर, आईआरएसी मानदंडों का सही-सही पालन नहीं किया जाता है, तो इन अग्रिमों के वहन मूल्य (प्रावधानों को घटाकर) की महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति हो सकती है. लेनदेनों की प्रकृति, विनियामक अपेक्षाओं, वर्तमान व्यवसाय वातावरण, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में शामिल अनुमानन/ निर्णयन को ध्यान में रखते हुए, यह मद वित्तीय विवरणों के अभिप्रेत उपयोगकर्ताओं के लिए अति महत्वपूर्ण मामला है.

इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, हमने इसे लेखापरीक्षा का एक प्रमुख मामला माना है.

तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा, शेष राशियों की महत्ता के कारण, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानन पर केंद्रित थी.

आईआरएसी मानदंडों और भारतीय रिजर्व बैंक / नाबार्ड द्वारा जारी अन्य संबंधित परिपत्रों / निर्देशों और साथ ही बैंक की आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं के संदर्भ में अग्रिमों के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित का परीक्षण शामिल था:

- बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रणाली लेखापरीक्षा, ऋण लेखापरीक्षा, अकस्मात् लेखापरीक्षा और संगामी लेखापरीक्षा जैसे निगरानी तंत्रों की उपस्थिति और प्रभावशीलता;
- हमने मौलिक प्रक्रियाओं की प्रकृति, सामयिकता और विस्तार निर्धारित करने के लिए अग्रिमों पर विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता की जाँच की है तथा बैंक की अनुप्रवर्तन व्यवस्था के अनुसार की गई विभिन्न लेखापरीक्षाओं और नाबार्ड के निरीक्षण के प्रेक्षणों के अनुपालन की जाँच की है.
- हमें आवंटित शाखाओं में मौलिक प्रक्रियाओं को पूरा करने में, हमने सभी बड़े अग्रिमों की जाँच की जबकि अन्य अग्रिमों की जाँच नमूना आधार पर की गई है.
- हमें आवंटित शाखाओं के संबंध में आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आय निर्धारण, अर्जक और अनर्जक अग्रिमों में वर्गीकरण और प्रावधानन के लिए सिस्टम में डेटा प्रविष्टि की सटीकता की भी जाँच की गई;
- अन्य वैधानिक शाखा लेखा परीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर भी निर्भर किया गया.
- हमने आईटी प्रणाली के बाहर प्रावधानों की गणना की प्रक्रिया, उसकी सटीकता और लेखा बहियों के साथ उसके मिलान के सत्यापन के लिए व्यापक प्रक्रियाएँ कीं.
- भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों के अनुसार अनर्जक आस्तियों के वर्गीकरण और प्रावधानन के लिए प्रकटीकरण की अपेक्षाओं का आकलन किया.

उपर्युक्त सत्यापन के आधार पर, हम ऋणों और अग्रिमों के वर्गीकरण, उन पर प्रावधानन और आय के निर्धारण से संतुष्ट हैं.

महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मद	कैसे निपटाया गया है
निवेश: निवेशों का वर्गीकरण और मूल्य निर्धारण, अनर्जक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधानन निवेशों में, बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बॉण्डों, डिबेंचरों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल रहते हैं। बैंक की कुल आस्तियों में निवेशों का हिस्सा 8.57% है। ये निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक/ नाबार्ड द्वारा जारी परिपत्रों और निदेशों के अनुसार अधिशासित होते हैं। इन निदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ निवेशों का मूल्य-निर्धारण, निवेशों का वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, आय की तदनुसारी अमान्यता व उसके समक्ष प्रावधान से संबंधित निदेश शामिल हैं। उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्य निर्धारण नाबार्ड/ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निदेशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना होता है जिसमें विभिन्न स्रोतों से आंकड़ों/ सूचनाओं को इकट्ठा करना शामिल रहता है जैसे कि एफबीआईएल दें, बीएसई/ एनएसई पर उद्धृत दें। मूल्य निर्धारण के कार्य की जटिलताओं और निर्धारण की सीमा, लेनदेनों की मात्रा, हाथ में निवेश और विनियामक फोकस की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए, इसे लेखापरीक्षा का एक प्रमुख मामला माना गया है। तदनुसार हमारी लेखापरीक्षा, निवेशों के मूल्य निर्धारण, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान पर केंद्रित थी। साथ ही, बैंक निवेश रजिस्टर का रखरखाव एक्सेल टूल में कर रहा है और सभी गणनाएँ भी इसी टूल के माध्यम से ही की जा रही हैं।	भारतीय रिज़र्व बैंक/ नाबार्ड के परिपत्रों/ निर्देशों के संदर्भ में निवेशों के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों की डिज़ाइन, परिचालन प्रभावशीलता और मौलिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा और जाँच शामिल थी। विशेष रूप से - क. हमने अनर्जक निवेशों के मूल्य निर्धारण, वर्गीकरण और पहचान के संबंध में नाबार्ड / भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और उसे समझा। ख. हमने इन निवेशों के सही मूल्य का पता लगाने हेतु विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्रित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया। ग. हाथ में निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी का पुनर्मूल्यांकन कर, भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र/ नाबार्ड के दिशानिर्देशों के साथ सटीकता और अनुपालन की जाँच की। नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया कि निवेश की सभी श्रेणियाँ (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) नमूने में शामिल हों; घ. हमने एक्सेल में रखे गए निवेशों और उनसे संबंधित दस्तावेजों का वित्तीय विवरणों के साथ मिलान करते हुए जाँच की है ताकि प्रकटीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक/ नाबार्ड के निदेशों के अनुसार प्रस्तुति और प्रकटीकरण की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। ङ. हमने एचटीएम श्रेणी के निवेशों पर प्रीमियम के परिशोधन की जाँच की, तथा एचटीएम और एएफएस के बीच निवेशों की श्रेणी में हुए बदलाव के लिए निवेशों के मूल्यांकन की जाँच की। उपर्युक्त सत्यापन के आधार पर, हम निवेशों के वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और उनके लिए किए गए प्रावधान से संतुष्ट हैं।

अन्य मामले:

- हमने बैंक के वित्तीय विवरणों में शामिल 577 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है। इनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं में 31 मार्च 2026 तक रु. 19,310 करोड़ की कुल आस्तियाँ और इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए रु. 3,142 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाया गया है, जैसा कि वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा उन शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्टें हमें प्रस्तुत की गईं, और हमारी राय में, जहाँ तक शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों का संबंध है, वे पूरी तरह से उन शाखा लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित हैं।

प्रबंधन और वित्तीय विवरणों के अभिशासन के लिए प्रभारित व्यक्तियों के दायित्व

- बैंक के निदेशक मंडल का यह दायित्व है कि वह भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों, आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) एवं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार इन संलग्न वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार करे जो बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हों। इस दायित्व में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ियों एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उन्हें लागू करना; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और आकलन करना तथा लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे पर्याप्त ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और रखरखाव करना शामिल हैं जिनका परिचालन वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित था कि वे धोखाधड़ी या त्रुटि और निष्पक्ष चित्रण करने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए संगत लेखा अभिलेखों की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित कर सकें, और किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त रहें।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय निरंतर चलने वाली संस्था के रूप में जारी रखने की बैंक की क्षमता का आकलन करने, निरंतर चलने वाली संस्था से संबंधित मामलों में यथालागू प्रकटन करने और प्रबंधन द्वारा बैंक को परिसमाप्त करने या परिचालनों को बंद करने की मंशा रखने या ऐसा करने के अलावा और कोई व्यावहारिक विकल्प न होने की स्थितियों को छोड़कर लेखांकन को निरंतर आधार पर प्रयोग करते रहने के लिए प्रबंधन और निदेशक मंडल जिम्मेदार है। निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख करने के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व

- हमारा उद्देश्य इस बात का तर्काधारित आश्वासन प्राप्त करना है कि समग्र रूप में वित्तीय विवरण धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हैं और एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो। तर्काधारित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन तो है, किन्तु इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानदंडों के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा किसी विद्यमान महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का पता हमेशा लगा ही लेगी। दुष्प्रस्तुतियाँ धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें महत्वपूर्ण तब माना जाता है जब वे एकल रूप से या समग्र रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णयों को एक तर्कपूर्ण सीमा तक प्रभावित कर सकती हों।
- लेखा मानकों के अनुसार, लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में पूरी लेखापरीक्षा के दौरान हम अपनी व्यावसायिक निर्णय क्षमता का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक संदेहवाद बनाए रखते हैं। साथ ही:
 - हम धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति के जोखिमों की पहचान और आकलन भी करते हैं, उन जोखिमों के प्रतिसाद में लेखापरीक्षा की प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करते हैं और उनका कार्यान्वयन करते हैं और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने की दृष्टि से पर्याप्त और उपयुक्त होते हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का पता न लगाने के जोखिम त्रुटि के

परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से बड़े होते हैं क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, गलत मंशा से उपेक्षा करना, गलत प्रस्तुति आदि शामिल हो सकते हैं या आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना की गई हो सकती है।

- ख. हम बैंक के प्रबंधन द्वारा पयोग में लाई जा रही लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों तथा संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।
- ग. हम लेखांकन के निरंतर चल रही संस्था आधार के प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह देखते हैं कि क्या किसी ऐसी घटना या परिस्थिति से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान तो नहीं है जो निरंतर चलने वाली संस्था के रूप में बैंक की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा करती हो। अगर हमारा निष्कर्ष यह होता है कि ऐसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकृष्ट करें, अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपने अभिमत को आशोधित करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। तथापि, भविष्यगत घटनाएँ या परिस्थितियाँ बैंक के निरंतर चलने वाली संस्था नहीं बने रहने का कारण बन सकती हैं।
- घ. हम प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और उनकी विषय-वस्तु का मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं को इस तरह अभिव्यक्त करते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति का उद्देश्य पूरा हो।
9. हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को अन्य बातों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के दायरे और समय की योजना तथा उल्लेखनीय लेखापरीक्षा निष्कर्ष संप्रेषित करते हैं जिनमें आंतरिक नियंत्रण में उन महत्वपूर्ण कमियों को शामिल किया जाता है जो हमारी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान में आती हैं।
10. हम अनिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को ऐसा अभिकथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने अपनी निष्पक्षता और हमारी निष्पक्षता को समुचित रूप से प्रभावित करने वाले, माने जाने वाले सभी संबंधों तथा अन्य विषयों को उन्हें संप्रेषित करने के संबंध में और जहाँ प्रयोजनीय हो वहाँ संबंधित रक्षोपायों के बारे में सभी संगत नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है।
11. हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को संप्रेषित मदों के आधार पर ऐसी मदों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हों और इस कारण वे प्रमुख लेखापरीक्षा मदें हैं। हम इन मदों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णित करते हैं जब तक कि विधि या विनियम द्वारा उन मदों के बारे में सार्वजनिक प्रकटन को निषिद्ध न किया गया हो, या जब विरलताविरल परिस्थितियों में हम यह तय करें कि हमें अपनी रिपोर्ट में उस मद को संप्रेषित नहीं करना चाहिए क्योंकि संप्रेषित करने से सार्वजनिक हित को होने वाले संभावित लाभ, ऐसे संप्रेषण के प्रतिकूल परिणामों की अपेक्षा कम होंगे।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

12. बैंक के तुलन-पत्र एवं लाभ और हानि खाते बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के क्रमशः फॉर्म ए और फॉर्म बी के अनुसार तैयार किए गए हैं।
13. उपर्युक्त पैरा 6 से 11 में दर्शाई गई लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन रहते हुए और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की अपेक्षाओं के अनुसार तथा उसमें निहित प्रकटन की सीमाओं के अधीन रहते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - क. हमने वे सारी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक हैं तथा हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।
 - ख. हमारी जानकारी में आए बैंक के लेनदेन बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हैं; और
 - ग. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों हेतु पर्याप्त पाई गई हैं।

- घ. हमारी राय में, बैंक द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए बही खातों की जाँच से ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक ने विधि की अपेक्षाओं के अनुसार अपने बही खातों का रखरखाव समुचित रूप से किया है और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त रूप से समुचित विवरणियाँ प्राप्त हुई हैं।
- ड. इस रिपोर्ट के अंतर्गत विचार किए गए तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखे और नकदी प्रवाह विवरण, खाता बहियों के साथ और उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के साथ मेल खाते हैं जिनका हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है;
- च. बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्टें हमें प्रेषित की गईं और हमने हमारी रिपोर्ट बनाने के लिए उनका समुचित रूप से उपयोग किया है; और

हमारी राय में, तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण, प्रयोज्य लेखांकन मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करते हैं जिस सीमा तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक और नाबार्ड द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं।

कृते **उमामहेश्वर राव एण्ड कं.**

सनदी लेखाकार

संस्था पंजीकरण सं. 004453S

(सीए कृष्णा साई जी एच)

भागीदार

सदस्यता सं. 233399

यूडीआईएन: 26233399LLPZJI9323

दिनांक: 20 अप्रैल 2026

स्थान: हैदराबाद

31.03.2026 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि 000 में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
पूँजी और देयताएँ			
पूँजी	1	57 28 69	57 28 69
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	2	9657 38 09	8374 54 25
जमाराशियाँ	3	34604 68 62	32165 66 42
उधाराराशियाँ	4	17930 68 52	16613 32 40
अन्य देयताएँ और प्रावधान	5	824 87 01	791 08 64
कुल		63074 90 93	58001 90 40
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	6	1146 05 36	1457 18 06
बैंकों में शेष और माँग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि	7	11574 87 92	9134 31 94
निवेश	8	5402 77 36	5445 24 92
अग्रिम	9	43625 42 81	40647 80 16
अचल आस्तियाँ	10	137 85 23	135 67 42
अन्य आस्तियाँ	11	1187 92 25	1181 67 90
कुल		63074 90 93	58001 90 40
आकस्मिक देयताएँ	12	188 97 74	117 24 26
वसूली हेतु बिल			

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं

 कृते **मेसर्स उमामहेश्वर राव एण्ड कं.,**
सनदी लेखाकार

संस्था पंजीकरण सं. 004453S

 कृते **तेलंगाणा ग्रामीण बैंक**
सीए कृष्णा साई जीएच

 भागीदार यूडीआईएन: 26233399LLPZJI9323
 सदस्यता सं 233399

(के. लक्ष्मी)

महाप्रबंधक - पचालन

(के. प्रताप रेड्डी)

अध्यक्ष

श्री प्रकाश चन्द्र बेरॉर

 मप्र (आरआबी), एसबीआई, कॉर्पोरेट केंद्र
 (निदेशक)

श्री आर.गणपति

 मप्र, नाबार्ड
 (निदेशक)

श्री प्रियव्रत मिश्र

 उमप्र (एबीयू-जीएसएस), एसबीआई, एलएचओ
 (निदेशक)

श्री राजू रत्नावत

 समप्र, आरबीआई
 (निदेशक)

श्री राई रवि

 अति. सचिव, वित्त विभाग
 (तेलंगाणा सरकार, निदेशक)

डॉ. बी.गोपी, आईएएस

 कृषि निदेशक
 (तेलंगाणा सरकार, निदेशक) स्थान: हैदराबाद

श्री विवेक गुप्ता

 डीएफएस, भारत सरकार
 (निदेशक)

दिनांक: 20.04.2026

स्थान: हैदराबाद

31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

(राशि 000 में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
I. आय			
अर्जित आय	13	5417 91 66	2736 75 20
अन्य आय	14	605 98 94	397 72 22
कुल		6023 90 60	3134 47 42
II. व्यय			
खर्च किया गया ब्याज	15	2881 37 16	1513 11 96
परिचालन व्यय	16	1240 30 05	719 54 79
प्रावधान और आकस्मिकताएं		144 95 52	7 46 09
कुल		4266 62 73	2240 12 84
III. लाभ / हानि			
वर्ष के लिए कर-पूर्व लाभ		1757 27 87	894 34 58
घटा: आयकर के लिए प्रावधान	-	447 91 67	220 00 00
(घटा) / जोड़: (डीटीएल) / डीटीए	+	(26 52 36)	95 00
कर-पश्चात् लाभ	क	1282 83 84	675 29 58
गत वर्ष से आगे लाया गया लाभ	ख	6316 98 18	5796 74 51
लाभ (लाभों) का विनियोजन			
सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण	i	256 56 77	135 05 91
आरक्षित पूँजी में अंतरण	ii	0	0
राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण	iii	30 76 89	0
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(i)(viii) के तहत विशेष आरक्षित निधियों में अंतरण	iv	33 40 00	20 00 00
आगे लाए गए लाभ का शेष	v	962 10 18	520 23 67
तुलन-पत्र में ले जाई गई शेष राशि (ख+v)		7279 08 36	6316 98 18

कृते मेसर्स उमामहेश्वर राव एण्ड कं.,

सनदी लेखाकार

संस्था पंजीकरण सं. 004453S

कृते तेलंगाणा ग्रामीण बैंक

सीए कृष्णा साई जीएच

भागीदार यूडीआईएन: 26233399LLPZJI9323

सदस्यता सं 233399

(के. लक्ष्मी)

महाप्रबंधक - पचालन

(के. प्रताप रेड्डी)

अध्यक्ष

श्री प्रकाश चन्द्र बेरॉर

 मप्र (आरआबी), एसबीआई, कॉर्पोरेट केंद्र
(निदेशक)

श्री आर.गणपति

 मप्र, नाबार्ड
(निदेशक)

श्री प्रियव्रत मिश्र

 उमप्र (एबीयू-जीएसएस), एसबीआई, एलएचओ
(निदेशक)

श्री राजू रत्नावत

 समप्र, आरबीआई
(निदेशक)

श्री राई रवि

 अति. सचिव, वित्त विभाग
(तेलंगाणा सरकार, निदेशक)

डॉ. बी.गोपी, आईएएस

 कृषि निदेशक
(तेलंगाणा सरकार, निदेशक) स्थान: हैदराबाद

श्री विवेक गुप्ता

 डीएफएस, भारत सरकार
(निदेशक)

दिनांक: 20.04.2026

स्थान: हैदराबाद

31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ 000' में)

विवरण		विव 2025-26	विव 2024-25
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:			
कर पूर्व निवल लाभ		1757 27 87	894 34 58
जोड़ें			
लाभ और हानि लेखे में नामे किया गया मूल्यहास		19 23 21	9 43 43
मानक ऋणों के लिए प्रावधान		11 77 51	7 44 09
अशोध्य और संदिग्ध कर्ज के लिए प्रावधान		133 07 22	0
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान		60 00 00	0
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान		15 50 00	0
धोखाधड़ियों के लिए प्रावधान		10 80	2 00
निवेशों का परिशोधन		1 25 01	1 13 34
एसबीआई, नाबार्ड, मुद्रा से प्राप्त राशियों पर प्रदत्त ब्याज		1022 30 10	504 51 45
पेंशन और एनपीएस के लिए प्रावधान		114 00 00	0
घटाएँ:			
निवेशों पर आय		(1132 33 77)	(650 33 04)
कार्यशील पूँजीगत परिवर्तनों के पहले का परिचालन लाभ		2002 17 94	766 55 85
कार्यशील पूँजीगत परिवर्तन:			
जमाराशियों में वृद्धि/ (कमी)		2439 02 20	1248 79 10
देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/ (कमी)		(267 99 78)	(1024 09 91)
अग्रिमों में (वृद्धि)/ कमी		(3110 69 87)	(2703 78 56)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी		(364 11 17)	1092 96 40
परिचालनों से अर्जित नकदी		1426 61 65	(619 57 12)
घटाएँ: प्रदत्त आय कर		(448 00 00)	(235 07 67)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी	अ	978 61 65	(854 64 79)
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:			
अचल आस्तियों की खरीद		(22 98 16)	(11 07 87)
अचल आस्तियों की बिक्री		1 57 14	0
निवेशों की खरीद/ बिक्री (निवल)		41 22 55	19 81 83
जमाराशियों में निवेश (मूल परिपक्वता 3 माह से कम)		(2443 03 80)	(3741 19 73)
निवेशों से आय		761 98 25	437 06 94
एपीजीवीबी विभाजन निपटान में प्राप्त नकदी*		0	543 39 25
निवेश गतिविधियों से प्राप्त निवल नकदी	आ	(1661 24 02)	(2751 99 57)

विवरण		बिब 2025-26	बिब 2024-25
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
एसबीआई, नाबार्ड, एनएचबी से उधार ली गई/ चुकाई गई निधियाँ (निवल)		1317,36,12	4302,06,30
एसबीआई, नाबार्ड, एनएचबी को प्रदत्त ब्याज		(948,34,28)	(465,73,39)
पूँजी			
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी:	इ	369,01,84	3836,32,91
विदेशी विनिमय दर परिवर्तनों का प्रभाव			
नकद और नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि / (कमी) (अ+आ+इ)		(313,60,53)	229,68,55
जोड़ें: प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य		1505,64,58	589,68,73
i) हाथ में नकदी		107,36,33	46,95,52
ii) भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य बैंकों में शेषराशियाँ		1398,28,25	542,73,21
iii) जमाराशि खाते (मूल परिपक्वता 3 माह से कम)		0	0
		1505,64,58	589,68,73
अंतिम नकदी ओर नकदी समतुल्य		1192,04,05	819,37,28
i) हाथ में नकदी		115,60,94	6,11,60
ii) भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य बैंकों में शेषराशियाँ		1076,43,12	813,25,68
iii) जमाराशि खाते (मूल परिपक्वता 3 माह से कम)		0	0
कुल		1192,04,06	819,37,28

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

 कृते **मेसर्स उमामहेश्वर राव एण्ड कं.,**
सनदी लेखाकार
 संस्था पंजीकरण सं. 004453S

 कृते **तेलंगाणा ग्रामीण बैंक**

 (सीए कृष्णा साई जीएच)
 भागीदार
 (सदस्यता सं. 233399)

 (के. लक्ष्मी)
 महाप्रबंधक - पचालन

 (के. प्रताप रेड्डी)
 अध्यक्ष

दिनांक: 20 अप्रैल 2026

स्थान: हैदराबाद

अनुसूची-1 - पूँजी

(राशि 000 में)

	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
I	प्राधिकृत पूँजी (रु.10/- प्रति शेयर के 2,00,00,00,000 शेयर)	2000 00 00	2000 00 00
II	निर्गमित पूँजी (रु.10/- प्रति शेयर के 5,72,86,944 शेयर)	57 28 69	57 28 69
III	अभिदत्त और प्रदत्त पूँजी (रु.10/- प्रति शेयर के 5,72,86,944 शेयर)	57 28 69	57 28 69
	कुल	57 28 69	57 28 69

अनुसूची - 2 - आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(राशि 000 में)

	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
I	सांविधिक आरक्षित निधियाँ अथशेष वर्ष के दौरान परिवर्धन वर्ष के दौरान कटौतियाँ	1593 76 12 256 56 77 0	527 19 62 1066 56 50 0
	कुल	1850 32 89	1593 76 12
II	आरक्षित पूँजी निधियाँ अथशेष वर्ष के दौरान परिवर्धन वर्ष के दौरान कटौतियाँ	135 55 89 0 0	4 91 14 130 64 75 0
	कुल	135 55 89	135 55 89
III	शेयर प्रीमियम अथशेष वर्ष के दौरान परिवर्धन वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0 0 0	0 0 0
	कुल	0	0
IV	राजस्व और अन्य आरक्षित निधियाँ अथशेष वर्ष के दौरान परिवर्धन i) धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित निधि ii) निवेश घट-बढ़ आरक्षित निधि iii) अन्य वर्ष के दौरान कटौतियाँ	328 24 06 33 40 00 30 76 89 0 0	51 20 00 267 30 22 0 9 73 84 0
	कुल	392 40 95	328 24 06
V	लाभ और हानि लेखों में शेषराशि	7279 08 36	6316 98 18
	कुल (I, II, III, IV और V)	9657 38 09	8374 54 25

अनुसूची - 3 - जमाराशियाँ

(राशि 000 में)

	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
अ. I.	माँग जमाराशियाँ		
	i. बैंकों से	0	0
	ii. अन्य से	339 90 76	423 88 86
II	बचत बैंक जमाराशियाँ	12473 41 33	11686 39 70
III	मीयादी जमाराशियाँ		
	i. बैंकों से	5039 17 12	4968 30 97
	ii. अन्य से	16752 19 41	15087 06 89
	कुल (I II और III)	34604 68 62	32165 66 42
आ.	i. भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	34604 68 62	32165 66 42
	ii. भारत से बाहर की शाखाओं की जमाराशियाँ	0	0
	कुल	34604 68 62	32165 66 42

अनुसूची - 4 - उधारराशियाँ

(राशि 000 में)

	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
I	भारत में उधार		
	i. भारतीय रिज़र्व बैंक	0	672 00 00
	ii. अन्य बैंक	3769 07 59	2549 18 25
	iii. अन्य संस्थाएँ और एजेंसियाँ	14161 60 93	13392 14 15
II	भारत के बाहर से उधार	0	0
	कुल (I और II)	17930 68 52	16613 32 40
	उपर्युक्त I और II में शामिल उधार	17930,68,52	16613,32,40
	I और II का कुल	17930,68,52	16613,32,40

अनुसूची - 5 - अन्य देयताएँ और प्रावधान

(राशि 000 में)

	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
I	देय बिल	76 69 57	55 58 67
II	अंतर कार्यालयीन समायोजन (निवल)	55 47	913
III	उपचित ब्याज	73 95 81	146 13 33
IV	अन्य (प्रावधान सहित)	673 66 16	589 27 51
	कुल	824 87 01	791 08 64

अनुसूची - 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशि

(राशि 000 में)

विवरण		31.03.2026 को	31.03.2025 को
I	हाथ में नकदी	115 60 94	107 36 33
II	भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशि		
	i. चालू खाते में	1030 44 42	1349 81 73
	ii. अन्य खातों में	0	0
कुल (I और II)		1146 05 36	1457 18 06

अनुसूची - 7 - बैंकों में शेष और माँग एवं अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि

(राशि 000 में)

विवरण		31.03.2026 को	31.03.2025 को
I.	भारत में		
	i) बैंकों में शेष		
	क. चालू खातों में	45 98 70	48 46 52
	ख. अन्य जमा खातों में	11528 89 22	9085 85 42
	ii) माँग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि		
	क. बैंकों में	0	-
	ख. अन्य संस्थाओं में	-	-
कुल (i और ii)		11574 87 92	9134 31 94
II.	भारत के बाहर		
	i) चालू खातों में	-	-
	ii) अन्य जमा खातों में	-	-
	iii) माँग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि	-	-
कुल (i, ii, iii)		-	-
कुल जोड़ (I और II)		11574 87 92	9134 31 94

अनुसूची - 8 - निवेश

(राशि 000 में)

विवरण		31.03.2026 को	31.03.2025 को
I	भारत में निम्नलिखित में निवेश		
i.	सरकारी प्रतिभूतियाँ	5387 77 36	5430 24 92
ii.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
iii.	शेयर	-	-
	गैर एसएलआर		
iv.	डिबेंचर और बॉण्ड	15 00 00	15 00 00
v.	सहायक संस्थाएँ तथा/ अथवा संयुक्त उद्यम	-	-
vi.	अन्य	-	-
	कुल गैर-एसएलआर (निवल)	-	-
	कुल गैर-एसएलआर (निवल)	15 00 00	15 00 00
	कुल - भारत में निवल निवेश	5402 77 36	5445 24 92
II	भारत से बाहर निवेश	-	-
	घटाएँ: प्रावधान/ मूल्यहास	-	-
	कुल जोड़ (I+II)	5402 77 36	5445 24 92

अनुसूची - 9 - अग्रिम

(राशि 000 में)

विवरण		31.03.2026 को	31.03.2025 को
अ	i. खरीदे और भुनाए गए बिल	-	-
	ii. नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिदेय ऋण	26040 47 58	25012 61 76
	iii. मीयादी ऋण	17584 95 23	15635 18 40
	कुल	43625 42 81	40647 80 16
आ	i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत	31332 82 41	34542 66 10
	ii. बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा प्रतिभूत	6998 74 56	-
	iii. अप्रतिभूत	5293 85 84	6105 14 06
	कुल	43625 42 81	40647 80 16
इ	I. भारत में दिए गए अग्रिम		
i.	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	33809 29 26	27988 32 67
ii.	सावर्जनिक क्षेत्र	-	-
iii.	बैंक	-	-
iv.	अन्य	9816 13 55	12659 47 49
	कुल	43625 42 81	40647 80 16

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
II. भारत के बाहर दिए गए अग्रिम		
i. बैंकों से देय	-	-
ii. अन्य से देय	-	-
कुल	-	-
सकल अग्रिम	46547 81 41	41518 27 92
घटाएँ: आईएनसीए	-	-
घटाएँ: अशोध्य और संदिग्ध कर्ज के लिए प्रावधान	2000 00 00	-
घटाएँ:	922 38 60	870 47 76
निवल अग्रिम	43625 42 81	40647 80 16

अनुसूची - 10 - अचल आस्तियाँ

(राशि 000 में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
I. परिसर		
31 मार्च तक की लागत पर	35 67 76	14 66 46
i. वर्ष के दौरान परिवर्धन	1 48	21 01 30
ii. वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0	0
iii. वर्ष के दौरान मूल्यहास	35 18	9 48
iv. उक्त दिनांक को मूल्यहास	1 74 96	1 39 78
कुल I	33 94 28	34 27 96
II. अन्य अचल आस्तियाँ (फर्नीचर और फिक्स्चर सहित)		
31 मार्च तक की लागत पर	242 35 64	93 41 98
i. वर्ष के दौरान परिवर्धन	20 84 39	148 93 66
ii. वर्ष के दौरान कटौतियाँ	1 57 14	0
iii. वर्ष के दौरान मूल्यहास	17 33 92	9 33 94
iv. उक्त दिनांक को मूल्यहास	158 30 10	140 96 18
कुल II	103 32 79	101 39 46
III. चल रहे पूँजीगत कार्य		
31 मार्च तक की लागत पर	0	0
i. वर्ष के दौरान परिवर्धन	58 16	0
ii. वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0	0
कुल III	58 16	0
कुल I, II और III	137 85 23	135 67 42

अनुसूची - 11 - अन्य आस्तियाँ

(राशि 000 में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
i. अंतर कार्यालयीन समायोजन (निवल)	0	0
ii. उपचित ब्याज	370 35 52	214 39 44
iii. प्रदत्त अग्रिम कर/ स्रोत पर काटा गया कर*	10 25 46	35 61 21
iv. लेखन सामग्री और स्टाम्प	0	24
v. दावों की पूर्ति पर अधिप्राप्त गैर-बैंकिंग आस्तियाँ	0	0
vi. अन्य	807 31 27	931 67 01
कुल	1187 92 25	1181 67 90
* प्रावधानों को घटाने के बाद		

अनुसूची - 12 - आकस्मिक देयताएँ

(राशि 000 में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
i. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें उधार नहीं माना गया है	1 00 74	10 99 54
ii. आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	-	-
iii. बकाया वायदा विनियम संविदाओं के कारण देयता	-	-
iv. संघटकों की ओर से दी गई गारंटी	-	-
क. भारत में	26 39 19	21 55 94
ख. भारत के बाहर	-	-
v. स्वीकृतियाँ, परांकन और अन्य दायित्व	-	-
vi. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है (डीईएफ खाता)	161 57 81	84 68 78
कुल	188 97 74	117 24 26

अनुसूची - 13 - अर्जित ब्याज

(राशि 000 में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
i. अग्रिमों पर ब्याज/ बिलों पर छूट	4286 82 90	2087 43 47
ii. निवेशों पर ब्याज	360 19 14	246 41 33
घटाएँ: प्रीमियम का परिशोधन	(1 25 01)	(1 13 34)
iii. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशियों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	760 42 06	403 63 40
iv. अन्य	11 72 57	40 34
कुल	5417 91 66	2736 75 20

अनुसूची - 14 - अन्य आय

(राशि 000 में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
i. कमीशन, विनिमय और दलाली	329 63 55	212 68 37
ii. निवेशों की बिक्री पर लाभ घटाएँ: निवेशों की बिक्री पर घाटा	29 55 36	(12 03)
iii. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ घटाएँ: निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर घाटा	0	0
iv. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ घटाएँ: भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर घाटा	25 11	0
v. विनिमय लेनदेनों पर लाभ घटाएँ: विनिमय लेनदेनों पर घाटा	0	0
vi. विदेशों में/ भारत में स्थित सहायक संस्थाओं/ कंपनियों और / अथवा संयुक्त उद्यमों से लाभांशों इत्यादि के माध्यम से अर्जित आय	0	0
vii. विविध आय	246 54 92	149 44 25
कुल	605 98 94	362 00 59

अनुसूची - 15 - खर्च किया गया ब्याज

(राशि 000 में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
i. जमाराशियों पर ब्याज	1859 07 06	1008 60 51
ii. भारतीय रिज़र्व बैंक/ अंतर बैंक उधारराशियों पर ब्याज	195 21 53	91 46 32
iii. आईबीपीसी सहभागिता पर ब्याज	827 08 57	413 05 13
कुल	2881 37 16	1513 11 96

अनुसूची - 16 - परिचालन व्यय

(राशि 000 में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
i. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	935 19 79	554 58 84
ii. किराया, कर और प्रकाश व्यवस्था	51 64 30	26 39 78
iii. मुद्रण और लेखन सामग्री	5 12 11	3 03 36
iv. विज्ञापन और प्रचार	83 12	642
v. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	19 23 21	9 43 43
vi. निदेशक के शुल्क, भत्ते और व्यय	0	0
vii. लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	1 27 76	1 37 41
viii. विधि प्रभार	28 77	8 94
ix. डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि	1 53 95	62 54
x. मरम्मत और अनुरक्षण	68 89 95	33 00 03
xi. बीमा	55 25 78	27 51 82
xii. अन्य व्यय	101 01 32	63 42 22
कुल	1240 30 05	719 54 79

अनुसूची - 17: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

अ. तैयारी का आधार:

ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत, लेखांकन के उपचय आधार पर और निरंतर चलने वाली संस्था की धारणा का उपयोग करते हुए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची (फॉर्म ए और फॉर्म बी) के तहत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में बैंक द्वारा अपनाई गई लेखांकन और रिपोर्टिंग नीतियाँ, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों ("भारतीय जीएपी"), भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों, तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित वर्तमान प्रथाओं के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुरूप हैं। बैंक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में ऐतिहासिक लागत परंपरा और लेखांकन की उपचय पद्धति का पालन करता है, सिवाय उन मामलों के जहाँ अन्यथा उल्लेख किया गया है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियाँ, पिछले वर्ष में अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं।

आ. अनुमानों का उपयोग:

वित्तीय विवरण तैयार करने के क्रम में प्रबंधन से यह अपेक्षित होता है कि वे वित्तीय विवरणों की तिथि तक आस्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की प्रतिवेदित राशि और प्रतिवेदन की अवधि के दौरान प्रतिवेदित आय और व्यय पर विचार करते समय आकलनों और अनुमानों का उपयोग करें। प्रबंधन का यह विश्वास है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और समुचित हैं और वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार सुसंगत तथ्यों और परिस्थितियों के प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन पर आधारित हैं। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच की भिन्नताओं को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात होंगे/ भौतिक रूप धारण करेंगे।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ:

1. राजस्व निर्धारण:

- 1.1. अन्यथा सूचित को छोड़कर आय और व्यय को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।
- 1.2. जैसे-जैसे ब्याज/ डिस्काउंट आय उपचित होती है उसे लाभ और हानि लेखा में दर्शाया जाता है, निम्नलिखित को छोड़कर:
 - (i) अनर्जक आस्तियों (एनपीए) से प्राप्त आय, जिसमें अग्रिम और निवेश शामिल रहते हैं, इनका निर्धारण उगाही पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है।
 - (ii) निवेशों पर अतिदेय ब्याज।
- 1.3. निवेशों की बिक्री से हुए लाभ/ हुई हानि को लाभ और हानि लेखे में दर्शाया जाता है। तथापि "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" श्रेणी के निवेशों पर प्राप्त लाभ (लागू करों और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण हेतु अपेक्षित राशि को छोड़कर) को "आरक्षित पूँजी निधि खाते" में विनियोजित किया जाता है। परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में निवेशों के अधिग्रहण पर यदि कोई छूट मिलती है तो उसका लेखांकन बिक्री / मोचन के समय किया जाता है।
- 1.4. लाभांश का लेखांकन उपचय आधार पर किया जाता है जहाँ लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।
- 1.5. ऋण/ सुविधा की मंजूरी या नवीनीकरण के समय प्राप्त किए गए प्रसंस्करण शुल्क/ प्रारंभिक शुल्क, रख-रखाव शुल्क या इसी प्रकृति की अन्य आय को, ऋण के प्रारंभ/ नवीनीकरण के समय ही निर्धारित किया जाता है।
- 1.6. कमीशन और विनिमय तथा लॉकर का किराया नकदी आधार पर मान्य किया जाता है।
- 1.7. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण-वितरण प्रमाण-पत्रों की बिक्री से प्राप्त शुल्क को विविध आय माना जाता है, जबकि इनकी खरीद के लिए भुगतान किए गए शुल्क को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

- 1.8. आयकर प्रतिदान (रिफंड) पर ब्याज को, निर्धारण आदेश पारित होने वाले वर्ष में "अन्य आय" के अंतर्गत मान्यता दी जाती है।
- 1.9. एनपीए खातों में की गई वसूलियों को सबसे पहले प्रभारों के लिए विनियोजित किया जाता है, फिर ब्याज के लिए और अंत में मूलधन के हिस्से के लिए विनियोजित किया जाता है। जिन खातों के मामलों में मुकदमा शुरू हो चुका है/ राजस्व वसूली शुरू हो चुकी है, उनमें आंशिक वसूली होने पर, की गई वसूली को सबसे पहले मूलधन के हिस्से के लिए विनियोजित किया जाता है। एक बारगी निपटान के मामले में, की गई वसूली को प्रभारों, मूलधन और बकाया ब्याज के क्रम में विनियोजित किया जाता है।
- 1.10. मुकदमा दायर खातों के मामले में किए गए कानूनी एवं अन्य व्ययों को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है और ऐसे व्ययों को वसूली के समय आय के रूप में लेखांकित किया जाता है।

2. निवेश

सरकारी प्रतिभूतियों और सरकारी प्रतिभूतियों से इतर प्रतिभूतियों में लेनदेनों को "निपटान की तारीख" पर अभिलिखित किया जाता है।

2.1. वर्गीकरण:

निवेशों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है यथा परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एफएस) और व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)।

2.2. वर्गीकरण का आधार:

- बैंक जिन निवेशों को परिपक्वता तक धारित करना चाहता है उन्हें "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।
- ऐसे निवेश जिन्हें प्रधानतया खरीदी की तिथि से 90 दिनों के अंदर पुनः बेचने के लिए धारित किया जाता है उन्हें "व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।
- जिन निवेशों को उक्त दोनों श्रेणियों में नहीं रखा जा सकता है उन्हें "बिक्री के लिए उपलब्ध (एफएस)" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। किसी भी निवेश को खरीदी के समय एचटीएम/ एचएफटी/ एफएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में विनियामक मानदंडों के अनुरूप उन्हें श्रेणियों में परिवर्तित कर दिया जाता है।

2.3. तुलन-पत्र में प्रकटन:

निवेशों को तुलन-पत्र में सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों, डिबेंचरों और बॉण्डों, सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों तथा अन्य के रूप में वर्गीकृत और प्रकटित किया जाता है।

2.4. मूल्य निर्धारण: प्रत्येक वर्गीकरण में प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में निम्नानुसार किया जाता है:

i. किसी निवेश की अधिग्रहण लागत का निर्धारण करने में:

- (क) अभिदानों पर प्राप्त दलाली/ कमीशन को लागत में से घटाया जाता है।
- (ख) निवेश के अधिग्रहण के संबंध में किए गए दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर आदि संबंधी भुगतानों के व्यय पहले ही कर दिए जाते हैं और उन्हें लागत से घटा दिया जाता है।
- (ग) ऋण के लिखतों पर प्रदत्त/ प्राप्त खंडित अवधि ब्याज को ब्याज व्यय/ आय माना जाता है और उसे लागत या बिक्री प्रतिफल से हटा दिया जाता है।
- (घ) म्युचुअल फंडों के अधिग्रहण पर प्रदत्त स्टाम्प शुल्क मूल्य को खरीदी मूल्य माना जाता है अथवा लेखा बहियों में पूंजीकृत किया जाता है।
- (ड) बिक्री के लिए उपलब्ध (एफएस) तथा व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) श्रेणी में लागत का निर्धारण लागत की भारित औसत पद्धति पर किया जाता है तथा परिपक्वता पर धारित (एचटीएम) श्रेणी के निवेशों का लागत निर्धारण एफआईएफओ (क्रय - क्रम मूल्यन विधि) आधार पर किया जाता है।

ii. एचएफटी/ एफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण के दिन रहने वाली अधिग्रहण लागत/ बही मूल्य/ बाजार मूल्य से कम लागत पर किया जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यहास, यदि कोई हो, तो उसका पूरा प्रावधान किया जाता है। तथापि एचटीएम श्रेणी से एफएस श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण अधिग्रहण मूल्य/ बही मूल्य पर किया जाता है। अंतरण के पश्चात् इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और यदि कोई परिणामी मूल्यहास होता है तो उसका प्रावधान किया जाता है।

- iii. परिपक्वता तक धारित श्रेणी: परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत निवेश, अधिग्रहण लागत पर किए जाते हैं जब तक कि यह अंकित मूल्य से अधिक न हो. ऐसे मामलों में परिपक्वता की शेष अवधि के लिए प्रीमियम का परिशोधन स्थिर प्रतिफल के आधार पर किया जाता है. प्रीमियम के ऐसे परिशोधन को "निवेशों पर ब्याज" शीर्ष के अंतर्गत समायोजित किया जाता है.
- iv. अन्य कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेशों का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है. अस्थाई मूल्यहासों को छोड़कर, प्रत्येक निवेश के हास के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाता है.
- v. बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित श्रेणियाँ: एएफएस और एचएफटी श्रेणियों के अंतर्गत निवेशों के लिए बाजार मूल्य पर या विनियामक मानदंडों के अनुसार निर्धारित उचित मूल्य पर अलग-अलग पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी (यथा सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, शेयर, डिबेंचर और बॉण्ड, सहायक संस्थाएँ और संयुक्त उद्यम और अन्य) के लिए हर एक समूह के निवल मूल्य हास के लिए प्रावधान किया जाता है तथा निवल मूल्यवृद्धि की उपेक्षा की जाती है. बाजार भाव पर दर्शाने के बाद मूल्यहास के लिए प्रावधान करने पर प्रत्येक प्रतिभूति का बही मूल्य यथावत् रह जाता है.
- vi. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को अर्जक और अनर्जक निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. निवेश, अनर्जक तब बनते हैं, जब:
 - क) ब्याज/ किस्त (परिपक्वता पर प्राप्य राशि सहित) देय हो जाती है और वह 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अदत्त रह जाती है.
 - ख) इक्विटी शेयरों के मामले में नवीनतम तुलन-पत्र की अनुपलब्धता के कारण किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्य रु.1/- प्रति कंपनी के रूप में आंका जाता है तो ऐसे इक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाता है.
 - ग) यदि किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऋण सुविधा बैंक की बहियों में अनर्जक आस्ति है तो उसी संस्था द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को भी अनर्जक निवेश और इसके विपरीत माना जाता है.
 - घ) डिबेंचरों/ बॉण्डों में निवेश, जिन्हें अग्रिम की प्रकृति का माना जाता है वे भी अनर्जक निवेश के मानदंडों के अधीन होते हैं जैसा कि निवेशों पर लागू होता है.

2.5. पुनः खरीद/ प्रतिवर्ती पुनः खरीद लेनदेनों के लिए लेखांकन:

बैंक ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पुनः खरीद और प्रतिवर्ती पुनः खरीद लेनदेन निष्पादित कर रखे हैं. पुनः खरीद लेनदेन ऐसे उधार होते हैं जिनके अंतर्गत पुनः खरीद के समझौते के साथ प्रतिभूतियों को बेचकर उधार लिया जाता है. जबकि दूसरी ओर प्रतिवर्ती पुनः खरीद के लेनदेनों में प्रतिभूतियों को खरीदकर निधियाँ उधार दी जाती हैं.

- क) चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ लेनदेनों को संपार्श्विक उधार और उधार लेनदेन के रूप में लेखांकित किया जाता है.
- ख) पुनः खरीद खाते की शेषराशि को अनुसूची-4 (उधारराशियाँ) के तहत वर्गीकृत किया जाता है और प्रतिवर्ती पुनः खरीद खाते की शेषराशि को अनुसूची-7 (बैंकों में शेषराशि और माँग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि) के तहत वर्गीकृत किया जाता है.
- ग) भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पुनः खरीद के लेनदेनों की उधार लागत और प्रतिवर्ती पुनः खरीद के लेनदेनों के राजस्व को क्रमशः ब्याज व्यय और ब्याज आय के रूप में लेखांकित किया जाता है.

3. ऋण अथवा अग्रिम और उनके लिए प्रावधान:

3.1. ऋणों और अग्रिमों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अर्जक और अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. ऋण आस्तियाँ तब अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए) बनती हैं जब:

- कृषि अग्रिमों के विषय में:
 - i) अल्पावधि फसलों के मामले में, जहाँ मूल राशि अथवा ब्याज की किस्त दो फसलीय मौसमों के लिए अतिदेय रह जाती है, और
 - ii) दीर्घावधि फसलों के मामले में जहाँ मूल राशि अथवा ब्याज की किस्त एक फसलीय मौसम के लिए अतिदेय रह जाती है.

- कृषीतर अग्रिमों के विषय में:
 - i) मीयादी ऋणों के मामले में ब्याज और/ अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रह जाती है.
 - ii) ओवरड्राफ्ट अथवा नकदी ऋण अग्रिमों के मामले में जब खाता "अनियमित" रहने लगता है यानी खाते में बकाया राशि लगातार 90 दिनों तक मंजूर सीमा/ आहरण शक्ति से अधिक रह जाती है अथवा खाते में तुलन-पत्र की तिथि तक लगातार 90 दिनों के लिए किसी भी प्रकार के जमा नहीं दर्ज किए जाते हैं अथवा उक्त अवधि के दौरान देय ब्याज को कवर करने के लिए खाते में पर्याप्त जमा राशि नहीं रहती है.

3.2. अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित और नाबार्ड द्वारा सूचित वर्तमान दिशानिर्देशों/ निदेशों के अनुसार किए जाते हैं:

सभी अग्रिमों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है यानी मानक आस्तियाँ, अवमानक आस्तियाँ, संदिग्ध आस्तियाँ और हानि आस्तियाँ. अग्रिमों के लिए प्रावधान निम्नानुसार किए जाते हैं:

क) **मानक आस्तियाँ:** मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान निम्नलिखित दरों पर किए जाते हैं :

क्रम सं.	विवरण	दर
1	कृषि एवं एसएमई क्षेत्रों को प्रत्यक्ष अग्रिम	0.25%
2	वाणिज्यिक भूसंपदा क्षेत्र	1%
3	उपर्युक्त (1) और (2) में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी अग्रिम	0.40%

यह सामान्य प्रावधान तुलन-पत्र की अनुसूची 5 में "अन्य देयताएँ और प्रावधान - अन्य प्रावधान" शीर्ष के तहत परिलक्षित होता है और निवल एनपीए की गणना करने के लिए इस पर विचार नहीं किया जाता है.

ख) अवमानक आस्तियाँ: कोई भी ऋण आस्ति जो 12 माह तक या उससे कम की अवधि के लिए अनर्जक रह जाती है तो वह अवमानक आस्ति कहलाती है.

विवरण	आईआरएसी मानदंडों के अनुसार विनिर्दिष्ट दरें	बैंक द्वारा अपनाई गई अतिरिक्त दरें	कुल विशिष्ट प्रावधान दर
प्रतिभूत / अप्रतिभूत अंश	10.00%	90.00%	100.00%

ग) **संदिग्ध आस्तियाँ:** कोई भी ऋण आस्ति जो 12 माह की अवधि तक अवमानक आस्ति की श्रेणी में बनी रहती है तो वह संदिग्ध आस्ति बन जाती है.

विवरण	आईआरएसी मानदंडों के अनुसार विनिर्दिष्ट दरें		बैंक द्वारा अपनाई गई अतिरिक्त दरें	कुल विशिष्ट प्रावधान दर
प्रतिभूत अंश	1 वर्ष तक	20.00%	80.00%	100.00%
	1 से 3 वर्ष तक	30.00%	70.00%	100.00%
	3 वर्ष से अधिक	100.00%	0.00%	100.00%
अप्रतिभूत अंश		100.00%	0.00%	100.00%

घ) **हानि आस्तियाँ:** हानि आस्ति वह होती है जिसमें हानि की पहचान तो की जा चुकी है किंतु राशि को पूरी तरह से बट्टे खाते में नहीं डाला गया है. बकाया अग्रिमों पर 100% प्रावधान.

- 3.3. बैंक, जोखिम के साथ और बिना जोखिम के, अंतर-बैंक सहभागिता के माध्यम से अग्रिमों का अंतरण करता है. जोखिम के सहभागिता के मामले में, बैंक द्वारा जारी की गई सहभागिता की समग्र राशि को अग्रिमों में से घटा दिया जाता है. जिस मामले में बैंक सहभागिता द्वारा जोखिम उठा रहा होता है, उस सहभागिता की समग्र राशि को अग्रिमों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है. बिना जोखिम के सहभागिता प्रमाण-पत्र जारी करने के मामले में, बैंक द्वारा जारी की गई सहभागिता की समग्र राशि को उधारों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और जहाँ बैंक सहभागिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर रहा होता है, वहाँ प्राप्त की गई भागीदारी की समग्र राशि को अग्रिमों के अंतर्गत बैंकों से प्राप्य के रूप में दर्शाया जाता है.

- 3.4. अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण प्रावधान, वसूला नहीं गया ब्याज, निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त दावे और जारी किए गए अंतर-बैंक सहभागिता प्रमाण-पत्र (आईबीपीसी) घटाए जाते हैं।
- 3.5. पुनःसंचित/पुनःअनुसूचित आस्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं।
- 3.6. अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, किसी खाते को अर्जक आस्ति के रूप में पुनःवर्गीकृत किया जा सकता है यदि वह विनियामकों द्वारा विहित दिशानिर्देशों के अनुरूप हो।
- 3.7. पिछले वर्षों में बढ़ते खाते डाले गए ऋणों के समक्ष वसूली गई राशियों को वसूली के वर्ष में राजस्व के रूप में निर्धारित किया जाता है।
- 3.8. भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को तुलन-पत्र की अनुसूची 5 में "अन्य देयताएँ और प्रावधान" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है और निवल अनर्जक अस्तियों की गणना हेतु इन पर विचार नहीं किया गया है।
- 3.9. अनर्जक आस्तियों पर वसूले गए ब्याज को आय खाते में लिया जाता है बशर्ते कि ब्याज के रूप में खाते में जमा की गई राशि संबंधित उधारकर्ता को मंजूर नई/अतिरिक्त ऋण सुविधाओं में न ली गई हो।

4. अस्थायी प्रावधान:

बैंक में अग्रिमों, निवेशों और सामान्य प्रयोजनों के लिए अलग-अलग अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग के लिए नीति विद्यमान है। सृजित किए जाने वाले अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का आकलन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता है।

5. अचल आस्तियाँ, मूल्यहास और परिशोधन:

- 5.1. अचल आस्तियों को संचित मूल्यहास/परिशोधन को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है।
- 5.2. आस्ति को उपयोग में लाने से पहले उसकी लागत में खरीद की लागत और उक्त आस्ति को प्राप्त करने के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से या उसके संबंध में किए गए सभी व्यय शामिल होते हैं। उपयोग में लाई गई आस्तियों पर होने वाले परवर्ती व्ययों का पूँजीकरण केवल तभी किया जाता है जब उस आस्ति अथवा उसकी कार्यक्षमता से भविष्य के लाभों में वृद्धि हो सकती है।
- 5.3. मूल्यहास/परिशोधन का प्रावधान, नीचे बताए गए अनुसार, अनुमानित उपयोगी जीवन अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर किया जाता है:

अचल आस्तियों का विवरण	उपयोगी जीवन (वर्षों में)
भवन	60
फर्नीचर और फिक्स्चर	10
कंप्यूटर; कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग होते हैं; कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं होते हैं और सॉफ्टवेयर विकास की लागत।	3
ऑटोमेटेड टेलर मशीन/ नकदी जमा मशीन/ कॉइन डिस्पेंसर/ कॉइन वेंडिंग मशीन और बिजली के अन्य उपकरण	5
सर्वर	4
नेटवर्क उपकरण	5
मोटर वाहन	5
सुरक्षित जमा लॉकर, अग्नि रोधी डाटा सेफ	20

- 5.4. वर्ष के दौरान अधिप्राप्त की गई आस्तियों के संबंध में आनुपातिक आधार पर यानी वर्ष के दौरान आस्तियों का उपयोग किए जाने वाले दिनों के हिसाब से मूल्यहास प्रभारित किया जाता है।
- 5.5. ₹.1000/- से कम लागत वाली प्रत्येक आस्ति को खरीदी के वर्ष में ही चार्ज-ऑफ किया जाता है और ₹.1000/- से अधिक किंतु ₹.5000/- से कम की लागत वाली प्रत्येक आस्ति को आस्ति के रूप में बुक किया जाता है और खरीदी के वर्ष में ही 100% मूल्यहास प्रभारित किया जाता है।

6. आस्तियों की क्षतिग्रस्तता:

जब किसी घटना के घटित होने अथवा परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण ऐसा लगता है कि किसी आस्ति की अंकित राशि की वसूली भी नहीं हो सकती है तब उन अचल आस्तियों की क्षतिग्रस्तता के लिए समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयुक्त की जाने वाली आस्तियों की वसूलीयोग्यता को उस आस्ति की अंकित राशि के साथ उसके द्वारा सृजित होने वाले भावी निवल बट्टागत नकदी प्रवाह की तुलना के माध्यम से मापा जाता है। कोई आस्ति क्षतिग्रस्त तब कहलाती है जब उसका वहन मूल्य उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाता है। वसूली योग्य मूल्य, निवल विक्रय मूल्य और उपयोग में मूल्य में से जो भी अधिक हो, वह होता है।

7. कर्मचारी लाभ:

7.1. अल्पावधि कर्मचारी लाभ:

अल्पावधि कर्मचारी लाभों जैसे चिकित्सा लाभ इत्यादि जिनका भुगतान कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में अपेक्षित है, की अबट्टाकृत राशि उसी अवधि के लिए मानी गई है जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवाएँ प्रदान की हैं।

7.2. दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:

i) परिभाषित लाभ योजनाएँ:

- क) **उपदान:** बैंक अपने सभी पात्र कर्मचारियों के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपदान देयता का प्रावधान करता है। "तेलंगाणा ग्रामीण बैंक कर्मचारी उपदान निधि ट्रस्ट" में अंशदान द्वारा इस देयता का निधीयन किया जाता है।
- ख) **छुट्टी का नकदीकरण:** सभी संचित छुट्टी लाभों के लिए छुट्टी के नकदीकरण की देयता का प्रावधान, माप में निहित/ अनिहित शर्तों पर विचार करते हुए, लेखांकन मानक 15 के अनुसरण में, बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर किया जाता है।
- ग) **पेंशन:** बैंक 31.03.2010 को या उससे पहले भर्ती होने वाले अपने सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह परिलाभ मासिक भुगतान के रूप में नियमानुसार अधिकार प्राप्त कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या सेवा अवधि के दौरान उनकी मृत्यु पर या सेवा से हटाए जाने पर प्रदान किया जाता है। यह अधिकार की प्राप्ति नियमानुसार विभिन्न चरणों में होती है। बैंक वेतन के 10% की दर से पेंशन निधि में मासिक योगदान करता है। बैंक इस देयता के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान करता है। पेंशन देयता की गणना एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से की जाती है और पेंशन विनियमनों के अंतर्गत पेंशन के भुगतान को सुरक्षित करने के लिए बैंक निधि में समय-समय पर अतिरिक्त अंशदान करता रहता है।

ii) परिभाषित अंशदान योजनाएँ:

- क) भविष्य निधि में किए गए अंशदानों को व्यय के रूप में माना जाता है और उसे उपचय आधार पर लाभ और हानि लेखे को प्रभारित किया जाता है।
- ख) जो कर्मचारी 01 अप्रैल 2010 से प्रभावी रूप में बैंक की सेवाओं में शामिल हुए हैं, वे परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डीसीपीएस) के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ऐसे कर्मचारियों के संबंध में, बैंक मूल वेतन और महंगाई भत्ते का एक निर्धारित प्रतिशत अंशदान के रूप में देता है। बैंक इन अंशदानों को उसी वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है, जिस वर्ष से वे संबंधित होते हैं और इस संबंध में निधि में किए गए अंशदान से परे बैंक की कोई भी अतिरिक्त देयता नहीं होती है।
- ग) **राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस):** बैंक अपने उन सभी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) संचालित करता है, जो 01.04.2010 के बाद बैंक में शामिल हुए हैं। इस योजना के अनुसार, इसके अंतर्गत आने वाले कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% इस योजना में अंशदान के रूप में जमा करते हैं, जिसमें बैंक की ओर से भी 14% का अंशदान किया जाता है।

8. आयकर व्यय:

आयकर, यदि प्रयोज्य हो, तो उसकी गणना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू आयकर अधिनियम, 1961 के तहत प्रासंगिक कर प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

आयकर व्यय, वर्तमान कर और आस्थगित कर की कुल राशि होता है। वर्तमान कर और आस्थगित कर के व्यय का निर्धारण क्रमशः आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार और लेखांकन मानक 22 - "आय पर करों के लिए लेखांकन" और जो भारत में प्रचलित कर कानूनों पर आधारित होता है।

आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों अथवा देयताओं में किए गए परिवर्तन शामिल होते हैं। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को चालू वर्ष के लिए कर योग्य आय और लेखागत आय, आगे ले जाई गई हानियों के बीच समय के अंतरों के प्रभाव पर विचार कर मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग कर मापा जाता है जो तुलन-पत्र की तारीख पर अधिनियमित या पूर्ण रूप से अधिनियमित की हुई हों। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ और हानि लेखों में दर्शाया जाता है। समुचित/ लगभग निश्चित रूप से प्राप्ति होने के प्रबंधन के पूर्वानुमान के आधार पर आस्थगित कर आस्तियों को रिपोर्टिंग की प्रत्येक तिथि को निर्धारित और पुनः आकलित किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों को अवशोषित न हुए मूल्यहास और कर हानियों को आगे ले जाए जाने के माध्यम से केवल तब ही पहचाना जा सकता है यदि विश्वसनीय प्रमाणों द्वारा समर्थित यह आभासी सुनिश्चितता हो कि ऐसी आस्थगित कर आस्तियों को भविष्य के लाभों के समक्ष वसूला जा सकता है।

9. सरकारी अनुदान:

उद्यम के लिए उपलब्ध सरकारी अनुदानों पर निम्नलिखित के लिए विचार किया जाता है:-

क) जहाँ एक समुचित आश्वासित रहती है कि उद्यम उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगा।

ख) जहाँ उद्यम द्वारा इस तरह के लाभ अर्जित किए गए हैं और यह निश्चित रूप से सुनिश्चित है कि अंतिम संग्रह किया जाएगा।

विशिष्ट अचल आस्तियों के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान को इसके अंकित मूल्य की गणना के लिए संबंधित आस्ति के सकल मूल्य से कटौती के रूप में दिखाया जाता है।

10. आकस्मिक देयताएँ और प्रावधान:

10.1. आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक-29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ" के अनुसरण में बैंक प्रावधानों को केवल तभी मान्यता प्रदान करता है जब उनपर किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व होता हो और उस दायित्व को पूरा करने के लिए आर्थिक लाभों को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों का संभावित बहिर्गमन होता हो तथा दायित्वों की राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता हो।

निम्नलिखित मामलों में प्रावधान को मान्यता नहीं दी जाती है:

क) पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न कोई संभावित दायित्व जिसका होना या न होना भविष्य की एक या अनेक आनश्चित घटनाओं पर निर्भर करता है जिन पर बैंक का पूरी तरह से कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है; अथवा

ख) कोई भी वर्तमान दायित्व जो पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न होता है परंतु उसे मान्यता नहीं दी गई क्योंकि:

- यह संभावित नहीं है कि उस दायित्व को पूरा करने के लिए आर्थिक लाभों को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी; अथवा
- दायित्व की राशि का विश्वसनीय आकलन तैयार नहीं किया जा सकता है।

ऐसी देयताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में अभिलिखित किया जाता है। इनका आकलन नियमित अंतरालों में किया जाता है और कुछ अत्यंत विरल परिस्थितियों, जहाँ विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता है, को छोड़कर दायित्व के केवल उस अंश, जिसके संदर्भ में आर्थिक लाभों को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों का बहिर्गमन संभावित हो, के लिए प्रावधान किया जाता है।

10.2. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को नहीं दर्शाया जाता है।

11. नकदी प्रवाह विवरण

परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाहों की गणना अप्रत्यक्ष पद्धति से की जाती है।

12. विशेष आरक्षित निधि:

बैंक, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसरण में, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार औद्योगिक, कृषि अथवा अवसंरचना के विकास के लिए दीर्घ-कालिक वित्त से प्राप्त लाभ के 20% को विनियोजित कर एक विशेष आरक्षित निधि गठित करता है. इस प्रकार गठित की गई आरक्षित निधि को लाभांश के रूप में वितरित नहीं किया जा सकता है.

13. निवेश घट-बढ़ आरक्षित निधि:

बैंक, विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ में से, एचएफटी और एफएस निवेशों के न्यूनतम 2% के बराबर की एक निवेश घट-बढ़ आरक्षित निधि (आईएफआर) का रखरखाव करता है. आईएफआर का उपयोग ऐसे निवेशों पर होने वाले मूल्यहास/एमटीएम हानियों की भरपाई के लिए किया जाता है, और अतिरिक्त प्रावधानों को आईएफआर में विनियोजित कर दिया जाता है. आईएफआर में और उससे होने वाले अंतरणों को लाभ और हानि लेखे में विनियोजन के रूप में दर्शाया जाता है, और शेष राशि को आरक्षित निधियाँ और अधिशेष के अंतर्गत प्रकटित किया जाता है.

14. पट्टे:

पट्टों को शुरुआत में ही, लेन-देन के मूल स्वरूप के आधार पर, वित्तीय पट्टे या परिचालनात्मक पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. परिचालनात्मक पट्टे के भुगतानों को लाभ और हानि लेखे में सीधी-रेखा के आधार पर/लीज की शर्तों के अनुसार मान्यता दी जाती है, जब तक कि कोई अन्य व्यवस्थित आधार अधिक उपयुक्त न हो.

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते **मेसर्स उमामहेश्वर राव एण्ड कं.,**
सनदी लेखाकार
संस्था पंजीकरण सं. 004453S

कृते **तेलंगाणा ग्रामीण बैंक**

(सीए कृष्णा साई जीएच)
भागीदार
(सदस्यता सं. 233399)

(के. लक्ष्मी)
महाप्रबंधक - पचालन

(के. प्रताप रेड्डी)
अध्यक्ष

दिनांक: 20 अप्रैल 2026

स्थान: हैदराबाद

अनुसूची-18 - लेखों पर टिप्पणियाँ - मार्च 2026

- अंतर-शाखा लेनदेनों, अंतर-कार्यालय खातों और उचंत, विविध जमा, समाशोधन समायोजन से संबंधित बकाया प्रविष्टियाँ समाधान/ समायोजन की प्रक्रिया में हैं। प्रबंधन का मानना है कि इसमें शामिल राशियाँ महत्वपूर्ण नहीं हैं और संदिग्ध प्रकृति की नहीं हैं तथा प्रावधान पर विचार करने हेतु पर्याप्त नहीं है।

31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि रु. लाख में)

क्रम सं.	समयावधि	नामे प्रविष्टियों की सं.	नामे प्रतिवष्टियों की राशि	जमा प्रविष्टियों की सं.	जमा प्रविष्टियों की राशि	निवल जमा की स्थिति
1	3 माह तक	-	-	27	55.47	55.47
2	3 से 6 माह	-	-	-	-	-
3	6 माह से 1 वर्ष	-	-	-	-	-
4	1 वर्ष से 5 वर्ष	-	-	-	-	-
5	5 वर्ष से ऊपर	-	-	-	-	-
कुल		-	-	27	55.47	55.47

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि रु. लाख में)

क्रम सं.	समयावधि	नामे प्रविष्टियों की सं.	नामे प्रतिवष्टियों की राशि	जमा प्रविष्टियों की सं.	जमा प्रविष्टियों की राशि	निवल जमा की स्थिति
1	3 माह तक	0	0	2	9.30	9.30
2	3 से 6 माह	0	0	0	0	0
3	6 माह से 1 वर्ष	0	0	0	0	0
4	1 वर्ष से 5 वर्ष	0	0	0	0	0
5	5 वर्ष से ऊपर	0	0	0	0	0
कुल		0	0	2	9.30	9.30

- प्रतिभूति प्रपत्रों और स्टाम्पों को छोड़कर, वर्ष के दौरान खरीदी गई लेखन सामग्री को उपभोग की गई माना गया और उसे व्यय खाते में दर्ज किया गया है। तथापि, प्रतिभूति प्रपत्रों और स्टाम्पों की राशि से संबंधित व्यय को, वर्ष के दौरान उनके उपयोग के आधार पर व्यय खाते में दर्ज किए जा रहे हैं।

3. अग्रिमों के लिए प्रावधान:

क) बैंक के प्रबंधन द्वारा की गई समीक्षा और मूल्यांकन के अनुसार, आईआरएसी मानदंडों के अनुसार अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए ₹ 42248.61 लाख (पिछले वर्ष ₹ 35018.27 लाख) के प्रावधान की आवश्यकता है। 31.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार लेखा बहियों में ₹ 92238.60 लाख (पिछले वर्ष ₹ 87047.76 लाख) की कुल राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें ₹ 49,989.99 लाख (पिछले वर्ष ₹ 52,029.49 लाख) का अतिरिक्त प्रावधान शामिल है।

ख) ₹ 13670.34 लाख (पिछले वर्ष ₹ 12493.18 लाख) की राशि 31 मार्च 2026 तक के खातों में "मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान" शीर्षक के तहत सामान्य प्रावधानों के रूप में मानी गई है, जैसा कि अनुसूची 5 की मद 4 में बताया गया है।

4. लेखांकन नीति में परिवर्तन: मूल्यहास

हमने एक नई मूल्यहास नीति अपनाई है और इस नई नीति में निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए हैं: "जिन आस्तियों की लागत प्रत्येक 1000/- रुपये से कम है, उन्हें खरीद के वर्ष में ही पूरी तरह से चार्ज ऑफ कर दिया जाएगा और जिन आस्तियों की लागत 1000/- रुपये से अधिक, किंतु 5000/- रुपये से कम है, उन्हें आस्ति के रूप में बुक किया जाएगा और खरीद के वर्ष में ही उन पर 100% मूल्यहास प्रभावित किया जाएगा." इस नीतिगत परिवर्तन के कारण, लाभ और हानि लेखों में ₹53.23 लाख की अतिरिक्त राशि प्रभावित की गई है।

5. पिछली अवधि की मदें:

- क. पिछले वर्ष 2024-25 के दौरान, माइग्रेशन के समय ₹18.43 करोड़ की राशि को एनएचबी मूलधन के स्थान पर ब्याज व्यय के रूप में डेबिट कर दिया गया था, जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 का लाभ ₹18.43 करोड़ कम परिलक्षित हुआ था। तदनुसार, पूर्व में ब्याज व्यय के रूप में वर्गीकृत ₹18.43 करोड़ की अतिरिक्त राशि को पुनः लाभ और हानि लेखों में क्रेडिट कर दिया गया है। इस राशि को चालू वर्ष में, अनुसूची 15 ब्याज व्यय के अंतर्गत एएस 5 के अनुसार, पिछली अवधि की मद के रूप में आय के तौर पर मान्यता दी गई है।
- ख. लेखा बहियों में पहले से मान्यता प्राप्त आस्थगित कर आस्ति (डीटीए) की, आयकर अधिनियम 1961 के तहत कटौती की अनुमति मिलने की आभासी निश्चितता के लिए जाँच की गई है, जिसके परिणामस्वरूप, वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के दौरान ₹31.77 करोड़ के डीटीए को प्रतिवर्तित कर दिया गया है।

6. कर्मचारी लाभ:

क. ग्रेच्युटी:-

- i. बैंक ने बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारियों की ग्रेच्युटी देयता को पूरा करने के लिए ₹1550.00 लाख (पिछले वर्ष ₹328.00 लाख) का प्रावधान किया है, जिससे 31 मार्च 2026 तक कर्मचारियों की कुल ग्रेच्युटी देयता ₹18453.14 लाख (पिछले वर्ष ₹15115.03 लाख) हो गई।

(राशि ₹ लाख में)

क्रम सं.	निम्नलिखित में निवेश के विवरण	31.03.2026 तका निधि शेष	31.03.2025 तका निधि शेष
1	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस	6540.39	7475.16
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	119.65	175.34
3	प्रमलिका लाइफ इंश्योरेंस	3005.26	0
4	एसयूडी लाइफ इंश्योरेंस	6277.12	5541.59
5	जनराली सेंट्रल इंश्योरेंस	300.50	0
6	आदित्य बिर्ला सन लाइफ	300.50	0
7	पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस	300.50	0
8	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस	0.00	2514.28
9	आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस	0.00	2514.42
10	टीजीबी की नल्लाकुंटा शाखा में निधियाँ	1655.44	340.28
	कुल	18499.36	18561.07

ख. वर्ष 2025-26 के लिए पेंशन देयता

- i. बैंक ने बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारियों की पेंशन देयता को पूरा करने के लिए ₹11400.00 लाख (पिछले वर्ष ₹14700.00 लाख) का प्रावधान किया है, जिससे 31 मार्च 2026 तक कर्मचारियों की कुल पेंशन देयता ₹160153.41 लाख (पिछले वर्ष ₹148131.04 लाख) हो गई।

(राशि ₹ लाख में)

क्रम सं.	निम्नलिखित में निवेश के विवरण	31.03.2026 तका निधि शेष	31.03.2025 तका निधि शेष
1	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस	45114.10	40216.76
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	254.34	437.65
3	प्रमलिका लाइफ इंश्योरेंस	20688.61	25780.17
4	एसयूडी लाइफ इंश्योरेंस	6107.38	842.24
5	जनराली सेंट्रल इंश्योरेंस	42657.34	36600.81
6	आदित्य बिर्ला सन लाइफ	13226.36	5732.69
7	पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस	7741.59	20687.02
8	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस	3005.09	0.00
9	आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस	9971.78	5035.16
10	टीजीबी की नल्लाकुंटा शाखा में निधियाँ	11727.32	768.19
	कुल	160493.9	136100.7

ग. छुट्टी नकदीकरण देयता:-

- बैंक ने बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारियों की छुट्टी नकदीकरण देयता को पूरा करने के लिए ₹6000.00 लाख (पिछले वर्ष ₹105.00 लाख) का प्रावधान किया है, जिससे 31 मार्च 2026 तक कर्मचारियों की कुल देयता ₹16276.64 लाख (पिछले वर्ष ₹12104.52 लाख) हो गई.

7. कराधान:

क) वर्तमान कर:

वर्ष के लिए कर योग्य आय की गणना के आधार पर, चालू कर देयता के लिए लेखा बहियों में ₹44791.67 लाख (पिछले वर्ष ₹22000.00 लाख) की राशि का प्रावधान किया गया है.

ख) आस्थगित कर:

(राशि ₹ लाख में)

विवरण	2025-26	2024-25
आस्थगित कर देयताएँ:		
1) खाता बहियों के अनुसार मूल्यहास योग्य आस्तियों के बही मूल्य और कर के प्रयोजन के अवलिखित बही मूल्य के बीच के अंतर पर	168.71	114.76
अथ	114.76	38.70
वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाले सामयिक अंतर	53.95	76.06
वर्ष के दौरान रिवर्स किए गए सामयिक अंतर		
कर की दरों में परिवर्तन के कारण समायोजन/ (रिवर्स किए गए)	-	-
इति	168.71	114.76
2) विशेष आरक्षित निधियों पर	88,56.67	80,16.06
अथ	80,16.06	12,88.60
वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाले सामयिक अंतर	8,40.61	67,27.46
वर्ष के दौरान रिवर्स किए गए सामयिक अंतर	-	-
कर की दरों में परिवर्तन के कारण समायोजन/ (रिवर्स किए गए)	-	-
इति	85,56.67	80,16.06
कुल	90,25.38	81,30.82

आस्थगित कर आस्तियाँ:		
- आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के तहत नामंजूरी पर	14,19.73	31,77.54
अथ	31,77.54	11,11.56
वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाले सामयिक अंतर	-	20,65.98
वर्ष के दौरान रिवर्स किए गए सामयिक अंतर	17,57.79	-
कर की दरों में परिवर्तन के कारण समायोजन/ (रिवर्स किए गए)	-	-
इति	14,19.73	31,77.54
निवल आस्थगित कर आस्ति/ (देयता)	(76,05.64)	(49,53.28)
अथ शेष	(49,53.28)	(50,48.28)
प्रावधान/ (रिवर्सल)	26,52.36	(95.00)

8. प्रबंधकीय पारिश्रमिक:

प्रबंधकीय पारिश्रमिक के विवरण नाबार्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण के अंतर्गत मद संख्या 26 के तहत अतिरिक्त प्रकटीकरण में दिए गए हैं।

- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार, बैंक ने अपने लाभ का 20% के रूप में ₹25656.77 लाख (पिछले वर्ष ₹135,05.91 लाख) की राशि विनियोजित की है और इसे सांविधिक आरक्षित खाते में अंतरित किया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने परिपक्वता अवधि के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान किए गए प्रीमियम के परिशोधन के रूप में ₹125.01 लाख (पिछले वर्ष ₹113.34 लाख) की राशि को मान्यता दी है।

11. पट्टे:

बैंक ने अपने परिचालनों के लिए परिसरों को परिचालनात्मक पट्टे पर लिया है, जो निरस्तीकरण योग्य पट्टे हैं। पट्टे की अवधि समाप्त होने पर, परिसर के स्वामियों के साथ आपसी बातचीत के आधार पर नवीनीकरण हेतु उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। लाभ और हानि खाते में दर्ज किया गया वर्ष के लिए कुल पट्टा भुगतान ₹2504.12 लाख (पिछले वर्ष ₹1396.18 लाख) है।

(राशि ₹ लाख में)

क्रम सं.	परिसर किराया दायित्व	कुल व्यय
1	वर्तमान वर्ष	2504.12
2	1 वर्ष तक	2113.39
3	1-5 वर्ष	1838.94
4	5-10 वर्ष	1270.60

12. सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन:

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक को नाबार्ड से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

13. खंड रिपोर्टिंग:

प्राथमिक (व्यावसायिक खंड): बैंक पूरी तरह से निवेश युक्त बैंकिंग क्षेत्र उद्योग में कार्य करता है, जो विभिन्न जोखिमों और लाभों के लिए उत्तरदायी नहीं है। अतः ये आंकड़े केवल उसी खंड विशेष से संबंधित हैं।

द्वितीयक (भौगोलिक खंड): बैंक की गतिविधियाँ/ परिचालन केवल तेलंगाणा राज्य में बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने तक ही सीमित हैं और अतः आंकड़े केवल इसी खंड विशेष से संबंधित हैं।

14. संबंधित पक्ष के लेनदेन:-

आईसीएआई द्वारा "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" पर जारी लेखा मानक 18 के पैरा 9 के अनुसार, एक राज्य-नियंत्रित उद्यम होने के नाते, बैंक को अन्य राज्य-नियंत्रित उद्यमों के साथ संबंधित पक्ष के साथ संबंधों और ऐसे उद्यमों के साथ लेनदेनों को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य संबंधित पक्ष लेनदेन नीचे प्रकट किए गए हैं:

प्रबंधकीय पारिश्रमिक:

(राशि ₹ लाख में)

विवरण	2025-26	2024-25
श्री प्रताप रेड्डी, अध्याक्ष (दिसंबर-2025 तक)	32.42	0.00
श्री शंकर राव, महाप्रबंधक-एचआरएआईटी, बोर्ड	24.36	0.00
श्री विद्याधर अड्डंकी, महाप्रबंधक-सी एंड आर	17.33	0.00
श्रीमती वाई. शोभा, पूर्व-अध्यक्ष (मई-2025 तक)	9.30	50.80
श्रीमती के. पी. शोभा रानी, महाप्रबंधक-आईटी (जून 2024 तक)	0.00	11.92
श्री के. वी. प्रसाद, महाप्रबंधक-III (जून 2024 तक)	0.00	13.31
श्री डी. रमेश, महाप्रबंधक-II (जुलाई 2025 तक)	14.03	45.20
श्रीमती भारती तायार, महाप्रबंधक (सतर्कता) (जुलाई 2025 तक)	14.83	49.41
श्री टी. चंद्र शेखर, महाप्रबंधक (सतर्कता)	36.18	40.16
श्रीमती कोमंडूरु लक्ष्मी, महाप्रबंधक-परिचालन	30.86	28.97
श्री टी. सुधाकर, महाप्रबंधक-व्यवसाय-I	40.39	28.90
श्री वी. अनिल, महाप्रबंधक-व्यवसाय-II	37.77	3.00
श्री के. वी. कृष्ण शर्मा, महाप्रबंधक-वित्तीय समावेशन	38.47	3.00
श्री एस. सतीश बाबू, मुख्य प्रबंधक (लेखापरीक्षा)	25.36	13.01

बैंक के निदेशक:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	नामिती
1	श्री के.प्रताप रेड्डी, अध्यक्ष	भारतीय स्टेट बैंक
2	श्री प्रकाश चन्द्र बरोर, मप्र (आरआरबी), एसबीआई, कॉर्पोरेट केंद्र	भारतीय स्टेट बैंक
3	श्री आर. गणपति, महाप्रबंधक	नाबार्ड
4	श्री प्रियव्रत मिश्र, उमप्र, एसबीआई, स्थानीय प्रधान कार्यालय	भारतीय स्टेट बैंक
5	श्री राजू रत्नावत, समप्र	भारतीय रिजर्व बैंक
6	श्री विवेक गुप्ता, निदेशक, डीएफएस	भारत सरकार
7	श्री राई रवि, अतिरिक्त सचिव, वित्त विभाग	तेलंगाणा सरकार
8	डॉ. बी. गोपी, आईएस, कृषि निदेशक	तेलंगाणा सरकार

संबंधित पक्षों से प्राप्त कमीशन

(राशि ₹ लाख में)

क्रम सं.	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध	2025-26	2024-25
1	एसबीआई लाइफ़	एसबीआई सहायक	2280.68	1267.89
2	एसबीआई जनरल	एसबीआई सहायक	1129.74	516.29
3	एसबीआई म्यूचुअल फंड	एसबीआई सहायक	52.13	23.78

संबंधित पक्षों को प्रदत्त व्यय

(राशि ₹ लाख में)

क्रम सं.	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध	2025-26	2024-25
1	सी-एज टेक्नोलॉजीस लिमिटेड	एसबीआई का संयुक्त उद्यम	6486.89	3053.51
2	एसबीआई म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट लि.	एसबीआई सहायक	50.42	34.55

15. आय प्रति शेयर

(राशि ₹ लाख में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर पश्चात् निवल लाभ	128283.84	52023.67
इक्विटी शेयरों की संख्या	572.87	572.87
इक्विटी शेयरों की भारित संख्या	572.87	572.87
प्रति शेयर मूल आय (₹ में)	223.93	90.81
प्रति शेयर तनु आय (₹ में)	223.93	90.81
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹ में)	10.00	10.00

16. आस्तियों का हास

बैंक के प्रबंधन के मतानुसार, चालू वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान आस्तियों में हास के कोई भी संकेत नहीं हैं।

क) आकस्मिक देयताएँ

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए सीजीएसटी के आयुक्त (अपील) द्वारा जारी जीएसटी माँग आदेशों के संबंध में, ₹1.01 करोड़ की राशि को एक आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है, जिसके विरुद्ध बैंक उपयुक्त अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने का इरादा रखता है। यह माँग पूंजीगत वस्तुओं पर 50% इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को अस्वीकृत करने से संबंधित है, यह मानते हुए कि जीएसटी घटक पर मूल्यहास का दावा किया गया है; तथापि, बैंक सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(4) के अनुसार पात्र आईटीसी का केवल 50% ही प्राप्त करता है और शेष 50% को पूँजीकृत कर देता है, जिस पर मूल्यहास का दावा किया जाता है, जबकि प्राप्त किए गए आईटीसी पर किसी भी प्रकार के मूल्यहास का दावा नहीं किया जाता है।

17. तदनुसार, बैंक का यह मत है कि यह माँग उसके लेखांकन और कर व्यवहार के अनुरूप नहीं है, और मामले के गुण-दोषों के आधार पर, बैंक का मानना है कि संसाधनों का बहिर्प्रवाह संभावित नहीं है; अतः, एएस 29 के प्रावधानों के तहत, किसी प्रावधान को मान्यता नहीं दी गई है और इस राशि को एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

18. वड्डी लेनि ऋणालु (वीएलआर) प्राप्तियाँ:

दिनांक 27-04-2013 के सरकारी आदेश सं.639, दिनांक 04-07-2015 के सरकारी आदेश सं.323, दिनांक 25-05-2016 के सरकारी आदेश सं.236 और दिनांक 23-06-2017 के सरकारी आदेश सं.369 के अनुसार, बैंक ने पात्र उधारकर्ताओं को वड्डी लेनि ऋणालु (वीएलआर) (बिन ब्याज के ऋण) स्वीकृत किए हैं और 01.04.2015 से 31.03.2018 तक की अवधि के लिए ब्याज सहायता का दावा किया है। बैंक को अभी भी तेलंगाणा राज्य सरकार से 01-04-2015 से 31.03.2018 की अवधि के लिए, ई-एपीजीवीबी की शाखाओं से संबंधित, ₹1532.55 लाख की ब्याज सहायता प्राप्त होनी शेष है। बैंक ने वीएलआर के लिए ₹1532.55 लाख का प्रावधान किया है और बोर्ड की मंजूरी प्राप्त करने के बाद, दिनांक 23.03.2026 के परिचाली प्रस्ताव सं.06/2026 के माध्यम से, इस राशि को लेखा बहियों से अपलिखित कर दिया है।

19. कैजुअल लेबर को देय प्रोविडेंट फंड:

बैंक ने हैदराबाद स्थित केंद्रीय सरकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय (सीजीआईटी) में, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 (आरपीएफसी-1), हैदराबाद के दिनांक 30.08.2019 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें 2006 से 2017 की अवधि के लिए अनियत श्रमिकों को ₹582.89 लाख की भविष्य निधि राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। इस मामले की सुनवाई अभी लंबित है और सुनवाई की अगली तारीख 15.05.2026 निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, ई-एपीजीवी बैंक ने हैदराबाद स्थित केंद्रीय सरकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय (सीजीआईटी) में, आरपीएफसी, हैदराबाद के उस आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें अनियत श्रमिकों को ₹33.49 लाख की भविष्य निधि राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। इस मामले की सुनवाई भी अभी लंबित है और सुनवाई की अगली तारीख 13.05.2026 निर्धारित की गई है। अतः, बैंक ने अपनी लेखा बहियों में कुल मिलाकर ₹6,16,37,654/- का प्रावधान किया है।

20. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल ₹60.23 लाख (पिछले वर्ष शून्य) के पूंजीगत व्यय की प्रतिबद्धताओं की योजना बनाई है। ये प्रतिबद्धताएँ प्रस्तावित पूंजीगत व्यय से संबंधित हैं और बैलेंस शीट की तारीख तक वर्तमान देयताएँ नहीं मानी जाती हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन
लेखों का भाग बनने वाली टिप्पणियों के अनुबंध (अनुसूची - 18)

21. विनियामक पूँजी

a) विनियामक पूँजी की रचना (बेसल-I मानदंडों के अनुसार)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
i)	टियर 1 पूँजी	8721.80	8431.83
ii)	टियर 2 पूँजी	167.47	124.93
iii)	कुल पूँजी (टियर 1+टियर 2)	8889.27	8556.76
iv)	कुल जोखिम भारित आस्तियाँ (आरडब्ल्यूए)	33871.27	33665.09
v)	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए में प्रतिशत के रूप में सीईटी 1) / आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में प्रदत्त शेयर पूँजी और आरक्षित निधियाँ	25.75	25.05
vi)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूँजी)	25.75	25.05
vii)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूँजी)	0.49	0.37
viii)	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूँजी)	26.24	25.42
ix)	लीवरेज अनुपात	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
x)	निम्नलिखित की शेयरधारिता का प्रतिशत		
	क) भारत सरकार	50.00	50.00
	ख) राज्य सरकार (नाम स्पष्ट करें)	15.00	15.00
	ग) प्रायोजक बैंक	35.00	35.00
xi)	वर्ष के दौरान उगाही गई प्रदत्त इक्विटी पूँजी की राशि	शून्य	शून्य

22. आस्ति देयता प्रबंधन

क) आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता क्रम 2025-26

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	पहला दिन	2-7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	31 दिन से 2 माह	2 माह से अधिक और 3 माह तक	3 माह से अधिक और 6 माह तक	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा राशियाँ	0.00	832.71	100.91	166.53	500.62	229.00	976.10	2792.00	28659.62	185.79	161.40	34604.68
अग्रिम	0.00	7.73	78.00	97.88	197.37	190.00	743.92	1632.94	21661.15	9068.38	9948.90	43626.27
निवेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.81	305.81	1011.43	1587.48	2420.24	5402.77
उधार राशियाँ	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	527.93	4199.12	9505.94	2342.13	1355.07	0.43	17930.69
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विदेशी मुद्रा देयताएँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ख) आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता क्रम 2024-25

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	पहला दिन	2-7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	31 दिन से 2 माह	2 माह से अधिक और 3 माह तक	3 माह से अधिक और 6 माह तक	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा राशियाँ	47.01	1813.02	911.17	1164.36	1749.44	1714.31	3401.16	5984.56	3791.76	1080.54	10615.69	32273.02
अग्रिम	0.00	624.20	556.44	1221.62	2112.77	1406.93	6266.93	14751.78	10152.34	2213.38	2211.89	41518.28
निवेश	0.00	0.00	3.91	0.00	0.00	10.06	74.21	6.49	2147.22	405.85	2797.50	5445.24
उधार राशियाँ	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3925.03	7697.49	2789.14	1520.63	9.03	16613.32
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विदेशी मुद्रा देयताएँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

23. निवेश

क) 31.03.2026 तक के निवेश पोर्टफोलियो की रचना

(राशि ₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत से बाहर निवेश				कुल निवेश
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	शेयर	डिबेंचर और बॉण्ड	सहायक संस्थाएँ और/अथवा संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	सहायक संस्थाएँ और/अथवा संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत से बाहर कुल निवेश	
परिपक्वता तक धारित												
सकल	3,849.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,849.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,849.33
घटाएँ : अनर्जक निवेशों (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	3,849.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,849.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,849.33
बिक्री के लिए उपलब्ध												
सकल	1,538.44	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	1,553.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553.44
घटाएँ : मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	1,538.44	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	1,553.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553.44

(राशि ₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत से बाहर निवेश				कुल निवेश
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	शेयर	डिबेंचर और बॉण्ड	सहायक संस्थाएँ और/अथवा संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	सहायक संस्थाएँ और/अथवा संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत से बाहर कुल निवेश	
व्यापार के लिए धारित												
सकल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएँ: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुलनिवेश	5,387.77	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	5,402.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5,402.77
घटाएँ: अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएँ: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	5,387.77	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	5,402.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5,402.77

31.03.2025 तक के निवेश पोर्टफोलियो की रचना

(राशि ₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत से बाहर निवेश				कुल निवेश
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	शेयर	डिबेंचर और बॉण्ड	सहायक संस्थाएँ और/अथवा संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	सहायक संस्थाएँ और/अथवा संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत से बाहर कुल निवेश	
परिपक्वता तक धारित												
सकल	2470.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2470.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2470.04
घटाएँ: अनर्जक निवेशों (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	2470.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2470.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2470.04
बिक्री के लिए उपलब्ध												
सकल	2960.21	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	2975.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2975.21
घटाएँ: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	2960.21	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	2975.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2975.21

(राशि ₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत से बाहर निवेश				कुल निवेश
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	शेयर	डिबेंचर और बॉण्ड	सहायक संस्थाएँ और/अथवा संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	सहायक संस्थाएँ और/अथवा संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत से बाहर कुल निवेश	
व्यापार के लिए धारित												
सकल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएँ: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल निवेश	5430.25	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	5445.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5445.25
घटाएँ: अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएँ: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	5430.25	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	5445.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5445.25

ख) मूल्यहास और निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि के लिए प्रावधानों में घट-बढ़

(राशि ₹ लाख में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
i) निवेशों के मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
क. अथशेष	0.00	0.00
ख. जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.00	0.00
ग. घटाएँ: वर्ष के दौरान अपलिखित / प्रतिलिखित अतिरिक्त प्रावधान	0.00	0.00
घ. इतिशेष	0.00	0.00
ii) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि में घट-बढ़		
क. अथशेष	0.00	0.00
ख. जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरित राशि	3076.88	0.00
ग. घटाएँ: आहरण	0.00	0.00
घ. इतिशेष	3076.88	0.00
iii) बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित / चालू श्रेणी में निवेशों के इतिशेष के प्रतिशत के रूप में निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि में इतिशेष	2.00%	0.00

ग) परिपक्वता के लिए धारित श्रेणी को / से बिक्री और अंतरण

- बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष में परिपक्वता के लिए धारित श्रेणी में/ से प्रतिभूतियाँ नहीं बेची है.
- बैंक ने 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान परिपक्वता तक धारित श्रेणी से बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में ₹1203.38 करोड़ और बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी से परिपक्वता तक धारित श्रेणी में ₹330.88 करोड़ अंतरित किए हैं.

घ) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i. अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
क)	अथशेष	0.00	0.00
ख)	वर्ष के दौरान 1 अप्रैल से परिवर्धन	0.00	0.00
ग)	उपर्युक्त अवधि के दौरान हुई कमियाँ	0.00	0.00
घ)	इतिशेष	0.00	0.00
ड)	धारित कुल प्रावधान	0.00	0.00

ii. गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संघटना

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	जारीकर्ता	राशि		निजी नियोजन की राशि		'निवेश ग्रेड से नीचे' की प्रतिभूतियाँ		'रेट न की गई' प्रतिभूतियों की राशि		'अनलिस्टेड' प्रतिभूतियों की राशि	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		31.03.26 को	31.03.26 को	31.03.26 को	31.03.25 को	31.03.26 को	31.03.25 को	31.03.26 को	31.03.25 को	31.03.26 को	31.03.25 को
क)	पीएसयू	15.00	15.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख)	वित्तीय संस्थाएँ	0.00	0.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग)	बैंक	0.00	0.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ)	निजी कॉर्पोरेट	0.00	0.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ड)	सहायक संस्थाएँ/ संयुक्त उद्यम	0.00	0.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
च)	अन्य	0.00	0.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
छ)	मूल्यहास के लिए धारित प्रावधान	0.00	0.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	15.00	15.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ड) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के रूप में) 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार:

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया		31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार बकाया	
	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी
i) रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ								
क) सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-	1050.00	1048.32	53.18	53.75	-	-
ख) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ								
क) सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-

➤ एफवी: उचित मूल्य

➤ एमवी: बाजार मूल्य

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार:

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया		31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार बकाया	
	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी
i) रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ								
क) सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-	790.00	790.14	319.92	321.58	672.00	668.43
ख) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ								
क) सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-

च) सरकारी प्रतिभूति उधार (जीएसएल) लेनदेन (बाज़ार मूल्य के रूप में)

31.03.2026 की स्थिति के अनुसार:

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान लेनदेनों की प्रमात्रा	31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार बकाया
जीएसएल लेनदेनों के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेनदेनों के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेनदेनों के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेनदेनों के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त की गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार:

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान लेनदेनों की प्रमात्रा	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार बकाया
जीएसएल लेनदेनों के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेनदेनों के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेनदेनों के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेनदेनों के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त की गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

24. आस्ति गुणवत्ता

क) 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

(राशि ₹ 000' में)

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम और अनर्जक आस्तियाँ						
अथशेष	406478016.12	3087355.90	5581395.64	36024.55	8704776.09	415182792.21
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन					14924347.83	
घटाएँ: वर्ष के दौरान हुई कमियाँ					14405264.40	
इतिशेष	456254280.99	3358330.09	5657808.77	207720.66	9223859.52	465478140.51
सकल अनर्जक आस्तियों में निम्नलिखित के कारण कमियाँ हुईं:						
i) उन्नयन					4860983.69	
ii) वसूलियाँ (उन्नयन किए गए खातों से वसूलियों को छोड़कर)					8766766.45	
iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण अपलेखन					0.00	
iv) उपर्युक्त (iii) से इतर अपलेखन					777514.26	
प्रावधान (अस्थाई प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का अथशेष	1249317.46	3087355.90	5581395.64	36024.55	8704776.09	9954093.55
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					1330755.83	
घटाएँ: रिवर्स किया गया अधिक प्रावधान / अपलिखित ऋण					811672.40	
धारित प्रावधानों का इतिशेष	1367034.80	3358330.09	5657808.77	207720.66	9223859.52	10590894.32
निवल अनर्जक आस्तियाँ						
अथशेष					0.00	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन					0.00	
घटाएँ: वर्ष के दौरान की गई कमियाँ					0.00	
इतिशेष					0.00	

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
अस्थाई प्रावधान						0.00
अथशेष						0.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						0.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान आहरित राशि						0.00
अस्थाई प्रावधानों का इतिशेष						
तकनीकी अपलेखन और उनपर की गई वसूलियाँ						0.00
तकनीकी / विवेकपूर्ण अपलेखन लेखों का अथशेष						0.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए तकनीकी / विवेकपूर्ण अपलेखन						0.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान पूर्व में तकनीकी / विवेकपूर्ण अपलेखन किए गए खातों से की गई वसूलियाँ						0.00
इतिशेष						0.00

अनुपात (प्रतिशत में)	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
सकल एनपीए के प्रति सकल अग्रिम	1.98%	2.10%
निवल एनपीए के प्रति निवल अग्रिम	0.00	0.00
प्रावधान व्याप्ति अनुपात	100%	100%

ख) क्षेत्र - वार अग्रिम और सकल अनर्जक आस्तियां

(राशि ₹ करोड़ में)

	क्षेत्र *	31.03.2026 तक			31.03.2025 तक		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत
अ	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र						
i.	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	28317.26	739.71	2.61	23137.47	711.36	3.07
ii.	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के तहत पात्र व्यवसाय/ उद्योगों को	3102.57	133.06	4.29	394.53	44.36	11.24
iii.	सेवा क्षेत्र	-	-	-	2484.27	74.69	3.01
iv.	वैयक्तिक ऋण	4339.94	13.25	0.31	2810.79	8.90	0.31
	उप-जोड़ (अ)	35759.77	886.02	2.48	28827.06	839.31	2.91
आ	गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र:						
i.	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	-	-	-	-	-	-
ii.	उद्योग	-	-	-	-	-	-
iii.	सेवा क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
iv.	वैयक्तिक ऋण	10788.04	36.37	0.34	12691.22	31.17	0.25
	उप-जोड़ (आ)	10788.04	36.37	0.34	12691.22	31.17	0.25
	जोड़ (अ+आ)	46547.81	922.39	1.98	41518.28	870.48	2.10

ग) विदेशों में आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और राजस्व

विवरण	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
कुल आस्तियाँ	शून्य	शून्य
कुल अनर्जक आस्तियाँ	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	शून्य	शून्य

घ) समाधान योजना और पुनःसंरचना के विवरण

पुनःसंरचना के अधीन खातों के विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

		कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ		कॉरपोरेट (एमएसएमई को छोड़कर)		सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)		खुदरा (कृषि और एमएसएमई को छोड़कर)		कुल	
		31.03.2026 तक	31.03.2025 तक	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
मानक	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	शून्य	0	0	0	354	0	354
	सकल राशि (₹ करोड़)	0	0	0	शून्य	0	0	0	40.81	0	40.81
	धारित प्रावधान (₹ करोड़)	0	0	0	शून्य	0	0	0	0.16	0	0.16
अवमानक	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	शून्य	0	47	0	4	0	51
	सकल राशि (₹ करोड़)	0	0	0	शून्य	0	1.09	0	0.57	0	1.66
	धारित प्रावधान (₹ करोड़)	0	0	0	शून्य	0	1.09	0	0.57	0	1.66
संदिग्ध	उधारकर्ताओं की संख्या	0	92	0	शून्य	0	23	0	4	0	119
	सकल राशि (₹ करोड़)	0	0.40	0	शून्य	0	0.71	0	0.27	0	1.38
	धारित प्रावधान (₹ करोड़)	0	0.40	0	शून्य	0	0.71	0	0.27	0	1.38
रहित	उधारकर्ताओं की संख्या	0	92	0	शून्य	0	70	0	362	0	524
	सकल राशि (₹ करोड़)	0	0.40	0	शून्य	0	1.80	0	41.65	0	43.85
	धारित प्रावधान (₹ करोड़)	0	0.40	0	शून्य	0	1.80	0	1.00	0	3.20

ड) ऋण एक्सपोज़रों के अंतरण का प्रकटन

अंतरित अथवा अधिप्राप्त दबावग्रस्त ऋणों के मामले में निम्नलिखित प्रकटन किए जाने चाहिए:

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष के दौरान अंतरित दबावग्रस्त ऋणों के विवरण (एनपीए और एसएमए के रूप में वर्गीकृत ऋणों के लिए अलग-अलग तैयार किए जाएँ)			
(सभी राशियाँ ₹ करोड़ में)	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को	अनुमतिप्राप्त अंतरितियों को	अन्य अंतरितियों को (कृपया स्पष्ट करें)
खातों की संख्या	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अंतरित ऋणों का बकाया कुल मूलधन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अंतरित ऋणों का भारित औसत शेष परिपक्वता काल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (अंतरण के समय)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
संकलित प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में उगाहा गया अतिरिक्त प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष के दौरान अधिप्राप्त ऋणों के विवरण			
(सभी राशियाँ ₹ करोड़ में)	आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित रास बैंकों, क्षेत्रा बैंकों, शस बैंकों, जिमस बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, लघु वित्त बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से		आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों से
अधिप्राप्त ऋणों का संकलित बकाया मूलधन	लागू नहीं		लागू नहीं
प्रदत्त संकलित प्रतिफल	लागू नहीं		लागू नहीं
अधिप्राप्त ऋणों का भारित औसत शेष परिपक्वता काल	लागू नहीं		लागू नहीं

च) गैर-निधि आधारित (एनएफबी) ऋण सुविधाएँ

		31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2025 तक
		प्रतिभूत अंश	अप्रतिभूत अंश	प्रतिभूत अंश	अप्रतिभूत अंश
I	बकाया गारंटियाँ (₹ करोड़)	26.39	0.00	21.56	0.00
	i. भारत में	26.39	0.00	21.56	0.00
	ii. भारत से बाहर	0.00	0.00	0.00	0.00
II	स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	0.00	0.00	0.00	0.00
III	अन्य एनएफबी ऋण सुविधाएँ (₹ करोड़)	0.00	0.00	0.00	0.00

छ) धोखाधड़ी वाले खाते

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों की संख्या	7	2
धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़)	1.82	0.30
ऐसी धोखाधड़ियों के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	1.06	0.02
'अन्य आरक्षित निधियों' में से नामे की गई अपरिशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	0	0

* 2025-26 के दौरान धोखाधड़ियों में शामिल कुल राशि थी ₹ 1.82 करोड़ और ₹ 76 लाख की राशि वसूली गई और ₹ 1.06 करोड़ की राशि के लिए प्रावधान किया गया।

ज) कोविड-19 संबंधी दबाव के लिए समाधान ढाँचे के तहत प्रकटन

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी समाधान ढाँचे के तहत, और दिनांक 05.05.2021 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं.आरबीआई/2021-22/31 के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, या किसी अन्य विनियामकीय अथवा आंतरिक पुनःसंरचना योजना के तहत **कोई भी नया पुनः संरचनाकरण कार्यान्वित या इनवोक नहीं किया है।**

बैंक का पुनः संरचित पोर्टफोलियो केवल पूर्व की अवधियों में पुनःसंरचित खातों से संबंधित है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के उस समय में प्रचलित प्रयोज्य दिशानिर्देशों के अनुसरण में पुनः संरचित किया गया था। किन्हीं भी अतिरिक्त खातों को पुनःसंरचित करने, अनुमोदित करने पर विचार नहीं किया गया है।

मार्च 2026 को समाप्त वर्ष में किए जाने वाले प्रकटनों के लिए प्रारूप

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर (अ)	(अ) में से, अनर्जक आस्ति बन जाने वाला संकलित ऋण	(अ) में से अपलिखित राशि	(अ) में से उधारकर्ताओं द्वारा अदा की गई राशि	समाधान योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - मार्च 2026 को समाप्त वर्ष की समाप्ति तक की स्थिति
वैयक्तिक श्रण			शून्य		
कॉर्पोरेट व्यक्ति*					
इनमें से एमएसएमई					
अन्य					
कुल					

* जैसा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किया गया है।

25. एक्सपोज़र

क) भूसंपदा क्षेत्र को एक्स्पोजर

(राशि रु करोड़ में)

श्रेणी		31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
i)	प्रत्यक्ष एक्सपोजर		
क)	आवासीय बंधक – ऐसी आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित उधार देना जो उधारकर्ता द्वारा कब्जा की गई अथवा की जाएगी अथवा किराए पर दी गई है. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों में शामिल किए जाने हेतु पात्र व्यक्तिगत आवास ऋणों को अलग से दिखाया जाएगा. एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) ऋण सीमाएं भी शामिल होंगी.	7588.81	7143.73
ख)	वाणिज्यिक भूसंपदा – वाणिज्यिक भूसंपदा (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम परिसर, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण कार्य, आदि) पर बंधक द्वारा सुरक्षित उधार देना. एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) ऋण सीमाएं भी शामिल होंगी;	7.13	23.91
ग)	बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों में निवेश – i) आवासीय ii) वाणिज्यिक भूसंपदा	शून्य	शून्य
ii)	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर राष्ट्रीय आवास बैंक और आवास वित्त कंपनियों में निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर	शून्य	शून्य
भूसंपदा क्षेत्र को कुल एक्सपोजर		7595.94	7167.64

ख) पूँजी बाज़ार को एक्सपोज़र

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
i) इक्विटी शेयरों, संपरिवर्तनीय बॉण्डों, संपरिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिनकी समूह निधि को पूरी तरह से कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं किया गया है;	शून्य	शून्य
ii) शेयरों/ बॉण्डों/ डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अथवा व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ ईसॉप सहित), संपरिवर्तनीय बॉण्डों, संपरिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों में निवेश के लिए क्लीन बेसिस पर अग्रिम;	शून्य	शून्य
iii) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, जहाँ शेयर अथवा संपरिवर्तनीय बॉण्ड अथवा संपरिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	शून्य	शून्य
iv) किसी अन्य प्रयोजन के लिए शेयरों की संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा संपरिवर्तनीय बॉण्डों अथवा संपरिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों द्वारा प्रतिभूत सीमा तक अग्रिम यानी जहां शेयरों/ संपरिवर्तनीय बॉण्डों/ संपरिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों को छोड़कर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती;	शून्य	शून्य
v) शेयर दलालों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों और बाज़ार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियाँ;	शून्य	शून्य
vi) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा रखने वाली नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तक के रूप में अंशदान करने के लिए शेयरों/ बॉण्डों/ डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा अथवा क्लीन बेसिस पर कॉर्पोरेट्स को स्वीकृत ऋण;	शून्य	शून्य
vii) प्रत्याशित इक्विटी प्रवाहों/ निर्गमों के समक्ष कंपनियों को पूरक ऋण;	शून्य	शून्य
viii) शेयरों अथवा संपरिवर्तनीय बॉण्डों अथवा संपरिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएँ;	शून्य	शून्य
ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर दलालों का वित्तपोषण;	शून्य	शून्य
x) जोखिम पूँजी निधि (पंजीकृत और गैर-पंजीकृत दोनों) में सभी एक्सपोज़र	शून्य	शून्य
पूँजी बाज़ार में कुल एक्सपोज़र	शून्य	शून्य

ग) जोखिम श्रेणी-वार देश एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	31.03.2026 तक एक्सपोजर (निवल)	31.03.2026 तक धारित प्रावधान	31.03.2025 तक एक्सपोजर (निवल)	31.03.2025 तक धारित प्रावधान
नगण्य	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
निम्न	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
मामूली रूप से निम्न	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
मामूली	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
मामूली रूप से उच्च	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
उच्च	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
अति उच्च	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
कुल	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

घ) अप्रतिभूत अग्रिम

बैंक ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को दी गई ऋण सुविधाओं को ₹10 लाख की सीमा तक स्वीकृत खातों को अप्रतिभूत अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया है और ₹10 लाख की मंजूर सीमा से ऊपर के खातों के लिए, सीजीएफएमयू (सूक्ष्म इकाइयों हेतु क्रेडिट गारंटी निधि) के तहत कवर की गई बकाया राशि के 75% को प्रतिभूत और शेष को अप्रतिभूत के रूप में वर्गीकृत किया है।

(राशि ₹ खरोड में)

विवरण	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	5293.86	6105.14
उपर्युक्त में से, उन अग्रिमों की राशि जिनके लिए अधिकारों, लाइसेंसों, प्राधिकार आदि पर ऋण-भार जैसी अमूर्त प्रतिभूतियां ली गईं:	शून्य	शून्य
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	शून्य	शून्य

ड) फैक्टरिंग एक्सपोजर

फैक्टरिंग एक्सपोजर का प्रकटन अलग से किया जाएगा।

च) अंतःसमूह एक्सपोजर

संबंधित पक्षों के उल्लेखनीय लेनदेनों का सारांश नीचे प्रस्तुत है:

(राशि ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त	शून्य	शून्य
भारतीय स्टेट बैंक को प्रदत्त ब्याज	14180.76	7210.42
निम्नलिखित में किए गए निवेश:		
भारतीय स्टेट बैंक-एसटीडीआर के रूप में	728189.23	575031.68
एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	0.00	0.00
भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त ब्याज	46198.70	14012.72
एसबीआई में निवेश की बिक्री से प्राप्त लाभ	0.00	0.00
एसबीआई लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड में उपदान निधि में अंशदान	6540.39	7475.16
एसबीआई लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड में समूह छुट्टी नकदीकरण पॉलिसी में अंशदान	0.00	0.00
एसबीआई लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड में पेंशन ट्रस्ट पॉलिसी में ट्रस्ट की ओर से अंशदान	45114.10	40216.76
भारतीय स्टेट बैंक में चालू खाता शेष	4598.48	4846.28
अंतःसमूह एक्सपोजरों में सीमाओं का उल्लंघन और उनपर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो तो	शून्य	शून्य

छ) सोने और चांदी के संपाश्विक के समक्ष ऋण
 सोने और चांदी के संपाश्विक के समक्ष प्रदान किए गए ऋणों के विवरण

	₹ करोड़	कुल ऋणों के % के रूप में	सकल एनपीए (%)	औसत एलटीवी अनुपात	सकल एनपीए (%)
1. विव का अथशेष [(क)+(ख)]	6791.32	14.59	0.01	75%	0.01%
(क) उपभोग ऋण	4968.07	10.67	0.01	75%	0.01%
इनमें से बुलेट चुकौती ऋण	2971.17	6.38	0.01	75%	0.01%
(ख) आय सृजित करने वाले ऋण	1823.26	3.92	0.01	75%	0.01%
2. विव के दौरान मंजूर और संवितरित नए ऋण [(ग)+(घ)]	3108.15	6.68	0.02	75%	उपलब्ध नहीं
(ग) उपभोग ऋण	1763.52	3.79	0.01	75%	उपलब्ध नहीं
इनमें से बुलेट चुकौती ऋण	1287.52	2.77	0.01	75%	उपलब्ध नहीं
3. विव के दौरान मंजूर और संवितरित नवीकरण	5830.20	12.52	0.02	75%	उपलब्ध नहीं
4. विव के दौरान मंजूर और संवितरित टॉप-अप ऋण	शून्य	शून्य	0.01	75%	उपलब्ध नहीं
5. विव के दौरान चुकाए गए ऋण [(ड)+(च)]	1268.82	2.72	0.01	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
(ड) उपभोग ऋण	973.27	2.12	0.01	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
इनमें से बुलेट चुकौती ऋण	535.84	1.15	0.01	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
(च) आय सृजित करने वाले ऋण	295.55	0.60	0.01	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
6. विव के दौरान वसूले गए अनर्जक ऋण [(छ)+(ज)]	0.81	0	0.01	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
(छ) उपभोग ऋण	0.46	0	0.01	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
इनमें से बुलेट चुकौती ऋण	0.24	0	0.01	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
(ज) आय सृजित करने वाले ऋण	0.35	0	0.02	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
7. विव के दौरान बड़े खाते डाले गए ऋण [(झ)+(ञ)]	-	-	-	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
(झ) उपभोग ऋण	-	-	-	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
इनमें से बुलेट चुकौती ऋण	-	-	-	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
(ञ) आय सृजित करने वाले ऋण	-	-	-	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
8. वर्ष के अंत में इतिशेष [(ट)+(ठ)]	9223.99	19.82	0.02	75%	0.01%
(ट) उपभोग ऋण	5865.30	12.6	0.01	75%	0.01%
इनमें से बुलेट चुकौती ऋण	4384.09	9.42	0.01	75%	0.01%
(ठ) आय सृजित करने वाले ऋण	3358.69	7.22	0.02	75%	0.01%

ज) सोने और चाँदी के संपाश्रिक और नीलामी के विवरण

क्रम सं.	विवरण	२०२०-२१
(क)	वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक दावा न किया गया सोना या चाँदी (ग्राम में)	70.55
(ख)	उन ऋण खातों की संख्या जिनमें नीलामी आयोजित की गई	38
(ग)	(ख) में उल्लिखित ऋण खातों में कुल बकाया	0.43
(घ)	विव के दौरान ऋणों की चूक के कारण अधिप्राप्त सोना या चाँदी (ग्राम में)	972.48
(ङ)	विव के दौरान नीलाम किया गया सोने या चाँदी का संपाश्रिक (ग्राम में)	902.43
(च)	विव के दौरान नीलामियों के माध्यम से की गई वसूली (₹ करोड़ में)	0.42
(छ)	वसूली का प्रतिशत:	97.67
(ज)	सोने या चाँदी के संपाश्रिक के मूल्य के % के रूप में	101.44
(झ)	बकाया ऋण के % के रूप में	97.67

झ) संबंधित पक्षों को एक

(राशि करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2025-26	2024-25
अ. संबंधित पक्षों को ऋण			
1	वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों को मंजूर ऋणों का समग्र मूल्य	शून्य	शून्य
2	31 मार्च तक संबंधित पक्षों को बकाया ऋणों का समग्र मूल्य	शून्य	शून्य
3	31 मार्च तक के कुल ऋण एक्स्पोज़र के अनुपात के रूप में संबंधित पक्षों को बकाया ऋण का समग्र मूल्य	शून्य	शून्य
4	संबंधित पक्षों को बकाया ऋण का समग्र मूल्य जिन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:	शून्य	शून्य
	(i) 31 मार्च तक विशेष उल्लेख खाते	शून्य	शून्य
	(ii) 31 मार्च तक अनर्जक आस्तियाँ	शून्य	शून्य
5	31 मार्च तक संबंधित पक्षों से संबंधित ऋणों के विषय में धारित प्रावधानों की राशि	शून्य	शून्य
आ. संविदाएँ और व्यवस्थाएँ जिनमें संबंधित पक्ष शामिल हैं			
6	वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों को प्रदान की गई संविदाओं और व्यवस्थाओं का समग्र मूल्य	शून्य	शून्य
7	31 मार्च तक उन बकाया संविदाओं और व्यवस्थाओं का समग्र मूल्य जिनमें संबंधित पक्ष शामिल हैं	शून्य	शून्य

26. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्स्पोज़रों और अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

क) जमाराशियों का संकेन्द्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
बीस सर्वाधिक जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ	5873.40	5243.02
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सर्वाधिक जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	16.97%	16.24%

ख) अग्रिमों का संकेन्द्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	39.30	33.69
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	0.08%	0.08%

ग) एक्स्पोज़रों का संकेन्द्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्स्पोज़र	39.30	33.69
बैंक द्वारा उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्स्पोज़र में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को एक्स्पोज़र का प्रतिशत	0.08%	0.08%

घ) अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
सबसे बड़े बीस अनर्जक आस्ति खातों को कुल एक्स्पोज़र	12.65	13.39
कुल सकल अनर्जक आस्तियों में सबसे बड़े बीस अनर्जक आस्ति खातों को एक्स्पोज़र का प्रतिशत	1.37%	1.53%

27. व्युत्पन्न

क) वायदा दर करार/ ब्याज दर अदला-बदली (स्वैप)

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
i) अदला-बदली करारों का कल्पित मूलधन		
ii) यदि प्रतिपक्षकार करारों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे तो होने वाली हानियाँ	चालू वर्ष में 31.03.2026 तक	चालू वर्ष में 31.03.2025 तक
iii) स्वैप के निष्पादन हेतु बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	व्युत्पन्नों में कोई भी	व्युत्पन्नों में कोई भी
iv) अदला-बदली से उत्पन्न होने वाली ऋण जोखिम की संकेन्द्रता	लेनदेन नहीं किए गए.	लेनदेन नहीं किए गए.
v) स्वैप बुक का उचित मूल्य		

ख) विनिमय व्यापारित ब्याज दर व्युत्पन्न

क्रम.सं.	विवरण	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
i)	वर्ष के दौरान विनिमय व्यापारित ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित मूलधन राशि (लिखत-वार)		
ii)	31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार बकाया विनिमय व्यापारित ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित मूलधन राशि (लिखत-वार)	चालू वर्ष में और पिछले वर्ष में व्युत्पन्न में कोई भी लेनदेन नहीं किए गए.	चालू वर्ष में और पिछले वर्ष में व्युत्पन्न में कोई भी लेनदेन नहीं किए गए.
iii)	विनिमय व्यापारित ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित मूलधन राशि बकाया है और 'अति प्रभावी' नहीं है (लिखत वार)		
iv)	विनिमय व्यापारित ब्याज दर व्युत्पन्न बकाया हैं और 'अति प्रभावी' नहीं हैं (लिखत वार) का बही में अंकित बाजार मूल्य		

ग) व्युत्पन्न में जोखिम एक्स्पोजर का प्रकटन

i) गुणात्मक प्रकटन

बैंक ने 31.03.2026 तक व्युत्पन्न में कोई भी लेनदेन नहीं किए हैं.

ii) मात्रात्मक प्रकटन

बैंक ने 31.03.2026 तक व्युत्पन्न में कोई भी लेनदेन नहीं किए हैं.

घ) ऋण चूक अदला-बदली

लागू नहीं

28. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए फंड) में अंतरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
i)	डीईए फंड में अंतरित राशियों का अथशेष	84.69	58.18
ii)	जोड़ें: वर्ष 2026 के दौरान डीईए फंड में अंतरित राशियाँ	96.03	27.43
iii)	घटाएँ: दावों की एवज़ में डीईए फंड द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशियाँ	19.14	0.92
iv)	डीईए फंड में अंतरित राशियों का इतिशेष	161.58	84.69

29. शिकायतों का प्रकटन

क) बैंक द्वारा ग्राहकों और लोकपाल के कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों की संक्षिप्त सूचना

क्रम सं.		विवरण	2025-26	2024-25
		बैंक द्वारा अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें		
1.		वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	18	9
2.		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1269	1307
3.		वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	1287	1289
	3.1	इनमें से, बैंक द्वारा निरस्त की गई शिकायतों की संख्या	0	0
4.		वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	0	18
		बैंक द्वारा लोकपाल के कार्यालय से प्राप्त संधार्य शिकायतें		
5.		बैंक द्वारा लोकपाल के कार्यालय से प्राप्त संधार्य शिकायतों की संख्या	32	57
	5.1.	उपर्युक्त 5 में से, लोकपाल के कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में समाधित शिकायतों की संख्या	32	55
	5.2	उपर्युक्त 5 में से, लोकपाल के कार्यालय द्वारा सुलह/ मध्यस्थता/ परामर्श जारी करने के माध्यम से समाधित शिकायतों की संख्या	0	0
	5.3	उपर्युक्त 5 में से, लोकपाल के कार्यालय द्वारा बैंक के विरुद्ध निर्णय पारित करने के पश्चात् समाधित शिकायतों की संख्या	0	2
6.		विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्यान्वित नहीं किए गए निर्णयों की संख्या (उन मामलों को छोड़कर जिनमें अपील की गई है)	0	0
नोट: संधार्य शिकायतें उन शिकायतों को कहा जाता है जो विशिष्ट रूप से एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (पहले बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006) में उल्लिखित आधारों के अनुसार की जाती हैं और जो उक्त योजना के दायरे में आती हैं।				

ख) बैंक द्वारा ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के पांच प्रमुख कारण

शिकायतों के कारण, (यानी निम्नलिखित से संबंधित शिकायतें)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	31.03.2024 तक प्राप्त शिकायतों की तुलना में शिकायतों की संख्या में वृद्धि / कमी का %	दिसंबर तिमाही की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	उक्त 5 में से, 30 दिन से अधिक समय तक लंबित रहने वाली शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
वित्तीय वर्ष 2025-26					
यूपीआई संबंधी	0	356	161	0	0
मोबाइल/ इंटरनेट/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग संबंधी टट	0	281	195	0	0
ऋण और अग्रिम	0	263	57	0	0
खातों का परिचालन	0	242	240	-	0
अन्य	0	127	(-) 85	0	0
कुल	0	1269	(-) 3	0	0
वित्तीय वर्ष 2024-25					
कारण - 1 (एटीएम व प्रभार लगाना)	0	69	-14.8%	1	0
कारण - 2 (एमबी / आईबी)	1	95	-36%	2	0
कारण - 3 (ऋण)	4	167	149%	2	0
कारण - 4 (एटीएम व प्रभार लगाना)	0	2	-	-	0
कारण - 5 (यूपीआई)	3	136	5.4%	8	0
अन्य	1	838	539%	5	0
कुल	9	1307	134%	18	0

कारण-1: एटीएम/ डेबिट कार्डों से संबंधित

कारण-2: मोबाइल/ इंटरनेट/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से संबंधित

कारण-3: ऋण और अग्रिम

कारण-4: प्रभार लगाना

कारण-5: यूपीआई से संबंधित

अन्य : सूचना प्राप्त करने हेतु (एमपिन भूल जाना/ एमपिन रीसेट के लिए/ एटीएम कार्ड गुम हो जाना/ आईएफएस कोड पूछताछ, आदि)

30. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटन

क्रम सं.	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निम्नलिखित के प्रावधानों के अंतर्गत लगाए गए दंड	दंड
(i)	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	शून्य
(ii)	भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007	शून्य
(iii)	सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (एसजीएल की बाउंसिंग के लिए)	शून्य
(iv)	रेपो- चूक की घटनाओं की संख्या तथा साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त दंड की मात्रा	शून्य

31. पारिश्रमिक पर प्रकटन
प्रबंधकीय पारिश्रमिक के विवरण:

(राशि ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
श्री प्रताप रेड्डी, अध्यक्ष (दिसंबर 2025 तक)	32.42	0.00
श्री शंकर राव, महाप्रबंधक - एचआर, आईटी, बोर्ड	24.36	0.00
श्री विद्याधर अहंकी, महाप्रबंधक - सी व आर	17.33	0.00
श्रीमती वाई. शोभा, पूर्व-अध्यक्ष (मई 2025 तक)	9.30	50.80
श्रीमती के.पी. शोभा रानी, महाप्रबंधक-आईटी (जून 2024 तक)	0.00	11.92
श्री के.वी. प्रसाद, महाप्रबंधक-III (जून 2024 तक)	0.00	13.31
श्री डी. रमेश, महाप्रबंधक - II (जुलाई 2025 तक)	14.03	45.20
श्रीमती भारती तायार, महाप्रबंधक (सतर्कता) (जुलाई 2025 तक)	14.83	49.41
श्री टी. चंद्रशेखर, महाप्रबंधक (सतर्कता)	36.18	40.16
श्रीमती कोमडूरु लक्ष्मी, महाप्रबंधक-परिचालन	30.86	28.97
श्री टी.सुधाकर, महाप्रबंधक-व्यवसाय-I	40.39	28.90
श्री वी. अनिल, महाप्रबंधक-व्यवसाय-II	37.77	3.00
श्री के.वी. कृष्ण शर्मा, महाप्रबंधक-एफआई	38.47	3.00
श्री एस. सतीष बाबू, मुख्य प्रबंधक (लेखापरीक्षा)	25.36	13.01

* हमें विव 2025-26 की चौथी तिमाही के लिए बीजक प्राप्त नहीं हुआ है. अतः हमने अंतिम तिमाही के लिए ₹ 1.30 करोड़ का प्रावधान किया है.

32. अन्य प्रकटन:
क) व्यवसाय अनुपात

विवरण	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
i) ब्याज आय, कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में	8.99%	8.53%
ii) गैर-ब्याज आय, कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में	1.00%	1.13%
iii) जमाराशियों की लागत	5.56%	5.57%
iv) निवल ब्याज मार्जिन	4.33%	3.99%
v) कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	3.15%	2.81%
vi) आस्तियों पर प्रतिलाभ	2.13%	2.10%
vii) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमाराशियां और अग्रिम) (₹ करोड़ में)	18.05	16.14
viii) प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़ में)	0.28	0.15

ख) बैंकएश्योरेस व्यापार

बैंक 31.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार और 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार दोनों वर्षों के लिए अपने द्वारा किए गए बीमा ब्रोकिंग, एजेंसी और बैंकएश्योरेस व्यवसाय के संबंध में अर्जित शुल्क/ ब्रोकरेज का विवरण प्रकट करेगा.

(राशि ₹ लाख में)

2025-26	2024-25
3462.56	1807.96

ग) विपणन और वितरण

बैंक अपने द्वारा किए गए विपणन और वितरण कार्यों (बैंकएश्योरेस व्यापार को छोड़कर) के संबंध में प्राप्त शुल्कों/ पारिश्रमिक का विवरण प्रकट करेगा.

(राशि ₹ लाख में)

2025-26	2024-26
466.57	147.46

घ) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाण-पत्रों (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटन

बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से 31.03.2025 को समाप्त नौ माह के दौरान विभिन्न तिथियों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाण-पत्रों (पीएसएलसी) के माध्यम से निम्नलिखित प्राथमिकता-प्राप्त अग्रिम बेचे और खरीदे हैं.

(राशि ₹ लाख में)

पीएसएलसी की बिक्री			
	घटक	राशि	अर्जित प्रीमियम
	पीएसएलसी एसएम	850000.00	22981.50
	पीएसएलसी कृषि	0.00	0.00
	पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम	0.00	0.00
कुल		850000.00	22981.50
पीएसएलसी की खरीद:			
	घटक	राशि	अर्जित प्रीमियम
	पीएसएलसी समान्य	750000.00	75.00
	पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम	250000.00	25.00
	पीएसएलसी ए	0.00	0.00
कुल		1000000.00	100.00

ड) अंतर-बैंक सहभागिता प्रमाणन (आईबीपीसी) से संबंधित प्रकटन

बैंक ने अंतर-बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (आईबीपीसी) के तहत अन्य बैंकों के साथ जोखिम साझाकरण सहभागिता संविदा निष्पादित की है और विभिन्न तिथियों पर तथा 180 से अलग-अलग अवधियों के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिम जारी किए हैं. आईबीपीसी से प्राप्त आय को बकाया ओवरड्राफ्ट खातों में जमा किया गया है ताकि उधारियों की लागत को कम किया जा सके जिसके माध्यम से बैंक आय मार्जिन दर्ज कर पाया है.

बैंक ने 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान अलग-अलग तिथियों पर आईबीपीसी जारी किए हैं.

क्रम सं.	जारी तिथि	क्रेता बैंक का नाम	आईबीपीसी का प्रकार	राशि (₹ लाख)	ब्याज दर	अंतिम तिथि
1	28/08/2025	एक्सिस बैंक	आईबीपीसी एसएफ/एमएफ	180000.00	3.63%	24/02/2026
2	24/02/2026	एचडीएफसी बैंक	आईबीपीसी एसएफ/एमएफ	200000.00	3.29%	23/08/2026

च) प्रावधान और आकस्मिकताएँ

क्रम सं.	लाभ और हानि खाते में नामे किया गया प्रावधान	31.03.2026 तक	31.03.2025 को
i.	अनर्जक निवेशों (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00
ii.	अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए प्रावधान	133.07	0.00
iii.	कर व्यय के लिए किया गया प्रावधान	474.44	220.00
iv.	अन्य के लिए प्रावधान	0.00	0.00
v.	मानक आस्तियों पर प्रावधान	11.78	7.44
vi.	धोखाधड़ियों पर प्रावधान	0.11	0.02
	कुल	619.40	229.46

छ) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

क्रम सं.	विवरण	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
i.	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	38.49	20.90*
ii.	डीआईसीजीसी प्रीमियम भुगतान में बकाए	शून्य	शून्य

इसमें ई-एपीजीबी की शाखाओं के लिए 3 माह हेतु किया गया भुगतान शामिल है।

ज) बैंकों के कर्मचारियों के पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के फलस्वरूप व्ययों के परिशोधन पर प्रकटन : शून्य

झ) 1 नवंबर 1993 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पेंशन योजना के कार्यान्वयन के कारण अतिरिक्त पेंशन देयता के परिशोधन पर प्रकटीकरण: शून्य

33. वित्तीय विवरणों में राशियों को निकटतम हजार रुपये (000') में पूर्णांकित किया गया है।

उक्त दिनांक की हमारी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते **मेसर्स उमामहेश्वर राव एण्ड कं.**

सनदी लेखाकार

संस्था पंजीकरण सं.004453S

कृते **तेलंगाणा ग्रामीण बैंक**

सीए कृष्णा साई जी एज
भागीदार (सदस्यता सं. 233399)

(के. लक्ष्मी)
महा प्रबंधक - परिचालन

(के. प्रताप रेड्डी)
अध्यक्ष

दिनांक: 20.04.2026

स्थान: हैदराबाद

एक राज्य - एक आरआरबी
तेलंगाना राज्य - तेलंगाना ग्रामीण बैंक

One State - One RRB
Telangana State – Telangana Grameena Bank



తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్

TELANGANA GRAMEENA BANK

ప్రభుత్వ షేడ్యూల్డ్ బ్యాంక్

प्रधान कार्यालय HEAD OFFICE

2-1-520, 2री मंजिल, विजयश्रीसाई सेलेस्टिया, स्ट्रीट नं.9, शंकरमठ रोड, नल्लाकुंटा, हैदराबाद - 500 044. तेलंगाना, भारत.

2-1-520, 2nd Floor, Vijayasrisai Celestia, Street No. 9, Shankarmutt Road, Nallakunta, Hyderabad - 500 044. T.S. India.

टेलीफोन नं. Tel No. : 040-27602091 ई-मेल e-mail: tgbho@tgb.bank.in वेबसाइट website: www.tgb.bank.in